राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 6] पंचम् विधान सभा के छठे सत्र का छठा दिवस [संख्या 6

सोमवार,

दिनांक 19 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, खनिज, वन, वित्त, नगर आयोजना, खाद्य, जन-स्वास्थ्य, रसद योजना, पंचायत, सहकारिता, राजस्व, आबकारी, देवस्थान] ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

श्री पूनमचन्द विश्नोई ।

श्री भंवरलाल मदादा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

रासायनिक खाद का वितरण

90. सर्व श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : श्री भंवरलाल मदादा (भीलवाड़ा) : एवं श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मई, 74 के आखिरी सप्ताह व जून 74 के पहले सप्ताह में राजस्थान के विभिन्न जिलों के कृषि अधिकारियों में से प्रत्येक ने कितना कितना रासायनिक खाद किन किन संस्थाओं व व्यक्तियों को दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) सन् 1973 में इन्हीं दो सप्ताह में प्रत्येक जिला कृषि अधिकारी ने कितना कितना खाद दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) इस वर्ष उपरोक्त अवधि में जो खाद बेचा गया उसकी कीमत किन किन जिलों में नकद कृषि अधिकारी के पास किस तारीख को जमा करवाई गई ? तथा नकद राशि खजाने में कब जमा करवाई गई ? किन किन व्यक्तियों व संस्थाओं ने रकम ट्रेजरी में जमा करवाई व कौनसी तारीख को ? दोनों तरीके से जमा हुई रकम की मय तारीखों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि कई जिला अधिकारियों ने एक जून के पश्चात पहले की तारीखों में खाद बेचने का गलत इन्द्राज कर गलत कार्यवाही की है व इससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है ?

(5) क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुलिस से जांच कराने का विचार रखती है?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना लम्बा है कि सारे राजस्थान की सूची चाही गई है। इसमें काफी समय लगेगा। अतः पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विभाग वाले सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं। जिला मुख्यालय, 26 जिला मुख्यालय जहां डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर से दो सप्ताह की सूचना चाही थी, कोई फील्ड की सूचना तो थी, नहीं। अपने दफ्तर में एक महीने के अन्दर, 14 दिन में जो ट्रान्जेक्शन हुए हैं उसकी इत्तला नहीं मंगा सकते हैं। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत गड़बड़ी हुई है। खाद की कीमत बढ़ी थी। प्रि डेटेड डेट में खाद को बेची गई है और लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : किसी भी जानकारी को छिपाने का कोई इरादा नहीं है। जिस तरह की सूचना चाही गई है, उसमें समय लगना सम्भव है.... ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह संभव नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है।

मैं बता दूं दो सप्ताह में कितना सेल हुआ है और रुपया किस तरह से जमा हुआ है....यही तो बताना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हां, बस ठीक है।

श्री अध्यक्ष : एडजोर्न किया गया।

एक माननीय सदस्य : इसका उत्तर कब तक मालूम हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : 21 तारीख को जवाब देने की कोशिश करेंगे।

That is all I can say.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पुलिस से जांच करवाई जानी चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : जानकारी 21 तारीख के बाद भी आजायेगी तो मैं माननीय सदस्य के घर पर भेज दूंगा।

श्री शंकरलाल (पाली) : यह हाउस का प्रश्न है। कोई घर का क्वेश्चन नहीं है। हाउस में आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री लूणाराम।

तहसील कोलायत की पार्टी द्वारा अदा की गई रायल्टी

91- **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोलायत, जिला बीकानेर की किस किस पार्टी द्वारा अलग अलग एरिया में किस किस किस्म का, किस किस वर्ष में कितना कितना माल सरकार का निकाला हुआ बतला कर कितने कितने माल की रायल्टी कितनी कितनी अदा की गई ? वर्ष 1967 से लेकर जून, 74 तक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त क्षेत्र की किस किस पार्टी ने रेल्वे बिल्टियों द्वारा किस किस के नाम से कितना कितना माल 1967 से 30 जून, 74 तक भेजा। वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) अगर रायल्टी से अधिक माल भेजा गया है तो वह माल कहां से आया ?

(श्री लूणाराम)

1967 से 30 जून, 74 तक वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा राज्य सरकार ने ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ, जिन्होंने अधिक माल भेजा और रायल्टी अदा नहीं की, क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, इसमें इतने वर्षों की सूचना मांगी गई है। उक्त क्षेत्र की किस किस पार्टी ने रेल्वे बिल्टियों द्वारा किस किस के नाम से कितना कितना माल 1967 से 30 जून, 74 तक भेजा यह सूचना रेल्वे विभाग से मंगानी पड़ेगी और इसमें समय लगेगा अतः इसको पोस्टपोन किया जाय।

(शोरगुल: अव्यवस्था)

एक माननीय सदस्य : परम्परा कायम कर रहे हैं।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी लेने में लाखों रुपयों का घोटाला निकलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है और मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इसका जवाब 21 तारीख को फिक्स कर दें।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर घोटाला निकलेगा तो सरकार को बहुत फायदा होने वाला है। हम इस सम्बन्ध में सतर्क हैं और पूरी तरह सजग हैं लेकिन सूचना मंगाने में समय लगेगा।

एक माननीय सदस्य : यह भी स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालौर में सरकारी घास के बीड़

92. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में वर्षा के अभाव में सरकारी वन विभाग के सुरक्षित जोड़ों में मवेशी चरने के लिये सरकारी नियंत्रित जोड़ों को खुला करने की पशुपालकों की मांग है ? अगर हां, तो उक्त घास के बीड़ों को अब तक खुला क्यों नहीं करवाया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सरकारी घास के बीड़ों में कटने लायक घास उपलब्ध नहीं है ? अगर हां, तो मवेशी खुला चरने हेतु उपरोक्त सरकारी बीड़ों को शीघ्र खुला क्यों नहीं किया जाता ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालौर के सरकारी घास के बीड कुडीसारियाणा, डाबलिया एवं भवातड़ा आदि बीड़ों को अभी तक मवेशी चरने हेतु खोला नहीं गया है जबकि पिछले साल खोल दिये गये थे ? अब उपरोक्त बीड़ों को मवेशी चरने हेतु नियमानुसार कब तक खुले कर दिये जायेंगे ?

राज्य मंत्री, वन (श्री मूलचन्द मीणा :
(1) जी हां, इन घास के बीड़ों को 1-8-74 से चराई हेतु खोला जा चुका है।

(2) जी हां, बीड़ों को एक माह के लिये चारा उत्पादन की दृष्टि से चराई से रोका गया था। तथा अब चराई हेतु खोल दिया गया है।

(3) जी नहीं। ये बीड़ चराई हेतु 1-8-74 से खोले जा चुके हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह पहले तो आपने कहा चराई के लिये इतने लोगों की मांग थी कि इतनी देरी से खोलने का क्या कारण है ? पहले क्यों नहीं खोला गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : और किन किन स्थानों पर खोला गया है ?

श्री मूलचन्द मीणा : जैसा प्रश्न में बताया गया है कुडीशारियाणा, डाबलिया दावड़ा........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : और भवातड़ा नहीं है ?

श्री मूलचन्द मीणा : हां, भवातड़ा। जैसा इन चराई के बीड़ों को खोलने का प्रश्न है। टेक्निकल दृष्टि से तीन महीने रोकना चाहिये जिससे घास बढ़ जाय और पशुओं को चारा पूरी मात्रा में उपलब्ध हो सके लेकिन इन बीड़ों का यह रिवाज रहा है कि ये बन्द नहीं किये जाते थे। इससे इसमें न घास पैदा होती थी और न कुछ और इसलिये जानवरों के उपयोग की नहीं रहती थी। इसलिये जनता की मांग पर खोला गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब एक महीने क्यों रोका गया है ?

श्री मूलचन्द मीणा : 30 जून को चराई के लिये खुली थी कम से कम एक महीने तो देना चाहिये जिससे कुछ पैदा हो सके और मवेशियों के लायक हो सके।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो जिले में दूसरी बाड़े हैं उनकी क्या स्थिति है ? बाकी जिलों की स्थिति बता दीजिये।

वन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बीड़ दो प्रकार की होती है, एक वह जिसमें घास कटाई जाती है और स्केयरसिटि होती है, उनको बेचा जाता है और कटाई के बाद मवेशी को उसमें जाने की परमिशन दी जाती है। दूसरे ऐसे बीड़ जिसमें केवल चराई का काम होता है। इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। अभी इसकी स्केयरसिटि हो गई है। हम अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के तमाम बीड़ों पर निर्णय ले रहे हैं। जहां बरसात कम है और घास नहीं है तो सभी डी. एफ. ओ. को सूचना दे दी है। अगले दो-तीन दिन में कटाई के लिये घास नहीं है तो चराई के लिये भी दिक्कत आ सकती है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समय पर सरकार के आदेशों की पालना नहीं होती है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के आदेश बहुत साफ हैं। बरसात होने के कारण एक-दो महीने के लिये बन्द होना चाहिये। अनफारचुनेटली जिन बीड़ों के लिये जहां उनमें यह प्रेक्टिस चली आ रही है कि बन्द नहीं किया करते थे, खुल आ रही हैं। मवेशी सारी घास खा जाते थे इसलिये एक महीने के लिये बन्द कर दिया और अब खोल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केदारनाथ।

राजस्थान कैनाल व चम्बल क्षेत्र के विकास हेतु विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि

93. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान कैनाल व चम्बल क्षेत्र के विकास के लिये राजस्थान सरकार को

Page No 5

(श्री केदारनाथ)

विश्व बैंक से कुल कितनी धनराशि कर्ज के रूप में प्राप्त हुई ?

(2) विश्व बैंक के अधिकारियों से बात करने के लिये राज्य सरकार ने किन किन अधिकारियों को विदेश भेजा व क्या समझौता हुआ ? समझौते की प्रति सदन की पटल पर रखने की कृपा करें ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) अनुबन्ध के अनुसार राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिये विश्व बैंक से 66.4 करोड़ की धनराशि कर्ज के रूप में प्राप्त होगी व चम्बल क्षेत्र के विकास के लिये 41.6 करोड़ की धनराशि कर्ज के रूप में प्राप्त होगी। अभी तक इस कर्ज में से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) विश्व बैंक से बात करने मई, 1974 में वरिष्ठ अधिकारियों की जो टोली मुख्य सचिव श्री खुराना के नेतृत्व में वाशिंगटन गई थी उसमें राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी भेजे गये थे (1) श्री एस. एल. खुराना, मुख्य सचिव (2) श्री विनोद चन्द पांडे, अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव कृषि विशिष्ट योजनायें (3) श्री हरिसिंह चौधरी अध्यक्ष, राजस्थान नहर मण्डल। इनके अतिरिक्त इस टोली में भारत सरकार की ओर से भी निम्नांकित अधिकारी भेजे गये थे। (1) श्री जी. वैंकटारमन (उपसचिव, कमाण्ड एरिया विकास, भारत सरकार) (2) श्री हित प्रकाश, उपसचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (3) श्री एम.ए. चिदाम्बरम (मैनेजिंग डाइरेक्टर एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन।

समझौते के अनुसार 6 वर्षों में भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को बतौर कर्ज उपरोक्त वर्णित धनराशि प्राप्त होगी जो इन क्षेत्रों के विकास के लिये खर्च होगी। विश्व बैंक से जो दोनों कमाण्ड क्षेत्रों के लिये ऋण समझौते अलग अलग हुये हैं। सदन की मेज पर रखे जाने के लिये संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री केदारनाथ : इस एग्रीमेंट का कोई ड्राफ्ट भी मिला या नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : इस एग्रीमेंट के कई ड्राफ्ट अलग अलग स्टेज पर मिले हैं। सबसे पहले डेटाज कलेक्ट करके ड्राफ्ट बना था। फिर विश्व बैंक की टीम आई और उन्होंने सारे एरिया को देखा और फिर तरमीम की और फिर फाइनल ड्राफ्ट यहां पर आया और फाइनल ड्राफ्ट में वहां भी कुछ तरमीमें की।

श्री केदारनाथ : क्या आपने सेन्टर का जो डिपार्टमेंट है इस एग्रीमेंट से पहले क्लियरेन्स ले ली थी वहां से ? क्योंकि फारेन कन्ट्री से एग्रीमेंट है और ऐसे मामलों में पालिटिकल स्ट्रिन्ज होता है। तो क्या आपने पहले क्लियरेन्स ले ली थी ?

श्री शिवचरण माथुर : सारी की सारी योजना भारत सरकार की सहमति और उनके सहयोग से बनी है। हरवक्त में उनकी शामलात थी।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि जो हमारी टीम विदेश में गयी थी उन्होंने आपस की बातचीत का मिनट बनाकर हस्ता-

Page No 6

6

(श्री केदारनाथ)

क्षर कर दिया था जो कि हमारे देश की सोवरन्टी और इन्टीग्रिटी के खिलाफ है ?

श्री शिवचरण माथुर : जो भी बातें तय हुई थी वहां पर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और भारत सरकार के प्रतिनिधियों की कई मिटिंग में तय होकर फाइनली जब ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए वही प्रारूप था जिसका स्वरूप यहां बनाया गया था। लेकिन वहां जाकर चेन्ज कर दिया गया हो या भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ हो ऐसी बात समझ में नहीं आती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न है कि एक साल का आपने बताया, पूरे 6 साल में कितनी राशि प्राप्त होती है ? दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि क्या इस अनुबन्ध में यह सन्निहित है कि इस राशि से आप केवल नहर को ही ठीक कराने में उपयोग में ला सकते हैं या डवलपमेंट के लिए भी काम में ला सकते हैं ? और इसका राजस्थान मुख्य नहर के निर्माण में उसको आगे बढ़ाने में इस राशि का उपयोग नहीं हो सकता ?

श्री शिवचरण माथुर : दरअसल में यह जो ऋण मिला है विश्व बैंक से वह ओन फार्म डवलपमेंट के लिए है। राजस्थान कैनाल में 2 लाख हैक्टर को सिंचाई में लाने के लिए इस आधार पर कि जो भी पानी नहर में आयेगा उसका समुचित उपयोग हो और सही उपयोग हो उससे इस क्षेत्र का विकास करने के लिए ओन फार्म डवलपमेन्ट के रूप में किसानों को कर्ज देकर विकास किया जायेगा। इसी प्रकार से चम्बल में इस योजना के दो तीन स्वरूप हैं वाटर लागिंग को हटाने के लिए उसका अलग से कर्ज है और दूसरे जैसा मैंने बताया राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में ओन फार्म डवलपमेन्ट में बैंक से ऋण के रूप में पैसा लेकर 50 हजार हैक्टर का चम्बल में और 2 लाख हैक्टर का राजस्थान कैनाल प्राजेक्ट में....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या आपकी नालेज में है कि राजस्थान नहर के अन्दर मौजूदा जितना कन्सट्रक्शन हो गया है उसके अनुसार भी पानी का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि सारी माइनर्स, सारी ब्रान्चेज और सारी डिस्ट्रिब्यूटरीज का निर्माण नहीं हो पाया है इसलिए यूटीलाइजेशन आफ वाटर नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप इसको प्राथमिकता इम्पोरटेन्स का नहीं समझते हैं कि राजस्थान कैनाल को पहले रामगढ़ तक पहुंचा दी जाये और उसकी माइनर्स खोद दी जायें और डवलपमेन्ट किया जाये ? तीसरा प्रश्न यह है कि गंगकैनाल के तजुर्बे से क्या आप लाभ नहीं उठाना चाहते हैं कि पानी अपने आप में डवलप करने वाला बहुत बड़ा फैक्टर है और इस राशि को इन्वेस्ट करके उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि यह 2 लाख हैक्टर वही एरिया है जहां कि पूर्णरूप से पेरेनियल फ्लो आफ वाटर उपलब्ध हो जायेगा। उसी आधार पर उसी एरिया में अधिक से अधिक पानी का उपयोग हो सकेगा, अधिक से अधिक पैदावार बढ़ सकेगी। इस दृष्टि से डवलपमेंट करने की बात सोची गयी है। जहां तक यह कहा कि वाटर अपने आप में एक डवलपिंग

(श्री शिवचरण माथुर)

फैक्टर है और जैसा कि गंग कैनाल का कहा कि गंग कैनाल में अपने आप लोगों ने डवलपमेंट किया-यह सही बात है लेकिन इसके लिए बहुत लम्बा समय लग सकता है। आज गंग कैनाल का कमाण्ड एरिया कितने वर्षों का काम है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस स्थिति में आयें कि जल्दी से जल्दी उपयोग में आकर डवलपमेंट की रेट बढ़ा सकें। इसलिए इस ऋण को लिया है।

श्री केदारनाथ : यहां पर कोई टीम आई उन्होंने प्रि-कन्डीशन्स राज्य सरकार को दीं कि वह फुलफिल करें तब एग्रीमेंट करेंगे? यदि हां, तो वह प्रि-कन्डीशन्स कौनसी हैं?

श्री शिवचरण माथुर : कुछ प्रि-कन्डीशन्स उन्होंने बेटरमेंट लेवी के सम्बन्ध में, वाटर रेट के बढाने के बारे में लगाई थी जिसको हमने स्वीकार नहीं किया और हमने कहा कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार की कन्डीशन्स हमारे यहां होगी उसके अनुसार ही करेंगे इसलिए कोई प्रि-कन्डीशन्स हमने स्वीकार नहीं की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या ऐसी भी प्रि-कन्डीशन है कि आप राजस्थान कैनाल की अलग मिनिस्ट्री क्रियेट करेंगे और उसके अन्दर अमेरिकन एक्सपर्ट्स होंगे, उनके कुछ आफिसर्स होंगे जो इस लेण्ड लेवलिंग के मामले में आपको गाइडेन्स करेंगे और राजस्थान कैनाल के बोर्डर एरिया में इस दृष्टिकोण से डवलपमेंट करेंगे कि लेवलिंग किस प्रकार से की जाये और जल्दी से जल्दी पानी का यूज किस प्रकार से हो।

श्री शिवचरण माथुर : यह उनका सुझाव था कि इस सारी योजना को एक निश्चित अवधि में पूरा करने की दृष्टि से कुछ ऐसी काम्पीटेन्ट आथोरिटी का निर्माण किया जाये जो कि इस जिले के अन्तर्गत सभी विभागों के कामों को कोआर्डीनेट करे। बाकी अमेरिकन एक्सपर्ट हमको गाइडेन्स करें ऐसी बात हमने नहीं मानी है और अधिकारी भी जो हमारी इच्छा के अनुसार रखने वाली बात है वही कही है।

श्री केदारनाथ : इतना बड़ा मामला है और इन्टरनेशनल एग्रीमेंट है इसलिए राज्य सरकार को चाहिए था कि इस बारे में अलग स्टेटमेंट दे क्योंकि यह बहुत इम्पारटेन्ट है। कई कन्डीशन्स ऐसी हैं जो कि यहां नहीं पढ़ी जा सकती हैं। यह पहला एग्रीमेंट है जो कि हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से किया। इसकी फाइनल एप्रूवल एक्सपर्ट्स के हाथ में है। जब तक वह टीम एप्रूवल नहीं दे तब तक पैसा नहीं मिलेगा यह शर्त है क्या?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तरह से पून्जीवादी देश को हमने सरेण्डर कर दिया। हमारा मेन टारगेट राजस्थान कैनाल के कम्पलीशन का है और कोई प्रश्न पैदा नहीं होता कि बुलडोजर से लेवलिंग नहीं होती। यह तो इस रुपये को दे कर हमारी राजस्थान कैनाल, जो कि 30 माइल दूर की वोर्डर चलती है वहां पर अमेरिकन आफिसर्स शिरकत करेंगे-ऐसी पोजीशन को आपने क्रियेट कर दिया है और किसानों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

डालने के लिए कान्ट्रेक्ट किया है जिससे कि किसानों को बहुत बड़ी राशि देनी पड़ेगी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो बात कही है उसका स्पष्टीकरण जरूरी है क्योंकि पालिटिकल स्ट्रिंग्ज इसमें इनवाल्व नहीं है। हमने अपनी शर्तों के ऊपर अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो आवश्यक समझा है उस दृष्टि से अपनी शर्तों पर इस अनुबन्ध को किया है और मैं समझता हूं कि यह बातें सोचना कि एक्सपर्ट्स आ जायेंगे और हमने अपने आपको बेच दिया है और उनकी राय के बगैर कुछ नहीं होगा-यह बातें निराधार हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी आशंका करना बेबुनियाद है और इससे निश्चितरूप से हमारे उस क्षेत्र में जल्दी से विकास होगा। आपने कहा कि पहले कैनाल को बनाना जरूरी है लेकिन कैनाल में पानी बहता रहे और आसपास के क्षेत्र विकसित नहीं हों तो उसका फायदा क्या है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पालियामेन्ट में यह प्रश्न उठा है, दस दफा उठा है। आप के गंग कैनाल का प्रजेन्ट क्वेन्टम आफ वाटर का यूटीलाइजेशन नहीं कर सकते और पहले लेवलिंग को चले। कम से कम आप डिस्ट्रिब्यूटरीज, माइनर, सब-माइनर को तो खोद लेते और वह नहीं खोद सकते। इसमें रोक है। जो पानी मौजूदा है उसका यूटीलाइजेशन मत कीजिए और लेवलिंग करते चले जाइये। वर्ल्ड बैंक के पैसे से जो थोड़ा बहुत लेवलिंग हुआ है जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां टीबे बनते चले जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा अर्ज है....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये। तकरीर कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, जो कन्डीशन्स हैं उनको और एलोब्रेट करते हुए इस संबंध में सदन में स्टेटमेन्ट दें जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा निश्चितरूप से पालिटिकल डिपार्टमेन्ट जो भारत सरकार का है उसकी सेंक्शन नहीं है और सारे भारतवर्ष के अन्दर पालिटिकल कन्ट्रोवर्सी है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय एग्रीमेन्ट है और तरह तरह की आशंकायें उत्पन्न होना स्वाभाविक है इसलिए मैं चाहूंगा कि जो इस एग्रीमेन्ट के फीचर्स हैं उनका स्पष्टीकरण करते हुए बयान दे दिया जायें ताकि जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है उसकी जानकारी मिल सके।

श्री शिवचरण माथुर : इस आशंका का तो उत्तर है नहीं। मैं समझता हूं कि इस देश में रूस के साथ भी समझौते किये गये हैं और किसी पर यह कहना कि किसी देश से समझौता करने के बाद में हम पालिटिकली गुलाम बन जायेंगे ऐसी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कन्डीशन होने से वह अपनी मर्जी जैसे डवलप करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : यह सही बात है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक डवलपमेंट करेंगे। इसमें मै नहीं जाना चाहता हूं

(श्री शिवचरण माथुर)

और जहां तक गवर्नमेंट आफ इण्डिया के इन्वाल्वमेंट का सवाल है, सारे स्टेट्स के एग्रीमेंट्स में गवर्नमेंट आफ इण्डिया इन्वाल्व होती है और गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सीनियर आफिसर्स पार्टी हैं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया को अलग रखने का सवाल नहीं उठता है।

(व्यवधान ···· अश्रव्य)

प्रश्न सं॰ 94

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

मांडल में पकड़े गये वनस्पति घी के पीपे

95. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जून, 1974 में मांडल में हजारों पीपे वनस्पति घी के दो एन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों द्वारा पकड़े गये थे यदि हां, तो किस तारीख को कहां कहां से कितने पीपे पकड़े गये? पकड़ने वालों के क्या नाम हैं तथा ये घी के पीपे किस (इण्डस्ट्री) कारखाने के थे और उसका मालिक कौन है? इस कारखानेदार के वनस्पति घी के कितने कारखाने कहां कहां हैं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पीपों के मालिक का कोई रजिस्टर्ड स्टोर मांडल में नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त माल पंचोरी से आया था तथा भीलवाड़े के बिल बनाये गये थे?

(4) क्या यह भी सही है कि माल पकड़े जाने पर यह कहा गया कि माल सुमेरपुर और जोधपुर जा रहा था? यदि हां, तो क्या सुमेरपुर या जोधपुर जाने के लिये मांडल जाना जरूरी है? तथा क्या मांडल में माल उतारा जाना भी जरूरी है?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त माल पकड़े जाने के बाद दोनों एन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर्स का तबादला तुरन्त कर दिया गया था?

(6) राज्य सरकार ने कारखानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) जी हां। भीलवाड़ा, अजमेर रोड के मांडल चौराहे पर लक्ष्मी होटल के कमरे में 700 पीपे और उसी के पास ही बन्द दुकान में 1556 पीपे पकड़े। पकड़ने वाले श्री हरिश्चन्द्र सारस्वत, श्री महेन्द्रराज भंडारी प्रवर्तन निरीक्षक थे। यह पीपे भारत ब्राण्ड के थे और उसके मालिक मानसिंह का इंडस्ट्रीज प्रा॰ लि॰ है। इस मालिक के पाचोरा के अलावा राजस्थान में भीलवाड़ा व मध्यप्रदेश में खंडवा में कारखाने हैं।

(2) जी हां। पीपे होटल व दुकान में पकड़े गये।

(3) जी हां। यह माल पाचोरा से आया था और बिल भीलवाड़ा मांडल के बनाये थे।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(श्री शिवचरण माथुर)

(6) प्रारम्भिक जांच से लाइसेंस की शर्तों की अवहेलना किया जाना पाया गया है। नियमानुसार केस को चालान करने के लिए जिलाधीश भीलवाड़ा को आदेश दे दिए गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या लाइसेंस जब्त किया गया, नम्बर एक। क्या वे पीपे सीज किये गये हैं और नम्बर तीन, क्या मानसिंह का को प्रोसीक्यूट किया गया है, अरेस्ट किया गया है। आपकी घोषणा है कि इस प्रकार के हर केस के अन्दर कोई अगर बड़ा व्यापारी इन्वाल्व्ड है तो उसको अरेस्ट करके हथकड़ियां लगाकर आप घुमायेंगे। मानसिंहका को क्या अरेस्ट किया गया है स्टाक को सीज किया गया है और गवर्नमेंट ने चालान पेश किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक जांच में इस मामले में खासतौर से एक बात साबित हुई कि पाचोरा से जो माल वहां से रवाना हुआ वह मांडल में स्टोरेज किया गया जबकि यह पार्टी मांडल में स्टोर करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं थी। उनके लाइसेंस में ऑथोराइजेशन भीलवाड़ा का है भीलवाड़ा में ही उनको स्टोर करना चाहिए था और उन्होंने मांडल में अनऑथोराइज्ड स्टोर किया। यह एक प्रकार से केस बनता है और इसके अन्दर हमने कोर्ट में चालान करने के आदेश जिलाधीश, भीलवाड़ा को दे दिये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो ठीक है कि केस बनता है और आपने एडमिट कर लिया कि मांडल में स्टोर करना सारा का सारा गलत था। यह स्टोर जो किया गया उसके पीछे नीयत दूसरी थी, ब्लैक करने की नीयत थी यह आपके उत्तर से भी स्पष्ट है और कोई कारण नहीं हो सकता इसका।

मैं यह जानकारी और चाहूंगा कि आपने भीलवाड़ा के ऑफिस में छापा मारकर और वहां के ऑफिस को सीज किया ताकि भीलवाड़ा के अन्दर जो पिचोरा और खण्डवा के अन्दर माल बनता है उसके लेबल वहां पर मौजूद रहते हैं भारत ब्राण्ड के, उन लेबलों को सीज किया गया इस केस को स्ट्रेंग्थन करने के लिए।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात सही है कि इस प्रकार का घी जब पकड़ा गया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था और उसके लिए वहां के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। 21 तारीख को ही छोड़ दिया गया था। यह बात सही है कि माल सुमेरपुर और जोधपुर जाने को था और वहां की बिल्टियां भी बना ली थी माल बाहर भेजने के लिए और यह एक प्रकार से उनको प्रोपोरिटी थी कि पिचोरा से सुमेरपुर और जोधपुर माल जाना था, इसमें कोई कानून की अवहेलना नहीं होती। उनके खिलाफ मामला इतना ही बनता है कि उन्होंने मांडल में स्टोर करके माल तीन चार दिन तक वहां पर स्टोर किया और इसमें उनकी मंशा यही थी कि अगर माल भीलवाड़ा में रखते तो उनको चुंगी देनी पड़ती और चुंगी से बचने के लिए मांडल में स्टोर किया। 18 तारीख को माल उतरा। 21 तारीख से बैंक से बिल्टी बना कर जोधपुर सुमेरपुर के लिए ट्रांसपोर्ट कम्पनी को वहां माल लेजाने के लिए कहा था। माल तो पाचोरा से जोधपुर, सुमेरपुर

(श्री शिवचरण माथुर)

ले जा सकते हैं लेकिन मांडल में उनको स्टोर करने की ओथोरिटी नहीं थी क्योंकि लाइसेंस में स्टोरेज भीलवाड़ा में परमिटेड था और उन्होंने मांडल में अनऑथोराइज्ड तरीके से स्टोर किया।

श्री अध्यक्ष - नेक्स्ट।

(शोरगुल .... व्यवधान)

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय के यह बात ख्याल में नहीं है कि ये बड़े उद्योगपति अनुपयोगी आवश्यक वस्तुओं को जो उनके ओथोराइज्ड स्टोर हैं वहां पर माल नहीं रख कर गलत जगह रखते हैं ताकि अधिकारियों को उनके स्टोर खाली मालूम हों और गलत जगह स्टोरेज करके वहां से काला बाजार में बेच कर जनता को परेशान कर सकें। इसको माइनर आफेंस मानना गलत है कि बीच में एक रख लिया। आप इसको माइनर आफेंस नहीं समझें यह बड़ा आफेंस है। इस तरह आपरेशन तमाम जगहों पर हिन्दुस्तान में किए जा रहे हैं। इसको आप माइनर आफेंस नहीं मानें।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आपसे निवेदन किया कि वहां पर जो गलत स्टोर किया उसको एक प्रकार से गलत परपज ही मान कर इस मामले में आगे जांच कराई है और उस जांच के आधार पर आगे कार्यवाही की है।

श्री पी. के. चौधरी : 18 को माल पकड़ा और....

श्री शिवचरण माथुर : 22 को पकड़ा है, 18 को नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 18 को माल पकड़ा गया और 22 को झूठी बिल्टियां बनाई गईं। आपने भी इस बात को स्वीकार किया है। और अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के चैक पोस्ट पर बिल्टियां बनी हैं वहां पर चुंगी दी गई है लेकिन आपके अधिकारियों ने कोई रिकार्ड कलेक्ट नहीं किया। इस किस्म की लगातार कार्यवाही चल रही है। हण्डवा और पाचोरा से माल ब्लेक में लगातार बिक रहा है और भीलवाडा की मोहर लगती है। उस अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया....

श्री शिवचरण माथुर : एक बात और निवेदन कर दूं मैं। इसमे किसी भी व्यक्ति को बचाने का सवाल नहीं है हमने आदेश दिए है कि इस मामले में बहुत सख्ती से कार्यवाही की जावे और इस केस को आगे बढाया जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (जौहरी-बाजार) : मैं चन्द सवालात इस बारे में पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि अगर जो जगह कायम है स्टोर करने के लिए उनके अलावा कहीं माल रखा जाता है तो क्या वह जब्त किया जा सकता है ? यदि हां तो इस मामले में माल जब्त क्यों नहीं किया गया ? दूसरा, क्या यह सही है कि इस बाबत में उन अधिकारियों को जो इसके लिए जुम्मेवार हैं उसको सस्पेंड भी नहीं किया गया है।

तीसरी चीज यह है कि जब यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि आफेंस किया गया है तो उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल

Page No 12

12

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आफेंस राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर किया गया है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जैसा निवेदन किया कि हमको स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इस मामले को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और इस बारे में आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री केशरीमल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इसमें यह आता है कि इसने तीन तीन आफेंस किए हैं। एक चुंगीचोरी करने का, एक माल ब्लैक में बेचने का और तीसरा यह हुआ कि हमारे विभाग ने उनको अन्ड्यू लिफ्ट देकर माल सीज नहीं किया, माल जाने दिया। यह तो एक घटना है जो प्रश्न के रूप में सामने आगई, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका विभाग इन व्यापारियों से मिला हुआ है और यह आपकी जानकारी में है। उदयपुर में 1500 पीपे पकड़े गए थे डालडा के जिनमें खराब आॅयल मिला हुआ था रही और उसको रिलीज कर दिया गया। मेरे सामने उन पीपों को बन्द कर दिया गया था लेकिन उनको बाद में वहां के व्यापारियों को दे दिया गया और उसी खराब माल को वह व्यापारी दूसरी जगह ले गए। उनका कोई चालान तक नहीं बना। यह कोई एक उदाहरण नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारे उधर चार चार ट्रक पकड़े गए हैं।

श्री अध्यक्ष : There can be so many cases.

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह कहा जाता है कि साठ हजार रुपये अधिकारियों को दिए गए हैं यह बात खुलेआम कही जाती है।

श्री अध्यक्ष : You have been given ample time.

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : They must be suspended immediately. The Collector must be suspended.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तीन सवाल पूछे गए एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मानसिंह का ने साठ हजार रुपये अधिकारियों को दिए हैं। इनको सस्पेंड क्यों नहीं करते।

श्री केदारनाथ : आपने जो जवाब दिया है उससे यह साबित होता है कि प्राईमाफेसी केस बनता है तो फिर चालान क्यों नहीं करते ?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा है इसमें केवल एक बात की जानकारी करना है कि वह जो माल रिलीज किया गया क्या वह कलेक्टर से पूछ कर किया गया। इसमें कलेक्टर ही कोम्पीटेंट अथोरिटी है जो माल रिलीज करने की आज्ञा दे सकता है। इसकी और जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ये तो दो बातों की जानकारी चाहते हैं जिनका आप जवाब दे

(श्री अध्यक्ष)

सकते हों तो दे दें। एक तो यह माल जब्त क्यों नहीं किया गया और दूसरा यह कि लाइसेंस केंसिल क्यों नहीं किया गया।

If you are in a position to reply to it, you may reply.

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि जिन अधिकारियों ने माल रिलीज किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आवश्यक आदेश दे दिए हैं और कार्यवाही की जा रही है। मैंने अखबार में यह खबर पढ़ने के बाद स्वयं इस मामले में आगे कार्यवाही की है।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह भी जानकारी चाहूंगा। ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केशरीमल।

जन स्वास्थ्य विभाग में अधिदर्शक व सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति

96. **श्री केशरीमल (ब्यावर)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन स्वास्थ्य(अभियान्त्रिकी विभाग में मई,1967 से दिसम्बर, 1973 तक कितने अधिदर्शक व सहायक अभियन्ता नियुक्त किये गये ?

(2) इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति व जन जातियों के कितने कितने व्यक्ति लिये गये ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में मई, 1967 से दिसम्बर, 1973 तक 465 अधिदर्शक एवं 148 सहायक अभियन्ता नियुक्त किये गये।

(2) इन नियुक्तियों में सहायक अभियन्ताओं के पद पर 3 व्यक्ति अनुसूचित जन जाति तथा 2 व्यक्ति अनुसूचित जन जाति के नियुक्त किये गये थे जबकि अधिदर्शकों के पदों पर 35 व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा 14 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के नियुक्त किये गये थे।

श्री केशरीमल : क्या इससे इनका प्रतिशत पूरा हो जाता है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। इसका कारण यह है कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर की नियुक्ति पी. एस. सी. से जो लिस्ट आती है उसके अनुसार ही नियुक्ति करते हैं और जहां तक अधिदर्शकों का सवाल है, जितने आदमियों ने आफर किया, शिड्युल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उनको नियुक्ति दे दी गई है और उनमें से कोई बाकी नहीं रहा है। इससे ज्यादा आफर नहीं आयी तो नियुक्ति कैसे कर सकते हैं ? जितने आदमियों ने हमारे विभाग के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिया उनकी नियुक्ति कर दी गयी है।

श्री रामकिशन : कोटा पूरा नहीं हुआ है तो क्या इनके लिये आरक्षित पदों को खाली रख रहे हैं। इन स्थानों के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री चन्दनमल बैद : जितने भी केन्डीडेट आफर करेंगे उनको प्राथमिकता दी जायगी।

Page No 14

14

श्री रामकिशन : आप इसको मिला रहे हैं। इतने परसेन्ट होने चाहिए वह नहीं है तो क्या अगले वर्ष के लिए इनको खाली रखेंगे.... ..

श्री चन्दनमल बैद : इसका मतलब यह है कि जो काम करता है वह बढ़ कर दिया जाए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या सरकार इन स्थानों पर, जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए सुरक्षित हैं उन पर एडहाक नियुक्तियां करेंगी।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने निवेदन कर दिया है कि जितने भी लोग आफर करेंगे हम उनको सर्विस में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट श्री गुमानमल लोढ़ा।

जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा केरोसिन तेल की दर निर्धारित करने में सरकारी आज्ञाओं का उल्लंघन

97. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): [श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर जिला प्रशासन ने सन् 1972 में केरोसिन तेल की कीमत तय करते समय दो पैसे लीटर सरकारी आज्ञा के अनुसार कमी नहीं की ?

(2) क्या इस हेतु अब मई, 1974 में जिला रसद अधिकारी जोधपुर ने पुलिस केस रजिस्टर करवाया है ?

(3) क्या यह केस जिला रसद अधिकारी व जिलाधीश के विरुद्ध इस घोटाले के लिए गिरोह के खुले आम आरोप लगाने के महीनों बाद, जिला प्रशासन को बचाने के के लिये अब रजिस्टर करवाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1972 से 1974 तक दो पैसे प्रति लीटर ज्यादा जनता से वसूल करने के कारण लगभग 5 लाख रुपये जबरन नाजायज वसूल किये गए ?

(5) क्या अब सतर्कता समिति में शिकायत होने के पश्चात् यह रकम वापिस थोक व्यापारियों से वसूल करने की दिखावटी कार्यवाही की गई है ?

(6) क्या राज्य सरकार तत्सम्बन्धी पुलिस रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

(7) उन अधिकारियों के जिन्होंने कि 1972 से 1974 तक हर बार केरोसिन की दर निर्धारित करते समय सरकारी आज्ञाओं के विरुद्ध दो पैसे अधिक लगाए यह क्या हैं ?

(8) क्या थोक व्यापारियों को खुदरा व्यापारियों की रेट पर उपरोक्त घोटाले के अलावा तीन पैसे पर लीटर अधिक लेने की जिला प्रशासन ने छूट दी ? यदि हां तो इस कारण 1972 से 1974 तक कितनी रकम जोधपुर में जनता से अधिक ली तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेवार है ?

खाद्य व रसद मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह सत्य नहीं है कि जिला प्रशासन को आरोप से बचाने के लिये केस रजिस्टर करवाया है।

(श्री शिवचरण माथुर)

(4) जी हां, लगभग ढाई लाख रुपये उपभोक्ताओं द्वारा व्यापारियों को अधिक देना पड़ा।

(5) जांच पूरी होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अतः दिखावटी कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है।

(6) अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है, अतः रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है।

(7) जांच पूर्ण होने पर ही यह बताया जाना संभव है।

(8) थोक व्यापारियों द्वारा खुदरा विक्रय किये जाने पर उनके द्वारा खुदरा व उपभोक्ताओं से वसूल की गई वो थोक दर से 2 पैसे प्रति लीटर ज्यादा थी न कि तीन पैसे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिला अधिकारी, जिलाधीश ने इसे बढ़ा कर जनता से कैसे वसूल कर लिया। यह भी बताइये कि घटना किस समय की है और इतना समय कैसे हो चुका? दूसरी बात यह है कि ढाई लाख रुपया वसूल कर लिया गया है जनता से ·····

श्री योगेन्द्रनाथ हूंडा : नहीं किया है, करना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : व्यापारियों ने वसूल कर लिया जनता से। उसका आप क्या कर रहे हैं? तीसरा प्रश्न है कि जिलाधीश के पद पर बैठ करके या अधिकारियों से मिल कर या व्यापारियों से मिलकर जनता को लूटना चाहते हैं तो उस पर क्या दंड का प्रावधान किया है, क्या कार्यवाही की है आज तक?

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, इससे रिलेटेड ही एक प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष : तो क्या सब के एक साथ प्रश्न करवा दूं ········

श्री दीपंकर : इसके साथ ही जवाब आ जाएगा। ·······

श्री अध्यक्ष : You will never sit. You will never accept the advice of the Chair.

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दो पैसे पर लीटर के हिसाब से अधिक व्यापारियों ने लिया और इसमें कहीं कोई बात छिपाई नहीं है। इस बात को साफ कहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : किसके आदेश से लिये? जिलाधीश ने आदेश दिया था?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर पूरा होने दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि रेट जो थी उससे दो पैसा प्रति लीटर अधिक लिया गया है और करीब ढाई लाख रुपया उपभोक्ताओं को अधिक देना पड़ा है व्यापारियों को। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि जांच के बाद किसकी क्या क्या जिम्मेदारी आती है, किसका क्या दोष है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो स्पष्ट है ढाई लाख रुपया अधिक ले लिया गया है ?

श्री शिवचरण माथुर : किस का दोष है यह तो मालूम करना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदय, दो साल तक दो पैसा लीटर अधिक लेते रहे, यह मालूम नहीं पड़ा ?

श्री अध्यक्ष : पहले के प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि इसकी जांच होने के बाद किस का दोष है, यह साबित होने के बाद कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर। मैं एक माननीय सदस्य का नाम ले रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको मालूम है कि इस विभाग में उमाशंकर नाम का एक व्यक्ति यू.डी.सी. है जिसने सरकारी आदेश को छिपा दिया और इस बीच में व्यापारियों से मिलकर घोटाला किया और इसी के कारण यह अधिक रकम ली गयी है। वह दोषी है और जो अधिक रकम वसूल की गयी है उसमें से जनसंघ को भी चंदा दिया गया। आपके नालेज में इस प्रश्न की जानकारी है ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या यह सही है कि इस यू.डी.सी. की श्रीमती जनसंघ की म्युनिसिपल पार्षद थी और वे भी इसमें प्रभाव रखती थी।

श्री शंकरलाल : पुलिस को मुकदमा किसके खिलाफ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : Let him reply now.

श्री गोपाल जोशी : क्या सरकार यह रकम व्यापारियों से मय सूद के वसूल करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य इन्तजार नहीं कर सकते ? एक एक प्रश्न होने दीजिये। एक साथ ही प्रश्न हो जाएं और एक साथ ही जवाब दे दें तो क्या यह ठीक है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, एक साथ इतने सवालात हो जाते हैं कि उससे मंत्री महोदय का बचाव हो जाता है और फिर वे भूल जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष: Why don't you accept my advice then ?

मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूं। एक एक माननीय सदस्य प्रश्न करें परन्तु एक साथ पांच पांच खड़े हो जाते हैं। मेरी सलाह नहीं मानेंगे तो इसके अलावा और कोई व्यवस्था तो है नहीं।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दे दें तो यह इनका फेल हो जाय।

श्री शिवचरण माथुर : कोई जनसंघ का सदस्य है या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है। जनसंघ या किसी पार्टी का सदस्य है इससे मतलब नहीं होता है जिन्होंने दोष किया है उनको सजा दी जायगी। लेकिन यह बात सही है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे स्पष्ट होता है कि दो रेट्स अलग अलग तरह की आई थी। पहले जो रेट भारत सरकार की तरफ से आई थी उसमें बाद में 10 रुपये का रिडक्शन हुआ था। उसको फाइल पर नहीं लाया गया और पुरानी रेट पर ही रेट तय करके इंडीकेट कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि दो पैसा पर लीटर का फर्क पड़ गया। यह बात मालूम पड़ती है लेकिन इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। यह काफी है कि क्लर्क ने नोट दे दिया और उस पर दस्तखत कर दिये और उसको देखने की जरूरत नहीं थी। इसकी मैं जांच करवाऊंगा और उसके बाद जो दोषी निकलेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

जहां तक इस रुपये को वापिस लेने का सवाल है तो परसुएशन से ही यह रुपया वापिस लिया जा सकता है। कानूनी तरीके से सम्भव हो सकेगा या नहीं। लेकिन यह प्रयत्न किया जा रहा है और मेरी जानकारी में है कि करीब 10 हजार रुपया इकट्ठा हो गया है और काफी रुपया इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह।

श्री दीपंकर : जो रुपये वसूल किये गये ....।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अभी मैंने कहा था। सब पूछ लें एक साथ और एक साथ ही जवाब दिलवाऊंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि पहले एक रेट आई थी, और दूसरी बाद में उसके फर्क में यह कार्यवाही हो गई। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस अधिकारी ने यह काम किया उसको सस्पेंड करने की क्या कोई कार्यवाही कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जिन व्यापारियों ने इसका फायदा उठाया उनसे कठोरता से रुपया वसूल करने का निर्णय किया है? दूसरी बात यह है कि जो कार्यवाही आप कर रहे हैं वह कितने दिन में पूरी करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि बरसों निकल जायं और जांच न हो तो उसको अधिकारी दबाने की कोशिश करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या यह बात सही है कि इसमें गलती रह गई और वह किसी से पकड़ी नहीं गई? कमिश्नर के यहां नहीं पर रेट्स जो प्रेस्क्राइब्ड होती है उसकी एक कापी आती है और सर्क्यूलर भी आता है। एम.एल.एज. को भी नहीं मालूम, न जनप्रतिनिधियों को यह मालूम था और दो साल बाद मालूम पड़ा तो आंखे खुलीं, तो यह गलतफहमी में हुआ क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज : मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया उससे यह बात तो स्पष्ट हुई है कि जो यू.डी.सी. या काम करने वाले थे उनकी गलती हुई है। यह बात भी स्पष्ट है कि जिन्होंने केरोसीन के वितरण का काम किया है उनकी मिलीभगत थी और वह ज्यादा पैसा उनको मिला और उनसे

(श्री मोहनराज)

ज्यादा से ज्यादा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं मानते हैं कि जिन्होंने भी गवर्नमेंट के लेटेस्ट सरक्यूलर का दबाकर उस रेट को निकलवाया है तो वह अधिकारी और अहलकार, जो भी हो उसको आप तत्काल सस्पेंड करें और जिन व्यापारियों के मिलीभगत से ढाई लाख रुपया जनता से लूटा है उनके लाइसेन्स तत्काल रद्द करें, और फिर बाद में जांच करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि आपने ढाई लाख एसेस किया है और माननीय सदस्य 5 लाख करते हैं और 10 हजार रुपये की वसूली हो गई है और चेरिटी फण्ड में वह 10 हजार रुपये आपने दे दिये। जब 10 हजार रुपये की वसूली हो गई तो बाकी के ढाई लाख वसूल करने में क्या दिक्कत है और माननीय सदस्य के कहने के मुताबिक 5 लाख वसूल करना है। वहां पर हास्पिटल की दशा भी खराब है...

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, भाषण नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो बजाय 5 लाख वसूल करने के क्या आप यह इरादा रखते हैं कि अब दो पैसा कम कर दें और अधिक व्यापारियों को ब्लैक करने का खुला मौका दे दें जनसंघ के हिसाब से।

श्री रामकुमार : अध्यक्ष महोदय।...

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी समय दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात जानना चाहूंगा कि इसमें प्राइसेज तय करने की जिम्मेदारी किस की थी, जिला प्रशासक की या यू. डी. सी. की या एल.डी.सी. की इस बात का स्पष्ट जवाब देंगे।

दूसरी बात आप जांच किस बात की करेंगे। साफ लिखता है कि जिलाधिकारियों ने प्राइस फिक्सेशन में गलती की है तो किस बात की जांच करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा प्रश्न सीधा सा जो कि चौधरी साहब ने पूछा वह यह है कि अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए आप यू० डी० सी० का नाम लें या किसी क्लर्क का नाम लें, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी किस की ? कौन इसके लिए जिम्मेदार था ? किसका यह काम था ? किस के दस्तखत से आर्डर इश्यू किए गये ? कलेक्टर के या क्लर्क के आदेश से यह ढाई लाख रुपये वसूल हो गये ? पूरे अपराध का जिम्मेदार कौन है ? उस जिम्मेदार व्यक्ति पर आज तक आपने क्या कार्यवाही की ? आज दो साल हो गये हैं क्या कार्यवाही की गई ? इसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकुमार।

श्री रामकुमार (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ब्लैकमार्केट और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की घोषणा करती है और हम जब ब्लैक के मामलों की शिकायत करते हैं तो सरकार की तरफ से यह जवाब मिलता है कि अभी जांच जारी है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री रामकुमार)

इसका कारण क्या है और यह ढिलाई क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मेरे नगर का यह मामला है इसलिए मैं इसके बारे में कह दूं । अध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस होता है कि इस मामले को विशेषरूप से लिया है तो क्लेरिकल नेग्लीजेन्स से यह मामला हुआ है । परन्तु जांच के बाद ठीक मालूम पड़ेगा । हर प्रान्त में जब केरोसीन की रेट फिक्स्ड होती है तो उस सक्यूंलर की एक कापी तो गवर्नमेंट के पास जाती है और एक कम्पनी के पास जाती है, और न वह सरकार और न कार्पोरेशन की निगाह में आया और लगातार डेढ़ साल तक यह होता रहा, तो यह सोचने का विषय है…

श्री अध्यक्ष : यह पूरक प्रश्न का विषय हो है ।

श्री अमृतलाल गहलोत : यदि एक बार फाइल में से कागज निकाल कर जैसा भी नोट बना दे और वह आगे चला जाता है तब क्या होगा ?

श्री सुखलाल सेणचा (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि डीलर्स भी जनसंघी और बाबू भी जनसंघी था और जनसंघ को चन्दा देने के लिए इस प्रकार से यह गड़बड़ कराई गई । इसके मारफत जनसंघ वालों को चन्दा दिया गया। अगर किसी यू. डी सी. ने धोखे के रूप में इस प्रकार की गड़बड़ का तो उसको सस्पेंड करने का आप विचार रखते है ? क्या वर्तमान में जो डी. एस. ओ. है वह उस वक्त भी कार्य कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल ।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कब तक पूरा करा देंगे ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसमें तो श्रीमती उमाशकर, जो जनसंघ की कौन्सिलर है उनके पति बाबू हैं जिनकी मिलीभगत से यह सारा षडयन्त्र किया गया है और दोनों ने मिलकर खाया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार सवाल करना चाहता हूं । एक तो, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस आर्डर के ऊपर, जिसके द्वारा करीब साढ़े चार लाख, 5 लाख रुपयों का गबन घोटाला हुआ है, किस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं ? किसने यह आर्डर इश्यू किया है प्राइस फिक्सेशन का, नं० 1 ? नं० 2. क्या यह सही है कि श्री काशीनाथ जोशी ने 1974 के अन्दर प्राइस फिक्स्ड करने के अन्दर बार बार यह कहा था कि जिला अधिकारी ने तेल की जो कीमत फिक्स्ड की है वह ज्यादा है और दो पैसा प्रति लीटर ज्यादा तय हुई है जिसके कारण से मार्च-अप्रेल 1972 से लेकर लगातार अप्रेल, 1974 तक लगभग साढे चार लाख का ओवरचार्ज कन्ज्यूमर से किया गया है, और इसके बावजूद भी जिला अधिकारी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया ? क्या यह सही है कि जिला सतर्कता समिति में आने के बाद ही यह केस रजिस्टर किया गया है ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

साढ़े 4 या 5 लाख रुपये की रकम को एड-मिटेड रूप में सरकार ने बड़े व्यापारियों के कारण गरीब उपभोक्ताओं से लिये हैं। वह रकम अब तक वसूल नहीं की गई है। वह अभी भी बड़े व्यापारियों के पास में है। अध्यक्ष महोदय, और एक बात जानना चाहता हूं कि इण्डस्ट्री डिपार्टमेण्ट और फूड डिपार्टमेण्ट की ओर से यह बात उठाई गई थी कि यह 2 पैसे ज्यादा वसूल किये गये हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, कई अलग अलग प्रश्न लाये गये हैं।

श्री रणजीतसिंह : एक जानकारी और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। उत्तर पढ़ लेते तो अच्छा होता। मैंने कहीं यह छुपाया नहीं है। सतर्कता समिति में आया है, उसका भी जिक्र है। आपने 5 लाख कहा है। मैंने ढाई लाख रखे हैं। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। एक क्लर्क ने फाइल पर नोट किया है।

श्री पी. के. चौधरी : अल्टीमेट रिस्पों-सिबिलिटी किसकी है ?

श्री शिवचरण माथुर : आप सुन लें तो अच्छा है।

19 रु० कुछ पैसा प्रति मिलीलीटर था। यह किसी अथोरिटी ने किया है। क्लर्क ने नहीं किया है। क्लर्क ने नोटिंग की होगी। अल्टीमेटली पार्टीज ने किया है। इसमें दो बातें आती हैं। व्यापारियों ने रेट्स के बारे में रिप्रेजेन्ट किया है। इण्डियन आयल कम्पनी को भी किया है। जैसा कि माननीय सदस्य गहलोत ने कहा है। इण्डियन आयल कम्पनी को रेट्स की जानकारी होती है। जब उन्होंने व्यापारियों का पक्ष रेफर किया तो आइ. ओ. सी. ने यह बात महसूस की है। इसकी जानकारी की जा सकती है। वसूली का सवाल जहां तक है, हर सम्भव प्रयत्न करके की जायेगी। कैसे की जायेगी ? वह किसी न किसी कानूनी तरीके से की जायेगी। मेरा प्रयत्न यह रहेगा कि जो उपभोक्ताओं से अधिक ले लिया है उस पैसे को किसी सार्वजनिक काम में लगाने की बात आ सकती है। इस बात के प्रयत्न जारी हैं। जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। पैसा सार्वजनिक काम में लगाने की कोशिश की जायेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 28 दिसम्बर, 1973 के अंक में "बलिदान" ने यह छापा था। जिला प्रशासन के सामने बार बार यह प्रश्न लाया गया था। अभी तक जिला प्रशासन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? आपको तार दिये गये हैं। मई, 74 तक यह चलता रहा है। 6 लाख लीटर तेल जोधपुर जिले में आता है। सप्लाई होता है। अप्रेल, 74 तक यह रकम लगातार ली जाती रही है। आपके टेलीग्राम आने के बावजूद। तो मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 12 हजार रु. का और 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 15 हजार रु. का

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इस प्रकार से 27-28 हजार रु. 9 महीने तक वसूल किया जाता रहा है । जिला अधिकारी के कार्यालय में जो दोषी पाया जाये । यह ढाई लाख का स्केण्डल एडमिटेड है । अब वह कौन था जिसने यह इश्यू किया है । ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? यह तो आप कार्यवाही करने को कहते हैं । या व्यापारी ने सरकार को गलत दिलवाई है । एक और मुख्य प्रश्न यह है, इस सारे मामले पर जांच हाइ स्तर पर होनी चाहिए । काशीनाथ जोशी को एफ. आइ. आर. में दर्ज कर दिया गया है । जिला प्रशासन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री शिवचरण माथुर : जो बातें कही गई हैं, सारी कार्यवाही प्रोसेस में है । जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । एक प्रश्न होल सेलर का और रिटेलर का कायम किया गया है जो तीन पैसा प्रति लीटर का होता है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके बाबू ने आपको गलत बताया होगा । (हंसी)

श्री शिवचरण माथुर : मेरी जानकारी के अनुसार उन दिनों में रिटेल का काम होल सेलर ही कर रहे थे । इसलिए 2 पैसे उन्होंने ले लिये । यह आगे देखेंगे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या राज्य सरकार ने, जो होल सेलर सड़क पर खड़े होकर देते हैं, उनको 3 पैसा लेने का अधिकार दिया था ?

श्री शिवचरण माथुर : उन दिनों में रिटेलर काम नहीं कर रहे थे । 3 पैसे होल सेलर के और 2 पैसे रिटेलर के, यह रिटेलर का कमीशन भी होलसेलर ने ले लिया है । उनका कहना है कि रिटेल का काम होल सेलर ने किया है, इसलिए यह दे दिया गया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ । No more question. I have given enough time. इस प्रश्न के बारे में मैंने उदारतापूर्वक काम लिया है । पूरा आधा घण्टा दिया है, तीस मिनिट दिये हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आधे घण्टे की चर्चा की डिमाण्ड करूंगा । इस प्रकार के स्केण्डल बहुत कम आते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐतराज नहीं है, आधे घण्टे की चर्चा या जो आप सोचें, करें, मुझे ऐतराज नहीं है ।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था, एक 115 प्रश्न बड़ा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है । इस प्रश्न को पोस्टपोन करवा दें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट—1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रमिक बस्ती बनाने हेतु भूमि का आवंटन

94. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(1) क्या यह सही है कि 27,981 स्क्वायर यार्डस भूमि 1960 में श्री ए. एस. मुकर्जी, जयपुर को श्रमिक बस्ती बनाने हेतु 3 रु. 2 पैसे प्रति गज की दर से आवंटित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि यह दर 3 रु. से 2 पैसे घटाकर 1.50 पैसा कर दी गई ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ?

(3) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर के तत्कालीन सचिव श्री के. एन. सहाय ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना अनाधिकृतरूप से एक ऐसे इकरारनामें पर हस्ताक्षर कर दिये कि जिसके द्वारा श्री मुकर्जी को श्रमिक बस्ती के बजाय इस भूमि के प्लाट्स बना कर खुले बाजार में बेचने की अनुमति मिल गई और श्री मुकर्जी ने 50 रु. प्रति गज के हिसाब से इन प्लाट्स को बेचकर काफी धन कमाया ?

(4) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं सतर्कता आयोग द्वारा की गई और यह तथ्य सही पाये गये और श्री सहाय को सस्पेन्ड किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक श्री सहाय के विरुद्ध क्या क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले में कृषकों को पास बुकों का वितरण

34. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितनी पास बुकें कृषकों को वितरित की गई हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसीलवार अब कितनी पास बुकें कृषको को देना बाकी है तथा उनके वितरित न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में अब तक कुल 154520 पास बुकें वितरण की जा चुकी हैं। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) इस जिले के लिये कुल 210000 पास बुकें आवन्टित हैं जिनमें से 193800 पास बुकें मुद्रणालय से प्राप्त होने पर उन में से 154520 वितरित होकर कुल 39280 पास बुकें वितरण करना शेष है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

वितरण न होने के निम्न कारण है:—

(1) इस जिले की आठ तहसीलों में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा पास बुकें पहिले से ही वितरित की हुई हैं। खातेदारों की अभिरुचि कम है।

(2) अकाल एवं लेवी एवं वसूली आदि के सामयिक कार्यभार के कारण भी इस कार्य में कर्मचारियों को समयाभाव रहता है।

सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये

राजस्थान नहर क्षेत्र में शरणार्थियों को भूमि का आवंटन

35. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में कितने ऐसे शरणार्थियों को भूमि आवंटित की गई है जिनकी भूमि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय, जोधपुर में झगड़ा चल रहा है कि वह भूमि इवेक्यू प्रोपर्टी नहीं है तथा वह भूमि कितनी कितनी किस किस के नाम पर है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि जिसकी उच्च न्यायालय में याचिका चल रही है वह भूमि सीलिंग की सीमा से अधिक है ?

(3) क्या सरकार ने सीलिंग की सीमा से अधिक भूमि को कब्जे में लेने सम्बन्धी कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) 9 व्यक्तियों के नाम से आवंटित भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना जाहिर होता है।

(3) राज्य सरकार ने अभी तक आवंटितियों के हक में लिये गये आवंटनों को वैध नहीं माना है और विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

तहसील लालसोट का तहसील भवन

36. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट जिला जयपुर के तहसील भवन की हालत जर्जरता के कारण अत्यन्त गम्भीर हो गई है और किसी भी भाग के किसी भी समय गिरने की आशंका है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य कई कर्मचारी अपना दैनिक कार्य अपने अपने निश्चित कार्यालय में न करके अपने निवास स्थान या अन्य स्थानों पर कर रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है तथा राजकार्य की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है ?

(3) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सरकार नया तहसील भवन बनवाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) भवन की जरूरी मरम्मत के लिये जिलाधीश द्वारा आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

अजमेर जिले में लेवी की वसूली

37. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) अजमेर जिले में कुल कितनी लेवी जमा हुई ? पंचायत समितिवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में 10 बीघे से नीचे की जोत के कितने किसान हैं और 10 बीघे से अधिक जोत वाले किसानों की संख्या कितनी है ? दोनों प्रकार के किसानों के पास

Page No 24

24

(श्री केशरीमल)

खेती का रकबा कितना कितना है और दोनों की अलग 2 कुल पैदावार कितनी हुई ? पंचायत समितिवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर जिले के 10 बीघा से नीचे की जोत वाले किसानों ने कितनी लेवी दी और इससे अधिक जोत वाले किसानों ने कितनी लेवी दी ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले में कन्ट्रोल के सामान का वितरण

38. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(क) विगत 12 महीनों में चूरू जिले में कन्ट्रोल का कितना कपड़ा, सीमेंट, केरोसीन, तेल, चीनी, डालडा घी, टीन व लंहे का सामान गया है ? तथा हर तहसीलवाइज कितना कितना सामान किन किन तारीखों में दिया गया ?

(ख) उक्त सन्दर्भ में तहसील राजगढ़ में कुल कितना सामान कौन कौन सा गया है ? और वह शहर व देहात में कितना कितना बांटा गया है ?

(ग) इस सिलसिले में कितनी कितनी चीनी हर वार्ड व पंचायतवाइज डील रों को दी गई और कितनी वार्ड व पंचायतवाइज संप्लाई हुई ?

(घ) सीमेंट, राजगढ़ तहसील में सरकारी काम के लिए, सार्वजनिक कामों के लिए व व्यक्तिगत किस किस को कितनी 2 कब वितरित की गई ?

(स्थगित किया गया)

श्रीगंगानगर विकास न्यास की योजना

39. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गंगानगर के विकास के लिये श्रीगंगानगर विकास न्यास ने कोई योजना 'नगर विकास' की बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना को राज्य सरकार ने कब स्वीकृत किया ?

(2) क्या विकास योजना के अन्तर्गत नगर मे भूमि अवाप्त का काम किया गया है ? यदि हां, तो अवाप्ति की जाने वाली भूमि में रिहायशी व कृषि भूमि कितनी है ? निम्न विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:–

1. अवाप्त भूमि, 2. नाम भूमि मालिक, 3. भूमि के मुआवजे की धनराशि, 4. मुआवजा चुका दिया अथवा नहीं, 5. कब्जा प्राप्त किया अथवा नहीं 6. कब्जा, प्राप्त करने की तिथि ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, दांता रामगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

40. श्री केशरदेव (लक्ष्मणगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री केशरदेव)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति दांता (सीकर) के खिलाफ वहां की जनता द्वारा तहसीलदार दांता रामगढ़, सहायक रजिस्ट्रार सीकर, जिला रसद अधिकारी को शिकायत की गई थी ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ ने प्रवर्तन निरीक्षक से जांच कराई ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति में घोटाला व गलत कार्यवाही पाई गई ? अगर हां, तो क्या ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करवाई गई और चीनी वितरण में गड़बड़ी पाई गई।

(2) जी हां, यह सही है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ के द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर चीनी वितरण में अनियमिततायें पाई गई हैं। तहसीलदार ने समिति के अध्यक्ष को नोटिस दिया लेकिन समिति के अध्यक्ष द्वारा जवाब प्राप्त नहीं हुआ तथा चीनी सम्बन्धी कागजात भी पेश नहीं किये गये हैं। इसलिये उक्त समिति का लाइसेन्स रद्द कर सिक्यूरिटी की राशि की जांच करली गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां, मुख्य अनियमिततायें निम्न पाई गई :-

1. निर्धारित सीमा से छीजत का अधिक होना।
2. स्टाक रजिस्टर में समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होना तथा स्टाक रजिस्टर में जगह जगह काट-छांट का होना।
3. चीनी वितरण का कार्य समिति द्वारा कमिशन पर अन्य से कराया जाना।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जलदाय विभाग रानोली में चोरी का मामला

41. श्री लक्ष्मीनारायण (थाना गाजी) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग रानोली में चोरी हुई थी ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि चोरी होने की रिपोर्ट थाना खाटूश्यामजी में कई दिनों बाद की गई ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जलदाय विभाग में चौकीदार था। अगर हां, तो वह चोरी होने के समय कहां था ?

(श्री लक्ष्मीनारायण)

(4) क्या यह भी सही है कि चोरी होने के पूर्व व बाद में अधिशासी अभियन्ता व अभिदर्शक रानोली में गये ही नहीं? अगर गये, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त चोरी के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त चोरी के मामले में अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को भी जानकारी दी गई है अगर हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जलदाय विभाग रानोली में दि. 10-7-73 की रात्रि को चोरी हुई थी।

(2) जी नहीं। चोरी की रिपोर्ट पुलिस चौकी गोरियां, थाना खाटूश्यामजी में दिनांक 11-7-73 को प्रातः की गई।

(3) हां यह सही है कि जल योजना पर चौकीदार है। चोरी के समय वह चौकीदार खण्डेला सामान लेने गया था।

(4) जी नहीं। अधिशासी अभियन्ता दिनांक 18-7-73 को व अभिदर्शक दिनांक 10-7-73 से 11-7-73 तक रानोली जल योजना पर रहे।

(5) अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुलिस में शीघ्र जांच करने हेतु लिखा गया।

(6) जी हां। अधिकारियों को चोरी की सूचना घटित होते ही दे दी गई थी। उक्त चोरी होने के उपरान्त तुरन्त पुलिस थाने में रिपोर्ट करदी गई थी व पुलिस द्वारा जांच जारी है। जांच को शीघ्र पूरा करने हेतु पुलिस अधीक्षक को लिखा जा चुका है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

1. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित रवीन्द्र मन्च को राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने के विषय में,

2. श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री ललितनारायण मिश्र द्वारा गत 17 जुलाई को राज्य सरकार पर राक फास्फेट के यातायात को ठप्प कर दिये जाने के विषय में लगाये गये आरोप के विषय में,

3. श्री जीथिंग, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 13 अगस्त से सुबोध कालेज के छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में,

4. श्री विट्ठल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा सरकार गाड़ियों के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयत्न के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री रतिराम, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 15 जुलाई को ग्राम कोलासर, तहसील नोहर में एक भू-पति द्वारा काबिज काश्त हरिजनों पर हमला किये जाने के विषय में,

6. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम वजीरपुर, तहसील गंगापुर में गत 15 अगस्त को खेतों में काम कर रहे कुछ गरीब हरिजनों पर भू-पतियों द्वारा किये गये हमले के विषय में,

7. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से सादुल टैक्सटाइल मिल, श्रीगंगानगर के श्रमिकों और व्यवस्थापकों के बीच चल रहे विवाद के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

8. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों आदि को सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध न करने के विषय में। यह स्थगन प्रस्ताव अस्पष्ट है और किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है।

9. श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के कुछ महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जन-जाति के विद्यार्थियों को गत वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के विषय में। यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है।

10. श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री नन्दकुमार त्रिवेदी द्वारा डूंगला पंचायत समिति में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर गत 13 अगस्त से की जा रही भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है।

11. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय (अध्यापक तथा अधिकारी) सेवा की विशेष शर्तें विधेयक, 1974, जिसे कि सदन द्वारा पारित किया गया है, उसे लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा काला दिवस मनाने के विषय में। यह प्रस्ताव सदन में पारित किये गये विधेयक को लेकर उसके विरोध में किये जाने वाले एक प्रदर्शन के विषय में है।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, श्री नन्दकुमार त्रिवेदी.......

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नन्दकुमार त्रिवेदी के विषय में एक संकेत देना चाहता हूं। आप एक स्वतन्त्रता सेनानी हैं और विशिष्ट और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के.....

श्री अध्यक्ष : मैंने उनके सम्मान में विशेष बात नहीं कही।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा निवेदन यह है कि तारीख 21 को उनकी मौत हो जायगी क्योंकि वह

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

बहुत ज्यादा कमजोर हो गये हैं. उनकी हालत ऐसी है कि 21 को अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न बन जायगा। मैं इतना निवेदन कर दूं कि तीन दिन पहले यह अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न बन जाता तो उनकी जान बच जाती। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, भूख हड़ताल का मामला है, कार्यकर्ता स्वयं अशक्त हैं, कमजोर हैं। आप अपने स्तर पर इस मौत को निपटा दीजिये और मौका न आने दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तीन दिन के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह सूचना दी है कि यहां पर कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार का झामर कोटला के राक फास्फेट के बारे में उल्लेख किया था कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है, वहां उत्पादन की दृष्टि से हम आगे जा चुके हैं लेकिन हमारी कुछ कठिनाइयां हैं। उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। अभी गत बुधवार को कुछ सांसदों के प्रश्न के उत्तर में रेल्वे मिनिस्टर ने अपने बयान में यह कहा, श्री ललितनारायण मिश्र ने राजस्थान सरकार के लिए कहा, राजस्थान सरकार राक फास्फेट के मामले में हमें सहयोग नहीं दे रही है, और सहयोग न देने के कारण वह स्वयं उस यातायात को ठप्प कर रहे है। उसके साथ में बताया कि यह कारण है कि इस खान से पर्याप्त राक फास्फेट नहीं निकाल सकी है। इसका नतीजा यह हुआ कि खेतड़ी की परियोजना को कांडला और दूसरी जगह से माल लाकर देना पड़ा। मेरा निवेदन है, एक तरफ केन्द्रीय मंत्री वक्तव्य देते रहे हैं कि हमें राज्य सरकार का सहयोग नहीं है, इसलिए कि राक फास्फेट का झामर कोटला में इस खनिज पदार्थ का उत्पादन नहीं होता, न उसके यातायात में मदद देते हैं, दूसरी ओर राज्य सरकार वक्तव्य देती है उस खान पर बहुत सा माल पड़ा है। केन्द्रीय सरकार हमें वैगन आदि देकर इस प्रकार सहयोग नहीं देती है इसलिए हमारा माल पड़ा हुआ है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के इस प्रकार के झगड़े के कारण कहीं हमारा प्रदेश पिछड़ न जाय, कहीं हमारे प्रदेश की आमदनी को धक्का न लग जाय। राज्य सरकार जागरूक रहे अपनी आमदनी के बारे में और केन्द्रीय सरकार से बात करे ताकि यह जो झामरकोटला की खनिज सम्पदा है इससे बड़ी राशि हमें मिल सके। केन्द्रीय सरकार एक बड़ी लाइन वहां क्यों नहीं लगवा दे और एक लाइन सीधी खान पर पहुंच जाय तो यातायात की अच्छी व्यवस्था हो जायगी। इन विरोधी स्टेटमेंट के कारण राजस्थान की जनता में भ्रांति फैली हुई है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस बारे में वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा, यह मसला उठाया गया है राक फास्फेट और श्री मिश्र के स्टेटमेंट का, मैं समझता हूं, यह इतने महत्व का है, राजस्थान की गोल्ड माइन्स जिसको वित्त मंत्री ने कहा था सोने की खान है, जिसके कारण इतनी आमदनी होगी कि हमें टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जनता पर कर का भार नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्र के अन्दर रेल्वे मंत्री ने संसद में चार्ज लगाया है, राक फास्फेट की दुलाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि राज्य सरकार की लापरवाही है। राजस्थान के सांसदों ने कहा कि आप वैगन एलाट कीजिये, जिससे राक फास्फेट की दुलाई हो सके। राज्य सरकार पर आज जो आर्थिक बोझ पड़ा हुआ है, उसमें इससे राहत मिल सकेगी। इस प्रश्न पर कहा कि राज्य सरकार लापरवाह रही है, जिसके कारण राक फास्फेट की दुलाई नहीं हो सकी है, यद्यपि श्री मिश्र वैगन देने को तैयार हैं। इसमें रेल्वे की तरफ डिफाल्ट नहीं है, राज्य सरकार का डिफाल्ट है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह सदन सैशन में है और राज्य सरकार के बारे में फीलिंग है कि वह लापरवाह है, वह असावधान है। तो अगर नैग्लीजेन्स आफ ड्यूटी है, तो वह किसकी तरफ से है, कौन व्यक्ति हैं, कौनसे तत्व हैं जिसके कारण दुलाई होने का काम नहीं हो सका। यह प्रश्न ऐसा है कि राज्य सरकार के हित में यह होगा कि वह स्पष्टीकरण करे कि श्री मिश्र का स्टेटमेंट गलत है या सही है, तथ्यों से परे है या सही है। इसके बारे में निश्चित बात मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह रवीन्द्र मंच राजस्थान भर की सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र है, यहां राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते हैं, उनकी बैठक करने का स्थान है। मेरा निवेदन करना यह है कि रवीन्द्र मंच की दीवार धीरे धीरे नीचे धंसती जा रही है, एक छत गिर चुकी है और सरकार ने रवीन्द्र मंच को बन्द कर दिया है। मेरा निवेदन करना यह है कि इसके ठीक होने की निकट भविष्य में सम्भावना नहीं है, सम्भावना न होने के कारण गर्मी की छुट्टियां व्यतीत हो गई, लेकिन छात्र छात्राओं के जो कार्यक्रम होते हैं वे बन्द रहे हैं, नागरिकों के सम्मेलन होते हैं वे बन्द रहे हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं वे बन्द रहे हैं। निकट भविष्य में रवीन्द्र मंच के न खुलने के कारण न केवल जयपुर शहर का नुकसान होगा बल्कि राजस्थान, जो सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से आगे हैं, वह पीछे रह जायगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंच को बनाने का काम····

श्री अध्यक्ष : ठीक।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 12 वर्ष पहले हाथ में लिया गया था, पांच लाख में यह बना था·······

श्री अध्यक्ष : यह सबको मालूम है। कोई इम्पोर्टेन्ट बात हो तो कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब मरम्मत में और खर्च लगेगा। यहां पर पहले गड्ढा था, इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को देखना चाहिए था कि इस जमीन पर रवीन्द्र मंच बन सकता है या नहीं····

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़े में कहने की कोशिश करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सार्वजनिक निर्माण विभाग ने चिंता नहीं की। अब हालत यह होगई कि इसकी व्यवस्था करने के लिए संगीत नाटक अकादमी को कहा गया है उसका आफिस उदयपुर में है वहां श्री देवीलाल जी चेयरमैन हैं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जो कठपुतली का प्रदर्शन करते हैं, वह इसके अध्यक्ष बनाए गए, सेक्रेटरी जोधपुर में रहता है और रवीन्द्र मंच जयपुर में हैं। इससे जयपुर के कलाकारों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। ताल-मेल न होने के कारण दुर्व्यवस्था हो रही है। फिर इसके बाद ललित कला अकादमी जिसका काम केवल पेंटिंग का है, उसके अध्यक्ष भटनागर हैं। वह क्या व्यवस्था कर सकेंगे। पिछले पर्दे फट गए....

श्री अध्यक्ष : इसका संबन्ध नहीं है स्थगन प्रस्ताव से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कीलें निकल गईं। शिक्षा विभाग ने एक लाख रुपए दिए, एक लाख रुपए का ही गोलमाल किया गया, जो चीफ इंजीनीयर ने किया अथवा शिक्षा सचिव ने किया या उपसचिव ने किया.....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : छत को दीमक खा गई। 15 अगस्त व 26 जनवरी....

श्री अध्यक्ष : सबको मालूम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 40 मौन कलाकारों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला मुख्यमंत्री भी रवीन्द्र मंच में गये उनको हालत दिखाई गई उनको आश्चर्य हुआ, मुख्य सचिव ने भी देखा। शिक्षा मंत्री ने कहा, आफिस का एक्सचेंज करना है, ललित कला अकादमी का आफिस जोधपुर भेजेंगे और जोधपुर का दफ्तर यहां भेजेंगे। मेरा निवेदन है कि इस सारी कार्यवाही के बाद आज जिस हाल में 800 व्यक्ति बैठ सकते थे उसमें उन कलाकारों का और दर्शकों का सबका जीवन असुरक्षित हो गया, सारे कार्य-क्रम चले गए, राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हो सकते। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। इसलिए आज चमचागिरी के आधार पर अपने अपने लोगों को बनाया जाए तो दुख की बात है। अतः राज्य सरकार से प्रार्थना है कि वह रवीन्द्र मंच की व्यवस्था करे जिससे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकें, राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव विधेयक के सम्बन्ध में दिया है। विधेयक के खिलाफ वाइस चांसलर, रीडर्स, स्टूडेन्ट्स सब में रोष है और उनका यह कहना है कि अगर इस कानून में फौरन तरमीम करने की कार्यवाही नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन चलायेंगे और यूनिवर्सिटीज का बायकाट करेंगे। उस समय भी हमने राज्य सरकार के सामने अपनी बात रखी थी कि किसी प्रकार इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को न रखें। आज खुलेआम कहा जा रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेन्ट्स को दाखिले के बारे में कमिश्नर साहब को खुलेआम बदनाम किया जा रहा है कि फाइनल लिस्ट होने से पहले दाखिला कर दिया गया। अगर यह सही है तो हमें सोचना होगा कि क्या हमने जो फैसला किया है और तमाम जितने ओपीनियन्स आए, चाहे कांग्रेस बैंचेज से, चाहें अपोजिशन से उस में कहा गया कि आप जो कर रहे हैं वह सही कदम नहीं है इससे गड़बड़ी पैदा होगी। उसके अलावा डीन और प्रोफेसर्स के बारे में जो मैंने सुझाव दिए थे और दूसरे लोगों ने

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सुझाव दिए थे, आपने कोई फैसला नहीं किया और सिन्डीकेट और सिनेट का सिलेक्शन कमेटी में हक नहीं है न आपने फैसला किया असेम्बली के मैम्बर्स का कि उनका भी कोई सम्बन्ध होगा। ऐसी हालत में जो संकट पैदा हुआ है और न जो राज्य सरकार की नीतियों से हुआ है और शिक्षा मन्त्री ने जो हमारे सुझावों को नजरअन्दाज किया है उसके कारण हुआ है। आज वह मौजूद नहीं है लेकिन उनको मालूम होना चाहिए आज किसी चीज को दबाया नहीं जा सकता, डेमोक्रेसी का जमाना है। स्टूडेन्ट कहते हैं कि जिन बोडीज में उनके प्रतिनिधि हैं वे उनमें शामिल नहीं होंगे और वाइस चांसलर ने कह दिया है कि वह सिलेक्शन कमेटी से कोआपरेट नहीं करेंगे। इसका मतलब आप का एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर जाएगा वही फैसला करेगा। वाइस चांसलर होगा नहीं, स्टूडेन्ट्स शरीक नहीं होंगे तो सिलेक्शन कमेटी का मतलब क्या? आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसके फलस्वरूप कुछ और हो सकता है और राज्य सरकार ने तुरन्त कदम नहीं उठाये तो हो सकता है कि स्थिति विस्फोटक हो जाए और ऐसी हालत में यहां आंदोलन चलेगा जिसको आप कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। मुझे अफसोस होता है कि जल्दबाजी में जो आप कानून पास कराना चाहते हैं उसके मुस्तकिल का खयाल नहीं रखा और न ही जो सुझाव सदन में रखे जाते हैं उनके प्रति ध्यान देते हैं। आज जो गल्ती की है उनको वापस लेंगे और कुछ न कुछ अमेंडमेंट अपनी तरफ से कर सकते थे लेकिन अफसोस है कि सरकार ने इस चीज पर कोई कदम नहीं उठाया, उसके फलःस्वरूप........

श्री अध्यक्ष : खतम फरमायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने इसमें जानकारी कलेक्ट की है....

श्री अध्यक्ष : दोनों का नतीजा एक ही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : थोड़ासा फर्क पड़ जाता है, मुझे मौका मिलेगा नहीं। राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी बात न हो जिससे राज्य सरकार या उसके अधिकारी बदनाम हों और बड़ा आन्दोलन जयपुर में पैदा हो और स्टूडेंट्स में रोष बढ़कर और रूप अख्त्यार करे। इसलिए इस पर उचित कदम उठाए जाने चाहिएं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मौन प्रदर्शन है प्रोफेसर्स का, लेक्चरर्स का, लम्बा प्रदर्शन है। मौन प्रदर्शन राज्य सरकार के हित में है, वे बोल नहीं रहे हैं, वे शालीनता रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार भी मौन दिखाई देती है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं समझता हूं, सरकार पुनः विचार कर रही है। कल प्रोफेसर केदार और मैं शिक्षा मंत्री से मिले थे और इसी सिलेक्शन कमेटी के प्रश्न पर उनको पुनः विचार करने के लिए आग्रह किया था - उनके सामने सारी स्थिति रखी थी और मेरा विश्वास है कि शिक्षा मंत्री ने इस सारी समस्या को हल करने के लिए एक व्यग्रता दिखाई। इसलिए चूंकि मौन प्रदर्शन आ रहा है शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। शिक्षा मंत्री ने उनसे मिलना स्वीकार किया है। ऐसा मेरा विश्वास है कि शिक्षा मंत्री स्वयं इस

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रश्न को शालीनता से देख रहे हैं, इसलिए आज ही कुछ निराकरण हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री केदार नाथ : 16 तारीख को हमने कहा था कि हैस्ट में बिल को पास मत करो चूंकि इसका लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स की नियुक्ति से सीधा संबंध है, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। अब शिक्षा मंत्री मानते हैं कि जो क्लाओजेज हमने पाइंट आउट किए थे, वह आपने ठीक कहा था, मुझे यहां के सेक्रेटरी ने गलत राय दी। उनका मतलब यह था कि पास नहीं होता तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर हो जाता आज तीनों यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स 9 रीडर्स, लैक्चरार्स, प्रोफेसर्स जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट लेकर चलते हैं जिनको आपने फाइनल से दिया है, उनके सिवा सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे एकेडेमिक जगत में संकट पैदा हो गया। हम मानते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं सिवाय अमेंडमेंट के। हम तो चाहते हैं कि इस पर चांसलर तक पहुंचने से पहले उनके हस्ताक्षर होने से पहले ही अमेंडमेंट हो।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : नार्मल प्रेक्टिस हो जाए कि एक स्थगन प्रस्ताव पर सभी बोलें तो ठीक नहीं होगा।

(श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री योगेन्द्र नाथ हांडा साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : (श्री हांडा से) आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं नए सुझाव देना चाहता हूं। नई सूचना यह है कि इस विधान सभा के इतिहास में कि रीडर्स लेक्चरार्स कभी भी इस प्रकार का डिमान्स्ट्रेशन लेकर नहीं आए ...

श्री अध्यक्ष : यह नई सूचना है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीनों यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, रीडर्स लेक्चरार्स सब आए हैं। वाइस चांसलर ने भी सिलेक्शन कमेटी का प्रेसीडेन्ट बनने से इंकार कर दिया है। सारे टीचर्स ने सिलेक्शन में पार्टीसिपेट करने से इंकार कर दिया है। अब इस सिलेक्शन कमेटी का पर्पज क्या रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से स्थगन प्रस्ताव आया, आपके दल के सदस्यों ने बोल दिया, दुबारा रिपीट करने से क्या फायदा ? आप तो अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही अर्ज करूंगा। मेरा स्थगन प्रस्ताव इस बारे में है कि तारीख 15 अगस्त को ग्राम वजीरपुरा में जो कि तहसील गंगापुर में आता है वहां पर घटना हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 15 अगस्त का दिन हमारे यहां एक दिवस है जब कि सारा देश अभिनन्दन करता है। उस अभिनन्दन के दिन यह कालिख पोती गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा देश 15 अगस्त को ही आजाद हुआ। आज 27 वर्ष हो गये हैं हमारे देश को आजाद हुए लेकिन आज भी हमारे देश में हरिजनों के ऊपर इस प्रकार

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

के क्रूर अत्याचार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्राम वजीरपुरा में 400 बीघा जमीन जो कि चारागाह थी उस जमीन को गैर-चारागाह जमीन बताकर उस जमीन को करीब 150 हरिजनों के परिवारों को अलॉट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उस गांव के भूतपूर्व जागीरदारों, भूपतियों ने सामूहिक रूप से हथियारों से लेस होकर मय बन्दूकों और तलवार लेकर उन पर हमला बोल दिया। इसमें, अध्यक्ष महोदय, 27 हरिजनों के चोटें आयीं। अध्यक्ष महोदय, यह 27 हरिजन बुरी तरह से घायल हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भूपति लोग उन हरिजनों को इस जमीन से इजेक्ट कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें करीब 70-80 व्यक्ति थे जिन्होंने कि हरिजनों को बुरी तरह से पीटा। आज यह 27 व्यक्ति गंगापुर और भरतपुर के अस्पताल में मरीजों की तरह पड़े हुए हैं और ये भूपति लोग जिन्होंने की इनको पीटा है, हथियारों से मुसल्ला होकर वहां उनके सामने घूम रहे हैं। इसके साथ-साथ इनके बच्चों को और बीवियों को बुरी तरह से डराते धमकाते हैं। इन लोगों ने बुरी तरह से आतंक फैला रखा है।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे स्वतन्त्रता दिवस के लिये कलंक है। आज जब 15 अगस्त को हम हरिजनों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। महात्मा गान्धी ने देश में इन हरिजनों को ऊपर उठाने के लिये इतनी कोशिशें कीं, उस 15 अगस्त को हम अगर हरिजनों के साथ इस प्रकार का अत्याचार करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिये इससे अधिक लज्जा का कोई विषय नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा काण्ड होने पर भी पुलिस ने उन मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। वे हथियारों से मुसल्ला होकर घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लोग पुलिस की शह से इस प्रकार जुर्म करके हथियारों से लेस हो कर घूम रहे हैं। जो लोग अस्पताल में पड़े हैं उसमें 27 व्यक्तियों में से 13 की तो हड्डियां टूट गयी हैं और उनकी एक्सरे रिपोर्ट भरतपुर अस्पताल में है। दो की हालत इतनी खराब है कि मैं समझता हूं कि जब तक अपना सदन समाप्त हो चुकेगा तब तक उनका प्राणान्त हो जायेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत गृह मन्त्री से यह निवेदन है कि इन मुलजिमों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और उन पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है उन्हें ससपेन्ड किया जाना चाहिये। आज, अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में जो माननीय सदस्य हैं उनमें और खासतौर से हरिजन माननीय सदस्यों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है। यह सभी के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता दिवस के रोज ऐसा कलंक का कार्य हो यह बहुत ही शर्मनाक कार्य है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि स्वतन्त्रता दिवस के रोज ऐसा कलंकित कार्य हो उसके लिये गृह मन्त्री सदन में एक बयान इस सारी स्थिति के बारे में दें ताकि सदन के माननीय सदस्यों की चिन्ता एक सीमा तक कम हो सके और सही जानकारी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान राज्य परिवहन

(श्री विट्ठ' भाई)

चालक तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में दिया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई अरसे से राजस्थान राज्य परिवहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ अधिकारियों द्वारा मोटरों के दुरुपयोग को रोक रहे है। आज, अध्यक्ष महोदय, इन लोगों द्वारा कई सरकारी गाड़ियों का अधिकारियों द्वारा जो दुरुपयोग उनके निजी कामों के लिये किया जा रहा है उसे सख्ती से रोका जाना चाहिये। जो अधिकारी अपने बीवी, बच्चों को इधर-उधर सरकारी जीपों में और सरकारी गाड़ियों में घुमाते है उनमें से कुछ को पकड़ा भी गया है और उन अधिकारियों के खिलाफ में शिकायतें भी राज्य सरकार से की गई हैं। इसके फलःस्वरूप अधिकारी लोग उनसे नाराज हो गये थे उन्होंने ड्राइवरों की ट्रान्सफर्स वगैरह कर दीं और इन लोगों को तरह तरह से डराया व धमकाया जा रहा है। इसके साथ-साथ में उन ड्राइवरों को तरह-तरह से परेशान भी किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने सरकारी जीपों का और सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया है, जिनके खिलाफ में शिकायतें हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। तथा आज जो ड्राइवरों को अधिकारी लोग इस वजह से परेशान कर रहे हैं कि उन्होंने यह सारा मामला किया है उन्हें आज जो परेशान किया जा रहा है उन्हें रोका जाय तथा उनके जो ट्रान्सफर्स इधर-उधर किये जा रहे हैं वह भी रोके जायं ताकि आज जो इन लोगों के मन मे असन्तोष व्याप्त है वह समाप्त हो सके।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस बारे में दिया है कि राज्य में जो गैरसरकारी स्कूल्स हैं जिन्हें सरकार से एड और ग्रान्ट्स दी जाती हैं उनमें हजारों कर्मचारी और अध्यापकगण हैं। उनमें आज भारी असन्तोष इसलिये है कि उनको सरकारी स्कूल के अध्यापकों व कर्मचारियों के समकक्ष वेतन वगैरह नहीं दिया जाता है। हालांकि राज्य सरकार ने कई बार इस बारे में घोषणायें भी की हैं। लेकिन उन प्राइवेट स्कूलों के व्यवस्थापकों ने राज्य सरकार के इन आदेशों की आज तक पालना नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, कई बार सदन में इस बारे में चर्चा भी हुई और राज्य सरकार ने यह भी कहा कि हम ऐसी व्यवस्था व्यवस्थापकों से करायेंगे कि उनको तनख्वाह वगैरह बैंक से दिलायी जायेगी, लेकिन अभी तक उन्हे इस प्रकार का पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है। उन्हें जो वेतन-भत्ता आदि मिलना चाहिये, वह नही मिल रहा है जिससे उन लोगो मे भारी असन्तोष छाया हुआ है। अब ऐसी स्थिति हो गयी है कि इन लोगों का पूरे राजस्थान में एक संघ बन गया है और वह लोग हड़ताल पर सामूहिक रूप मे जा रहे हैं। इसका प्रभाव राज्य व्यापी होगा और मैं समझता हूं कि इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान होगा। इसलिये जो आज इन स्कूलों में अध्यापकों का शोषण हो रहा है उसे तुरन्त रोका जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि शिक्षा मन्त्री इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें ताकि जो इन लोगों ने हड़ताल का नोटिस दिया है, वह हड़ताल नहीं हो। मै आशा करता हूं कि शीघ्र शिक्षा मन्त्री इस ओर उचित कार्यवाही करेंगे ताकि इन लोगों में

Page No 35

35

(श्री रामकिशन)

जो हजारों की संख्या में हैं कोई असन्तोष नहीं हो।

श्री गुरुदयालसिंह संधु (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष: मुझे मालूम है। वह आज नहीं हैं, और उसके बारे में मैंने आपसे कहला भी दिया है कि आप उसमें पूर्ति करके भेजें।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : मेरी रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय, कि गंगानगर...

श्री अध्यक्ष : मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो पूर्ति करनी है वह पूर्ति करके भेजदें तो मैं ले लूंगा अन्यथा नहीं लूंगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि आप पूर्ति करके भेज दें। श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अगर वह पूर्ति करके भेज देंगे तो आप उसे मान लेंगे यहां सदन में ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : पूर्ति करने के बाद में सदन में लेना या नहीं लेना यह मेरी मर्जी की बात है। वह सदन में आये या नहीं आये।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपने बोलने की इजाजत दी है। मेरा स्थगन प्रस्ताव इस बारे में है कि श्री शार्दुल टैक्सटाइल मिल, श्रीगंगानगर में आज पिछले तीन महीनों से मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच में काफी विवाद चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रबन्धक लोगों ने पुराने सारे एग्रीमेन्ट्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। उसका नतीजा यह है कि वहां पर मजदूरों ने आठ घन्टे के बजाय 6 घंटे काम कर दिया है, और दो घंटे तक उस विरोध में काम नहीं करते हैं। प्रबन्धक लोग ट्रेड यूनियन वालों से बात नहीं करते हैं। और इसमें कई मजदूरों को प्रबन्धकों ने सस्पेन्ड कर दिया है तथा कई मजदूरों के खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा एक बात और हो गयी है कि अब व्यवस्थापकों ने गुण्डा एलीमेन्ट को साथ ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी 25-7-74 को जब कि मजदूर लोग अपनी मीटिंग शान्ति से कर रहे थे। तो इन प्रबन्धकों ने कई गुन्डों को साथ लेकर उन पर हमला बोल दिया। अध्यक्ष महोदय, यह एन्टी सोशियल एलीमेन्ट हथियारों से लेस था उन्होने वहां पर गोलियां चलायीं और जिसके कोन्सिक्वेन्सेज यह हुए कि 8 मजदूर उसमें मर गये हालाकि पुलिस ने उन गुण्डों में से कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया है लेकिन जो नन्दलाल सहगल प्रबन्धकों में से है उन पर आज तक हाथ नहीं डाला गया है। इससे वहां पर मजदूरों में काफी असन्तोष है और मिल में काफी गड़बड़ी हो गयी है। लगातार वहां पर मिसमेनेजमेन्ट चल रहा है। अब राज्य सरकार को चाहिए कि उसको अपने हाथ में ले।

जैसा माननीय विट्ठलजी ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये से बताया कि जयपुर में ड्राइवर्स और टैक्सी-चालकों ने हड़ताल करके

(श्री केदारनाथ)

एक संगठन बनाया। आफिस आवर्स के बाद जो भी अधिकारी अथवा रिश्तेदार उनके कोई जीप में देहात में, गली में वगैरह में घूमता है तो उनको वे लोग घेर लेते हैं। अफसर के दस्तखत लेते हैं और उसकी सूचना एन्टीकरप्शन को दे देते हैं। लेकिन एन्टीकरप्शन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टे पुलिस सहयोग लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान इधर पेट्रोल इतना महंगा और उधर इस प्रकार सरकारी अधिकारियों के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। इसलिये जिन लोगों ने यह संगठन बनाया है उनको आप प्रोटेक्शन दीजिये यह नहीं कि रिटेलिगेट किया जाय। उनके खिलाफ जो कुछ कार्यवाही की गई है वह वापिस ली जाय।

(ब्यावर)

श्री केशरीमल : एक मिनिट में ही अर्ज कर दूं शार्दुल टेक्सटाइल के बारे में।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव आपका तो नहीं है।

श्री केशरीमल : प्रो. केदारनाथजी का है। एक मिनिट में ही अर्ज कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट में कह दीजिये।

श्री केशरीमल : श्री शार्दुल टेक्सटाइल्स में सरकार का इतना पैसा लगा हुआ है। वहां का मैनेजमेंट मजदूरों पर गोली चलवाये, गुंडों को हायर करके मजदूरों मजदूरों को पिटवाया जाय, उनको अपने अधिकार में रख, कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलवाकर उनकी मिटिंग्स को तोड़ें। सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जब कि कई रोज से आन्दोलन हो रहा है। इस स्थिति का परिणाम भयंकर हो सकता है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया और कोई समझौते को लागू नहीं करवाया तो उसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। मालिक बन्दूकों का सहारा ले। भरतपुर में जिस प्रकार की घटना घटित हुई उसी प्रकार की घटना यहां पर भी घट सकती है। राज्य सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दें और इस मसले को हल कराये।

सरकार को चाहिये कि उस मिल को अपने हाथ में ले ले। राज्य सरकार का इसमें बहुत पैसा लगा हुआ है। क्या कारण है कि जब कि सरकार का इसमें काफी पैसा लगा हुआ है, मालिक कानून और समझौता का पालन न करे और मजदूरों के ऊपर गोली चलवाये, जहां ऐसी व्यवस्था हो तो उस मिल को अपने हाथ में सरकार को फौरन ले लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रतिराम।

श्री रतिराम यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, कोलासर में भूमिपतियों के द्वारा हथियारों से हरिजनों के ऊपर हमला कराया गया उसके सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कोलासर गांव में जमीन उन लोगों के कब्जे में है और जो वहां पर काश्त करते आ रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : बी ब्रीफ एन्ड नो रिपीटिशन ऑफ स्पीच।

श्री रतिराम यादव : इस जमीन पर कोई झगड़ा नहीं है। इससे पहले यह

(श्री रतिराम यादव)

जमीन भूमिपतियों के पास माफी में थी, संवत् 2004 से उन हरिजनों के पास यह भूमि चली आ रही है। सारी कचहरियों में भूमिपति हार गये। हरियाणा और पंजाब से गुण्डे हायर करके 25.7.74 को हरिजनों पर हमला कराया गया जिससे बन्दूकों के छर्रों से दो हरिजनों के सख्त चोटें आयी हैं। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह से जगह जगह पर यहीं नहीं दूसरी जगहों पर हरिजनों के ऊपर आये दिन इन भूमिपतियों द्वारा हमले किये जा रहे हैं। जैसा अभी माननीय हांडाजी ने बताया कि 15 अगस्त के दिन किस प्रकार हरिजनों के ऊपर हमले किये गये इससे पहले भी मैंने एक प्रस्ताव के द्वारा ध्यान आकर्षित किया था। गांव करौली खुर्द, तहसील तिजारा में भूमिपतियों के द्वारा हरिजनों पर अत्याचार हुए। सात व्यक्ति घायल हुए।

श्री अध्यक्ष : अन्य घटनाओं का आप जिक्र न करें।

श्री रतिराम यादव : इस घटना से सम्बन्धित है और उस पर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सारे राजस्थान में आये दिन हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। गृह मन्त्री महोदय, जो मुख्य मन्त्री हैं समाजवादी समाज की रचना का कांग्रेस का लक्ष्य है और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्र में समाजवाद लाना चाहती हैं, राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी भी समाजवाद को लाना चाहते हैं, लेकिन हरिजनों के समानता के अधिकारों को इस प्रकार से छर्रों और गोलियों से कुचला जाय यह उसके साथ भयंकर अत्याचार है और समाजवाद का और हरिजनों के उत्थान का ढिंढोरा पीटने वालों की आंखें खोलने वाला है। आज राजस्थान में पुलिस के द्वारा किस प्रकार हरिजनों की सुरक्षा हो रही है, किस प्रकार हरिजनों के राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है यह आंखें खोलने वाली घटनायें घटित हो रही हैं उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये। हरिजनों के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार होते रहे तो उनका जीवन दूभर हो जावेगा। उनका जीवन दूभर ही नहीं होगा किन्तु समाज में भयंकर परिणाम निकलेंगे। इसीलिये मैं इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर सरकार ध्यान दे ताकि हरिजन और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो सके।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस, सर। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक भयंकर आरोप इस राज्य सरकार पर लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष: There is no motion.

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में इस पोइन्ट को लेना चाहता हूं।

जब असेम्बली इन सेशन है राज्य सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि राज्य सरकार हाउस को कान्फिडेन्स में ले और उस स्थिति का स्पष्टीकरण करे।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे मन्त्री ने स्पष्ट आरोप राज्य सरकार के ऊपर लगाया है जो इस प्रकार है :

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

राज्य सरकार रॉकफास्फेट की ढुलाई में असहयोग कर रही है जब असेम्बली इन सेशन है और राज्य सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है तो राज्य सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उसका स्पष्टीकरण करे और हाउस को कान्फिडेन्स में ले।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, असेम्बली के बाहर राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स प्रदर्शन कर रहे हैं। यह उनका मूक प्रदर्शन है जो कि बच्चों को शिक्षा देते हैं। पिछली सारी परम्पराओं को तोड़ कर मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे नीचे प्रोफेसर्स से मिलने जायें और उनके ज्ञापन को सुनें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कुछ कहा भी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य की बात बिल्कुल उचित है और प्रोफेसर लेक्चरार्स, बुद्धिजीवी लोग हैं। मन्त्री महोदय को खुद को जाकर उनसे मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अलग अलग माननीय सदस्यों ने कहा था उस वक्त ध्यान नहीं दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे खुद देख लें। वे पधारें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने काला बिल पास करवाया। अब आप नीचे जाकर उनकी बात को सुनें। जो कुछ भी वार्तालाप करें आप उससे सदन को फिर अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया।

श्री खेतसिंह : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समाप्त होते ही मैं उनसे मिल लूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नीचे जाकर मिलेंगे या कैसे ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : कृपया नीचे जाकर मिलियेगा। हमारा यह आग्रह है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप नीचे जाकर मिलें उनसे तो बड़ी कृपा होगा।

श्री रामकिशन : मैंने सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक कर्मचारियों का मामला उठाया। राज्य सरकार से आपने जानकारी चाही थी। राज्य सरकार ने जानकारी दे दी।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तो आयी नहीं। दफतर में आई होगी तो पता लगाऊंगा।

श्री रामकिशन : तो वह बयान दिला दें तो अच्छा होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता था कि शिक्षा मन्त्रीजी तो उनसे मिल लेंगे पर साथ ही विद्यार्थियों की भी समस्याएं हैं। कालेजों में और विश्वविद्यालय में आज उनकी हड़ताल है। इस ओर भी शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था कि पिछले साल में जो सरकार ने इन विद्यार्थियों के बारे में घोषणाएं की थीं वे पूरी न होने के कारण वे पुनः हड़ताल का सहारा ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आज तो वह विषय नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज न-ी हड़ताल है। पिछले साल जो घोषणाएं की गई थीं उनका पालन नहीं किये जाने से उनमें असन्तोष है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी उनसे स्पष्टीकरण या स्टेटमेंट देने के लिये कहा जाय।

परसों विद्यार्थियों को यहां जो गिरफ्तार किया गया था पुलिस के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से बात कर लें। फैसला सुना दूंगा कल।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कल तो अविश्वास प्रस्ताव भी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में मैंने आपसे ही बात की है इस बारे में।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अविश्वास के प्रस्ताव पर समय बहुत लग जावेगा।

श्री खेतसिंह : अविश्वास प्रस्ताव नहीं, निन्दा प्रस्ताव। उतने नम्बर तो हैं ही नहीं आप के पास।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नम्बर हैं। समय पर आप भी खड़े हो जावेंगे।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से हरिजनों पर जितने भी अत्याचार होते हैं उन सबके लिये एक अलग जूडीशियल बैंच ही नियुक्त कर दी जानी चाहिये जो पिछले दस सालों में इनके साथ मारपीट, अन्याय, अत्याचार, हत्याएं जो कुछ भी हुए हों उन सबकी जांच कर ले।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा शास्त्रियों का एक मौन जुलूस आया है जिसमें सीनियर लेक्चरार हैं, स्टूडेण्ट्स हैं तो उनको सान्त्वना मिले इसके लिये शिक्षा मंत्रीजी को चाहिये कि वे उनके पास बाहर जाकर मिलें और उनकी बात सुनें और अपनी भी उनको सुनावें।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन से अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री लक्ष्मणसिंह, सदस्य, विधान सभा ने 12 अगस्त, 74 से सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

इसमें ऑब्जर्वेशन्स हैं। यह है कि आज लेजिस्लेटिव बिजनेस काफी है और इसमें भी काल अटेन्शन भी है जिस पर कई के दस्तखत हैं। इसको इसलिये मैंने लिया है कि इस पर कइयों के दस्तखत हैं, इस लिये इसका महत्व है। इसीलिये वक्त नहीं होते हुए भी समय निकाला है इसके लिये। तो समय के लिहाज से जिन्होंने नोटिस दिया है उनमें से एक दल से एक आदमी बोल लें और जिस दल में एक ही हों वे बोल लें जैसे हाण्डा साहब। इसके अलावा तीन आदमी कांग्रेस से बोल लें।

व्यवस्था का प्रश्न
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को प्राथमिकता

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अगर इसमें कोई अनुत्तरित पोइंट रह जावेगा तो ?

श्री अध्यक्ष : काल अटेन्शन में यह बात है नहीं। जो रह जावेगा वह रह जावेगा। उसको अगले सैशन में फारवर्ड करने का रिवाज है।

श्री शंकरलाल : काल अटेन्शन मोशन यह जो रखा गया बाद में रखा गया और आज ले लिया गया, जबकि हमने अकाल के संबंध मे 12 तारीख को ही काल अटेन्शन मोशन दे रक्खा है। क्या वह महत्वपूर्ण नहीं है, अगर यह है तो।

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्य बावजूद इसके कि उनसे बातचीत हो गई फिर भी यहां कहने का लोभ संवरण नहीं करना चाहते ऐसा लगता है। उसे यहां उठाने में अधिक आनन्द प्राप्त करते हैं शायद वे। मैंने कहा था कि मैं सोच रहा हूं।

श्री शंकरलाल : सोचने की वह बात निश्चित हो जावे। परसों तक तो हाउस ही है।

श्री अध्यक्ष : सोच रहा हूं, कहता हूं जब तक यह माना जाना चाहिये कि 99 प्रतिशत उस काम के होने की आशा है। यह मानकर आप चल सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे भी, अध्यक्ष महोदय, दो काल अटेन्शन हैं। मेरे पर भी यह 99 प्रतिशत वाली बात लागू होगी या नहीं कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास 30/40 के करीब ऐसे प्रस्ताव हैं और समय इतना सीमित है।

श्री नत्थासिंह : 13 आदमी घायल हुए 27 आदमियों के चोटें आई हैं......

श्री अध्यक्ष : लिखा न जावे। कृपया बैठिये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं कि जब आपका बोलने का वक्त आवे तब बोलें। मैं बोलने का समय सबको देता हूं। आपके मन में अब आई है यह बात, जबकि इसके बाद कई लोग बोल चुके और दूसरा विषय भी काफी चल पड़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजस्थान के खेलकूद के कार्यक्रम

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान खेलकूद के सारे कार्यक्रम निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से छीनकर स्पोर्ट्स कौंसिल को सौंपने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य तथा गंगानगर, भरतपुर, कोटपूतली, उदयपुर, सूरतगढ़, लाडनूं, तिजारा, ब्यावर आदि स्थानों से आने वाले माननीय सदस्यों ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यों को सौंपने के बारे में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका उत्तर इस प्रकार है :

माननीय सदस्यों ने अपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में राज्य सरकार की घोषणा के बारे में जो यह शंका व्यक्त की है कि राजस्थान के खेलकूद के सारे कार्यक्रम निदेशक

(श्री खेतसिंह)

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से छीन कर क्रीड़ा परिषद् के हवाले कर दिये हैं और उससे सम्बन्धित लाखों लोग अनिश्चितता की स्थिति में आ गये है, यह सही नहीं है। न तो सारे खेलकूद के कार्यक्रम शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से लिये गये हैं और न ही लिए जाने का कोई इरादा है। खेलकूद सम्बन्धी विभाग के नियमित कार्यक्रम जैसे चलते आये हैं वैसे ही चलते रहेंगे। माउण्ट आबू के प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के परामर्श से निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद् की सहमति से, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में खेलकूद की दृष्टि से तथा कुछ अन्य राज्यों के मुकाबले हमारा स्तर और ऊंचा बढ़ाने के उद्देश्य से और निदेशालय तथा राज्य क्रीड़ा परिषद् के दरमियान अधिक सामन्जस्य एवं समन्वय स्थापित करने हेतु यह घोषणाएं की गई थीं कि :

(1) राज्यस्तर के जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा दिया जावे। क्रीड़ा परिषद् के पास साधन भी अधिक उपलब्ध हैं और उनके पास अच्छे कोचेज भी हैं, लिहाजा अच्छी कोचिंग दिलाने की दृष्टि से ही यह निर्णय किया गया था।

(2) दूसरा निर्णय यह लिया गया था कि अखिल भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित चैम्पियन के लिए तैयार किये जाने वाले खिलाड़ियों को क्रीड़ा परिषद् प्रशिक्षण देकर तैयार करेगी।

(3) ग्रीष्मावकाश में शिक्षा निदेशालय व क्रीड़ा परिषद द्वारा जो शिविर अलग अलग आयोजित किये जाते थे वे इन दोनों अर्थात् शिक्षा विभाग व क्रीड़ा परिषद् के समन्वय एवं पारस्परिक सहयोग से आयोजित किये जायं।

(4) नेशनल गेम्स फेडरेशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए जो प्रशिक्षणार्थी तैयार किये जावेंगे, उनका चयन क्रीड़ा परिषद् व शिक्षा निदेशालय की एक मिली जुली समिति द्वारा होगा ताकि चयन प्रक्रिया समन्वयात्मक हो और गुणात्मक दृष्टि से अच्छे खिलाड़ी इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भेजे जा सकें।

अतः उपरोक्त निर्णयों व उद्देश्यों को देखते हुए लाखों लोगों को खेलकूद के लाभ से वंचित करने का प्रश्न नहीं है और न किसी प्रकार की अनिश्चितता ही रहने की गुंजाइश है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग और क्रीड़ा परिषद को खेलकूद सम्बन्धी कार्यक्रमों को और अधिक उन्नत करने के लिये ही यह मिला जुला कार्यक्रम विस्तृत आधार पर बनाया गया है और यह कार्यक्रम प्रशिक्षण तक ही सीमित है।

श्री केदार नाथ (गंगानगर): मान्यवर, इसमें कुछ पाइन्ट्स ऐसे हैं जो विवाद पैदा करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट से मालूम पड़ता है कि एज्यूकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स कौन्सिल की एक कोआर्डिनेशन कमेटी बने, सिलेक्शन के लिए और कोचिंग के लिए। अगर इस सिद्धान्त को मानते हैं, मान्यवर, तो मौजूदा चैयरमैन हैं वे आपके ऐज्यूकेशन डिपार्टमेंट को सुपरसीड करेंगे। अगर दोनों बनाते हैं तो स्पोर्ट्स

(श्री केदारनाथ)

कौन्सिल एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के नीचे काम करेगी ··

(12.52 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मान्यवर किसने कोचिंग किया, कौनसे स्टूडेन्ट्स अच्छे निकले, कोचिंग के लिये मौजूदा शिक्षा विभाग ने मेथडोलॉजी बदल दी है···

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्पोर्ट्स कौन्सिल के चेयरमैन ही एक योग्य व्यक्ति हैं यह इसमें और जोड़ दिया जाय···

श्री केदार नाथ : यह और जोड़ दिया जाय तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शंकर लाल : यह रह गया होगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : योग्य शब्द उचित नहीं है, महान योग्य व्यक्ति कहिये। वे तो बटरिंग के वर्ल्ड में स्पेशियेलिस्ट हैं···

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री हाण्डा) स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री केदार नाथ : मान्यवर, मैं इसको स्वीकार करता हूं, अगर ये शब्द और जोड़ दिये जायं। तो, मान्यवर, स्पोर्ट्स कौन्सिल को फाइनेन्शियल पावर्स न दी जाय, कोचिंग की पावर्स न दी जाय, सिलेक्शन की पावर्स न दी जाय। आबू में कोचिंग किस तरह दिया जाता है और वहां क्या क्या होता है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। वहां का एटमॉस्फियर किस तरह खराब किया जाता है वह कोचिंग के लिये लायक नहीं है। जो मेथडोलॉजी एडाप्ट की जाती है वह मैं नहीं कहना चाहता हूं। कोचिंग एरिया को इन्फ्लूएन्स करने के लिये किया गया है। कौनसे एरिया में अच्छे एथलेट्स हो सकते हैं, कौन से एरिया में वॉलीबाल अच्छी खेली जा सकती है कौनसे एरिया में लोगों का एप्टीट्यूड रहता है, कौनसे एरिया के स्टूडेन्ट्स नेशनल युटिलिटि के निकलते आ रहे हैं। आबू में बैठकर सारी कोचिंग को सेन्ट्रेलाइज कर दें यह कतई उचित नहीं है। किसी एरिया के इनफ्लूएन्स में आकर प्लेस सिलेक्ट कर दें, कोचिंग एरिया सिलेक्ट कर दें तो किस प्रकार से उचित है।

मान्यवर, बजट स्पीच में 10 लाख रु० खेल-कूदों को प्रोत्साहन देने के लिये दिया है। वह सारे का सारा पैसा स्पोर्ट्स कौन्सिल को देना चाहते हैं। मैंने सुझाव दिया था कि आप इस प्रकार के रूरल स्कूल कायम कीजिये जिससे बच्चों का एप्टीट्यूड बदले। वहां इस प्रकार की भर्ती पर अलाउन्स दीजिये, स्टाइपन्ड दीजिये—अलग एज्यूकेशन मिले, वहां पर पढ़ाई-लिखाई का, रहने का, कोचिंग का ताकि राजस्थान में नई चीज पैदा हो जाय। मान्यवर, पिछले चार साल में हमारे स्कूल के लड़कों ने नेशनल मीट में नाम हासिल किया है। हमने 10 मेडल लिये हैं और दूसरी मीट पर हमने 20 मेडल लिये है। मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूं लेकिन शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों में जो मेथडोलॉजी और सिद्धांत बदले हैं वह काबिले तारीफ हैं बजाय इस स्पोर्ट्स कौन्सिल के।

(श्री केदारनाथ)

मान्यवर, हमने एक एक व्यक्ति को जो अच्छा प्लेयर है और नेशनल मीट में जिसने नाम कमाया है, उसको हमने खर्चे से रशिया भेजा है। रशिया वॉलीबाल के लिये मशहूर है। हंगरी और रूस में हमारे स्टूडेन्ट्स गये हैं। आज मौजूदा स्पोर्ट्स कौन्सिल के चेयरमैन और उनकी एक्टीविटी को यहां नहीं बताना चाहता हूं। कोआर्डिनेशन किसी बात का नहीं है। मौजूदा चेयरमैन नेशनल एक्टीविटी में व्यस्त रहते हैं, इन्टर नेशनल एक्टीविटी में लगे रहते हैं। उनको स्पोर्ट्स के लिये समय नहीं मिल सकता है। हो सके आप उनको राज्य सभा का मैम्बर बना दें, स्पोर्ट्स कौन्सिल, दिल्ली में ले लें, किसी भी स्थान पर उनको फिट कर दें लेकिन हमको उनसे मुक्त कर दें। 10 लाख रुपया क्या आपने फैसला कर दिया कि इस तरह युटिलाइज कर दिया जाय कि उसका कुछ भी न हो सके और स्पोर्ट्स कौन्सिल के मारफत खर्च हो और एक कोआर्डिनेशन कमेटी हो, दूसरी कोचिंग के लिये कोआर्डिनेशन कमेटी बनेगी। उसका चेयरमैन कौन होगा, आप किसी और को बना दीजिये आज जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनकी एक्टीविटीज इस लायक नहीं है कि सारी स्टेट की कोचिंग के वे चेयरमैन हों। आज तक जो प्लानिंग किया है कि कोचिंग डिस्ट्रिक्टवाइज होगा— चार जो घोषणायें की थीं स्पोर्ट्स स्कूल की वह घोषणा आपकी रह गई। उसका इम्प्लामेन्टेशन मैंने निवेदन किया था गंगानगर ने एथेलीट मीट में और नेशनल मीट में नाम किया। मैंने और लड़कों ने भाग लिया वहां आप सिलेक्ट कमेटी को नियुक्त कर दीजिये। जिसका एप्टीट्यूड है वहां के लड़कों को लीजिये। मैं समझता हूं जो आप बनाने जा रहे हैं वह कतई ठीक नहीं है। ये मैंने 4-5 बाते कहीं हैं और मैं समझता हूं जो घोषणा की हैं, और मान्यवर, जबसे असेम्बली बनी है लगातार मौजूदा स्पोर्ट्स कौन्सिल के खिलाफ, उनके पर्सनल के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है। अखबारों में काफी प्रचार हुआ है, उन सबको नजरन्दाज किया। इधर से और उधर से कई माननीय सदस्यों ने समय समय पर काफी कुछ कहा है, उसको भी नजरन्दाज किया और आपने आबू में ठण्डी जगह बैठ कर सारे स्पोर्ट्स के मेथडोलॉजी को, सारे स्पोर्ट्स के मोड़ को बदलने के लिए घोषणा कर दी, इस पर पुनः विचार करें तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कुछ कहा है। मैं कहूंगा स्पोर्ट्स कौन्सिल का काम शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ जायगा इसमें कोई दो राय नहीं। यहां पर मई के महीने में माउन्ट आबू में खिलाड़ियों के लिये तय किया गया अब उनकी शिक्षा का माध्यम प्राथमिक शिक्षा से हटकर इस शिक्षा का काम भी कौन करेगा ? स्पोर्ट्स कौन्सिल करेगी। लड़कों का, खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। जब उदयपुर में शिविर चल रहा था, शिक्षार्थी शिक्षा विभाग के मार्फत गये थे तो 150 छात्रों को यह कहकर कि अब यह व्यवस्था शिक्षा विभाग नहीं करेगा, यह व्यवस्था करेगी स्पोर्ट्स कौन्सिल। वहां से शिक्षार्थियों को निकाल दिया गया और वे भूखे मरते फिरें उनके लिये कोई भोजन की व्यवस्था नहीं की गई। स्पोर्ट्स कौन्सिल से आप क्या बढ़िया इससे बढ़कर व्यवस्था करवाना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहते हैं। उन शिक्षार्थियों को उदयपुर की नगरी में भोजन उपलब्ध नहीं हो, भोजन तक की व्यवस्था नहीं कर सकता है, वे दर दर मारे 2 फिरते फिरें। मैं समझता हूं ऐसी स्पोर्ट्स कौन्सिल क्या व्यवस्था करेगी, उनके शिक्षण के बारे में। मैं निवेदन करूंगा स्पोर्ट्स का बजट है साढ़े बारह लाख। अब इस साढ़े बारह लाख में सत्तर प्रतिशत तो खर्च होता है उनके वेतन पर और बाकी का खर्चा होता है मनोरंजन पर, एन्टरटेनमेंट पर। आपकी स्पोर्ट्स कौन्सिल का इस प्रकार का तो बजट है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देगी, मैं समझता हूं आपका जो खर्चा है उसमें यह आपकी जो स्पोर्ट्स कौन्सिल है वह व्यवस्था नहीं कर सकती है।

मैं निवेदन यहां पर करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग गत पांच वर्षों से खेलों के विकास के लिये बराबर वृद्धि कर रहा है और इस सारे खर्च को भी देखें तो जहां पर स्पोर्ट्स कौंसिल 1½ लाख रुपया खर्च करती है एक शिविर पर वहां पर शिक्षा विभाग 30 हजार रुपया खर्च करता है। आप 1½ लाख रुपया और दूसरी तरफ 30 हजार रुपये का मुकाबला देख लीजिये और उसके बावजूद भी स्पोर्ट्स कौंसिल से बढ़िया व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा जो कोचिंग दी जाती है उसमें होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स कौंसिल वर्ष में एक बार मिलती है जब कि शिक्षा विभाग की सुनियोजित योजना के आधार पर खिलाड़ियों से बराबर सम्पर्क करते हैं और वर्ष में कई बार मिलते हैं। शिक्षा विभाग की सुनियोजित योजना के आधार पर यदि आप विचार करें तो दिसम्बर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 30 मेडल प्राप्त हुए हैं। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के आप मन्त्री होते हुए भी शिक्षा विभाग का गला घोंट रहे हैं और आपने कहा कि उनके पास बहुत काम है, मैं कहूंगा कि शिक्षा विभाग के पास हजारों फिजिकल इन्स्ट्रक्टर्स हैं और बीकानेर में जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास की योजना बनी थी उसके अन्तर्गत जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा दी गयी। आज स्पोर्ट्स कौंसिल के पास इस प्रकार के फिजिकल इन्स्ट्रक्टर्स की कमी है। तो जिसके पास कमी है वह स्पोर्ट्स कौंसिल किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक संस्थाओं के जो खिलाड़ी हैं उनको शिक्षा देगी, ट्रेनिंग देगी। इस सम्बन्ध में आप गम्भीरता से विचार करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक हजार फिजिकल इन्स्ट्रक्टर्स शिक्षा दे रहे हैं और इस खेलकूद से जिसके नाते भारत का गौरव बाहर है मेरा ख्याल है कि यदि आप इसको पार्ट टाइम बनाना चाहते हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा विभाग ट्रेनिंग देता है उसके पास ही इस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए। यदि आप व्यवस्था करना चाहते हैं, यदि आप स्पोर्ट्स कौंसिल की महत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक तो फिजिकल शिक्षा का काम, फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम शिक्षा विभाग के पास छोड़ दें और उसके बाद जो बढ़िया खिलाड़ी निकल करके आते हैं मैं समझता हूं कि ईमानदारी से स्पोर्ट्स कौंसिल उनको बढ़ावा देने का काम अपने पास लें। यह काम स्पोर्ट्स कौंसिल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को दिया जा सकता है तो बढ़िया होगा वरना आपका जो निर्णय है वह घातक सिद्ध होगा स्पोर्ट्स कौंसिल को ही यदि इसकी व्यवस्था देना चाहते हैं तो वह राजस्थान के सार्वजनिक रूप से जो खिलाड़ी हैं उनको निर्बल बनायेगी ही और धीरे-धीरे यहां पर राजस्थान में स्पोर्ट्स का स्तर निश्चितरूप से गिरता हुआ चला जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट पॉलिसी मेकर श्री एम० एल० मिनी ने योजना बनाई उसको आप खटाई में क्यों डालना चाहते हैं? वह राजस्थानी हैं और वह रूस गये हैं और उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। वह व्यक्ति आया तो उनको आप स्पोर्ट्स कौंसिल में क्लर्क बनाना चाहते हैं? यदि नहीं, तो फिर आप बतायें कि वस्तुस्थिति क्या है? यदि एक राजस्थानी ऊपर उठना चाहता है उसको राजस्थान में ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा? मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि काक साहब कुछ भी कहें लेकिन जब भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, भूतपूर्व मन्त्री शिक्षा के श्री शिवचरण माथुर थे उन्होंने जब सारी बातें सुनीं तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। डाइरेक्टर आफ एजुकेशन मिस्टर कुम्भट और शिक्षा सचिव मिस्टर महेन्द्रसिंह और वर्तमान शिक्षा सचिव श्री सूद ने लिखा कि शिक्षा विभाग का काम अलग है और राज्य सरकार को अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। जब उन्होंने लिख दिया तो कुम्भट साहब का भी ट्रान्सफर कर दिया और श्री एल० एन० गुप्ता जो कि उस समय डाइरेक्टर थे उन्होंने भी जब इस प्रकार की बात की तो उनको भी बदल दिया। मैं शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि तीन चार गुना कीमत पर स्पोर्ट्स कौंसिल काम करना चाहती है उसको आपने क्यों मन्जूर किया? दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कौंसिल को सर्वोपरि शिक्षा विभाग पर क्यों बनाना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न यह है कि डाक्टर एम० एल० मिनी का उपयोग जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है ऐसा क्यों है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं चौथी बात निवेदन करना चाहता हूं कि कौंसिल के पास में 45 कोचिंग देने वाले व्यक्ति हैं जब कि शिक्षा विभाग के पास हजारों कोचिंग देने वाले व्यक्ति हैं। इसकी तुलना कीजिये। लेकिन आखिरकार काक साहब का प्रभाव बना रहे इसलिए काक साहब के प्रभाव को बनाये रखने के लिए स्पोर्ट्स कौंसिल को ही सब कुछ देना चाहते हैं मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कौंसिल के पास स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं उनको देने के लिए कोई योजना नहीं है जब कि वहां पर दूसरी ओर शिक्षा विभाग के पास खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत योजनायें हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

10 लाख रुपया शिक्षा मन्त्री जी ने दिया उसका आप डेवलपमेन्ट करना चाहते हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

स्पोर्ट्स कौंसिल से। आपने पिछली बार कहा था कि स्पोर्ट्स कौंसिल का पुनर्गठन किया जायेगा लेकिन जो उपाध्यक्ष थे उनको आपने अध्यक्ष बना दिया और काक साहब की छंगाणी साहब ने, श्री श्रीरामजी ने और अन्य लोगों ने तारीफ की तो उसका परिणाम यह निकला कि जो उपाध्यक्ष थे वह गये अध्यक्ष बना दिये गए।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्री जी० के० शर्मा जो कि स्पोर्ट्स कौंसिल के सचिव थे और जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई उनके बाद एक दास नामक व्यक्ति को सेक्रेटरी बनाया गया। यह दास वही व्यक्ति है जिसने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के जो बिल्ले थे उनको खिलाड़ियों को न देकर बाजार में बेच दिये। वह काक साहब के चमचे हैं इसलिए उनको सचिव बनाया गया। मैं मिनी साहब के बारे में पूछना चाहूंगा कि उनको क्यों नहीं बनाया गया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं आधा मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करता हूं कि सारे तगमे देने चाहिए वह नहीं देकर केवल माला पहना दी गई और तगमे नहीं दिये और कौंसिल के लोग तकमों को बाजार में बेच रहे हैं और वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं देते।

अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी मैंने आपको जो सुझाव दिये हैं कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक इस क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का काम शिक्षा विभाग को दें और जो बढ़िया खिलाड़ी हैं उसके बाद में उसको ट्रेनिंग देने का काम और आगे बढ़ाने का काम स्पोर्ट्स कौंसिल पर छोड़ दें तब तो उचित होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

नहीं तो डाइरेक्टर की रिपोर्ट के और माननीय सदस्यों की भावनाओं के विरुद्ध स्पोर्ट्स कौंसिल में इस प्रकार का काम देना चाहते हैं तो राजस्थान के खिलाड़ियों का स्तर गिरेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (श्री गिरधारीलाल भार्गव के बोलते रहने पर) आर्डर प्लीज। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर समय दिया है। माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि एक ही बात को पांच बार कहें तो उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो भी विचार रखें वह सूक्ष्म रूप में या क्वेश्चन के रूप में रखें ताकि माननीय सदस्य अपनी बात को स्ट्रेस कर सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मेरा भी नाम है, क्या फर्क पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स कौंसिल का निर्माण सन् 1959 में हुआ और उसके दस वर्ष बाद राजस्थान बोर्ड आफ हायर सेकेन्ड्री एण्ड प्राइमरी एजूकेशन के तहत एक स्पोर्ट्स का प्लान का निर्माण हुआ और वह प्लान फाइव इयर प्लान था। माननीय शिक्षा मंत्री

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

महोदय ने जो यह बात कही कि ऐसी कोई बात नहीं हुई केवल दोनों को कन्फ्यूजन हुआ और एक कमेटी बनाई गई, यह बात हाउस को भ्रम में डालने वाली है। बहुत कुछ हुआ है। एक फाइव इयर प्लान बनी खिलाड़ी को नीचे के स्तर से उभारने के लिए, उसकी लगातार एजूकेशन के लिए। खिलाड़ी कहां जन्म लेता है, क्या वह बड़ी बड़ी फाइलों में जन्म लेता है, यह खिलाड़ी शहरों में जन्म लेता है। क्या खिलाड़ी कागजों में जन्म लेता है? क्या खिलाड़ी कोठियों में जन्म लेता है, क्या खिलाड़ी ग्राम के स्वच्छ वातावरण में जन्म लेता है। क्या खिलाड़ी एक ही दिन में खिलाड़ी बन जाता है? इस प्रश्न को टैकल किया हमारे बोर्ड ने और एक कोंकरीट योजना बनाई जिससे कि खिलाड़ी की इरेक्टिक एजूकेशन और एक राष्ट्रीय लेवल का या अन्तर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी वह बन सके। लेकिन स्पोर्ट्स कौंसिल, जिसका इतिहास राजस्थान की जनता जानती है, राजस्थान का बच्चा 2 जानता है, जिसके अचीवमेंट को राजस्थान का बच्चा 2 जानता है। मैं अपनी जुबान से कह कर गन्दी नहीं करना चाहता। स्पोर्ट्स कौंसिल ने जब देखा कि यह प्रोग्राम कामयाब हो रहा है, खिलाड़ी आगे आ रहे हैं तो उसने इसके ऊपर हाथ डाला। मैं शिक्षा मन्त्री महोदय के सामने डायरेक्टर आफ एजूकेशन ऐसे दो पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें इस प्रकार की गिद्ध दृष्टि इनकी पड़ी और स्पोर्ट्स के अचीवमेंट हमारे सामने आए। मैं सन् 1965 से 73 तक के अचीवमेंट अर्ज करना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइये। जब यह योजना सन् 68-69 में बनाई गई उस समय स्पोर्ट्स कौंसिल के पास केवल 13 मैडल थे और आज 73-74 के अन्दर यह 13 मेडल सिलवर, गोल्ड और ब्रोंच मेडल बढ़कर 24 हो गए और इसका मतलब यह हुआ कि जो बुनियादी नीति डायरेक्टोरेट ने लागू की वह नीति अपने आप में सही नीति थी। इतना ही नहीं सारे स्पोर्ट्स की खोज का मोबीलाइजेशन हुआ। एक तरफ जहां स्पोर्ट्स कौंसिल के पास केवल 45 लोग थे जो स्पेशलाइजेशन आफ स्पेशल स्पोर्ट्स स्टडी दे सकते हैं उसकी जगह 1600 इन्स्ट्रक्टर्स का मोबीलाइजेशन किया गया। एक कोंकरीट प्रोग्राम बनाया गया और यह सारा प्रोग्राम एम. एल. मिनि के तहत बनाया गया जो कि सारे हिन्दुस्तान के उन 47 डाक्टरों में से जिन्होंने स्पोर्ट में डाक्टरेट की है और उनकी डाक्टरेट का रशियन लैंग्वेज से इंडियन लैंग्वेज में ट्रान्सलेशन हो रहा है और उस थीसिस ने राजस्थान को ही आकर्षित नहीं किया, देश के सारे प्रान्तों को आकर्षित किया है। नेशनल लेवल पर जो आज आप आठवीं नवीं कक्षा में स्पोर्ट्स रखते हैं उसको कैसे दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा में डवलप कर सकते हैं यह उसका मेन थीसिस है और कण्टीन्यूइटि पोइन्ट से आपरेशनल स्पोर्ट्समैन किस तरह से कन्वर्ट करते हैं यह एक बड़ी स्पष्ट बात इसमें बताई गई है। आज राजस्थान के ही नहीं, देश के स्पोर्ट्समैन कहां से आते हैं, आज चन्दगीराम कहां से आया है, दारासिंह कहां से आता है, आज गंभीरसिंह कहां से आता है, सुरमुख कहां से आता है और सुरमुन्दरकौर कहां से आती है। ये गांवों के विशुद्ध वातावरण से पैदा होने वाले हैं जिन्होंने केवल राजस्थान का ही गौरव अर्जित नहीं किया बल्कि सारे भारतवर्ष का गौरव अचीव किया है। गंभीरसिंह ने लैंड मार्क एस्टब्लिश किया है। आज

Page No 48

48

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सारा राजस्थान धीरे 2 उस ओर बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक तुलनात्मक आंकड़े रखना चाहता हूं और माननीय गृह(शिक्षा) मंत्री से जस्टीफिकेशन पूछना चाहता हूं। चार डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैम्प कराये उनका खर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जरा माउन्ट आबू का खर्चा है उसका जरा गौर फरमा लीजिये और फिर स्टडी कीजिये। माउन्ट आबू का नाम लेते ही शिक्षा मंत्रीजी के मुख पर चमक आ गई। उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख और 35 हजार रुपया खर्चा यानि पर स्टुडेंट 25 रुपया और 70 पैसे पर स्टुडेंट एक्सपेंडीचर माउन्ट आबू कैम्प का है और इसमें बोर्डिंग-लोजिंग का एक्सपेंडीचर 66 हजार रुपया है जो अपने आपमें बड़ा आंकड़ा है। क्या विद्यार्थियों को बादाम दिये जाते हैं। क्या विद्यार्थियों को दूध दिया जाता है। या यह 66 हजार रुपया सोमरस के रूप में भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को दिया जाता है। क्या यह उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों पर व्यय हुआ। अगर यह विद्यार्थियों पर खर्चा होता तो भी कोई बात थी। जो योजना पांच वर्षीय योजना बनाई गई थी वह साइंटिफिक योजना थी जो सारे देश के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाती स्पोर्ट में और अच्छे स्पोर्ट्समैन राजस्थान तैयार कर सकता था। इसके मुकाबले में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का खर्चा कैम्प्स का जिसने रेशनेलाइजेशन कर दिया स्पोर्ट्स में, उसका खर्चा केवल 22 हजार 853) रुपया और फी विद्यार्थी 9.29 रुपया प्रति विद्यार्थी व्यय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण था? हमारे 13 मेडल से 24 मेडल हो गए जो माउण्ट आबू में नहीं हो गए। स्पोर्ट्स का स्टेन्डर्ड ऊंचा हुआ जिससे हुए लेकिन यह स्पोर्ट्समैन कहां से आए जिन्होंने यह कर दिखाया। ये आए हर गांव के विशुद्ध वातावरण से और इन स्पोर्ट्स में शामिल होने लगे और उन्होंने प्रति डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से प्रोग्राम बनाया और किस डिस्ट्रिक्ट को किस स्पोर्ट के लिए आज अवसर मिले यह उसमें था।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

गंगानगर विशिष्ट एथलेटिक दे सकता था, भीलवाड़ा तेज भागने वाले भील स्पोर्ट्समैन दे सकता था। इस प्रकार की स्कीम थी इस स्कीम के ऊपर गिद्धदृष्टि पड़ी उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अपने आपके अन्दर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला रखता है और मैं समझता हूं कि आज हमारे जो विद्यार्थी, हमारे गांव के विद्यार्थी, हमारे कस्बे के विद्यार्थी, हमारे अकालग्रस्त राजस्थान के विद्यार्थी आगे आ सकते थे। स्पोर्ट्स की दृष्टि से तरक्की कर सकते थे और विशिष्टता प्राप्त कर सकते थे आज भी आगे जा सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार के भ्रष्ट करने वाले कैम्पों से उनको प्रोजेक्ट किया जाय, उनको बचाया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आपकी स्पोर्ट्स कौंसिल ने क्या अचीवमेंट किया है सिवाय इसके कि और प्रोविंसेज में आपका कोई स्थान नहीं है। क्या आपने नेशनल हीरोज पैदा किए हैं, बास्केट बाल में, जिमनास्टिक के अन्दर एथलेटिक के अन्दर, फुटबाल या हाकी के अन्दर सिवाय

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इसके कि हमने बटरिंग के अन्दर रामजी काक एक चैम्पियन पैदा किया है और स्पोर्ट्स कौंसिल ने दूसरा काम नहीं किया है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा नम्र निवेदन करूंगा कि कोई और पैदा हुआ या नहीं लेकिन यह बटरिंग का चैम्पियन जरूर पैदा हुआ जिसके लिए शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन प्रश्न बहुत गम्भीर है और इस रूप के अन्दर गंभीर है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज हमें जो दिशा देनी है स्पोर्ट्स में विद्यार्थियों को.......

(व्यवधान--अश्रव्य)

....शिक्षा मंत्री दे रहे हैं यह कह कर मिस लीड करके और बढा देंगे शिक्षा मंत्री और जो प्रेमी हैं वह उनको समय 2 पर बढावा देते रहते हैं और क्या करते हैं। यह तो मैं ही एक फक्कड़ आदमी हूं जो इस प्रकार का अवसर नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि किसी भी फील्ड में आप स्पोर्ट्स के अन्दर एक स्पोर्ट्स मैन डवलप कर रहे हैं और उसके लिए एक टेंडर एज होती है जिसमें आप एक स्पोर्टसमैन को डवलप कर सकते हैं। आज रशिया ने, जी. डी. आर. ने जिमनास्टिक में रिकार्ड तोड़ा है बड़ी टेण्डर एज से लड़कियों को, लड़कों को जब उनकी बोडी के अन्दर लोच होता है, जिमनास्टिक के मैदान के अन्दर उतारा जाता है। बालकेस्ट बाल के अंदर जो ऐज ग्रुप है उसके अन्दर उसको उतारा जाता है। एक एज रहती है। केवल आप आबू में कैम्प लगावें और वहां पर जलसे करें तो इस तरीके से स्पोर्टसमैन पैदा नहीं कर सकेंगे। स्पोर्ट्स के अन्दर राष्ट्र के अन्दर हमारा एक गरिमापूर्ण इतिहास है और यह इतिहास तभी कायम रह सकेगा जबकि गांवों के अन्दर स्पोर्ट्स की योजनाएं चालू रखेंगे और एक नेशनल स्पोर्ट्स की स्कीम को कायम रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा राजस्थान के भविष्य के नाम पर, राजस्थान की गरिमा के नाम पर कि ऐसी गतिविधियां कायम करें जो हमारे स्पोर्ट्स मैन का एचीवमेंट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई डिबेट नहीं है। जिन्होंने पहले सूचना दी है, मोशन मूव किया है, उसको समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी समय मिलेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पहले मैं सुझाव दे दूं। फिर आप भी सुझाव दे देना। उपाध्यक्ष महोदय, एक कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई जिसमें कि प्राइमरी और सेकेण्डरी एजूकेशन है उसमें और स्पोर्ट्स काउन्सिल में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को गलतफहमी है। इन दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है और यह बात नहीं है कि एक के अधिकार दे दिये गये हैं और दूसरे को अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि 99 प्रतिशत खिलाड़ी स्कूलों और कालेजों से ही आते हैं। कुछ खिलाड़ी एक्सेप्शनल हो सकते हैं जिसमें एक बाकला है जो कि बादशाह हेल सिलासी का ए.डी.सी. है और वह अनपढ़ है जिसने बराबर ओलम्पिक में भाग

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

किया और जीता है। इसी तरह से गामा पहलवान हुए हैं जिनका कि किसी स्कूल या कालेज से सम्बन्ध नहीं रहा है परन्तु जितने भी 24/25 गेम्स हैं उन अधिकतर गेम्स में स्कूल और कालेज के विद्यार्थी ही भाग लेते हैं। और यहां यह बात बतायी जा रही है कि स्कूलों और कालेजों के अधिकार छीने जा रहे हैं और यह अधिकार स्पोर्ट्स काउन्सिल को दे दिये गये हैं। यह बात ऐसी नहीं है और यह मुमकिन भी नहीं है और न यह किया ही जा रहा है। स्कूलों के अन्दर समय से खेल खिलाये जाते हैं और खिलाड़ियों को वहां से प्रतियोगिताओं में भी भेजा जाता है परन्तु उनको ऐसी प्रतियोगिताओं में भेजने से पहले डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ट्रेनिंग देने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। स्पोर्ट्स काउन्सिल का यह काम है और वहां पर स्कूल, कालेजों के खिलाड़ी आते हैं। अगर इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी खिलाड़ी सामने आ जाए तो कालेजों, स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ साथ उसको भी उच्च-स्तरीय शिक्षा दी जाए। अभी लण्डा साहब ने कहा कि 1400/1500 पी.टी.आईज. हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 1000 हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो हजार कह दीजिये। लेकिन उनकी जो शिक्षा है वह केवल फिजीकल फिटनेस है। कालेज की नहीं है। उनकी यह शिक्षा फिजीकल फिटनेस के लिए ठीक है। उनकी एकेडेमिक योग्यता कम है। इस मामले में वे लिमिटेड हैं। हमारे जमाने में प्रोफेसर केसर साहब सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समेन थे हाई जम्प के और 5 फीट 6 इन्च का जम्प उन्होंने क्लीयर किया था। एक दूसरा सुन्दरलाल नाम का खिलाड़ी था और उसकी हाइट चार फीट 8 इन्च ही थी और वह 6 फीट 3 इन्च का हाई जम्प क्लिअर किया था। उसने प्रोफेसर साहब को परास्त किया था। प्रोफेसर साहब की पी.टी.आई. अच्छी थी। उनका मास्टर बड़े जोश वाले थे। प्रोफेसर साहब की गल्ती क्या हुई। वे हाई जम्प करते थे 6 फीट के लिए तो 12 फीट ऊंची अपनी कमर को ले जाते थे और फिर पैर निकालते थे। तो 12 फीट पर कमर को ले जाना एक गलती थी। उतना ऊंचा जाकर वे कूदते थे। वैज्ञानिकों ने अब यह तरीका निकाला है इतना लोड उठाकर 10 फीट ऊंचा ले जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। उतना ही ऊंचा जाएं जितना कि कूदना है और माथा और पैर साथ लेकर निकलें। 6 फीट 5 इन्च कूदना है तो वह 6 फीट 6 इन्च ही कूदें। इस करिश्मे के कारण आपने देखा है इसमें आज छोटे छोटे लड़के भी भाग लेते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग लेते हैं। इसके लिये विशेष प्रशिक्षण के केन्द्र खोले गये हैं। हिन्दुस्तान में कई जगह ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं। जब हम देहात से शहर में आए, यह सन् 34 की बात है हम बाल को एक जगह से हीट करते थे और फिर उसको इधर उधर ले जाते थे इसके बाद यह सिस्टम बदल गया। एक नया वैज्ञानिक तरीका निकाला गया। इसको एक प्लेस पर रखकर खेला जाने लगा। आधे पोज में रह जाते थे और खिलाड़ी भागते थे। अब इसमें रिवोल्युशनरी तरीका निकल आया है। रूस और दूसरे देशों ने इस करिश्मे को निकाला है और वे इस पद्धति से खेलने लगे हैं। इसके कारण पुराने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तरीके खत्म हो गये । खेतसिंह जी अपने जमाने में 100 गज की दौड़ दौड़ते थे । जब वे खड़े होते थे तो उनके पी टी.आई. जोश दिलाते थे । कहते थे तन कर खड़ा हो जा और वे तन कर खड़े हो जाते हैं और उस हालत में दौड़ते थे ...

श्री केदारनाथ : स्टार्ट अच्छा था, फिनिश खराब था ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह जमाना था जब 100 मीटर की दौड़ में 12 सेकिण्ड लगते थे । यह कहा जाता था कि जो व्यक्ति 10 सेकिन्ड में दौड़ पूरी करेगा तो उसका शरीर फिट नहीं रहेगा, वह मर जायेगा । अब 9 सेकिन्ड में यह दौड़ पूरी होने लगी है। उस समय गलती क्या होती थी कि शरीर को जकड़ लेते थे । अब यह बात नहीं है। शरीर को ढीला रखा जाता है और उसके बाद स्टार्ट में जाता है तो वह जल्दी स्टार्ट कर लेता है और वह पूरी स्पीड ले लेता है । यह एक विधि है। हवा का पूरा दबाव अपने सामने नहीं रहने देता है । इस तरह से दौड़ता है तो वह आगे जाकर निकल जाता है । तो इस प्रशिक्षण के लिए कैम्प लगाने की जरूरत होती है । इस प्रकार की विधि से वह दूर तक निकल जाता है । खेलों में भाग लेने का और भी कई ओक तरीके हैं। तो खेलों के अन्दर कई रिवोलूशनरी तरीके इजहाद हो गये हैं । अपने यहां पर जो पी. टी. इन्स्ट्रक्टर हैं वे फिजीकल फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं । यह सही बात हो सकती है कि मिनी साहब स्पोर्ट्स में पी.एच. डी. करके आये हैं । परन्तु दुनियां के अन्दर 25 तरह के गेम्स होते हैं और उसमें यह वॉलीबाल का खेल 25वां हिस्सा है । वॉलीबाल में मसल कौन कौन से होते हैं, इसकी एक साइन्टिफिक विधि निकाली गयी है। कौन से मसल डवलप होने चाहिये । तो खाली मसल्स की यह ट्रेनिंग मीनी साहब लेकर आये हैं । इससे ही सब खेलों के ज्ञाता नहीं हो जाते हैं । पिछले वर्षों से यह प्रवृत्ति चली है । जो स्कूल, कालेज के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह कदम उठाया है कि वे सेन्ट्रल स्पोर्ट्स कॉन्सिल में जाए । उसके अन्दर हमारे बच्चों को भेजा जाए । उसके नहीं जानने का परिणाम क्या होता है यह डाक्टर साहब जानें । दिया दे तो । वह 14 से 17 साल तक का सिलेक्शन होता है स्पोर्ट्स कॉन्सिल एथलेट्स का और जुनियर्स का सिलेक्शन करती है और सिलेक्शन 90 परसेंट स्कूल गेम्स वाले डायरेक्ट उनकी लिस्ट भेजते हैं । यह मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं । यह था नहीं । यह स्वयं ने चलाकर अपने पर ले लिया क्योंकि दिखावे के लिए बहुत अच्छा है । पी. टी. में कहा जाता था पहले कि सब एक साथ पैर पटको तो ऐसा पटकते थे जोर से कि जमीन कांपने लगे । वह लगन अच्छी लगन थी, लेकिन वास्तव में जो आज है वह नहीं थी । दोनों के मुकाबले की बात नहीं होना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपसे मैं कहूंगा कि मिनी साहब को रशिया हमने भेजा था, लेकिन आते ही उनकी हवश इतनी बढ़ गई कि आते ही गवर्नर साहब से कहा कि मैं पी.एच.डी. हूं, मैं ज्यादा जानता हूं । वह यह समझते हैं कि और बहुत कम जानते हैं । सहयोग से उनको काम करना चाहिए । मैं शिक्षा मंत्रीजी से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

यह कहूंगा कि शिक्षा विभाग उनसे बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है। असन्तुष्ट है। स्पोर्ट्स कौन्सिल के जिम्मे यह रहे कि बढ़िया से बढ़िया जो खिलाड़ी हों उनका कोचेज के द्वारा प्रशिक्षण हो। एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के पास अच्छे आदमियों की कमी नहीं है। उनके बहुत उत्साह हैं और अच्छी तरह से खेलकूद की तरक्की कर सकते हैं बच्चे रात दिन उनके साथ में रहते हैं इसलिए वह सब उनकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। यह उनके ध्यान में नहीं है।

खर्चे का सवाल है। एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को पी. टी. आई. विभाग को कोचेज के आने जाने में जितना भत्ता देना पड़ता है वह स्कूल के कार्य में नहीं देना पड़ता है। उनको तम्बूओं का नहीं देना पड़ता है। स्पोर्ट्स कौन्सिल में अच्छा खाना मिलता है। फारेन कोचेज भी आते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। कई दफा वे अपनी फेमिलीज को भी अपने साथ में ले आते हैं तो उनका खर्चा देना पड़ता है। आज फारेनर्स आयें या यहां के कोचेज आयें और इनको प्रशिक्षण दें तो मैं आपको कहूंगा कि उनके स्टाइल में फर्क है। वे कितना ही जोर लगा दें और कितना ही कर दें तो भी आधुनिक जानकारी सब्स्टीट्यूट अपने यहां के खेलों के इतिहास और खेलों के सेक्शन में नहीं हो सकती। यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय शिक्षा मंत्री…

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : एक बात विश्नोई जी की जानकारी में है कि नहीं यह 1600 स्पोर्ट्स इन्सपेक्टर हैं इनमें बहुत सारे पटियाले से स्पेशियेलाइज्ड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ये उप-शिक्षा मंत्री रहे हैं और राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल के चेयरमैन रहे हैं। इनको जानकारी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका पूरा करीक्यूलम स्टडी किया हुआ है। इसका स्कूल जोधपुर में है। मेरी नालेज में है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको तीसरी जानकारी भी है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर जो बात बताई है तो मैं चन्द बातें ऐसी उनकी नजर में और लाना चाहूंगा कि उनका भी स्पष्टीकरण वे अन्त में दे सकें।

इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक यह बात स्वीकार की कि विभाग की जो योजना है, जो चयन करने का उनका विचार था उसको स्पोर्ट्स कौन्सिल के साथ उन्होंने जोड़ा है। स्पोर्ट्स कौन्सिल एक अलग से अपना इतिहास रखता है। और विभाग की जो योजना बनी वह स्पोर्ट्स कौन्सिल की जो आज तक की कार्यविधि है इसको ध्यान में रखते हुए या अलग बनी क्योंकि हमारे जिलों में जैसा वातावरण है उस वातावरण में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वह नहीं दी जाती है वह दी जाए, ऐसा समझ कर ही एक योजना बनी, और उस योजना को हम किसी तरीके से

(श्री दीपंकर)

सहयोग स्वरूप मानकर कहूंगा स्पोर्ट्स कौन्सिल को टोटली हम सरेन्डर करने जा रहे हैं इस दृष्टि से हम इस योजना को उसके साथ जोड़ रहे हैं। यह बात मंत्री महोदय ने मानी। अच्छा होगा उपाध्यक्ष महोदय कि मंत्री महोदय इस बात को समझ लें कि स्पोर्ट कौन्सिल क्या है। अगर वह अपने विभाग से जिला स्तर पर बंटवा कर जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए वह करवा सकते हैं, तो वह ज्यादा बेहतरीन है बनिस्बत इसके कि आज स्पोर्ट्स कौन्सिल पर इस तरह से छोड़ दिया जाय कि वह अपनी मर्जी से जयपुर में या माउन्ट आबू पर कैम्प करके यह बहाना बनाकर लेखा-जोखा बनाकर छोड़ दें कि इतनी ट्रेनिंग बाहर वालों ने दी। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय हमारे साथी विश्नोई ने जो विवेचन करके बताया कि किस तरह से क्या नीति थी और क्या बदल गई। यह ठीक है कि किसी खेल के तौर-तरीके बदलते रहते हैं। आप जब दौड़ते थे और खेतसिंह जी जब दौड़ते थे, तो किसका क्या था यह अलग बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्पोर्ट्स कौन्सिल के बारे में न मेरी शिकायत है लेकिन इस सदन के बहुत अधिक माननीय सदस्यों की शिकायतें हैं और राजस्थान भर में इसकी जबरदस्त चर्चा है। किसी की भी सरकार हो हमने देखा है कि रामजी भाई की कार सुबह से शाम तक किस प्रकार से दौड़ती है। कोई भी नया मंत्री बना वह पहुंच जाते हैं और हम बातें करते रहते हैं तब तक खड़े रहते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई काम नहीं है आप अपनी बात कर लें, फिर कोने में ले जाकर न मालूम क्या सुनाते हैं। मुझे मालूम नहीं कि खेतजी भाई कोने में गये या नहीं लेकिन वह जरूर मिले होंगे। इस तरह से राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल की न केवल कालेजों में चर्चा है बल्कि सब जगह है कि इसने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया कि नहीं बल्कि एक जबरदस्त चारित्रिक पतन वह पैदा करने जा रही है। इस तरह से वह राजस्थान के खिलाड़ियों के जीवन में कार्य कर रही इस चीज को अपने मन से निकाल कर दूर कर दें। मैं समझता हूं कि यह जबरदस्त बात होगी। जिस तरह से स्पोर्ट्स कौन्सिल बनी हुई है वह अपने अधिकतर साधनों का उपयोग यहां पर नहीं बाहर करती है और किस तरह से करती है वह सब जानते हैं। संयोग से एक विभाग और उनको दे दिया। उनके साथ होटल कार्पोरेशन और हो गया। उसके साधनों से और स्पोर्ट्स कौन्सिल के साधनों से वे क्या क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस सदन के अन्दर यह आवाज उठाई जाय कि मंत्री महोदय अगर यह चाहते हों कि राजस्थान के खिलाड़ियों का विकास हो, राजस्थान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले और राजस्थान में, हिन्दुस्तान में अपना नाम करें तो इस सदन की जांच कमेटी बिठाई जाय जो रामजी भाई के बारे में स्पोर्ट्स कौन्सिल की और उनके विभाग की जांच करें। इससे यह पता चलेगा कि होटल कार्पोरेशन का और स्पोर्ट्स कौन्सिल का लाखों रुपया वे किस तरह से बरबाद कर सकते हैं। कुछ चन्द लोगों को बुलाकर सुरा और सुन्दरी का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। यह मैं खुला चार्ज लगाता हूं रामजी भाई के ऊपर आपके माध्यम से। किस तरह से राजस्थान के विद्यार्थियों को जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है।

(श्री दीपंकर)

जिलों के अन्दर कई जगह अच्छे खेल-कूद के मैदान बने हुए हैं उनको ठीक कराने के लिये लोग पैसा मांगते हैं। मैं अपनी जगह लाडनूं का उदाहरण दूं, नागौर का दूं कि हमने मांग की पैसा देने की कि हमारे यहां कालेज में लड़के पढ़ते हैं और खेलते हैं और बहुत अच्छा मैदान है। लोगों ने चन्दा करके लाखों रुपया इकट्ठा किया और स्टेडियम बनाया गया। उसमें अच्छा ग्राउण्ड है तो उस ग्राउण्ड को डेवलप करने के लिए और उसकी अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए पैसा दें, लेकिन लगातार मांगते हुए मुझे 7 वर्ष हो गये और आज तक कुछ नहीं दिया गया। जिस जिले में दिया है वह अपनी कृपा से दिया है और देने के साथ में यह कहा है कि कोई उपयोग नहीं हुआ है। हम यह पूछना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कौन्सिल के चेयरमैन रामजी भाई राजस्थान के कौनसे जिला हैडक्वार्टर पर कौनसे कालेज के मैदान में गये हैं और वहां जाकर देखा है कि वहां पर सुविधा है कि नहीं। नहीं है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वहां पर वह व्यवस्था करें। वहां पर अगर खेल के मैदान अच्छे नहीं हैं तो उसकी व्यवस्था करवायें। यह एक प्रकार से बड़ा गम्भीर मामला है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मुझे मालूम है, यह आपके हित में नहीं है। लेकिन मुझे कहने दीजिये। यह राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। ऐसे व्यक्तियों को कम से कम राजस्थान के शिक्षा मन्त्री विधान सभा की एक कमटी बनाकर जांच करायें और काक साहब को वापिस कश्मीर रवाना कर दें, जहां के वह रहने वाले हैं। वह अपने को कश्मीर का बताते हैं। उनको उनके एरिया में पहुंचाना चाहिये ताकि राजस्थान का भविष्य अच्छा बन सके।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कश्मीर जायेंगे या कन्या कुमारी ?

श्री दीपंकर : हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत से खेल हैं, जिनका प्राथमिक शालाओं और माध्यमिक शालाओं में प्रचार है। परन्तु प्रदेश स्तर तक और देश के स्तर तक उनको प्रदर्शित किया जा सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अभी तक उनको ऐसा मौका नहीं मिला है। वहां जो फिजिकल इन्स्ट्रक्टर हैं, पी. टी. इन्स्ट्रक्टर हैं। उनका देखने वाला कोई नहीं है। आज जो प्राथमिक शालाओं के खेल जिला स्तर के होते हैं, इन सारी चीजों का एकीकरण करके कोई प्रदेश स्तर का रूप दिया जा सके तो अच्छा होगा। नहीं तो ग्रामों में प्रदर्शन देखने को किये जाते हैं। 15 अगस्त को दिखाने के लिए एक छोटी मोटी कवायद सिखा रखी है। उसके लिए भी कहते हैं कि यह खेलकूद परिषद् के द्वारा तैयार कराई गई है। खेल-कूद परिषद् उनको लेकर जरूर चली गई है। उसका कोई योगदान नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

ग्रामीण योजना अभी चल सकती है जबकि वह प्रदेश स्तर तक ले जाई जाये। ग्रामों में जिस प्रकार की जलवायु में बच्चे रहते हैं। गर्मी के दिनों में अपने गांवों में खेलते हैं। उनको खेलाने के लिये ऐसी ठंडी जगह पर क्यों ले जाते हैं। उनके लिए टेन्ट लगाते हैं, उसमें खर्चा होता है। वहां अधिकारी जाकर बंगलों में ठहरते हैं। आप

(श्री दीपंकर)

इन्क्वायरी करवायें तो पता चलेगा कि राजस्थान में कितने लाखों रुपयों को बरबाद किया जाता है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री स्वयं प्रगतिशील विचारों के हैं। वह अपने विभाग से खेलकूद परिषद को अलग करें। वह दिल्ली आते जाते रहते हैं। मुख्य मंत्री से उनका मिलना जुलना होता रहता है। वह रामजी काक के जरिये और व्यवस्था कर दें और राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल बनायें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है, उससे एक भ्रम पैदा हो गया है। उन्होंने यह कहा है कि जब काक साहब माननीय शिक्षामन्त्री जी से मिलने के लिए जाते है तो वह उनको सब लोगों से अलग एक कोने में ले जाकर बात करते है। इससे बहुत भ्रान्ति पैदा हो रही है। सदन जैसे पवित्र स्थान में यह बात कही गई है। रामजी काक को वह कोने में लेजाकर बात करते है। उन्होंने क्या आश्वासन प्रदान किया है, इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री दीपंकर : कहिये तो मैं ज्यादा क्लीयर कर दूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दोनों के बीच में आप थे क्या ?

श्री दीपंकर : इसका मतलब यही है कि अलग लेजाकर उनको आमोद प्रमोद करवायें।

एक माननीय सदस्य : यह भी कहने की बात है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मतलब है, सुरा और सुन्दरी।

श्री दीपंकर : शास्त्री जी ज्यादा अच्छी परिभाषा करेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने, राज्य क्रीड़ा परिषद् का जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, उसके सम्बन्ध में अपने विचार रखें। इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी मुझे भी है। उससे सदन को अवगत करने से शायद कोई अच्छा नतीजा निकलेगा तो उससे खिलाड़ियों को ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मि० एल. एन. मिना जब रूस गये थे और राजस्थान स्पार्ट कौंसिल से गये थे। जब वालीबाल में पी. एच. डी. करके लौटे तो हमसे मिले। तो हमने भी उनके लिए कसर नहीं रखी। वह शिक्षा विभाग में लगाये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रीड़ा परिषद् पहले काफी अच्छा काम करती रही है। चेम्पियनशिप हासिल करती रही है। लेकिन पिछले 3-4 साल से जब से मिना साहब आये हैं, खेलों में जिस प्रकार की सफलता प्राप्त करते रहे हैं, वह नहीं हुई है। इसका क्या कारण है। जहां पच्चीसों एसोसिएशन है, बैडमिन्टन, बॉलीबाल और क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से खेल होते हैं। राजस्थान के अन्दर जो होते थे, उनके खिलाड़ी अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से एसोसिएशन के माध्यम से, राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल के माध्यम

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

से जो कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, उनमें शिक्षा विभाग को जानबूझ कर रोकते थे। पहले अखिल भारतीय स्तर तक जाते थे। मि. मिनी अब उसमें बाधा देते हैं। मि. मिनी ने माउण्ट आबू में कहा है, चाहे वह विश्वविद्यालय में भर्ती हों, चाहे जिला में भर्ती हो, स्कूल खेलों के अलावा दूसरों में खेलता है तो उसे रखा नहीं जाये। तभी से यह निश्चततौर से कहा जाता है कि मिनी जी इस बात की पूरी कोशिश करते रहे हैं। खेल-कूद के कोचिंग कैम्प देते हैं। अजमेर में कोचिंग दी है। हजारों पी. टी. आई. शिक्षा विभाग के जाते थे। वह पूरी मेहनत करते थे। 30 हजार का खर्चा होता था। जो पी. टी. आई. का खर्चा होता था। टी. ए., डी. ए. मिलता था वह नहीं है। उनको शिक्षा विभाग के अपने ट्रक उपलब्ध होते थे। वह शिक्षा साधनों से किया जाता था। वह भी 30 हजार में शामिल नहीं है। इसलिए मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा, वह इस बात को थोड़ा गहराई से समझें कि यह दोनों की लड़ाई, राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल और शिक्षा विभाग की चल रही है, इससे राजस्थान के खिलाड़ियों का विकास होने वाला नहीं है, उनका विकास होने के रास्ते में रुकावट आयेगी। इसलिए यह फार्मूला तय किया गया है कि दोनों का कोर्डिनेशन करके, आपस के अन्दर समन्वय करके जो खिलाड़ी आयें, उनमें से चयन हो। इसलिए इसमें केवल फर्क यह हुआ है। जिला हैड क्वाटर पर जिन स्कूलों के अन्दर जो खिलाड़ियों को खेल सिखाये जाते हैं, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है, जिला स्तर पर जो काम्पीटीशन होते हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है, स्टेट लेवल पर जिनका चयन होता था उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है और अखिल भारतीय स्तर तक जो जाते थे, उन पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है। केवलमात्र यह किया गया है कि जो कोचिंग होता है, वह स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल और पटियाला स्कूल में जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, वह कोचिंग करें। स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल और शिक्षा विभाग मिले जुले रूप में काम करेगा। केवलमात्र यह फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसके माध्यम से शिक्षा विभाग और स्पोर्ट्स कौंसिल दोनों कोचिंग करके भेजेंगे और बाद में एक्सपर्ट कोचिंग करेंगे। इससे मैं समझता हूं कि स्पोर्ट कौंसिल से जो कोचिंग होकर जाते हैं उनका गौरव बढ़ेगा और स्कूलों के अन्दर से सीखकर जाते हैं, उनका भी गौरव बढ़ेगा और जो मेडल का जिक्र किया है, योगेन्द्र नाथ हाण्डा और प्रोफेसर केदार ने कि इतने स्कूल के छात्र मैडल लेकर आये हैं। मैं समझता हूं, इससे उसमें बढ़ोतरी होगी। इतना ही निवेदन मुझे करना है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री भानुकुमार शास्त्री के खड़े होने पर) आप दल से बोल चुके हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी थोड़ा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एक दल से एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह महत्वपूर्ण मुद्दा आया है, इस मुद्दे के बारे में, मैं सोचता हूं कुछ बातों को हाइ लाइट करना आवश्यक

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

है, यह खेल-कूद प्रांगण का विषय आया है, इसके प्रसंग में। मैं आसन से अनुमति चाहूंगा और जो प्रसंग रखे जा चुके हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा भी नाम है। मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह जो खिलाड़ियों का एक संगठन है, इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात नीचे से ऊपर आती है। वह खाली ऊपर जाकर खिलाड़ी नहीं बनते हैं। खिलाड़ी आरम्भ से, बचपन से बनते हैं, प्राइमरी स्कूल से ही खेलने वाले बनते हैं और सकेन्डरी, माध्यमिक स्कूल और कालेज में जो धीरे धीरे खेल का विकास होता है, वहां जाकर अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से, रामजी काक में ऐसा जादू क्या है कि एक मिनट में जो शिक्षा विभाग कार्य कर रहा था, उससे उसकी शक्ति लेकर स्पोर्ट्स कौंसिल को दे दी कि लो, आप काम करो। आखिर उनके यहां पर कौनसी ऐसी अव्यवस्थायें थीं। एक जो शिक्षा विभाग में अव्यवस्था थी, जो जनार्दन सिंह जी ने बतायी और सलेक्शन के अन्दर मिनी पर आरोप लगाया। मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। लेकिन आपको किसने कहा कि आप उसको रोका नहीं। आप रोको। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, आखिर शिक्षा विभाग के 1600 पी० टी० आइ० हैं, जिन पर सरकार ने खर्च किया है, पटियाला स्पोर्ट्स सेन्टर में गये हैं और वहां पर से ट्रेनिंग लेकर आये हैं। वह इस शिक्षा विभाग के माध्यम से ही वहां जाकर आते हैं।

उदयपुर की एक घटना मैं बताना चाहता हूं। उदयपुर में इस शिक्षा विभाग के माध्यम से 350 विद्यार्थी सलेक्ट होकर आये। लेकिन आपके जो दुलारे हैं रामजी काक साहब, वह वहां आ गये और आकर कहा, यह सब नहीं चलेगा, तुम नहीं, तुम नहीं। ऐसा करके उन्होंने 200 सौ विद्यार्थियों को निकाल दिया। यह जो 150 विद्यार्थी निकाल दिये, एक विद्यार्थी पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मां बाप को खेल-कूद ट्रेनिंग के लिये भेजने की तैयारी करने के लिए सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ड्रेस बनानी पड़ती है, चड्डी है, नेकर है, खेल की वेशभूषा है, वह बनाकर खेल-कूद प्रांगण पर भेजते हैं। सौ रुपया खर्च करके उन्हें भेजा लेकिन उनका चयन नहीं हुआ और उनको निकाल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि पटियाला के एक खेल अध्यापक हैं, मि० मलीं, वह वहां उपस्थित थे। उन्होंने वहां यह बवण्डर होता देखा और काक हाय हाय के नारे सुने। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों करते हो और उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिये खाने के लिए। ठीक है, रास्ते में जाकर उन्होंने उपद्रव किया, ट्रक रोक ली, कहा कुछ किया। मेरा कहना है कि सलेक्शन में यह सबसे बड़ी बुराई है कि एक व्यक्ति पर ही सारा छोड़ दें कि यह सलेक्शन करेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर वास्तव में मिस्टर काक को खेलों का शौक है, और राजस्थान के अन्दर वह खेल का विकास करना चाहते हैं तो क्या वास्तव में हमारे उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र के अन्दर खिलाड़ी नहीं हैं? मैं पूछ

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

उदाहरण देना चाहूंगा, मैं कहता हूं आप से....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके स्पोर्ट्स दूसरे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह कहता हूं, हमारे मुख्य मन्त्री हैं वह ब्राह्मण है, लेकिन मैं उनको आदिवासी ब्राह्मण कहता हूं क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के वे ही ब्राह्मण हैं जिनका मुख्य मन्त्रित्वकाल है। उस क्षेत्र की एक कन्या है, मैं समझता हूं, सारे राजस्थान की एक महिला, बांसवाड़ा की लड़की, भील लड़की, जिसका नाम सुन्दरी है, नेशनल लेवल पर भाला फेंकने में सर्वप्रथम आयी। नेशनल लेवल पर सर्व प्रथम, क्या हमारा इन स्पोर्ट्स कौंसिल का यह कर्त्तव्य नहीं था कि उस भील कन्या को प्रोत्साहन देकर, खर्च देकर, जो भाला फेंकने में नेशनल लेवल पर सर्व प्रथम आया, उसको ले जाते एशिया लेवल पर, ओलम्पिक में उसको ले जाते लेकिन क्योंकि वह कांग्रेस के फेवरेट लोगों में से नहीं है, यह जिनको चाहते हैं उनमें से नहीं है, उनका ध्यान नहीं गया। फिर जिनको राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाया है, इन मामलों में उनको पीछे रख कर ऐसा काम किया जाता है। मैं बताऊं, यह घटना 28 मई की है, भोपाल कालेज में फंक्शन हुआ, वहां से लड़कों को लौटा दिया गया। उनके इस काम की प्रशंसा की जाती है और कहा जाता है कि कोचिंग अच्छा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि सात दिन तक कोच की वहां व्यवस्था नहीं थी, कोच थे नहीं। अब आबू से वहां कार्यक्रम खत्म होने पर बाद में बुलाया और थोड़ी बहुत व्यवस्था करके समाप्त कर दिया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं एक दो बात कहकर अपनी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त करना चाहता हूं। आखिर में पहले इस स्पोर्ट्स कौंसिल के सेक्रेटरी थे, उनकी दो दिन बाद डेथ हो गई, जी० के० शर्मा, कौंसिल के सेक्रेटरी थे, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गये। बड़े अच्छे सज्जन थे, लेकिन उनके बाद क्या ऐसा कोई टेलेन्ट नहीं मिला जिसको उस स्थान पर रखा जाता। एक डिप्टी डायरेक्टर आफ स्कूल्स को लाकर बिठा दिया गया और ऐसे व्यक्ति को लाकर बिठाया जिस पर पहले ही आरोप लगे थे, 1966 में मैडल, जो कि खिलाड़ियों को देना चाहिए था, वह उन्होंने बेच दिए। इस प्रकार जिन पर आरोप थे, जिनकी 250, 325 की ग्रेड थी, उसको 700-1100 में लाकर बिठा दिया क्योंकि वह राजनीति काल के भक्त हैं, जिसको चाहेंगे वह उस खड़ा जायेंगे। क्या यह सारी बातें माननीय शिक्षा मन्त्री जी के ध्यान में नहीं आतीं? शिक्षा विभाग से यह कार्य छीन कर, खास कर उनको दे दिया, यह नीति आपकी है।

मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 लाख का प्रावधान दिया। बस 10 लाख का प्रावधान किया, इसके लिए स्पोर्ट्स कौंसिल आबू में जाकर साल में एक बार खेलों का प्रसार करती है। इसके बारे में भी माउन्ट आबू की जनता से जाकर सम्पर्क स्थापित करें तो मालूम होगा कि वहां की जनता भक्त है।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

मैं आपको बताऊं कि वहां खेलों के नाम पर रोमांस होते हैं। जिससे वहां के लोग परेशान होते है। मैं कहना चाहूंगा, इन सब बातों की ओर शिक्षा मन्त्री जी ध्यान रखें। न जाने, यह रामजी नाक कौनसी जादू की छड़ी घुमा कर हर व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उन्हें कुछ देना है तो वह दान के रूप, या कोई अनाथालय खोलना हो तो अनाथालय के रूप में कुछ राशि दे दें तो उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन राजस्थान के खिलाड़ियों के विकास का काम है, यह पार्ट टाइम जोब नहीं है, यह होल टाइम जोब है और छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज तक खेल-कूद की व्यवस्था हो तो बच्चे आगे जा सकते हैं। मैं कहूंगा, शिक्षा मन्त्री जो अपने उत्तर में इन बातों का जवाब देंगे और इन बातों को ध्यान में रख कर शिक्षा विभाग के माध्यम से इस कार्य को पुनः करवाना प्रारम्भ करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान रामजी स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मैंने इसलिये कहा है कि आज से 16 वर्ष पूर्व जब इस काउंसिल का जन्म हुआ था तबसे ·····

श्री रामकिशन : जो सरकार आएगी वह रामजी की जेब में रहेगी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : तब से ही हमारे रामजी इस स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर हावी हैं। मैंने रामजी इसलिये कहा है, कि वह हमारे रामजी हैं। मैं तो स्पोर्ट्स काउंसिल की जो गतिविधि है, हमारे खिलाड़ियों के लिए राजस्थान में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इस बारे में कुछ निवेदन करूंगा। पहले तो मेरा निवेदन यह है कि काउंसिल की ओर से जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। मैं एक छोटासा उदाहरण निवेदन करता हूं। हमारे आर. ए. सी. के जवान श्री मगनलाल जो इंटरनेशनल फुटबाल प्लेयर हैं, अभी तो मरडेका से प्रतियोगिता में भाग लेकर आए हैं और बाहर जाने वाले हैं, भारत का प्रतिनिधित्व वही करेंगे। उनको हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल केवल 50) रु॰ माहवार देती है जबकि उनके पास मोहन बागान क्लब से करीब 40,000) साल की आफर आई है. लेकिन उस नौजवान ने राजस्थानी होने के नाते उस आफर को ठुकरा दिया है। ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल ध्यान नहीं देगी तो एक दिन ऐसा आएगा, कि हमारे राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं दूसरे प्रान्तों में चले जायेंगे। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने 10 लाख रु॰ राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को दिए हैं। देने के बाद में हमारे जो काक साहब इसके कर्त्ता-धर्त्ता हैं, भगवान हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के ·····

श्री ललितसिंह : मुझे जानकर खुशी है कि आपमें धार्मिक प्रवृत्ति तो पैदा हुई कि आपने रामजी का नाम लिया।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ···उसके साथ हमारा भी उद्धार होगा। इसलिए कि हमारे इलाके में भी जिला सवाई माधोपुर में स्पोर्ट्स का नाम नहीं है इसलिए कि

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

हमारे उस इलाके की तरफ स्पोर्ट्स के नाम पर कोई पैसा ही नहीं दिया जाता है स्पोर्टस् काउंसिल के माध्यम से। यह सिर्फ जयपुर शहर या आबू तक ही यह परिषद् सीमित है। जयपुर शहर में 200-300 नवयुवक मंडल हैं जिनमें आधे से ज्यादा बोगस हैं। हमारे जो रामजी उसके अध्यक्ष हैं वह 5000 रुपये एक किश्त में अनुदान के रूप में एक मंडल को दे सकते हैं। तो जो आधे से बोगस मंडल हैं उनकी चमचागीरी करते हैं, वह उनको अनुदान देते हैं जो उनकी चमचागीरी करते हैं। जो चमचागीरी नहीं करते हैं उनका पैसा नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को जिंदा रखना है, उसके माध्यम से राजस्थान में विकास करना है तो रामजी को फौरन वहां से हटाना पड़ेगा अगर नहीं हटाया गया तो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल कभी खेल-कूद का विकास नहीं कर सकती।

एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आबू में प्रशिक्षण केन्द्र लगाया था उस पर 1.35 लाख रुपये खर्च हुआ जिसमें से 50 हजार रुपये पब्लिसिटी के लिये खर्च हुआ और कुछ इस तरह की महिलायें बुलायीं जिनका खेलकूद में कहीं नामोनिशान नहीं है लेकिन अपने मनोरंजन के लिये उनको आबू में बुलाया. मैं उनके नाम भी बता सकता हूं लेकिन सदन में नाम बताना उचित नहीं समझता ....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : राजस्थान में अगर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है और खेल जगत में राजस्थान का नाम सारे संसार में ऊंचा करना है तो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और स्पोर्ट्स काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष को हटाना पड़ेगा।

श्रीमती जमुना सोलंकी : [महिलाओं] के नाम बता दें तो अच्छा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इस विषय पर मुझे और कुछ नहीं कहना है क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल और रामजी काक के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो स्वयं शिक्षा मंत्री जानते हैं। मैं तो खाली यह पूछना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जो अपनी ओर से सदन में कुछ कहें तो यह बताने का कष्ट करें कि रामजी काक में कौन सी ऐसी विशेषतायें हैं और योग्यतायें हैं जिनके आधार पर स्पोर्ट्स काउंसिल को उनके नीचे रख दिया गया है?

दूसरी बात, शिक्षा मंत्री जो बहुत ही काबिल, योग्य, सक्षम और साहसी हैं उनमें क्षमता है, वह रामजी काक के बारे में जानते हैं, उस संबंध में कार्यवाही कर सकते हैं या उनको हटा भी सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बलिष्ठ भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : जहां तक राजस्थान में खेलकूद का प्रश्न है, स्पोर्ट्स काउंसिल और विभाग अलग अलग संस्थायें हैं और दोनों अपना कार्य अलग अलग करते हैं। जहां तक प्राइमरी स्टेज का

(श्री खेतसिंह)

सवाल है चूंकि हमने प्राइमरी शिक्षा पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दे रखी है इसलिए वहां पर पंचायत समिति लेविल पर पंचायत समितियां छोटे बच्चों के खेलों का आयोजन करती हैं इसलिए उनमें शिक्षा विभाग का कोई दखल नहीं है। मिडिल स्तर की जितनी गेम्स हैं शिक्षा विभाग स्वयं आयोजित करता है जिला स्तर पर उससे आगे मिडिल स्टेज के बच्चों के खेलकूद का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं था लेकिन इस वर्ष से जिला स्तर पर खेल कूद होने के बाद में जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी टीम्स हम स्टेट लेवल पर टूर्नामेंट्स करवायेंगे और स्टेट लेवल पर होने के बाद अच्छे बच्चों का वहीं से चयन करेंगे ताकि आगे पिकअप करेंगे, उनको अच्छी कोचिंग दिलाई जा सके।

जहां तक सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी का प्रश्न है, जैसे माननीय सदस्यों ने कहा है उनके लिए भी अलग अलग स्कूलों में गेम्स होती हैं और उसके बाद स्टेट लेविल पर खेलकूद हुआ करते हैं और हम चयन करते हैं कि यह खिलाड़ी इस खेल के लिए अच्छा है, यह खिलाड़ी इसके लिए। इसके बाद कोचिंग का प्रश्न आता है।

जहां तक स्कूलों का प्रश्न है, पी. टी. आइज ट्रेनिंग देते हैं वे स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, जनरल खेलों में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में जब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का प्रश्न आता है तब स्पोर्ट्स कौंसिल को साथ देना पड़ता है। उस कौंसिल के अन्दर हमारे पास 43 स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड कोचिज हैं, कई ऐसे हैं जो ओलम्पिक से होकर आए हैं और टीमों के जो कोच गए थे। वहां गये थे। मेरे कहने का मतलब है कि आज पंजाब को छोड़ कर हिन्दुस्तान में हमारे पास जितने अच्छे कोचिंग हैं दूसरे राज्यों में नहीं हैं तो जब हम इन बच्चों का सिलेक्शन कर लेते हैं तो इन बच्चों को कोचिंग दिलाना आवश्यक हो जाता है। मैं ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता क्योंकि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें बहुत ही टेक्नीकल बात है। दौड़ को लीजिए दौड़ना आप समझते हैं जैसे पुराने समय में हम दौड़ते थे और आज की दौड़ान स्टाइल की कोचिंग में फर्क है। इसी प्रकार हालत जम्प की है। किसी खेल में स्पेशलाइज्ड होना आवश्यक है और उसके बाद निश्चित तौर से खिलाड़ी अच्छा रिकार्ड कायम कर सकता है। उस दृष्टि से हमने तय किया कि हमारी स्पोर्ट्स कौंसिल के पास में जो उनका स्वयं का बजट है उसमें से हमारे बच्चों को भी वे कोचिंग दें। आमतौर पर परम्परा चली आ रही है........

श्री रामकिशन : शिक्षा मंत्री का इतना सारगर्भित भाषण हो रहा है कि देवपुराजी सो रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दौड़ और जम्प राजनीति के विषय है उनको भी सम्मिलित कर लीजिए।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि चूंकि हमें हमारे बच्चों को अच्छी कोचिंग देनी है इसके लिये हमें अच्छे कोचिज की जरूरत होती है। हमारे पास अच्छे कोचेज हैं। चूंकि हमारे पास में अच्छे लड़के हैं जो कि आगे जाकर कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं हमने स्पोर्ट

(श्री खेतसिंह)

कौन्सिल के माध्यम से उन्हें तैयार करने की सोची। इसलिए हमने स्पोर्ट कौन्सिल को इसके लिये रिक्वेस्ट किया। उपाध्यक्ष महोदय, आबू में जो कैम्प लगा वह इसी दृष्टिकोण से लगाया कि उनको जो अच्छे लड़के हैं उन्हें वहां पर कोच किया जा सके। इसके लिये एक कमेटी बनायी हुई है। जिसमें स्पोर्ट्स कौन्सिल का चेअरमैन और डाइरेक्टर भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर हमने जो लोग जैसा गेम्स खेलते थे उन्हें वहां पर कोच करने के लिये भेजा। जैसे कोई बास्केट बाल खेलता है या जिम्नास्टिक करते हैं या और जो गेम्स खेलते हैं उन्हें यहां से चयन करके भेजा ताकि भविष्य में वे आगे जाकर अच्छे रिजल्ट हमारे प्रदेश को दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी हमारे यहां जो नेशनल स्पोर्टस होते हैं उसमें हमारे राजस्थान ने पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि कई आइटम्स में तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिये स्पोर्ट कौन्सिल की मदद लेना आवश्यक हो जाता है कि वह भी हमारे होनहार स्पोर्ट्समैन को अच्छी शिक्षा दें तो वे लोग आगे जाकर अच्छे रिकार्ड कायम कर सकें तथा अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर सकें। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने यह योजना बनायी जिससे कि डिपार्टमेंट का और स्पोर्ट कौन्सिल में अच्छा सामन्जस्य बन जाये ताकि अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा यहां पर दो नाम विशेषतौर से स्पोर्ट कौन्सिल के बारे में लिये गये हैं। एक तो स्पोर्ट कौन्सिल के चेयरमैन और दूसरे श्री मीनी के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, यह मीनी एक अच्छे कोच हैं इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बात मैं सभी सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं। यह मीनी रूस से ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत ही अच्छे कोच हैं इससे ज्यादा कोई नहीं हैं इनके जैसे 43 कोच राजस्थान स्पोर्ट कौन्सिल में और है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर स्पोर्ट कौन्सिल के चेअरमैन के बारे में कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पोर्ट कौन्सिल के चेअरमैन रामजी काक हैं। यह काफी अर्से से राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल के वाइस चेअरमैन रहे और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह आल इन्डिया स्पोर्ट्स कौन्सिल के सदस्य भी है। इतना ही नहीं श्री रामजी काक को जब वर्ल्ड ओलम्पिक जर्मनी में हुए थे तो सिर्फ पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ दो व्यक्तियों को वहां से पास भेजे गये थे जिनमें एक श्री रामजी काक थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि श्री रामजी काक को जो स्पोर्ट कौन्सिल का चेअरमैन बनाया है तो मैं समझता हूं कि वह एक योग्य व्यक्ति हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती। वैसे भाषण देने में आप लोग अपनी अलग अलग राय कायम कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं यह योग्य व्यक्ति हैं। दूसरे मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरी आदत में यह नहीं है कि मैं रामजी काक से किसी कोने में खड़े होकर काना-फूंसी करूं और न ही मैंने कभी उनसे काना-फूंसी कोने में खड़े होकर आज तक की है। मैंने हमेशा से ही खुले में उनसे बात-चीत की है। इनके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि उनकी कोई शिकायत मेरे पास अभी तक नहीं आयी है और इतना

(श्री खेतसिंह)

बतादूं कि अगर कभी कोई शिकायत उनकी आयी तो उनके विरूद्ध जांच करने में कभी भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जरूरी है कि श्री मोहनलाल मीनी के खिलाफ में जरूर मुझे शिकायत प्राप्त हुई है। उसके लिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इतना जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने उनके खिलाफ जांच करवानी शुरू करदी है। इस जांच में अगर उनके खिलाफ में कोई दोष पाया गया तो उनके खिलाफ में जरूर कार्यवाही की जायेगी। इस बारे में कोई माननीय सदस्य भ्रम में नहीं रहे कि उनके खिलाफ अगर कोई बात पायी जायेगी तो कोई एक्शन नहीं लिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में खेल कूद में किस प्रकार से तरक्की हो वह हमें करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो करेक्टर के बारे में यहां पर बात की गयी है उसके लिये यही कहना है कि करेक्टर के बारे में कोई शिकायत नहीं आयी है। और श्री राम जी काक के बारे में तो आज तक कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी है। इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमने हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स की तरक्की किस प्रकार हो उसके लिए एक कमेटी बनायी है उसमें पांच सदस्य हमारे विधान सभा के। वह काफी जवान है। इसके अलावा एक पार्लियामेंट का मेम्बर वह भी उस कमेटी का मेम्बर है। उपाध्यक्ष महोदय बाकी उसमें ऐसे सदस्य भी है जो स्पोर्ट्स के लिए काफी अनुभवी है। उपाध्यक्ष महोदय, इनमें एक श्री कल्याणसिंह है जो कि वर्ल्ड ओलम्पिक में शूटिंग में रिप्रेजेन्ट कर चुके हैं अकेले कोई श्रीरामजी काक ही हो वह बात नहीं है। अब यहां पर यह कहा गया कि वहां पर फाईनेन्सेज में काफी गड़बड़ है तो मेरा निवेदन है कि इन सभी के लिए दूसरे सदस्य भी तो है। पांच पांच सदस्य तो अपने विधान सभा के जवान है। वह सभी बातों को देखते होंगे। अब यह कहा गया कि आबू में जो कैम्प लगा उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। तो इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि जो डिपार्टमेंट अपने खिलाड़ियों पर खर्चा करता है और स्पोर्ट कौंसिल खर्चा करता है उसमें फर्क रहेगा। कारण यह है कि स्कूल्स के तो खुद के गेम्स फील्ड होते हैं, खुद की बिल्डिंग्ज होती है। डाइट भी हलकी देते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट कौन्सिल लोगों को बाहर ले जाकर कोच करती है उसमें अच्छी से अच्छी डाइट दी जाती है। उन्हें वहां पर मकान किराये पर लेना पड़ता है, यहां से काफी लोग जाते हैं स्पोर्ट कौन्सिल के कोचेज जाते हैं, फील्ड का इन्तजाम करना पड़ता है आखिर खर्चा होता ही है। दूसरे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अगर हुआ है तो उसका आडिट होता है वह जांच करती है! यह तो मैं भी मानता हूं कि वेस्ट फुल एक्सपेन्डिचर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर खिलाड़ियों को हम अच्छी डायट नहीं देंगे तो वह कमजोर नहीं रह जायेंगे। वह आगे जाकर कीर्तिमान कैसे हो सकेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि श्री रामजी

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

काफ एक अच्छे हाकी के ग्रौर फुटबाल के खिलाड़ी रह चुके हैं। मैं उन्हें जानता हूं। जब मैं खेलता तो वह मेरे साथ खेलते थे। जब मैं खेलता तो वह मुझे ग्रपने कन्धे पर बैठा कर खेलते थे ग्रौर वे खेलते थे तो मैं उन्हें ग्रपने कन्धे पर बैठाकर खेलता था।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे उनकी उम्र 56 साल की हो गई है फिर भी काफी एक्टिव हैं। इसके ग्रलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं गंगानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ग्रौर हवा महल से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रापने दस लाख का बजट शिक्षा विभाग का स्पोर्ट कौन्सिल को दे दिया। यह बात सही है। शिक्षा विभाग का खर्चा शिक्षा विभाग ही करेगा। इसके बारे में थोड़ा मैं ग्रापको निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं कि जिससे वह ग्रागे जाकर बच्चे ग्रच्छे नाम स्पोर्टस में कर सके इसके लिये हमने प्रदेश में कई स्कूल्स कायम करने का विचार किया है जहां पर ग्रच्छे ग्रच्छे खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ खेलकूद का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इसमें हमने बीकानेर की सादुंल पब्लिक स्कूल उसका चयन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कूल में ग्रच्छे लड़कों के रहने का स्थान है, पहले भी इस स्कूल की काफी ख्याति रह चुकी है। वहां पर हम सौ लड़कों को ट्रेन्ड करेंगे जो कि ग्रच्छे स्टेट लेवल के खिलाड़ी हों। उपाध्यक्ष महोदय, हम उन बच्चों को सौ रुपया महीना स्कोलरशिप भी देंगे। इस प्रकार ग्रौर भी पूरे राजस्थान में स्कूलें खोलेंगे। इस प्रकार की स्कूलें उपाध्यक्ष महोदय, हरियाना ग्रौर पंजाब में है। हमने इसके लिए श्री मीनी को वहां पर भेजा यह दरयाफ्त करने के लिये कि वहां पर किस प्रकार से कार्य चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने दस लाख रुपये इस बात के लिए रखे हैं।

दूसरी बात यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज बड़े-बड़े शहरों में बच्चों के खेलने के लिये मैदान नहीं होने के कारण आज बच्चे स्कूलों में खेल खेल नहीं सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे कि स्कूल के पास खुद का खेल का मैदान नहीं हैं वहां पर उस स्कूल के लिये हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उस स्कूल के बच्चे सुबह उस दूसरी स्कूल के मैदान पर जाकर खेल सकते हैं ग्रौर शाम को जिस स्कूल का मैदान हैं उसके बच्चे वहां जाकर खेलें। उपाध्यक्ष महोदय, हमने क्रीड़ा संगम कायम किये हैं। यह इस प्रकार के हो हैं। इसमें शिफ्ट सिस्टम चालू कर दिया ताकि बच्चों को खेल खेलने की सुविधा मिल सके। इसके ग्रलावा उपाध्यक्ष महोदय, कई स्कूलों में मैदान नहीं होने की वजह से या ग्रौर किसी कारणों से खेल खेलने के इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे भी बच्चे खेल नहीं खेल सकते हैं। इसके लिये हमने ऐसी व्यवस्था की है कि इन स्कूलों के लिये करीब ढाई लाख रुपये के खेलने के इक्विपमेंट हमने टेन्डरस सिस्टम से खरीदने की योजना बनायी है ग्रौर बाद में उसे स्कूल्स में वितरण कर दिया जायेगा जिससे कि बच्चों को खेलने की सुविधा मिले। हमने यह भी तय किया है कि जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा ग्राठवीं तक स्कूलों के खेल कूद की प्रतियोगितायें हम जिला स्तर तक करते हैं ग्रौर उसको ग्रब राज्य

(श्री खेतसिंह)

सरकार तक करेंगे । उनका चयन हो जायगा जो अच्छे खिलाड़ी हैं । उनका आगे जाकर कोचिंग हो सकता है और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, जो बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई अच्छा कूदने वाला है उसका फरदर कोचिंग होने पर वह अच्छा प्लेयर साबित हो जायगा ।

दस लाख रुपया हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं यह मैंने आपको बताया ।

कुछ जिलों में हम कुछ स्कूलों का भी चयन करेंगे । हर जिले का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है । और वहां की अपनी स्पेशियेलिटी होती है । जैसे भरतपुर जिला है । वहां पर आपको रेसलिंग में अच्छे बच्चे मिलेंगे । गंगानगर, उदयपुर और दूसरी जगहों से चयनित बच्चों को हम भरतपुर भेजेंगे कोचिंग के लिये, जिनको हम स्कोलरशिप देंगे क्योंकि भरतपुर आमतौर पर रेसलिंग में प्रसिद्ध है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाथद्वारा और कांकरोली भी परम्परा से प्रसिद्ध है रेसलिंग में ।

श्री खेतसिंह : नाथद्वारा और कांकरोली तो महाप्रसाद खाने में प्रसिद्ध है ।

श्री मनोहर कोठारी : रेसलिंग में नाथद्वारा और कांकरोली का कोई मुकाबला नहीं है, श्रीमान्, आपको यह मालूम होना चाहिये ।

श्री खेतसिंह : हो सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां का प्रसाद खा कर प्रचण्ड रेशलर्स पैदा हुए हैं ।

श्री केशरीमल : ब्यावर की बच्चियों ने हाकी में भारतवर्ष में नाम कमाया है । आप उनके कोचिंग की व्यवस्था कीजिये ।

श्री खेतसिंह : इस प्रकार से हम कुछ स्कूलों का चयन कर रहे हैं । गंगानगर में भी कुछ स्कूल चयन करेंगे । हॉकी, फुटबाल, जिमनास्टिक इन सब में अच्छे से अच्छे बच्चों का चयन करके उनके कोचिंग की व्यवस्था करेंगे ताकि राजस्थान के नाम को वे रोशन कर सकें ।

श्री केदारनाथ : मेरा क्वेश्चन था कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स कौंसिल को एक क्यों नहीं कर देते हैं । एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बना दीजिये ।

सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग कमेटी और पी. टी. ओ. के लिए अलग से कमेटी बना दीजिये । कोऑर्डिनेशन कमेटी हो उसका चेयरमैन अलग से हो और सिलेक्शन, पी. टी. आइ. और मोडर्न ट्रेनिंग ये तीनों ही काम उनको सौंप दीजिये ।

श्री खेतसिंह : आखिर में यही कह कर कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने तीनों सुझाव दिये हैं उन पर आगे और विचार करके उस ओर प्रयत्न करूंगा जिससे इनमें ऐसा सामन्जस्य पैदा हो और आपसी टकराव दूर हो और खेल-कूद में राजस्थान एक नाम हांसिल कर सके इस दृष्टि से काम किया जायगा :

श्री गुमानमल लोढा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आल इन्डिया फेज्ड प्रोग्राम डाइरेक्टर हायर सेकेण्डरी और प्राइमरी स्कूलों के बनाये उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप जबाब चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह जानना चाहता था कि स्कूल और कालेजों के अन्तर्गत जो व्यायामशाला चलती है जिसमें कुश्तियां होती हैं, क्या उन व्यायामशालाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता कि जो गांवों और कस्बों में चलती हैं और इनको प्रोत्साहन देने के लिए जैसे भारत केशरी आदि के दंगल दूसरी जगह चला करते हैं वैसे ही दंगल राजस्थान में आयोजित करने की कोई व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वर्तमान में जो व्यवस्था है ..

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माध्यमिक स्तर तक तो आप उचित ट्रेनिंग दिलायें और उसके बाद स्पोर्ट्स कौंसिल दे तो उचित होगा।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यों तो काल अटेन्शन मोशन में रिप्लाई के बाद प्रश्न शुरू किये जावेंगे तो यह सम्भव नहीं होगा।

तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो आप यह चाहते हैं कि ग्रामीण यूथ को ही क्यों नहीं पकडते और उनको और शहरी पढे लिखे यूथ को अलग रखा जाय। मुल्क में ही नहीं किन्तु विश्व में भी 90 प्रतिशत अच्छे पढ़े लिखे लड़के खेलकूद में अच्छे निकलते हैं, अनपढ़ नहीं निकल सकते हैं। जो अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा और इसका बेस स्कूल एजूकेशन को ही रखना पड़ेगा।

आपने कहा कि व्यायामशालाओं को प्रोत्साहन दें। स्पोर्ट्स कौंसिल इसमें मदद किया करती है। जो भी अच्छी व्यायामशाला है, चाहे शहरों में हो या कहीं दूर गांवों में बसी हो वे भली प्रकार से हमारी नजर में आया करती हैं और उनको स्पोर्ट्स कौंसिल मदद भी दिया करती है। कोचिंग भी करती है। अच्छे साबित होने पर नेशनल लेवल पर भेजने की कोशिश करते हैं।

तीसरा प्रश्न सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि डायरेक्टर यह चाहते हैं कि हमारा कोचिंग अलग होना चाहिये और स्पोर्ट्स कौंसिल का अलग होना चाहिए। मन्शा यह है और यह चाहते है कि स्पोर्टस कौंसिल और डिपार्टमेन्ट दोनों का बजट एजुकेशन डिपार्टमेन्ट से जाता है, उसका सही उपयोग हो। उसका सदुपयोग हो। सही ट्रेनिंग बच्चों को मिलनी चाहिए। पी. टी. आई. इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा जिमनास्टिक में अच्छा है वह फुटबाल में नहीं हो सकता, जो फुटबाल में अच्छा है वह हॉकी में अच्छा हो यह जरूरी नहीं है। बास्केट बाल का कोई खिलाड़ी है तो वह दूसरे खेल में होशियार हो और एक्स्पर्ट हो यह संभव नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र का खिलाड़ी उनको कोचिंग देकर उस क्षेत्र में अच्छे खिलाड़ी बनायेंगे इसमें यही भावना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैने यह नहीं कहा है। नेशनल कौंसिल को भंग करके जो 45 एक्सपर्ट हैं उनको डाइरेक्टर के नीचे कर दीजिये और उनको डिजाइन कर दीजिए स्पोर्ट्स कौंसिल के नीचे। कन्सन्ट्रेशन की जो मोनोपोली है उसको खत्म कर दीजिये

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और फाइव इयर फेज्ड प्रोग्राम के तहत डायरेक्टर हायर सैकेण्डरी और प्राइमरी स्कूल्स भी बनायें, उनके नीचे पी. टी. आई. कार्य करेंगे और प्रोग्राम को चलायेंगे। पर्टीकूलर संस्थाओं को चुने यह पूंजीवादी तरीका है। ग्राम गांवों में भी अच्छे स्पोर्ट्स मैन डेवलप हो सकते हैं।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

यह आपका सामन्तवादी तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। बैठिये आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर आप ठीक ढंग से काम करेंगे तो क्वालिटी में भी और क्वान्टिटी में भी आपको लोग मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री केदारनाथ : आन दी पोइन्ट आफ ब्रीच आफ ट्रस्ट। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा-मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था यह वायदा किया था कि दस साल में जिसने नेशन को इस क्षेत्र में रिप्रेजेन्ट किया है वहां स्पोर्ट्स स्कूल खोली जावेंगी। गंगानगर में यह हुआ है। आप अपनी घोषणा को या तो बदलें या फिर उसके अनुसार करें। जिसका अच्छा अचीवमेन्ट हो।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कमेटी में कौन कौन हो उनके नाम भी बतला दीजिये।

विधायी कार्य

राजस्थान होमियो पैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 परिनियत संकल्प।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर विचार

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 19 सन् 1974) को अस्वीकार करता हूं। राजस्थान होमियोपैथी की चिकित्सा के प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो आर्डिनेन्स निकाला गया है इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है कि 6 मास से बोर्ड का कार्यालय है, परन्तु उसका अस्तित्व नहीं है।

यह होमियोपैथी सबसे सस्ता इलाज है। इतना सस्ता होने पर भी राज्य सरकार इसकी चिकित्सा के बिल स्वीकार नहीं करती अपने कर्मचारियों के। आयुर्वेद और एलोपैथी चिकित्सा के बिलों की तरह। इस दृष्टि से जितनी मान्यता इस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को राजस्थान में मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिली। जो संशोधन यहां लाये भी गये हैं वे अधूरे हैं इनसे राजस्थान में होम्योपैथी का विकास होगा, यह मैं नहीं मानता।

(गण पूरक सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : यस।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राजस्थान ने केवल भारत सरकार के 73 के अधिनियम को मान्यता दी है। राजस्थान में जो इस होम्योपैथी की शिक्षा देनी वाली संस्थाएं हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और उनसे जो स्नातक निकलते हैं उनको रिकग्नाइज करना चाहिये। जयपुर में कई शिक्षण संस्थाएं हैं जो होम्योपैथी विशारद, 1971, राजस्थान होम्यो भिषग् अपट्र 71, होम्यो भिषगाचार्य अपट्र 71 और डी. एच. एम. एस. अपट्र 71, इस प्रकार चार डिग्रियां अपने स्नातकों को देती हैं। इनको मान्यता नहीं देना उचित नहीं होगा। और यह अध्यादेश भी अधूरा ही रहेगा। इसलिए मेरा आग्रहपूर्वक आपसे अनुरोध है कि आप इन डिग्रियों को लेकर निकलने वाले स्नातकों को रिकग्नाइज करें।

दूसरा निवेदन है कि बोर्ड के गठन के बारे में भी इसमें एक संशोधन लाया गया है आर्डिनेन्स की मार्फत। बोर्ड में 11 व्यक्ति होंगे। इसमें से जहां 6 इस चिकित्सा पद्धति के शैक्षणिक योग्यता रखने वाले डाक्टरों को रखने की बात थी, वहां आपने चार ही को रखा है। इससे जहां पहले उनका बहुमत हो सकता था और जो सुचारु कार्य संचालन के लिये आवश्यक था, वह बहुमत अब इन शिक्षित प्रशिक्षित लोगों का नहीं रह जावेगा तो धांधलीबाजी चलेगी अव्यवस्था रहेगी, टेक्निकल आदमियों को उपयुक्त अवसर नहीं मिलेगा। इस तरह से बोर्ड का गठन डिफेक्टिव हो जावेगा।

इसी प्रकार संशोधन नम्बर 5 लाया गया है जिसके द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन फीस को जब्त करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जो देते हैं वह आप जब्त कर लेंगे और आवेदन की फीस अलग है। आप आवेदन की फीस जब्त कर लें, यह तो बात समझ में आ सकती है, पर रजिस्ट्रेशन फीस ही जब्त कर लें यह अन्याय होगा, अनुचित होगा। रजिस्ट्रेशन जब हुआ ही नहीं तो जब्त करने का प्रश्न कहां आता है। इससे अगर आपकी नीयत यह हो कि इस तरह से 20 हजार रुपया के लगभग जो आया हुआ है वह आप हजम कर जावें तो यह लोगों के प्रति घोर अन्याय होगा।

इसके अलावा अध्यादेश की धारा 6 में निवेदन करूंगा कि जो लाइसेन्स लेना चाहता है तो लाइसेन्स लेते वक्त और रिन्युअल के वक्त जांच की जावेगी। जांच क्या करेंगे ? यह कि वह होम्योपैथी का काम कर रहा था कि नहीं, या आज भी वह इस काम में लगा हुआ है कि नहीं। यदि आज राजस्थान सरकार यह जांच करे कि होम्योपैथी में उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं।

(कोरम की घंटी)

श्री गौरीशंकर मुनीम: कोरम नहीं है।

(गणपूरक सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : यस।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसमें 70 प्रतिशत लोग ऐसे मिलेंगे जो होमियोपेथ का काम नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा इस साल लाइसेन्स देते वक्त इस वर्ष होमियोपैथ का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह जानकारी कर लें, बिना जानकारी के काम नहीं चलेगा। जहां चिकित्सा का प्रमाण-पत्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

देने वाली बात है, जहां जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट देने वाली बात है, कोर्ट में उनकी एवीडेन्स दी जा सकेगी। इस प्रकार मैं समझता हूं जो एम. बी. बी. एस. है उनके समकक्ष करने जा रहे हैं पहले अच्छी तरह विचार कर लें। पिछले लोग जो होमियोपैथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह राज्य सरकार को जानकारी करनी चाहिये।

हाईकोर्ट का एक फैसला भी हुआ है। होमियोपैथ डाक्टर ने किसी मरीज के गलत इन्जेक्शन लगा दिया और वह मर गया तो मैं समझता हूं हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद विचार करना चाहिये। जिन चहेते लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया उन्होंने अपना करा लिया अपनी पत्नी को बना लिया, किसी न किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन हो गया। कई मंत्री लोग जो पहले होमियोपैथ के या चिकित्सा के मंत्री रहे हैं चूंकि उनका मानना यह रहा है हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं, हम विधान सभा में उत्तर देते हैं तो केवल बोलने के आधार पर होमियोपैथ का रजिस्ट्रेशन करा लिया। जिन्होंने कभी मीठी गोली खाई नहीं होगी, कभी होमियोपैथी की दवा की शीशी को देखी नहीं होगी होमियोपैथी का सेवन पढ़ा नहीं, ऐसे लोग जिन्होंने होमियोपैथी का सर्टिफिकेट ले लिया, जिनकी अन्य प्रकार की दुकान चल रही है, किसी की साइकिल की दुकान चल रही है, किसी की कुछ चल रही है या फिर कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है। मैं समझता हूं राज्य सरकार को जिन लोगों ने अवैध प्रकार से सर्टिफिकेट ले रखा है, उनकी जांच होना आवश्यक है।

इसी प्रकार अध्यादेश सं. 19 राज्य सरकार की गलती के कारण बोर्ड पहले बनना, प्रशासक बनाना और प्रशासक का कार्यालय समाप्त हो गया, प्रशासक 6 महीने हो गये है नहीं और फिर एक साल तक राज्य सरकार प्रशासक को और बिठा सकती है। 6 महीने हो गये पर बोर्ड तो है पर बोर्ड में कोई नहीं, चेयरमेन नहीं बोर्ड नाम की चीज है, पर बोर्ड में कोई अधिकारी नहीं है, आज बोर्ड बिना अध्यक्ष के, बिना प्रशासक के बना हुआ है। राज्य सरकार अपनी भूल छिपाने के लिये एक साल का एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है अब राज्य सरकार उसको दो वर्ष करना चाहती है। राज्य सरकार भूल का सुधार कर रही है और सुधार करके नया बोर्ड बना रही है। एक वर्ष से दो वर्ष का कार्यकाल बढ़ाना माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं अच्छा नहीं होगा, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा इन सारी खामियों पर राज्य सरकार ने कभी भी विचार नहीं किया। राज्य सरकार मामूली संशोधन लाकर बोर्ड का नये रूप से गठन करें यह उचित नहीं लगता है। और होमियोपैथ में अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष को नोमीनेट करने का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के हाथ में है वह इनको दे देंगे तो हारा हुआ एम. एल. ए. या और कोई चहेता व्यक्ति मिल जायगा जो होमियोपैथ जानता नहीं होगा। उसको होमियोपैथ का अध्यक्ष बना देंगे। जो व्यक्ति ए बी सी डी नहीं जानता है उसको राज्य सरकार का अध्यक्ष बनाने का विचार है तो आखिरकार वह भी यहां बता दें।

(श्री गिरधारीलालभार्गव)

राजस्थान के कौनसे एम. एल. ए. को बिठा रहे हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: कुर्सी काम सिखा देती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: तो इसी प्रकार पैसे को लेने वाली बात यहां पर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बोर्ड का अस्तित्व है नहीं। राज्य सरकार ने जो पिछला एक्ट बना था इसलिये यही निवेदन है यह आर्डिनेन्स जो सरकार लाई है और मामूली संशोधन से लाई है उसमें पूरा सन्देह है कि बोर्ड की माकूल व्यवस्था हो जायगी। इस मामूली संशोधन को लाकर व्यवस्था कर देंगे, मेरी धारणा है राज्य सरकार कन्सोलिडेट जो कमी है माननीय मंत्री महोदय को बताई है उसको दूर नहीं करेंगे तो निश्चितरूप से आज जो हालत है उससे खराब होगी। इसलिये राज्य सरकार से निवेदन है इस छोटे संशोधन को नहीं, बड़े संशोधन के साथ लावें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री चिकित्सा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं अनेक कारणों से खण्डन करती हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस संशोधन विधेयक को लाने का मुख्यतौर पर दो-तीन उद्देश्य हैं और पहला उद्देश्य तो यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो सुझाव इस राज्य सरकार को बोर्ड के लिये दिए गए थे उन सुझावों को जबतक हम समाविष्ट नहीं कर लेते थे तब तक नया चुनाव कराने में दिक्कत होती थी और उसमें मूलरूप से यह सुझाव कि जो क्वालिफाइड लोग हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजनटेशन मिलना चाहिये, क्योंकि जो बोर्ड का गठन था उसमें क्वालिफाइड लोगों को रिप्रजन्टेशन मिला हुआ नहीं है।

दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ था उसका कार्य काल एक साल का था और उसके कार्यकाल में पूरी चेष्टा करने पर भारत सरकार द्वारा जो निर्दिष्ट सुझाव थे उसको नहीं ला सके। जिस अध्यादेश के जरिये या बिल के जरिये इसको समाविष्ट करना जरूरी था और चूंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका था इसलिये कार्यकाल को बढ़ाने के लिये यह सुझाव समाविष्ट हो सके। और इस प्रकार का अध्यादेश और बिल इस सदन में देखें।

तीसरा कारण जो अध्यादेश लाने का है जो एक्सपीरियन्सड होमियोपैथ हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिये एप्लीकेशन दी है उनका रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं हुआ कि किसी कोर्ट से इन्जेक्शन जारी हो गया इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका और करीब 300 एप्लीकेशन रह गई। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उनको मौका नहीं मिलता है इसलिये जरूरी था चुनाव हो तो उससे पहले जितने संशोधन हैं वे समाविष्ट किये जायं इसलिए जरूरी था कि इस प्रकार का अध्यादेश पेश किया जाय।

जहां तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है जो संस्थाएं है, उनको मान्यतायें प्रदान नहीं की जा रही हैं। उसके लिए सरकार प्रिलिमिनरी कार्यवाही कर रही

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

है और उसके बाद उन संस्थाओं की जो उन नियमों को फुलफिल करेंगी उनको बोर्ड के द्वारा मान्यता प्रदान की जाय । जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात की है अभी हमारे देश में जो एक्सपीरियन्स होमियोपैथ हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो क्वालिफाइड होमियोपैथ है उनकी संख्या बहुत कम है लेकिन पहले के मुकाबले जहां एक भी बोर्ड में रिप्रजनटेशन नहीं है जो 50 के करीब क्वालिफाइड है, जो रजिस्ट्रेशन अब होंगे, वर्तमान में चार को रिप्रजनटेशन दिया है इसलिए मैं समझती हूं उनके मुकाबले इस रिप्रजन्टेशन को बढ़ाया गया है और आगे आने वाले क्वालिफाइड होमियोपैथ का रिप्रजनटेशन सिस्टेमेटाईज करके कोर्स बना सकेंगे और रिकगनाइज कालेज तैयार कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को तैयार कर सकेंगे और उसमें ज्यादा रिप्रजनटेशन देने की कोशिश करेंगे लेकिन आज की स्थिति में मैं समझती हूं काफी है ।

रजिस्ट्रेशन जब्त किये जाने के बारे में कहा गया है उसका मूल रूप से आधार है अन्य राज्यों में भी जितने बोर्ड हैं उनकी यह पद्धति कायम की हुई है क्योंकि मेम्बर्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिये जो कॉरस्पोन्डेन्स करनी पड़ती है, जो खर्चा करना पड़ता है, उनको ध्यान में रखते हुये जिस प्रकार और राज्यों ने प्रावधान किया है उसी प्रकार का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है ।

एडमिनिस्ट्रेटर का दो साल का कार्यकाल बढ़ाया वह हमेशा हमेशा के लिये नहीं बढ़ाया है । जब कभी इस प्रकार की स्थिति हो तो दो साल का बढ़ाना चाहते हैं, यही इसके पीछे मंशा है । अब चूंकि एक साल से 6 महीने ज्यादा खतम हो चुके हैं और नोटिस से चुनाव कराया जाना जरूरी है इसलिये दो साल की अवधि नहीं बढ़ाते हैं तो चुनाव की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है । इस कारण से कार्यकाल को बढ़ाया गया है और चुनाव प्रोसेस पूरा नहीं हो सके तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है और जो व्यवस्था में गड़बड़ी है, प्रशासनिक दिक्कतें हैं वे वैसी की वैसी ही बनी रह जाती है । इसलिये वर्तमान में दो साल का कार्यकाल बढ़ाया जाना आवश्यक है । इसी दृष्टिकोण से इसको बढ़ाया है ।

जहां तक आपने यह आशंका व्यक्त की कि अध्यक्ष हम ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं इसलिए हमने उपाध्यक्ष के लिए यह संशोधन पेश किया है लेकिन जैसा कि संशोधन की भाषा से ही आपको स्पष्ट दिखेगा 'परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित बोर्ड का अध्यक्ष मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाला रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ नहीं है तो उपाध्यक्ष बोर्ड के उन सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा जो रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ हो तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता रखते हों ।' अर्थात् सरकार क्वालीफाइड होमियोपैथ को भी अध्यक्ष बना सकती है इस पर सरकार ने कोई पाबन्दी नहीं लगाई है और बनाया जा सकता है लेकिन किसी सूरत में ऐसा हो तो हम प्रावधान यह करना चाहते हैं कम से कम उपाध्यक्ष तो इस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए जो कि रिकगनाइज्ड और सर्टीफाइड इन्सटीट्यूशन से हों । तो जो आपने शंकायें प्रकट की हैं मैं समझती हूं कि वह कोई आधार पर नहीं है

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

और निर्मूल हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसको अस्वीकार किया जाये और इस बिल को आगे विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(संकल्प वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने हेतु प्रस्ताव—श्री गिरधारीलाल भार्गव

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने और प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यों तो मंत्री जी ने जो मैंने ठोस बातें रखी थीं उन्होंने मेरी सारी बातों की आपत्तियों को निराधार कह कर अस्वीकार कर दिया पर मैं समझता हूं कि अभी मेरी सारी बातों में प्रमाणिकता है। मैं समझता हूं कि खुले दिल से उनको स्वीकार करना चाहिए। धारा 2 (स) जिसमें होमियोपैथी की परिभाषा दी गयी है होमियोपैथी के साथ डाक्टर सुसलर द्वारा प्रतिपादित बायो-केमिस्ट्री को भी होमियोपैथ चिकित्सक माना है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से यह दोनों पद्धतियां डाक्टर सुसलर वाली और होमियोपैथी वाली अलग अलग हैं। डाक्टर सुसलर ने स्वयं माना है कि मेरी पद्धति होमियोपैथी पद्धति नहीं है। तीसरी बात बायो-केमिस्ट्री में केवल 12 दवाइयां होती हैं और होमियोपैथी में बहुत होती हैं। यदि हम दोनों को एक ही तुलना में मान लें तो मैं समझता हूं कि 12 दवाइयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 दिन पर्याप्त हैं। फिर होमियोपैथी का कोर्स करने के लिए पांच, दस वर्ष का समय क्यों कोई लगाएगा। यह होमियोपैथी की चिकित्सा के साथ इस प्रकार की परिभाषा रखना इस होमियोपैथी के साथ घोर अन्याय है। इसके अलावा बायो-केमिस्ट्री का कोई सिलेबस नहीं है जबकि होमियोपैथी में बाकायदा सिलेबस है और पाठ्यक्रम है। बायो-केमिस्ट्री केवल शरीर पर काम आती है जबकि होमियोपैथी शरीर और मन दोनों पर आती है। बड़ा अन्तर है। बायो-केमी का कोई वैज्ञानिक और सैद्धांतिक आधार नहीं है जबकि होमियोपैथी चिकित्सा का सैद्धांतिक, व्यवहारिक और मौलिक आधार है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 2 (स) में जो होमियोपैथी की परिभाषा दी है वह ही गलत है। दोनों पद्धतियों को होमियोपैथी को और बायो-केमी को मिलाया है जो कि गलत है। दूसरे इसको मिलाने का परिणाम यह निकलेगा कि होमियोपैथी अपना महत्व खो देगी। होमियोपैथी की शिक्षा और होमियोपैथी का विकास रुक जायेगा फिर तो लोग कहेंगे राज्य सरकार डिग्री दे रही है 12 दवाइयों के नाम घोट लो और सर्टीफिकेट प्राप्त करलो और फिर उसके बाद उनको सहूलियतें हो जायेंगी मृत्यु का प्रमाण देने की और कोर्ट में एवीडेन्स देने की। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि होमियोपैथी के ऊपर अन्याय होगा।

फिर राज्य सरकार ने 2 (द) में इसको मूल व्यवसाय नहीं माना है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की यह नीयत

(2.55 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

है कि होमियोपैथी को लोग हाबी के आधार पर सीखते हैं। तो मैं समझता हूं कि हाबी के नाते राज्य सरकार को फिर होमियोपैथी बिल बनाने की क्या जरूरत है? हाबी है तो हाबी से काम करते रहिये। मैं समझता हूं कि इसके लिए कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि धारा 4 में बोर्ड के गठन के बारे में कहा गया है और बोर्ड के गठन के बारे में यह कहा गया है कि बोर्ड में कितने लोग होंगे। 11 सदस्य बोर्ड में होंगे। 4 व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे जिनमें से कम से कम दो ऐसे रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ होंगे कि उनमें से एक मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाला हो। मैं समझता हूं कि इसमें से राज्य सरकार चार करेगी और चार में से कम से कम दो ऐसे रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ होंगे जिनको मान्यता प्राप्त होगी। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार 4 को नामीनेट करने जा रही है। 4 में से 2 तो बिलकुल अयोग्य होंगे राज्य सरकार की मान्यता के आधार पर जो इसमें दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर राज्य सरकार को यह बात नहीं रख कर राज्य सरकार को दो ऐसे व्यक्ति जो कि मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाले हों तो दो व्यक्तियों का ही नामीनेशन करना चाहिए। यह बात भारत सरकार ने भी जो कानून है उसमें भी लिखी है। उसमें लिखा है:

"(a) Four persons to be nominated by the State Government, of whom at least two shall be institutionally qualified teacher and registered homeopaths."

याने यह मैंने नहीं लिखा है।

"(b) An institutionally qualified teacher to be elected by the teachers of recognised homeopathic institutions in the State of Rajasthan from amongst themselves.

(c) Six persons to be elected by the registered home-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

opaths of the State from amongst themelves. 50% of whom shall be institutionally qualified and registered."

तो जब भारत सरकार की रिपोर्ट है और जब भारत सरकार ने दो आदमियों को ऐसे को माना है कि जिसको शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार दो आदमियों में से एक आदमी को ऐसे को नियुक्त करेगी और दूसरी बात यह कहना कि इनमें से एक व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त हो वह होगा। इसमें आपत्ति नहीं है। 11 के बोर्ड में से। लेकिन मान्यता प्राप्त चिकित्सक होगा। एक व्यक्ति चुनकर आया वह और इसके बाद 6 व्यक्ति राज्य के रजिस्टर्ड होमियोपैथ में से चुने जायेंगे। इसमें लिखा है 6 व्यक्ति राज्य के रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ द्वारा उन्हीं में से चुने जायेंगे जिनमें से दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखते हों। मेरा यही निवेदन करना है कि 2 के बजाय यदि राज्य सरकार 3 की व्यवस्था कर दे तो मेरा अर्थ यह है कि फिर 11 आदमी का होगा। 11 में से 4 शैक्षणिक योग्यता के हों और बाकी 7 और हों। इसका मतलब 7 लोग जिनको कि शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं होगी और उनके हाथों में बोर्ड काबू में रहे तो योग्य व्यक्तियों को रखने का क्या औचित्य रहा इसमें मेरी प्रार्थना करना यह है कि भारत सरकार ने इस प्रकार की सलाह दी है तो शिक्षित लोगों के हाथों में बोर्ड का संचालन होना चाहिए और वह तभी होगा जब पांच और एक छः ये होंगे और दूसरे लोग कम होंगे। छः और पांच दूसरे लोग। छः आदमी शैक्षणिक योग्यता वाले होने चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इसमें छः व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता वाले और पांच दूसरे रखने चाहिएं।

इसके बाद धारा 30 (2) है जिसमें रजिस्ट्रीकरण करने का अधिकार है। कुछ ऐसे ही किसी एम. एल. ए., एम. पी. या गजेटेड आफिसर के पास चले जायं और कह दें कि मुझे प्रमाण-पत्र दे दो, मैं तीन साल से होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहा हूं। माननीय सभापतिजी, आपके पास भी कोई ऐसा सर्टीफिकेट लेने के लिए आ गया, आपके क्षेत्र का आदमी हैं, आपको मालूम नहीं कि इसने होम्योपैथिक चिकित्सा की है या नहीं लेकिन चूंकि वह आपका मतदाता है, अपना क्या जाता है और आपने उसको एक सर्टीफिकेट दे दिया। इसी प्रकार से किसी भी एम. एल. ए. ने सर्टीफिकेट दे दिया जिन्होंने कभी होम्योपैथी चिकित्सा की शकल देखी नहीं, कोर्स कभी पढा नहीं, दवाई किसी प्रकार की होम्योपैथी की ली नहीं, होम्योपैथिक दवा किस प्रकार दी जानी चाहिए इसकी जानकारी नहीं और जैसा मैंने निवेदन किया कि होम्योपैथी में शरीर ही नहीं, मन टटोला जाता है कि कहो भाई तुम्हारी उस समय कैसी हालत थी, किस प्रकार का अनुभव तुम्हें होता है, कैसा तुम महसूस करते हो, यह एक फिलोसोफी है, इस मेथड को फिलोसोफी कहते हैं, उस फिलोसोफी के आधार पर, उस चिंतन के आधार पर इलाज किया जाता है। यह नहीं है कि कोई भी बीमारी हो और आया और झट गोली दे दी। चार पैसे की गोली और यह आइडिया ही नहीं कि इसका असर क्या

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

होगा। जब आप डाक्टर्स को मान्यता दे रहे हैं, होम्योपैथी को मान्यता दे रहे हैं, जीवन मरण का सर्टीफिकेट देने की बात करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि धारा 30 (2) में रजिस्ट्रीकरण के मुद्दे पर भी विचार करना पड़ेगा। और फिर तीन ही वर्ष का क्यों। जब आयुर्वेद में, एलोपैथी में दस वर्ष का अनुभव माना है तो मैं समझता हूं कि केवल यहां पर तीन वर्ष का अनुभव मानना और भी एक एम. एल. ए. एम, पी. के सर्टीफिकेट आधार पर उसका अगर 30 (2) में रजिस्ट्रीकरण कर दिया जावे तो मैं समझता हूं कि होम्योपैथी के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा।

अब यहां पर जो परिभाषा है, इस परिभाषा में मेरा निवेदन है कि अस्सी फी सदी बोगस रजिस्ट्रेशन हुआ है जिनमें से मैं समझता हूं कि ऐसे लोग हैं कई लोग जो वास्तव में कुछ भी नहीं जानते। न उन्होंने इलाज किया, न सभापति महोदय, कभी होम्योपैथिक इलाज कराया, न किया और न कराया। तो भी डाक्टर हैं, काहे के होम्योपैथि के। मैं यह निवेदन करूं कि प्रमाण-पत्र देने में अधिकारियों ने क्या किया है उसके बारे में मैं यहां पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। जो आदमी होम्योपैथिक चिकित्सक का रजिस्ट्रीकरण कराने आता है उसके फार्म में कहीं पर यह कालम ही नहीं है कि उसको कितने साल का होम्योपैथिक चिकित्सा का अनुभव है, यह उसमें कालम ही नहीं है। उसके हाथ से यह भरा जाय कि उसको इतने साल का अनुभव है, इसका कोई कालम ही नहीं है, इससे बड़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है। प्रमाणित करने वाला तो सर्टीफिकेट देगा कि इसको तीन साल का अनुभव है लेकिन खुद जो रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है उसके लिये बोर्ड के फार्म के अन्दर कहीं पर कोई कालम ही नहीं है, फिर होम्योपैथी का यह बिल लाने से राज्य सरकार को फायदा क्या है। क्यों सभापति महोदय, सदन का समय खराब कर रहे हैं।

इसी प्रकार मैं निवेदन करूं कि आज यह हालत है इसके बाद यहां यह निवेदन करूं कि दस साल का हो जाय उसकी जगह तीन साल हो गया। तीन साल अपनी रजिस्ट्री करा ली और तीन साल उसके बाद के हो गए, छः साल हो गए और अब बचे चार साल। रजिस्ट्रीकरण करने का तीन साल और तीन साल हो गया रजिस्टर में एन्ट्री के बाद और बाकी रह गए चार साल। कुल मिला कर दस साल रख दीजिए, चार साल उसको और सेवा करने दीजिये। चार साल बाद आप उसको प्रमाण-पत्र दे दें। जिस प्रकार कि आयुर्वेद में एलोपैथी में दस वर्ष का अनुभव होना जरूरी है मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार होम्योपैथी में दस वर्ष का अनुभव कर दीजिए और एम. एल. ए, एम. पी. के सर्टीफिकेट के आधार पर नहीं करके इस चिकित्सा पद्धति के ज्ञान के आधार पर होना चाहिए वरना मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जबरदस्ती बिल लाकर पास करा लेना कोई मायने नहीं रखता।

इसके बाद निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 45, 46 और 47, जो रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक वैद्यों को सुविधायें प्राप्त हैं, अब क्या होगा कि क्लास वन एम. बी. बी. एस. जो डाक्टर हैं उनके बराबर जन्म मरण के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्रमाण-पत्र देंगे। अदालत के अन्दर साक्षी बन कर जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि कई लोगों के झूठे सर्टीफिकेट हैं, कई लोगों के बोगस सर्टीफिकेट हैं ऐसे लोगों को यानि आपने मान्यता प्रदान कर दी जिनका मूल धन्धा नहीं, दफ्तर में काम करेंगे या दुकान करेंगे फिर चाहे वह पानी की दुकान हो, साईकिल की दुकान को, परचून की दुकान करें या वकालत की दुकान करें, और भी कोई काम करते रहें उनको आप होम्योपैथी का सर्टीफिकेट उनके हाथ में दे देंगे। मेरा निवेदन है कि जन्म मरण का सर्टीफिकेट देने का अधिकार दे रहे हैं, कोर्ट में प्रोड्यूज होने वाला सर्टीफिकेट देने का अधिकार देने जा रहे हैं। डाक्टरों के बराबर उनको अधिकार देने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि तीन वर्ष के बजाय यदि दस वर्ष की शैक्षणिक योग्यता होना इस प्रकार की बात यदि रख दी जाय तो मैं समझता हूं कि इस बिल के प्रति न्याय होगा। यह मैं इसलिए कहने जा रहा हूं कि आपने फिर यह व्यवस्था की है धारा 63 (2) में जो धर्मार्थ में गोली दे. पैसा नहीं ले. दस पैसा ले ले, दस पैसे में दे दे या मुफ्त में दे दे उसका रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक नहीं है, यह कितना बड़ा अन्याय है। जिसने कभी चिकित्सा की नहीं, मुफ्त में जो दवाई दे दे भले ही वह दूसरा काम करता रहे फिर भी क्योंकि उसने मुफ्त में दवाई दी इसीलिए उसका रजिस्ट्रीकरण होना जरूरी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यह भी एक प्रकार का अन्याय है।

मैं यहां पर यह निवेदन करूं कि आखिरकार यह जो इस प्रकार का तीन वर्ष का अनुभव धारा 62 में रखा गया है यह अपर्याप्त है और इसलिए है कि भारत सरकार ने जो रिकमण्डेशन मेरे पास मौजूद हैं। भारत सरकार ने भी इस होम्योपैथिक डाक्टर के लिये दस वर्ष की क्वालीफिकेशन निर्धारित की है। जब हम केन्द्रीय सरकार के कानून के आधार पर राजस्थान में जब सारा विधेयक लाये हैं तो मैं समझता हूं कि जो कमेटी, बोर्ड के गठन के बारे में बात कही है उसमें दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए तो भारत सरकार के बिल के आधार पर ही इस सारी बात को भी स्वीकार करना चाहिए।

अब यहां पर हालत यह है कि चलो अनुभव है या नहीं पर रजिस्ट्रीकरण हो गया। पहले यहां पर नरसिंह कछवाह स्वास्थ्य मंत्री थे राजस्थान में और क्या किया कि जो मंत्री थे उन्होंने कह दिया कि आखिरकार धारा 30 (2) के आधार पर अनुभव है इसलिये रजिस्ट्री कर दो। तो मंत्री होने के नाते, मंत्राणी होने के नाते होम्योपैथी चिकित्सा का ज्ञान हो जायेगा क्या। मैं पूछना चाहता हूं मंत्राणी जी कभी आपने होम्योपैथी की दवाई खाई है......

श्री रामकिशन : मंत्राणी नहीं, मंत्री कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गलत हो गई साहब, मंत्री जी सही। मेरा निवेदन करना है और मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने कभी दवाई ली नहीं हो और यह कह दें कि चूंकि मैं चिकित्सा मंत्री, होम्योपैथिक मंत्री रही हूं और मैंने बिल पर विचार के समय भार्गव साहब को फटकार दिया था, बिल में क्या था यह मैं जानती हूं केवल बहुमत के आधार पर बिल को पास

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करा लिया था और उस आधार पर वह कह दें कि चूंकि मैं होम्योपैथिक मिनिस्टर रही हूं इसलिये मेरा नाम रजिस्टर करो। तो नरसिंह कच्छावहा जो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे और उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया, इसी तरह से मैं समझता हूं कि कई गजेटेड अफसर इस राज्य सरकार में मिलेंगे जिन्होंने अपने आपको होम्योपैथिक डाक्टर रजिस्टर करा रखा है। जिन्होंने कभी होम्योपैथी की किताब पढ़ी नहीं, न मरीज के मन की बात पूछी, क्या इसका इलाज है, किस प्रकार की दवा है, चितन क्या है और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है।

मैं यह निवेदन करूं कि आखिरकार यह बोर्ड का गठन हुआ और बोर्ड का गठन धारा (7) के अन्तर्गत हुआ और उसमें वास्तव में बोर्ड में 7 में से 3 व्यक्ति होमियोपैथी के जानकार व्यक्ति थे और बाकी नहीं जानते थे। इस प्रकार बोर्ड ने गलत काम किया तो राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ा और बोर्ड को बन्द किया। आज केवल बोर्ड का कार्यालय है। न उसका कोई चेयरमैन है, न कोई प्रशासक है। बोर्ड के जितने भी सदस्य थे, चूंकि वे बोर्ड के सदस्य है इसलिए उन्होंने कहा हमको भी धारा 30 (2) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन दिया जाये। उनको भी रजिस्टर्ड कर दिया गया। आखिरकार उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। यह समय गलत ढंग से रजिस्ट्रेशन किया गया। इस प्रकार के अयोग्य व्यक्ति बोर्ड में हैं। 11 व्यक्ति बोर्ड के मेम्बर हैं और बोर्ड के मेम्बर होने के नाते उन्होंने अपने आपको होम्योपैथी का रजिस्टर्ड डाक्टर करवा लिया। यह दुर्भाग्य की बात है। 11 में से 7 रजिस्टर्ड होम्योपैथी के डाक्टर हो गये। बोर्ड ने गलत काम किया और आगे जाकर वह भंग हो गया। वे डाक्टर बन गये और आगे जाकर वे जन्म मरण का सर्टीफिकेट देंगे। इसके बाद रजिस्ट्रार महोदय ने स्वयं ने अपने को रजिस्टर्ड करवाया और वे भी रजिस्टर्ड हो गये। इस प्रकार वे भी होम्योपैथी के डाक्टर बन गये। उन्होंने यही कार्य नहीं किया। उन्होंने देखा कि इससे काम नहीं चलेगा। इसलिये उन्होंने अपनी पत्नी का नाम भी रजिस्टर करवा लिया और उनकी पत्नी भी होम्योपैथी की डाक्टर हो गयी। इस प्रकार 11 बोर्ड के मेम्बर होम्योपैथी के डाक्टर बन गये। आप इस कानून के तहत इस प्रकार के डाक्टर बना रहे हैं और इस प्रकार के डाक्टर जनजीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे और ये लोग पैसा कमाएंगे। अगर यह मूल भावना इस बिल के पीछे है तो य दुर्भाग्य की बात होगी। इसी प्रकार से इस बोर्ड ने एक पब्लिसिटी आफिसर की नियुक्ति की। यह पब्लिसिटी आफिसर इन 11 मेम्बरों के साथ बोर्ड की मीटिंग में बैठते थे और वे भी डाक्टर बन गये उनका नाम हो या श्रीमान डा. प्रकाश पाटनी। वे डाक्टर बन गये। श्री पाटनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उनसे होम्योपैथी की पब्लिसिटी करवायी गयी। वे बोर्ड की मीटिंग में बैठते थे इसलिए वे भी हो गये डाक्टर प्रकाश पाटनी। यह जो पत्रिका है उसमें उनका नाम प्रकाशित हुआ है। प्रचार प्रधिकारी डा० प्रकाश पाटनी हो गये। यह बात असत्य नहीं है? बल्कि यह देखिये बोर्ड की मीटिंग में बैठे हुए हैं। बाकायदा प्रचार मंत्री बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं। वे मीटिंग में भाग लेते थे। यह बिल ... का फोटो है जो कि मेरे

78

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सामने है। बोर्ड के निर्णय में, डिस्कशन में प्रचार अधिकारी पार्टीसिपेट कर रहा है जबकि वह अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी है और क्या वह बोर्ड की मीटिंग में बैठने से ही डाक्टर हो गया। राजस्थान में इस प्रकार पब्लिसिटी अधिकारी डाक्टर बन जायेगा तो राजस्थान की क्या हालत होगी। यही नहीं, सभापति महोदय, राजस्थान में विदेशियों का रजिस्ट्रेशन बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के शिड्यूल चार के अन्तर्गत कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 17 विदेशियों का रजिस्ट्रेशन हो गया। कोई साधारण मीटिंग में नहीं बल्कि इमरजेन्सी मीटिंग बुला कर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। तब किया गया जबकि अदालत से स्टे आ गया था। अदालत का स्टे आर्डर होने के बाद भी बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें रजिस्ट्रेशन किया गया। विदेशियों के पते जो तत्कालीन चेयरमैन थे, उनके घर के पते थे। जयपुर में उनके घर के पते थे। परिणाम यह निकला कि विदेशियों का रजिस्ट्रेशन हो गया। विदेशियों के जो आवेदन पत्र थे उस पर केवल हस्ताक्षर थे बाकी की सारी खानापूर्ति एक ही आदमी द्वारा की गयी। परिणाम यह निकला कि ये सारी बातें होने के बावजूद भी विदेशियों को रजिस्टर्ड कर लिया गया। यहीं नहीं जो रजिस्ट्रेशन किया गया उसके लिए आफिस नोट बनाया जाना चाहिये था परन्तु वह नोट भी नहीं बना। क्या उनकी योग्यताएं थीं यह भी नहीं देखा गया। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। एक ही कलम से, एक ही आदमी द्वारा उन आवेदन पत्रों की खानापूर्ति कर दी गयी जिन पर कि विदेशों के पते न हो कर जयपुर के पते थे। कोई योग्यता न होने पर भी ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया।

इसी प्रकार से धारा 40 (10) है लाइसेन्स देने की। इसमें भी कोई उप-नियम नहीं है। लाइसेन्स कितने दिन का होगा। यह भी नहीं दिया है। व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण नम्बर दे दिये जाते हैं। तीन नम्बर की जगह एक नम्बर की दुकान चाहिए इसमें हेरा फेरी होती है। यह चाहते हैं कि दो नम्बर की दुकान मिलनी चाहिये। अब यहां पर यह नियम है रजिस्टर्ड होम्योपेथी के लिये कि जो तीन साल का कोर्स है वह पूरा कर लेगा तो उस होम्योपेथी डाक्टर का नाम राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। आज तक एक भी व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया गया है। किसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है। यह आपको मालूम है तो उसको लेने के लिये किसी ओथ कमिश्नर का सर्टिफिकेट देना होगा या सिटी मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। परन्तु यहां पर किसी ओथ कमिश्नर, या सिटी मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और न वेरीफिकेशन की आवश्यकता है। इसमें इस प्रकार का नियम है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है तो बिना किसी एफीडेविट के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट उसको इश्यू कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार सभापति महोदय कुछ सर्टिफिकेट हिन्दी और कुछ अंग्रेजी में इश्यू किये गये हैं। कहां पर प्रशासक की अवधि एक साल की है। इससे पूर्व जो कमियां, खामियां थीं उसको पूरा करना चाहिये था

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

किन्तु वह उसने पूरी नहीं की। प्रशासक निकम्मा रहा और बोर्ड फरवरी में खतम हो गया। प्रशासक को अपीलों का निपटारा करना था, उसने निपटारा नहीं किया। प्रशासक लीपापोती करता रहा और बोर्ड के जो पिछलेकुकर्म थे, जिनको उसे ठीक करना चाहिये था वह नहीं किए। परिणाम यह निकला कि प्रशासक महोदय अपना माहवारी वेतन और भत्ता पकाते रहे। इस प्रकार बोर्ड का काम नहीं चल सकता। यह राज्य सरकार के प्रशासन का दोष है। राज्य सरकार को भी इसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए थी। बात को सुनना चाहिए था। लोगों की जो कठिनाइयां थीं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और जो कमियां थीं उनको दूर नहीं किया गया। अपीलों को सुनने के लिए एक आर. ए. एस. आफिसर की नियुक्ति की गयी। उसने कहा यह मेरा काम नहीं है। वे मौज मार रहे हैं और एम. बी. बी. एस. डाक्टरों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए सिफारशें कर रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि आज हालत बोर्ड की यह है कि सभापति महोदय वहां पर कोई प्रशासक नहीं है। बोर्ड का केवल एक कार्यालय है और उसके कुछ कर्मचारीगण हैं। उनको भी 3/4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, कोई काम भी नहीं हो रहा है फिर भी राज्य सरकार उनके वेतन की ग्रान्ट इन एड बराबर दिये जा रही है। आय का कोई जरिया नहीं है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस प्रकार की लीपापोती न करें। राजस्थान में जो योग्य होम्योपेथी के डाक्टर हैं उनको ही मान्यता दे और बोर्ड के मेम्बरों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाये। अगर फिर अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में बोर्ड आ गया तो भली प्रकार से बोर्ड जनता की सेवा नहीं कर पायेगा। इस प्रकार से अध्यक्ष किसको बनायेंगे। अपने चहेतों को बनायेंगे और किसको बनायेंगे ?

इसी प्रकार से राज्य सरकार जो है लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस है उस फीस को राज्य सरकार रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट लगाकर जप्त करना चाहती है। यह कहां का न्याय है ? आवेदन-पत्र की फीस को जप्त कर लें लेकिन रजिस्टर्ड किया नहीं किसी को और 50-50 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस लोगों से ले चुके हैं और 20 हजार रुपये जो बोर्ड के पास पड़े हुए हैं उन 20 हजार रुपयों को जप्त करना चाहते हैं। वह गलत है। आवेदन पत्र की फीस ले लें, 3 रुपया हजम कर लें लेकिन 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस को जप्त करने का उनका अधिकार नहीं है।

इसी प्रकार से जो होमियोपैथी के व्यवसाय में नहीं लगे हुए हैं और जिन्होंने बोगस सर्टिफिकेट्स ले लिये, पिछले कार्यकाल में ले लिये, उनका नवीनीकरण करते वक्त जो कि 3 साल में एक बार होता है उसके बारे में उनकी जांच करना चाहिए। जांच करने के लिए उनसे पूछा जाय कि प्रेक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वे प्रेक्टिस नहीं कर रहे हैं लेकिन खाली जन्म मरण का सर्टिफिकेट देने के लिए और उससे कमाई करने का इस प्रकार से उनको अधिकार प्राप्त हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अन्त में मैं यही निवेदन कर रहा हूं आखिरकार सभी बातों की ओर ध्यान दिलाता हुआ, मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी महत्वपूर्ण बातों की ओर आप ध्यान दें। हमने अपने चहेतों को बिठा दिया। बोर्ड का अध्यक्ष भी तो अपने चहेतों को बिठा दें। मान लें कि बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर हो तो अपने चहेतों को बिठा दें, एक वर्ष के कार्य काल को दो वर्ष का कार्यकाल बनाकर। इस प्रकार का अन्याय यदि करेंगे तो यहां पर मेरा निवेदन करना यह है कि इस बिल को इस प्रकार से बनाने सरकार जब जा रही है तो इन सारी खामियों की ओर ध्यान न देकर इस बिल में प्रावधान करेंगे मामूलीसी हेरफेर, फीस को जप्त करने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए अयोग्य लोगों से, अपने मनचाहों को सर्टिफिकेट देने के लिए, बोर्ड डिस्क्वालिफाई होने पर एडमिनिस्ट्रेटर को एक साल के बजाय दो साल तक बैठाने के लिए, होमियोपैथी की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दें नहीं, बिल पेश किया और इस खयाल को लेकर आप जा रहे हैं तो इस अधूरे बिल को लाकर पास करके आप होम्योपैथिक चिकित्सा के बोर्ड के साथ न्याय नहीं करेंगे, बल्कि अन्याय करेंगे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो मैंने ठोस, रचनात्मक बात रखी है इन सारी बातों को समावेश करके इस बिल को लायेंगे तो मैं समझता हूं वास्तव में राजस्थान में भी होम्योपैथी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए यह बिलकुल उपयुक्त होगा, वर्ना केवल इन संशोधनों को लाये तो होम्योपैथी का दर्जा जो है उससे भी ज्यादा बिगड़ेगा।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, होम्योपैथी बोर्ड से सम्बन्धित जिस बिल के द्वारा राज्य सरकार उस आर्डिनेन्स को परोक्ष रूप में जीवित रखने का प्रयास कर रही जिसके बारे में इस सदन में इतनी चर्चा हुई है और सदन में माननीय अध्यक्ष ने ताड़ना दी इसके पश्चात् उस आर्डिनेन्स को लाया गया और जिसके बारे में आसन की ओर इंगित ही नहीं किया गया बल्कि भविष्य में इस प्रकार का आर्डिनेन्स राज्य सरकार की ओर से नहीं आना चाहिए, यह कहा। इसके पश्चात् कम से कम एक अच्छा प्रेसीडेन्ट कायम करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय इसको विथड्रा कर लेंगे। परन्तु लगता ऐसा है कि माननीय मन्त्री महोदय ने अध्यक्ष के प्रति, जो अपेक्षित आदर आसन के प्रति था वह प्रकट नहीं किया है।

सभापति महोदय, बोर्ड के बारे में पहले भी कई बार यहां प्रश्न आया, और एक बार यहां पर मैंने एक लिस्ट भी प्रस्तुत की थी कि किस प्रकार से अमेरिका के अन्दर 50 व्यक्तियों को जो अमेरिकन नेशनल्स हैं और अमेरिका में प्रेक्टिस करते हैं, भारत में रहते नहीं, राजस्थान में होम्योपैथी का इलाज करते नहीं, उनको यहां पर रजिस्टर्ड किया गया। उनके नाम भी मैंने प्रस्तुत किये थे। सिविल लाइन्स का एड्रेस बताया गया कि एक ही मकान के अन्दर का था। उस सब से ऐसा लगता था कि जो कोई व्यक्ति या विशेष व्यक्ति बोर्ड के अन्दर रहता है, अथवा अध्यक्ष हो या उस पर अपना अधिकार रखता है, वह अपने तरीके से मनमानी कार्यवाही करता है। सभापति महोदय, होम्योपैथी के क्षेत्र के अन्दर यह बिल भी अपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार ने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जिस प्रकार से एलोपैथी को और आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है होम्योपैथी के क्षेत्र के अन्दर अभी तक हमारे यहां चिकित्सालय के लिए राजस्थान में कहीं पर कोई प्रावधान नहीं दिखाई देता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आवश्यकता इस बात की थी कि इस बिल को लाते समय इसका भी प्रावधान रखते, क्योंकि साइन्टिफिकली यह साबित हो चुका है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए एक बहुत ही उच्च स्तर की अपने आप में साइन्स है जिसके कारण से, सभापति महोदय, स्थान स्थान पर होम्योपैथ जो अपने आप में लाइसेन्स-शुदा हैं या लाइसेन्सशुदा नहीं हैं वह कई प्रकार की बीमारियों को ट्रीटमेन्ट करते हैं, और कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें उनकी विशेषज्ञता है और ठीक भी होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को इस बिल के अन्दर ऐसा प्राव-धान करना चाहिए और जनमत जानने के लिए जब इस बिल को भेजें तो इसके साथ में इस बात का विचार करना चाहिए कि राजस्थान होमियोपैथी बोर्ड या कमिशन या कमेटी राजस्थान में होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए आयोग बनाया जाना चाहिए जो राजस्थान की स्थिति को देखकर इस बात के लिए सिफारिश करे कि राजस्थान में होम्योपैथी के इलाज के अन्दर किस प्रकार से सरकारी स्तर पर उसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मेरी यह भी मान्यता है कि इस क्षेत्र में अभी तक राजस्थान बहुत पीछे रहा है। बंगाल के अन्दर होम्योपैथी के बारे में बहुत एडवान्स्ड ट्रीटमेंट किया जाता है, और बंगाल की सरकार भी इसके बारे में बहुत अधिक प्रोत्साहन देती है। सरकारी स्तर के ऊपर चाहे चिकित्सालय हों, सरकारी स्तर के ऊपर भी इलाज करने की व्यवस्था करती है, लेकिन राजस्थान में होम्योपैथी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, बोर्ड के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं, केवल यही कहूंगा कि इसमें कहीं बोर्ड का गठन होता है, कहीं पर भी राज्य सरकार की ओर से जो कोई भी संस्थाएं गठित होती हैं उनके बारे में बहुधा इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं कि इसमें राज्य सरकार के चहेते, राज्य सरकार मंत्रियों की खुशामद करने वाले लोग मंत्रियों के विशेष कृपा पात्र लोग हैं उन लोगों को इनमें रखा गया है, और मेरिट्स के ऊपर उन व्यक्तियों का वहां पर चयन नहीं होता है। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए जिसमें डिस्क्रीशन राज्य सरकार या मंत्री महोदय पर नहीं छोड़ा जाय। उनकी मर्जी के ऊपर नियुक्त करने का प्रावधान इसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि एक निश्चित स्टेण्डर्ड, एक निश्चित प्रिन्सिपल एक निश्चित सिद्धान्त हो, एक निश्चित उसूल हो जिसके आधार पर अपने आप चयन हो जाय।

जिसमें मन्त्री महोदय और राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। सरकार की ओर से आपाधापी, राज्य सरकार की ओर से नेपोटिज्म जिस प्रकार से सभी स्थानों पर अपने आदमियों को रखने की कोशिश है। कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है जहां उनको न लगाया जाता है। इससे होम्योपैथी योग्यता पर भारी असर पड़ता है। यह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

साइन्स है। होम्योपैथी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। उन लोगों के साथ में विश्वासघात होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए। और, राज्य स्तर के इसके लिए चिकित्सालय खोलने चाहिए। राज्य-स्तर पर राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कमिशन नियुक्त किया जाये। जिससे कि राज्य स्तर पर लोगों को लाभ मिल सके।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री मुहम्मद गफ्फार अली।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, वैसे मेरे दल की तरफ से हमारे नेता बोल चुके हैं। फिर भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। होम्योपैथी के बारे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तरप्रदेश और हरियाणा में सरकारी स्तर पर इसको जो प्रोत्साहन मिला है, उसके आधार पर राजस्थान में कुछ भी नहीं किया है। जिस प्रकार की बरबादियों फमिली प्लानिंग और दूसरे महकमों में की जाती हैं, उसके स्थान पर थोड़ा सा इसमें सही ढंग से किया जाये तो बहुत से गरीबों का हित हो सकता है। जहां ऐलोपैथिक दवाई 10 रुपये में मिलती है। आयुर्वेदिक दवाई 10 रुपये में मिलती है। वहां होम्योपैथी दवाई 5 पैसे या 10 पैसे में मिलती है। और वह काम कर देती है। कई बार हमको इस्तेमाल करने का मौका मिला है छोटी छोटी गोलियां होती है। उनसे काफी लाभ रोगियों को होता है। इतने सस्ते विज्ञान को भी यह सरकार अपनाना नहीं चाहती है। इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सेनेटरी पेड सप्लाई किये हैं। 4 इंच चौड़ा 10 इंच लम्बा 10 पैसे की रुई और एक पैसे का फटी चीथड़ा ये सिनेटरी पैड राजस्थान सरकार ने खरीदे हैं। 10 पैसे से ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। वह 1 रु० 25 पैसे में खरीदे गये हैं। एक पैड की कीमत एक रुपया और पच्चीस पसे। 6 लाख पैड खरीदे गये हैं। हर अस्पताल को 12-12 पैड सप्लाई किये गये हैं। उसके बदले में उनकी कीमत के बदले में दवाइयां काट ली गई हैं। इसका नतीजा क्या हुआ दवाइयों के दाम बढ़े। ये सेनेटरी पैड 6-7 लाख रुपये के सप्लाई किये गये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को जो अगर मौजूद हों तो मैं पूछना चाहता हूं, पैड के बारे में जो इन्क्वायरी चल रही है, उसका नतीजा सामने नहीं आया। सेनेटरी पैड के स्थान पर अगर अनुभव करते थोड़ा सा तो बहुत से गरीब आदमियों का हित हो सकता था। मैं नहीं समझता कि राजस्थान में यह सेनेटरी पैड इतने महंगे भावों से क्यों खरीदा

(श्री मनोहर लाल)

गया है ? इतना बड़ा घोटाला करने के लिए ? सभापति महोदय, अस्पतालों पर कब्जा करने के लिए अस्पताल की सारी की सारी दवाई जो भेजी जाती है, वह सारी की सारी एक्सपायर्ड होती है। अगर कोई दवाई भेजी जाती है तो वह तब भेजी जाती है, जब समय निकल जाता है। भरतपुर हैडक्वार्टर पर पड़ी रहती है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करता हूं कि इस घोटाले की जांच हो। जनता का पैसा बरबाद होने से बचाया जाये। जो इस सम्बन्ध में रिसर्च कर रहे हैं और जो जानकारी रखते हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, यह बिल, और कुछ अन्य प्रस्तुत होने वाले बिल, उनके बारे में यह प्रस्तुत हुआ है। वैसे तो यह बड़ा इन्नोसेण्ट बिल है। लेकिन जो मनोवृत्ति राज्य सरकार की बढ़ती जा रही है, वह इसके बारे में जिम्मेदार है। चाहे वह प्रोफेसर्स की तनख्वाह आदि बढ़ाने का बिल हो, चाहे वह म्युनिसिपैलटी के जो दो अमेन्डमेन्ट बिल थे, वह हो। आप एक बोर्ड कान्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं। 4 आदमी नामीनेट करेंगे। एक आदमी इलेक्टेड होगा। जो होमियोपैथी का जानकार होगा। रजिस्टर्ड होमियोपैथ हैं, वह 6 आदमी हैं। चेयरमैन राज्य सरकार नामीनेट करेगी। अगर चेयरमैन होम्योपैथ का नहीं आता है तो उसको करवायेंगे वह रजिस्टर्ड होम्योपैथ डाक्टर हो। यह मामला समझ में नहीं आता है। आपको आफिस रेग्युलेट करने के लिए एक सेक्रेटरी चाहिए। उसी की जरूरत है। चार आदमी क्यों रखे गये हैं। टेक्निकल बोर्ड है। आज दवाइयां एण्टीबायटिक बहुत ही सीवियर रियेक्शन करती हैं। मेडिकल वर्ल्ड के बारे में बड़े डीप कन्सीडरेशन हो रहे हैं। एण्टीबायोटिक दवाइयां ह्यूमेन रेसिस्टेंस का काम करती हैं। एक मच्छर जो पहले 5 औंस में मर जाता था। अब वह 10 से भी नहीं मरता है। मैं समझता हूं कि हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम और होम्योपैथिक सिस्टम दोनों ही इन्नोसेन्ट सिस्टम हैं। कम से कम आप यह कभी नहीं सुनेंगे होम्योपैथी या आयुर्वेद की दवा खाकर कोई मर गया। आज लोग आयुर्वेद चिकित्सा की ओर लौट रहे हैं। इसमें भी आप 4 आदमियों को नामीनेट कर रहे हैं। आपके लिए एक सेक्रेटरी चाहिए जोकि इस बोर्ड के सारे प्रोसेस को रेगुलेट करे। मेरा यही कहना है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : (श्री केशरीमल के खड़े होने पर) आप बोलना चाहते हैं ?

श्री केशरीमल : जी हां।

माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ इस पर कहा गया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार का ऐसा तरीका बन गया है कि जितने बिल आये, जो बोर्ड बनाने की बात आये, उसमें एक कोशिश की जाय कि ज्यादा से ज्यादा

(श्री केशरीमल)

राज्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधि पहुंचा दिये जायं, जिससे जनवादी बोर्ड समाप्त हो कर राजकीय नौकरशाही तरीके का बोर्ड हो जाय और नौकरशाही की पकड़ में वह काम आ जाय, देश में नौकरशाही, प्रान्त में नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है कि जनवादी तरीके को छोड़कर जिस तरह चाहते हैं वैसा करते हैं। होम्योपेथी बोर्ड बनाने की बात सरकार कह रही है, उसमें चार आदमी वह अपनी तरफ से नोमिनेट करेगी। माननीय सभापति जी, चार आदमी नामिनेट करने की क्या आवश्यकता है? ज्यादा डाक्टरों में से लेंगे और एक आदमी अपनी तरफ से रखेंगे, यह होता तो बात समझ में आ सकती है। बाकी तीन आदमी उनमें से आने दीजिये। इस तरह से चार आदमियों का बोर्ड गठित हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो। माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था है, यह पद्धति है इसकी दवायें अच्छी हैं। हमारे देश के लिए फायदेमन्द हो सकती हैं। गरीब वर्ग के लोगों को सस्ते में दवा देने के लिए अच्छी पद्धति है। लेकिन इसमें यह भी है, नीम हकीम खतरा ए जान का खतरा भी है। डाक्टर कहीं बोर्ड लगा कर बैठ गया है, उसकी ठीक शिक्षा नहीं है, उस पर नियंत्रण नहीं है, कुछ कर बैठे, मर्जी हो वहां बैठ जाय— यह नहीं हो, इसलिए बोर्ड के जरिये इसको व्यवस्थित करना जरूरी है। ठीक से शिक्षा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके साथ शिक्षित डाक्टर हो जो दवा की व्यवस्था करे तब तो फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, यह दवाइयां हैं, इसकी पद्धति है, यह जहां सस्ती है, वहां वैज्ञानिक भी है। अगर डाक्टर होशियार है, अगर वह मरीज की ठीक से परीक्षा करके दवा देता है तो निश्चिततौर से दवा का असर अच्छा होगा। अच्छा नहीं होता है तो बुरा भी नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं, एलोपेथी वगैरह से नुकसान हो जाता है। अभी रतिराम जी यहां बैठे थे, अभी बाहर चले गये हैं। उन्होंने कोई दवा ली थी। उससे उनको एलर्जी हो गई, सारा शरीर फूल गया। वह गये और दौड़ कर दूसरी दवा लाये। तो एलोपेथी की दवा का खतरा है। लेकिन होम्योपेथी की दवा नुकशानदेह नहीं होती। फायदा नहीं होता तो नुकशान भी नहीं करेगी। इसलिए इसको रेगुलेराइज करना और व्यवस्थित करना जरूरी हो गया कि डाक्टर हो वह ऐसा हो, जिसको उचित शिक्षा मिली हो, पूरा ज्ञान हो, सरकार का नियंत्रण हो। ऐसी व्यवस्था हो जाय। अभी जयपुर में दो कॉलेज चलाने वाले हैं, उन्होंने 17 अमेरिकन्स के नाम दर्ज कर लिये और उन को यहां से शिक्षा दे रहे हैं, यहां से उन्हें भेजते होंगे, या और कोई धन्धा चलाया होगा सी. आई. ए. को साथ में मिलाया होगा। यह पिछले सदन में काफी विस्तार में आ चुका है। इसलिए इस मामले पर सरकार विचार करे। यह पद्धति ठीक है, इस पद्धति को ठीक तरह से लागू करने से सही बोर्ड ठीक तरह से काम करे और इस तरह के डाक्टर हों जो शिक्षित हों और वह दवा देने की व्यवस्था करे। और जो डाक्टर हैं उनको इस बेसिस पर डाक्टर मानकर नहीं चला जाय कि वह पांच साल से प्रेक्टिस कर रहा है, उसने सीखा है या नहीं, लेकिन केवल पांच साल से बोर्ड लगाया हुआ है, उसे कोई एम. एल. ए. सर्टिफिकेट दे दें कि यह 5 साल से, 10 साल से बैठा है। इस

(श्री केशरीमल)

तरह की कई शिकायतें हैं, उनकी पूरी तरह से जानकारी बोर्ड के जरिये से कराई जाय, जितनी परम्परागत रूप से जितनी जानकारी है, यह पद्धति समझा हुआ है या नहीं, यह दवा देने के काबिल है या नहीं। उसके बाद ही डाक्टर माना जाय, नहीं है तो बोर्ड से शिक्षित होने के बाद ही मौका दिया जाय। यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल (पाली) ?

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्री !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं ऐसा है, दो मिनिट निवेदन कर दूं।

श्री सभापति : आपके दल के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कुछ सुझाव देने की बात है।

श्री सभापति : दो मिनिट में बोल दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : लम्बा चौड़ा कहने को है भी नहीं।

ऐसा है, मेरी गुजारिश यह थी, सेक्शन 31 है एक्ट का, उसके बारे में रविजन यह था इसमें परिवर्तन होना चाहिये। इसकी वजह यह है कि डाक्टर है या हकीम है, उनको हर तीसरी साल रिन्युअल की जरूरत नहीं होती। जब एक डाक्टर का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसको क्वालिफाइड मान लेते हैं, वह प्रेक्टिस करता रहता है कितने वर्षों तक, उसके बाद आप शर्त लगाते हैं, सेक्शन 31 के मातहत हर तीसरे साल रिन्युअल कराना जरूरी है। यह आब्जेक्शनेबल चीज है। ऐसा तो है नहीं कि साहब जिसके पास बंदूक है, वह तीन साल में लाइसेंस का रिन्युअल कराये, हथियार हो उसके लाइसेंस को रिन्युअल कराये। वह सर्टिफिकेट होल्डर है, वह प्रेक्टिस करता है, उसका भी रिन्युअल–हो यह समझ में नहीं आता। यह हो सकता है कि प्रेक्टिस करता रहे तो उसका तजुर्बा बढ़ता रहे और उसकी डिसक्वालिफिकेशन कम होती रहे। इसके बजाय शर्त लगायी है, यह प्राविजन जोड़ा है।

दूसरी बात सजेस्ट करनी थी, वह यह है, आपने सिस्टम रखा है इलेक्शन का, उसमें चार नामिनी रखे हैं। मेरी जानकारी जहां तक है वह यह है, इस वक्त सात आदमी, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड होम्योपैथ हैं। उनमें आपने इस तरह केलकुलेट किया है, चार नामिनेट होंगे, उनमें दो अनक्वालिफाइड होंगे, एक नामिनेट होगा। जो क्वालिफाइड हैं वह सात है उनमें से चार आ जायेंगे और 2400 हैं, उनमें से तीन आ येंगे। चार आप नामिनेट करेंगे। मेरा कहना है, यह सिस्टम अनडेमोक्रेटिक रखा है। आप कर दीजिये, इसके अन्दर डेमोक्रेसी का चुनाव नहीं हो, आधार यह हो कि आदमी कितना काबिल

Page No 86

86

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है, जिसे आप सिलेक्ट करें, कहीं से भी लायें-उसका सलेक्शन करेंगे बोर्ड में-यह समझ में आने वाली बात थी। आप एक तरफ डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं उसमें चाहते हैं कि चुनाव हो, फिर सात आदमियों में से तीन चार चुन लेते हैं और तीन 2400 में से चुनते हैं। यह प्राविजन गलत है। इसके ऊपर नजरें सानी करनी चाहिए। इसमें रेलेवेन्ट पोर्शन यह है।

"(a) Four persons to be nominated by the State Government out of whom at least two shall be registered Homoeopaths, one of them poossessing recognised medical qualifications."

दो हो गये

"(c) Six persons to be elected by the registered Homoeopaths of the State from amongst themselves, out of whom two persons shall be possessing recognised medical qualification."

दो, दो, एक पांच, सात, सात में से पांच, 2400 में से बाकी 4, जो आप लेंगे। आप इसे डेमोक्रेसी वगैरह की बात करेंगे नहीं। इसलिए आप चुनाव की बात नहीं करिये, आप म्याद कायम रखिये, जिसमें आपको जांच करनी चाहिए। जांच करके फिर रखते तो इसका तरीका होना चाहिए और उस तरीके के आधार पर बनना चाहिए बोर्ड।

दूसरी चीज इसमें अन्याय समझता हूं, वह यह है कि 800 एप्लीकेशन आपके यहां पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन की। आपने आर्डिनेन्स निकाल दिया, उसको जमा है रजिस्ट्रेशन की, 50 रुपये, वह किसी हालत में रिफन्ड नहीं किये जायेंगे। यह किस जुर्म की सजा है। आपको फार्म बेचना है, दो चार रुपये में बेच देते हैं। आप रजिस्टर करने की फीस लेते हैं और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप फीस का पैसा वापिस करें। यह चालीस हजार रुपया उन गरीबों का है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर जब्त किस बात को करना चाहते हैं-यह समझ में नहीं आया। इसमें यह लिखा है :

"An application for registration under sub-section (1) or (2) shall be accompanied with a registration fee of Rs. 50. Such fee shall not be refundable under any circumstances."

what does it mean ? आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, वह जब्त है। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो इल्लिगल है, लेने का राइट नहीं है। कोर्ट आफ ला में चलेगा केस। It was registration fee उस सूरत में नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो लेने का किस सूरत में अधिकार है। आप क्लाज देखिये, यह इल्लिगल है, इम्प्रेक्टिकेबल है, न्याय भी नहीं है। आप लीजिये, दो चार रुपये लगा दीजिये, फार्म के साथ ले लिये जायेंगे वह रिफन्ड नहीं होंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन फी के नाम से रुपया लेते हैं जो उसको जब्त करने का अधिकार न कानूनी है, न औचित्य है उसका कि इस तरह का अधिकार आप हाथ में लेवें।

(श्री मोहम्मदगफ्फार मंत्री)

इसके बाद और जो चीज है, उन पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। बोर्ड को सस्पेंड, खत्म करने के बाद, अब तक जैसा था, एक साल की म्याद का था, इसमें दो साल बढ़ा रहे हैं। दो साल तक बगैर बोर्ड चलाते रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, वह कौन चलायेगा? बोर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट अपने आप कर लेगी, उसका कुछ सिस्टम बताते। आपने बता दिया, किसी एजेंसी को। कौन एजेंट होगा? आपके फेवर का होगा वह एजेंट हो जायगा, दो साल तक 1 हजार आदमियों का रजिस्ट्रेशन कर देगा, जो संख्या दे, जो ज़हर दे, कुछ भी दे, उसको सर्टिफिकेट देने का राइट होगा, वह सर्टिफिकेट दे, जो छुट्टी पर जाना चाहता है, जो बीमार हो जाता है, उसको सर्टिफिकेट दे और पांच रुपये अलग से ले ले। आप किसी एजेंसी के द्वारा काम कराना चाहते हैं, वह नामजद करते नहीं हैं। मेरा कहना है, इसमें तीन चार गलत प्राविजन इन्कोर्पोरेट कर दिये हैं। मैं चाहूंगा, इस पर नजरसानी करें।

इसके साथ एक गुजारिश और करूंगा। होम्योपैथिक दवाई वैसे नुकसानदेह नहीं होती, बहुत से होम्योपैथ मुफ्त दवाई देते हैं। लेकिन बाज फार्मूला ऐसे हैं, जैसे दांत का इलाज करते हैं, वह कहते हैं इसको फेलअर अप करना चाहिए, वह एग्नोशियन खतरनाक हैं। आप इस बात पर गौर फरमायें, वह प्रेक्टिस करता रहा है, और आगे करना चाहता है तो वह किस हद तक होम्योपैथी की साइन्स से वाकिफ है, किस तरह सलेक्ट किया गया है, या किस तरह सलेक्ट किया जाना है। यह सही है कि इसकी ऐसी दवा है तो कम से कम नुकसानदेह है तो सभापति महोदय, मैं आपसे गुजारिश किया चाहता हूं कि जो मैंने सजेशन्स, सुझाव दिये हैं उन पर आप जरा गौर फरमावें ऐसी मेरी मन्त्री महोदय से इल्तिजा है और इसके साथ में यह भी गुजारिश है कि जो 40 हजार रुपये आपने इन लोगों के रोक रखे हैं वह उन्हें वापिस करने की कृपा करें।

(दर्शकदीर्घा से एक दर्शक ने नारा लगाया, देश के नेता जयप्रकाश, देश के नेता जयप्रकाश और सदन में पर्चे फेंके गये)।

श्री सभापति : इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर के अध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे। मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : (राज्य० मंत्री, चिकित्सा) : सभापति महोदय राजस्थान में होम्योपैथी बोर्ड ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली ढंग से व्यापक तौर से काम कर इसलिये यह बिल सदन में लाया गया है। इस बिल के बारे में सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। इनमें कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान में जो होम्योपैथिक बोर्ड कायम किया गया था और उसके लिये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया था उन्होंने होम्योपैथी के विकास के लिये जो कार्य करना चाहिये था वह पूरा नहीं कर सके। जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हमने प्राप्त करने के लिये एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया था वह पूरे नहीं हुए। सभापति महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि होम्योपैथी की पद्धति है वह बहुत ही सस्ती, प्रभावकारी, और इनोसेन्ट है यही इस पद्धति की विशेषता है।

Page No 88

88

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

सभापति महोदय, इस महत्व को जानते हुए राज्यसरकार ने होम्योपैथी के विकास के लिये राज्य में होम्योपैथिक बोर्ड का गठन किया है। सभापति महोदय, इसलिये कुछ संशोधन करने हेतु यह बिल सदन में लाया गया है। जिससे कि इस बोर्ड को सुव्यवस्थित ढंग से गठित किया जा सके और इस प्रकार से उसका संचालन हो कि जिससे आम आदमी को इस पद्धति से लाभ पहुंच सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह अध्यादेश पहले लाया गया था। सभापति महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात के एतराजात भी किये कि इस बिल को अध्यादेश के जरिये क्यों लाया गया। इसके लिये मेरा निवेदन है कि चूंकि बोर्ड का समय समाप्त होने जा रहा था, लोगों को जो वहां पर कार्य कर रहे थे उनके वेतन भुगतान में भी दिक्कत आती, इसलिये इस बिल को आर्डिनेन्स के जरिये लाना। पड़ा वैसे मैं इस बात की हामी नहीं हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर हर बिल को आर्डिनेन्स के जरिये से ही लाया जाय। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपके पास जब कोई चारा ही नहीं हो तो इस प्रकार आर्डिनेन्स लाना पड़ता है। राज्य सरकार ने आर्डिनेन्स के अन्दर जो कारण थे वह दे दिये हैं उनमें आर्डिनेन्स लाने के कारणों का उल्लेख कर दिया है कि मजबूरी की वजह से इस आर्डिनेन्स को लाना पड़ा। सभापति महोदय, यहां पर सदन के माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने यहां पर यह कहा कि यह जो राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संशोधन विधेयक की डेफीनेशन दी है वह गलत दी है। सभापति महोदय, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जैसा कि सेन्ट्रल होम्योपैथिक एक्ट में इसकी डेफीनेशन दी हुई है उसके अनुसार ही इसमें दी गयी है। चूंकि यह बिल देश भर में स्टेट्स में लाया गया है उसमें सभी में इसके अनुसार ही डेफीनेशन दी गई है। इसके साथ साथ में इस डेफीनेशन को सभी स्टेट्स ने मानी है तो मैं समझती हूं कि इस डेफीनेशन में किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो वह बात नहीं है। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसमें क्वालिफाइड व्यक्तियों को रिप्रेजेन्टेशन नहीं देकर आपने अन-क्वालिफाइड लोगों को रिप्रेजेन्टेशन दे दिया है। कुछ माननीय सदस्य यह कहते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को ही रिप्रजेन्टेशन दिया जाय दूसरे को नहीं दिया जाय। इसमें संशोधन होना चाहिये। सभापति महोदय, अगर कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कम से कम क्वालिफाइड लोगों को रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये, इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार काफी सोच विचार कर यह आर्डिनेन्स लायी और उसके बाद में यह बिल लायी है। इसमें एक यह संशोधन किया गया है, सभापति महोदय, की चूंकि अभी होम्योपैथिक पद्धति का शैशवकाल ही है और चूंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अभी तक सुव्यवस्थित ढंग से संगठित नहीं है इसमें अभी क्वालीफाइड लोग कम हैं और एक्सपीरियेन्सड प्रेक्टिशनर ज्यादा हैं वह लोग वर्षों से प्रेक्टिस कर रहे हैं। इसमें कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसमें काफी लोग ट्रेन्ड नहीं हैं और उन्होंने जहां चाहे वहां पर दुकान लगाकर बैठ गये हैं उन्हें भी मान्यता क्यों दी जाती है। सभापति महोदय, अभी थोड़ा समय लगेगा कि यह सिस्टेमेटिक ढंग से चले। उनका फैस

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

कूलम तैयार करना पड़ेगा। इसलिये इसमें थोड़ा समय लगेगा। सभापति महोदय, राज्य सरकार का ध्येय रहेगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इस पद्धति को प्रोत्साहन मिले। इसके लिये, सभापति महोदय, बाद मे क्वालिफाईड लोगों को सेन्ट्रल होम्योपैथिक कौंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सभापति महोदय जब शुरू शुरू में आयुर्वेदिक बोर्ड बना था तब उस समय में भी जबकि उसका शैशवकाल था राज्य सरकार ने उन लोगों को भी रजिस्टर किया जो कि वर्षों से आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा कर रहे थे। लेकिन उसके लिये भी एक निश्चित तारीख के बाद क्वालीफाईड लोगों को रजिस्टर किया गया। इसी प्रकार चूंकि अभी क्वालिफाईड लोग कम हैं लेकिन इनमें कई लोग ऐसे हैं जो कि कई वर्षों से प्रेक्टिस कर रहे हैं उन्हे रजिस्टर किया जायेगा। इसमें, सभापति महोदय, जो व्यक्ति एक परटीकूलर तारीख के बाद कोई भी व्यक्ति जो कि क्वालीफाईड नहीं होगा उसको रजिस्टर नहीं किया जायेगा। सभापति महोदय, सेन्ट्रल होम्योपैथिक एक्ट की धारा 15 की शेड्यूल दो और तीन में दिया हुआ है कि सिर्फ क्वालिफाईड इन्स्टीट्यूशन्स से क्वालिफाईड किये हुए व्यक्ति को ही मान्यता प्रदान की जायेगी। बाकी के व्यक्तियों को मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी। सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि यह होम्योपैथिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो कि प्रभावकारी है, व्यवहारिक है और आम आदमी इसे इफीशेन्ट होने की वजह से चूंकि यह रीएक्शन नहीं करती है इसलिये उसके गुणावगुण देखकर ही यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया कि इसमें क्वालिफाईड लोगों को तो जगह मिले ही इसके साथ साथ अभी जो प्रेक्टिसिंग होम्योपैथ हैं उन्हें भी जगह मिल जाये। ऐसी व्यवस्था की जाय। इसके दौरान में एक चिन्ता यह व्यक्त की गई कि जो गवर्नमेंट ने बोर्ड का गठन बताया है उसमें चार आदमियों को नोमिनेट करने का रखा है। एक माननीय सदस्य ने गलती से कह दिया कि एक इलेक्टेड और बाकी नोमिनेटेड। चार नोमिनेटेड और उनमें से भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दो रजिस्टर्ड होम्योपैथ होंगे और एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक क्वालिफाईड होम्योपैथ। उसके बाद दो आदमी सरकार नोमिनेट कर सकेगी। उसके लिये भी चेष्टा रहेगी कि क्वालिफाईड लोगों को ही नोमिनेट करें, रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स में से नोमिनेट करें जिससे यह चिकित्सा पद्धति आगे बढ़े।

यह कहा कि दो साल की टर्म रखी है यह लम्बी है। इसलिये नहीं रखनी चाहिये। एक साल तो गुजर गया। एक साल में चुनाव कराने होंगे। पांच चार महीने के लिये संशोधन नहीं लाते हैं तो उचित नहीं रहता है। इसी दृष्टि से दो साल की टर्म रखी है। 22-11-74 तक नये बोर्ड के चुनाव हो जायेंगे इसके लिये घोषणा कर चुके हैं। दो साल के बढ़ाने से बोर्ड के गठन में डिले कराना चाहते हैं या कोई इस तरह की बात पेश करना चाहते हैं। डिले कराने का सरकार का कोई मकसद नहीं है।

इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन के समय में पुराने बोर्ड द्वारा अनियमिततायें हुई, बहुत सारे फोरिनर्स को रजिस्टर कर दिया या ऐसों को कर दिया जो होम्योपैथी नहीं जानते हैं। उन सब अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए,

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

बोर्ड के द्वारा अनियमितताएं हुई हैं इसीलिये उसको डिजोल्व किया गया, धारा 36 में संशोधन किया, उसमें इस प्रकार के केसेज पाये जायेंगे कि गलत ढंग से रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कमेटी जांच के उपरान्त रजिस्ट्रेशन खारिज कर सकेगी। चूंकि इस रजिस्ट्रेशन को करने में, उसके कागजात को चलाने में, जांच पड़ताल करने में, इन सारी बातों के लिये बोर्ड को अथवा समिति को, जो काम करेगी, खर्चा करना पड़ेगा इसलिये पचास रुपये की फीस न लौटाई जाय उसका प्रावधान रखा है।

धारा 45 का जो संशोधन है उसमें यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि अभी जो रजिस्टर्ड होम्योपैथ्स हैं वे क्या सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अदालत में पैरवी कर सकते हैं। इसमें जो संशोधन लाया गया है उसका मूल मकसद यह है कि आगे से पैरवी करने के लिये, एवं विशेष तौर पर अपनी राय जाहिर करने के लिये रजिस्टर्ड होम्योपैथ नहीं किन्तु यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड होमियोपैथ होना चाहिये और वह ही पैरवी कर सकेगा और अदालत में खड़ा हो सकेगा।

ये सब बातें सदन के सामने माननीय सदस्यों ने रखी हैं, मैं समझती हूं, मैंने अपनी तरफ से आपकी शंकाओं और चिन्ताओं का ज्यादा से ज्यादा उसका निराकरण किया जाना चाहिये, उसका निराकरण किया है और मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय सदस्य मेरे विचारों को सुनने के उपरान्त अपना मन बनायेंगे और जनमत जानने और प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव रखे हैं उनको वापिस लेंगे।

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 40 हजार का कुछ कर दीजिये।

श्री सभापति : जनमत जानने का जो प्रस्ताव है उसको वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनमत जानने हेतु प्रसारित प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं भी जनमत जानने के लिये प्रसारित प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय सदस्यों को प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इस को वापिस लेता हूं।

विराम

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार]

खण्ड 2

श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

मैं निवेदन करूंगा कि अपने संशोधनों को जितना संक्षेप में रख सकें रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संशोधन है इसलिये संक्षेप में है।

मन्त्रीजी ने जो बात कही है केन्द्रीय अधिनियम 1973 में जिन लोगों को मान्यतायें दे रखी हैं वह बात नहीं है। यह जो एक्ट राजस्थान का बना इसमें धारा 32 है इसमें कहा गया है :

"32. Power of Board to recognise titles etc. for purposes of registration.—If the Board is satisfied—

(a) that any title of degree granted or qualification certified by a University, medical corporation, examining body or other institution in or outside India is sufficient guarantee that persons holding such title, degree or qualification possesses the knowledge and skill requisite for the efficient practice of Homoeopathy, or...."

जिस आदमी के पास डिग्री हो, किसी इन्स्टीट्यूशन में पढ़ा हो, किसी बोर्ड ने इसको एक्जामिन किया हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो बात मानी है और मान लेने के बाद राजस्थान में भी ये जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो इस प्रकार की शिक्षा दे रही हैं उनका क्या होगा ? जैसा प्रारम्भ में निवेदन किया था राजस्थान में होम्योविशारद 71, भिषगाचार्य, डी. एच. एस. एफ आर. ए., यह जो पुस्तकों में है इसमें राजस्थान की डिग्रियां हैं 17, 18, 19, 20 और 21, आन्ध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल की सब डिग्रियों को मान्यता दे रहे हैं तो राजस्थान में ये जो इन्स्टीट्यूशन्स चल रही हैं उनमें जो शिक्षा विद्यार्थियों ने हासिल की है और डिग्रियां ली हैं उनको मान्यता देना आवश्यक है। इसलिये संशोधन रखा है :

"प्रस्तावित खण्ड 3 (33) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' से होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अथवा तृतीय अनुसूची में सम्मिलित की गई तथा राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम 1969 (राजस्थान अधिनियम 1, सन् 1970) की धारा 32 के अन्तर्गत राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा होम्योपैथी की सभी अर्हता अभिप्रेत है।"

जब अन्य प्रदेशों की डिग्रियों को मान्यता देने जा रहे हैं तो जो प्राच इन्स्टीट्यूशन्स चलती हैं, कालेज चलते हैं वहां छात्र पढ़ते हैं उनको मान्यता न देना उचित नहीं है।

केन्द्रीय कानून आप पेश करने जा रहे हैं जब कि इसमें राजस्थान लिखा है। इस

तरह पढ़ लिखे लोगों को मान्यता नहीं देना अन्याय होगा। मेरा संशोधन स्पष्ट है कि यहां की शिक्षण संस्थानों में से पढ़कर निकलने वाले होम्योपैथ डाक्टरों को मान्यता दी जाय। आशा है मेरे इस सीधे से संशोधन को मन्त्री महोदय स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं जहां तक इनकी मंशा को समझ सकी हूं वह यही है कि पढ़ लिख कर निकलने वाले स्नातक डाक्टरों को मान्यता मिले तो हमारा भी यही उद्देश्य है जो धारा 15 में स्पष्ट है;

"No person, other than a practitioner possessing recognised medical qualification and who is enrolled in the State Register or the Central Register of Homoeopaths, shall hold office in any institution maintained by a local authority, Government.........."

इसके शिड्यूल में भी जो डिग्रियों का जिक्र है वहां रिकगनाइजन भी है। इसमें दस नम्बर की अनुसूची में जो हमने जोड़ा है उससे उनको सन्तोष हो जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भार्गव साहब को दस नम्बर में शामिल करना चाहते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : तो धारा 32 आप और देखें। इनकी मंशा इसमें भी शामिल है :

"If the Board is satisfied-

(a) that any title or degree granted or qualification certified by a University, medical corporation, examining body or other institution in or outside India is sufficient guarantee........"

इसके जरिये बोर्ड अपनी संस्थाओं को रिकग्नाइज करेगा और ट्रेनिंग की पद्धति प्रेस्क्राइब करेगा। उनसे जो डिग्री होल्डर्स निकलेंगे तो वे मान्य होंगे। तो इसमें बोर्ड स्वयं समर्थ है। पर इसके लिये शर्त यह है कि वे इसके लिये पहले भारत सरकार को रेफर करें और भारत सरकार अपने अखिल भारतीय होम्योपैथिक के बोर्ड को कन्सल्ट करके शिड्यूल दो में उनको इन्क्लूड करे।

इस तरह से क्वालिफाइड लोग जो होंगे उनको संरक्षण मिलता है। इस से आपकी मंशा पूरी होती है। आशा है अब आप इस स्पष्टीकरण के बाद अपने संशोधन को वापिस लेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 श्री भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापतिजी, इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"खण्ड 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे। अर्थात्" 3. राजस्थान अधिनियम 1, सन् 1970 की धारा 4 को संशोधन : मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी । अर्थात्

" (1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्

(क) चार व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जावेंगे जिनमें से कम से कम दो मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हता रखने वाले रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथ होंगे ।

(ख) एक व्यक्ति राजस्थान राज्य में मान्यता-प्राप्त होम्योपैथिक शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत अध्यापकों द्वारा उन्हीं में से, मान्यताप्राप्त चिकित्सालय अर्हता रखने वाला रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथ निर्वाचित हो,

(ग) छः व्यक्ति राज्य के रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथों द्वारा उन्हीं में से चुने जायेंगे जिनमें से कम से कम तीन ऐसे व्यक्ति होंगे जो मान्यता-प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखते हों।"

इसमें कुल 11 आदमी होंगे जिनमें चार सरकार द्वारा निर्धारित होंगे।

श्री सभापति : आप इस पर काफी बोल चुके हैं। अब आप संक्षेप में कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 11 में से अगर चार ही क्वालिफाइड होंगे तो बोर्ड में नान क्वालिफाइड आदमियों का आधिपत्य रहेगा। इसे क्या आप उचित समझते हैं? अगर बराबर की संख्या रखेंगे तब भी दिक्कत होगी।

आपका संशोधन है कि चार नाम आप निर्धारित करेंगे जो योग्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे। इनमें विशेष रजिस्टर्ड वाले न रख कर 2 मान्यता प्राप्त चिकित्सक रक्खेंगे। दो विशेषज्ञ हो गये। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

दूसरे में, एक व्यक्ति राजस्थान में शैक्षणिक सेवारत चिकित्सकों में से रख रहे हैं, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना। अब इसमें आपने दो के लिये किया है और मैं तीन कह रहा हूं। एक अध्यापक के लिये आप कह रहे हैं, मैं दो के लिए कह रहा हूं। एक एक अधिक के लिये मैं कह रहा हूं। आप रख रहे हैं उसमें मैं सहमत हूं। अब इन 6 में से तीन क्वालिफाइड हो जावेंगे तो मेरा निवेदन करना यह है कि बोर्ड का संचालन ठीक प्रकार से होगा।

आप जो यह अमेंडमेंट लाये हैं वह भारतीय एक्ट के अन्तर्गत है। उसमें भी लिखा है :

"Four persons to be nominated by the State Government, of whom at least two shall be institutionally qualified teachers and registered homeopaths."

इसमें भी लिखा है कि क्वालिफाइड होंगे। तो मैं समझता हूं कि क्वालिफाइड टीचर्स और चिकित्सक सब मिलाकर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

"Six persons to be elected by the registered homeopaths of the State from amongst themselves out of whom at least 50% shall be institutionally qualified and registered".

तो पचास परसेन्ट की आपको छूट है। तो 6 में से तीन हो गये न। 50 परसेन्ट ग्राफ दी क्वालिफाइड परसन्स "shall be institutionally qualified and registered."

तो इस तरह से भारत सरकार ने जब स्वयं माना है तब आप छः में से दो ही क्यों रखना चाहते हैं। 50 परसेन्ट रखिये। भारत सरकार ने जो निर्णय दिया है इसके आधार पर भी अगर पचास प्रतिशत 11 में से लें तो 6 आते हैं। ये छः अगर आप क्वालिफाइड आदमी रख लेते हैं तो अच्छा होगा। वरना मरजी आपकी।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस विषय में काफी विचार हम लोगों ने किया है। एक तरफ रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए और दूसरी तरफ क्वालिफाइड लोगों को रिप्रजेन्टेशन मिले यह मानते हुए हम समन्वित दृष्टिकोण कायम कर सकें इससे प्रेरित होकर यह संशोधन लाया गया है। पूर्व में तो एक भी क्वालिफाइड रिप्रजेन्टेटिव नहीं थे वहां उनकी कम संख्या होते हुए भी हमने चार को रिप्रजेन्टेशन दिया है। मैं समझती हूं कि यह पर्याप्त है। आगे जैसे जैसे परिस्थिति होगी हम इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार के ही निर्देश के अनुसार हमने चार को प्रतिनिधित्व दिया है। आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ती जावेगी क्वालिफाइड लोगों को वैसे वैसे उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ता जावेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर तो आप यही चाहते हैं कि नान क्वालिफाइड आदमी इसमें अपनी मनमानी करते रहें और यह काम यों ही चलता रहे जैसे पहले से चला आ रहा है। इसमें इस तरह से आप कोई सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। चेयरमैन अनक्वालिफाइड होगा, निकम्मा होगा, अव्यवस्था चलेगी। राजस्थान सरकार यही चलने देना चाहती है तो बहुत बढ़िया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड तीन को स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, इस खण्ड में मेरा संशोधन प्रस्ताव है : उप-खण्ड (3) द्वारा प्रति-स्थापित की जाने वाली उपधारा (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'ऐसी फीस किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जायेगी' को विलोपित किया जाए।'' इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें खण्ड 5 में और इसमें 3 में और 3 में भी उप-धारा 3 में यह कहा गया है रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन-पत्र दो रुपया, तीन रुपया और रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ किया जाय आवेदन-पत्र अलग होगा और रजिस्ट्रेशन की फीस वह प्रति व्यक्ति 50 रुपये और जमा करायेगा। वापिस फीस किसी भी हालत में लौटाई नहीं जावेगी। आज जो आवेदन-पत्र की फीस है दो रुपया और रजिस्ट्री के 50 रुपया और अगर सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो 50) रुपया हजम। यह उपधारा 3 में प्रति स्थापित की जाय और सदैव प्रति स्थापित की जायगी। तो सभापति महोदय, सदैव का मतलब रिट्रोसपेक्टिव से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की फीस आज तक जमा करा रखी है उनकी भी फीस वापिस नहीं की जायगी, ठीक है, अब तो सोच समझ कर देगा लेकिन पहले भूल-भुलैया में दे दिये और यह मान कर दिये कि वापिस मिल जायेंगे उस गरीब को भी वापिस नहीं और उसकी फीस भी हजम। 50 रुपया भी हजम और डाक्टर भी नहीं बने। डाक्टर तो नहीं बने सो नहीं बने उसके गरीब के 50 रुपया और हजम कर लिये। मैं समझता हूं राज्य सरकार उन रुपयों को भी अपने कब्जे में करना चाहती है, मैं समझता हूं बड़ा भारी अन्याय है। बोर्ड के पास आज 400 की रजिस्ट्रेशन फीस पड़ी हुई है और 50 से गुणा करेंगे तो 20 हजार के करीब बोर्ड हजम कर लेगा और आगामी वर्षों में जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे उसको भी हजम कर लेगी। मैं समझता हूं ऐसा ही संशोधन कॉलेज की फीस में भी कर दीजिये। आवेदन पत्र के लिये दो रुपये और एडमिशन के लिये 150 रुपया। अब मान लीजिये बच्चे का एडमिशन हो नहीं इसका मतलब 150 रुपया कॉलेज वाले हजम कर जायेंगे, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा उनके भी बच्चे कालेज, स्कूल में पढ़ते होंगे। इसका मतलब 150 रुपया कुये में गये····

(4.25 म. प.)

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं राज्य सरकार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के आधार पर·········

सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : बिराज जाइये।

मैं सदन को सूचना देता हूं कि आज सदन की कार्यवाही के मध्य में लगभग दिन के 2-35 बजे श्री सुनील भार्गव पुत्र श्री विश्वेसर नाथ भार्गव सदन में प्रवेश कर गये। श्री भार्गव की आयु 19 वर्ष है और वे बी० काम फाइनल के विद्यार्थी हैं····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : भार्गव का नाम पढ़ने से दिक्कत होती है इसलिये पूरा नाम पढ़ें।

श्री अध्यक्ष : आपके मन में शंका होती है तो ऐसा ही लगता है····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे मन में शंका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वे शिक्षा मंत्री जी से बात करने के लिये सदन में गये थे।

श्री सुनील भार्गव को मैंने अपने कक्ष में बुलाकर उनका बयान अभिलिखित किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि वे शिक्षा मंत्री जी से बात करने के प्रयोजन से सदन के अन्दर चले गये थे उनकी मंशा सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने अथवा उसका अपमान करने की नहीं थी। श्री सुनील भार्गव ने अपने इस कार्य पर खेद प्रकट किया है और सदन से क्षमा याचना करते हैं। अब सदन इस सम्बन्ध में कोई उचित निर्णय ले।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यों तो इस विधान सभा के प्रांगण में पहला ही इस प्रकार का केस हुआ है। मेरा ख्याल है पहली विधान सभा से लेकर आज तक कोई भी गैर व्यक्ति इस सदन में नहीं आया। चूंकि स्टुडेन्ट है और मिलने के लिये चले आये और उनको रूल्स का मालूम नहीं था और क्षमा याचना भी कर ली है और यों यह विद्यार्थी विश्वविद्यालय की यूनियन के पदाधिकारी भी हैं। मैं समझता हूं जो निर्णय किया है वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैंने निर्णय सदन पर छोड़ा है जो वस्तु स्थिति है वह रखी है।

श्री खेतसिंह : तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चूंकि विद्यार्थी है और गलती तो गंभीर है फिर भी सबकी राय है माफ कर दिया जाय तो क्षमा कर दिया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह सदन की गरिमा के अनुकूल है। विद्यार्थी की 19 वर्ष की आयु बताई जाती है और वह माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने की दृष्टि से आ गया। इस तरह मिलने के लिये जनता से चुनकर और विधायक बनकर आना पड़ता है इस प्रकार का विधान सभा में आने का प्रोसिजर उनको मालूम नहीं था। माननीय मंत्री जी खुले दिल से मिलना चाहते थे इसलिये वे सीधे आ गये और उसने क्षमा भी मांग ली है और यह भी कहा है कि सदन का अपमान नहीं करना चाहता था तो जो शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है, क्षमा करने का, मैं उनका समर्थन करता हूं और साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं विद्यार्थियों की जो समस्यायें आये दिन उभर कर आ रही हैं उस पर भी ध्यान दे लें तो विद्यार्थियों के इस प्रकार का आने जाने का क्रम नहीं हो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह अर्ज किया चाहता हूं यह मामूली घटना है। जो इतिहास है उसको सामने रखकर शिक्षा मंत्री जी उन बच्चों की ओर उन स्टूडेन्ट्स की उत्तेजना के जो कारण हैं उस पर गौर करें और उसके निराकरण करने को कोशिश करें।

श्री खेतसिंह : कर रहा हूं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय....

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

माननीय सदस्य के ...

(व्यवधान)

प्रान ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है। उनमें उत्तेजना नहीं थी, कुछ जानकारी करना चाहते थे। यह मामूली सी बात है। आप क्यों उत्तेजना जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं.......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उसका इतिहास है। वह मिलने आया था। उत्तेजित था तभी आया। मेरा अर्ज करना यह है कि उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें ताकि यह स्थिति पैदा ही न हो। मैं धन्यवाद देता हूं उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है और इस अच्छे निर्णय के लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा स्कूल और कॉलेज में असेम्बली वर्किंग का एक चेप्टर रख दें ताकि उनको जानकारी रहे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय शिक्षामंत्री जी ने रखा है

श्री सुनील भार्गव को क्षमा याचना प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसी बातें रोजाना ही करें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : इन्तजार कीजिये।

(4.30 म. प.)

(श्री फूल चन्द जैन, सभापति, पदासीन)

विधेयक पर अग्रेत्तर खण्डशः विचार एवं उसका पारण

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अन्त में निवेदन करना यही चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस जमा कराये उसको वापिस करने का प्रावधान है तो फीस वही लो जाये। इसमें लिखा है (3) उप-धारा (1) अथवा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पचास रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ किया जायगा, ऐसी फीस किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जायेगी।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन

श्री रामकिशन : मैं तो नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सभापति जी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि यह जोड़ा गया। इसका उद्देश्य अपने आप में स्पष्ट है। पहले इसमें मकसद यह है कि जिस प्रकार से बोर्ड को रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करने के लिए जांच करनी पड़ती है, सुनवाई करनी पड़ती है, कारेस्पोन्डेन्स करनी पड़ती है उसके साथ व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरी बात यह कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाती है तो जो लोग रजिस्ट्रेशन के समय में इस बात का ध्यान नहीं रखते कि दरअसल में उनकी 3 साल की प्रेक्टिस है या नहीं है, वह रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है लेकिन जैसा कई

Page No 98

98

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की कि बहुत से लोग इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जो कि फर्जी सर्टिफिकेट भी ले आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए जो कि इस चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं कि चाहे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता और नहीं होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता तो उनको कम से कम यह तो चिन्ता होगी कि गलत रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो हमारी फीस वापिस हो जायगी और जैसा अभी आपके सामने आया कि बहुत से गलत लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब उनकी जांच की जायगी, उनकी सुनवाई की जायेगी फिर उनकी अर्जी खारिज की जायेगी तो उसके जरिये से बोर्ड को जो कार्यवाही करनी पड़ती है तो जरूरी है कि इसको जब्त किया जाये। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन यह भी है कि यह जो रिजेक्शन होगा वह अपने आप में ढंग से होगा, कोई मनमाने ढंग से नहीं होगा और उसके बावजूद भी उसको लगे कि मेरा रिजेक्शन सही नहीं हुआ है तो अपनी अपील आगे कर सकता है और उसके बाद में सैकिण्ड अपील गवर्नमेंट को भी कर सकता है। इसलिए यह शंका करना कि जरूरत नहीं है कि रिन्यूअल की रजिस्ट्रेशन खारिज हो जायेगी तो अपील करने का प्रावीजन नहीं है। अपील करने का प्रावीजन है इसलिए इसको रखना गलत प्रतीत नहीं होता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया

खण्ड 6

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति जी इस संबंध में यह कहना है :

'(ग) जिसके बारे में बोर्ड की इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से गठित समिति द्वारा जांच के उपरान्त तथा संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह पाया जाये कि उसने रजिस्ट्रीकरण कपटपूर्ण के अथवा मिथ्या या कूट रचित या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके अथवा दुर्व्यपदेशन के आधार पर अथवा प्रवंचक एवं बेईमानी के साधनों का उपयोग करके, अभिगत किया है।'

राज्य सरकार की मन्शा यह है कि उस करेन्ट ईयर में उसको रिन्यूअल करने के लिए जा रहे हैं उसी में केवल वह जांच करेंगे। यहां पर भी जब राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन की फीस को जब्त करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करवाने के लिए संशोधन ला सकती है। मेरा इस खण्ड में यह संशोधन है :

"उपखण्ड (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1 में, नया खण्ड (ग) जोड़ा जायगा 'के पश्चात् तथा शब्द 'अर्थात्' से पूर्व शब्द तथा 'सदैव' ही जोड़ा गया समझा जायगा।' अन्त. स्थापित किये जायें।" तो मेरा यहां

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पर इस संबंध में यह कहना है कि इस पर यदि यह जोड़ा जाये याने 'सदैव' शब्द जोड़ लिया जायें उसका अर्थ यह होगा कि पिछले लोग जिनका कि गलत रजिस्ट्रेशन हो गया जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया था कि 11 बोर्ड के सदस्य थे इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रार होमियोपैथिक बोर्ड के थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उनकी बीवी का हो गया, कई राजपत्रित अधिकारी जो कि होमियोपैथी के बारे में जानते हैं उनका हो गया-मैंने निवेदन किया कि यहां के स्वायत्त शासन मंत्री थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया-इसका मतलब यह है कि जो लोग होमियोपैथी की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं मैं समझता हूं कि उनका रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। बहुत मोटी सी बात है क्योंकि अब यदि ऐसे अयोग्य व्यक्तियों का भी रिन्यूअल हो गया क्योंकि अब यह भी एम. बी. बी. एस. डाक्टरों के समकक्ष बनने जा रहे हैं अब तक तो नुकसान नहीं था मीठी गोली से लो फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ तो यहां पर जीवन मरण का प्रमाण-पत्र देने वाली बात है और कोर्ट में साक्ष देने वाली बात भी है–इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें भी जब आप फीस जब्त करने की बात में जा सकते हैं तो इसमें 'सदैव' शब्द जोड़ लिया जाये तो ढंग से लोगों की जांच भी हो जायेगी और उसके बाद यदि रिन्यूअल करेंगे तो इससे होमियोपैथी के डाक्टर भी अच्छे अच्छे होंगे और लोगों में इस पद्धति के प्रति विश्वास भी पैदा होगा। वरना राजस्थान की होमियोपैथी की डिग्री ले ली, जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है ऐसे लोगों को डिग्री दे दी गई और रिन्यूअल कर दिया गया तो बिल के प्रति और होमियोपैथी चिकित्सा के ऊपर विश्वास होना चाहिए वह नहीं होगा। इसलिए 'सदैव' शब्द जोड़ा जाये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सभापति जी, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इस संबंध में चूंकि पूर्व में इस प्रकार की कोई बात नोटिस में नहीं आई है और कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की गयी है इसलिए उसको रेगुलेराइज करने के लिए इस प्रावधान को रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात यह होती है कि अगर इस प्रकार का गलत रजिस्ट्रेशन हो और उसके लिए कोई कार्यवाही की जानी है तो इसके बारे में जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि एक्ट की धारा 26 की उपधारा (1) के अन्दर नया भाग (ग) जोड़ा गया है उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अगर कोई गलत प्रमाण देकर, कपट ढंग से रजिस्ट्रेशन करायेगा तो उसकी जांच के जरिये अथवा कोई आवेदन पत्र इस प्रकार का प्राप्त हो उसके जरिये से इसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। इसलिए भूतकाल में कोई ऐसा उदाहरण नहीं आया है लेकिन भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी और पूर्व में इस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं था और अब कर दिया गया है इसलिए ऐसी आशंका करने की जरूरत है और इसका समाधान भी संशोधन के जरिये से हो जाता है। इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं कि मैंने बोर्ड के 11 लोगों के उदाहरण दिये और यह कहना कि कोई उदाहरण नहीं आया है मैं समझता हूं कि मेरी बात का खण्डन करना ही है तो दूसरी बात है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस प्रकार की भूतकाल में कार्यवाही कभी नहीं हुई है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह रजिस्टर्ड होमियोपैथ हो गया और इस कानून के बाद वह एम. बी. बी. एम. डाक्टर के समकक्ष हो गया। मैं समझता हूं कि 70 परसेन्ट ऐसे लोग हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो गलत है उनको हटाये जाने का प्रावधान हो चुका है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है खण्ड 6 में जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया

(व्यवधान – अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि खण्ड (6) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (6) स्वीकार किया गया।

खण्ड (7)

प्रश्न यह है कि खण्ड (7) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (7) स्वीकार किया गया।

खण्ड 8

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापतिजी, इसमें यह जो मैंने संशोधन दिया है मैं इसको नहीं देता हूं।

दूसरा मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा और वह यह है कि इस बिल में यह दिया गया है :

"मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखने वाला रजिस्ट्रीकृत होमियोपैथ किसी मृत्यु समीक्षा में या न्यायालय के समक्ष होमियोपैथ चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित किसी विषय पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप मे उपस्थित होने तथा साक्ष्य देने का पात्र होगा"

मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि......

श्री सभापति : संशोधन मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसको नहीं कर रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर......

श्री सभापति : संशोधन तो मूव नहीं कर रहे हैं ना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह संशोधन गलत हो गया इसलिए मैंने इसको वापस ले लिया था लेकिन इसमें आ गया है। यहां पर मेरा संशोधन अब यह है कि जो मृत्यु सर्टीफिकेट देने का जब अधिकार देने जा रहे हैं, यहां पर यह अधिकार केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सक को ही मिलना चाहिए वरना मैं समझता हूं कि इसके भयंकर परिणाम होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मान्यता प्राप्त चिकित्सक को ही अधिकार हो यह स्वीकार करना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सभापतिजी, इसमें जो उपधारा (4) के (ग) को विलोपित कर नई उप धारा (5) जोड़ी जाने का प्रस्ताव है उसमें स्पष्ट तौर पर.... ...

श्री सभापति : संशोधन मूव नहीं किया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : वही मैं निवेदन कर रही हूं कि माननीय सदस्य के विचार इसमें अन्तर्निहित है। मेरा निवेदन है कि सर्टीफिकेट देने का और प्रमाणित करने का जो अधिकार दिया गया है वह क्वालिफाईड होमियोपैथ को ही है, उसीसे तात्पर्य है इसलिये माननीय सदस्य की मंशा के मुताबिक है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (8) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (8) स्वीकार किया गया।

खण्ड 9

प्रश्न यह है कि खण्ड (9).......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है .....

श्री सभापति : इसमें कोई संशोधन नहीं है। आप तृतीय वाचन पर बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापतिजी एक मिनिट में अर्ज कर देता हूं। जैसे एक पत्रिका का कार्यकाल बढ़ाया जाता है वैसे ही यहां पर भी बढ़ाया जा रहा है। एक वर्ष का एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल पर्याप्त नहीं है। यहां पर राज्य सरकार से किसी प्रकार की भूल हो गई, एडमिनिस्ट्रेटर ने एक वर्ष तक राज कर लिया, बोर्ड पर एडमिनिस्ट्रेटर रहा नहीं. छः महीने हो गए और पता नहीं कब एडमिनिस्ट्रेटर कायम करेंगे, कब नए बोर्ड का गठन होगा राज्य सरकार ने अपनी गल्ती को छुपाने की कोशिश की है मान लीजिये कि गल्ती हो गई तो हमेशा के लिये क्यों करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसके लिये बिल में प्रोविजन कर हमेशा के लिए प्रावधान करना कहां तक उचित हो सकता है।

श्री लूणाराम : संशोधन नहीं है फिर भी बोल रहे हैं।

(व्यवधान-अन्तराय)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठ जाओ। मेरा निवेदन करना यह है कि राज्य सरकार से एक बार भूल हो गई तो उसके लिए हमेशा के लिए बिल में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष करना उचित नहीं है। इसलिए एक ही वर्ष का रहना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस संबंध में पूर्व में, मैं निवेदन कर चुकी हूं और कोई संशोधन भी दिया हुआ नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (9) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

खण्ड 10

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापतिजी, इसमें मेरा निवेदन है कि "उप खण्ड (2) विलोपित किया जाय।" मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी इसको तो स्वीकार करेंगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य ने जो उप खण्ड (2) यानि मद (4) को विलोपित करने का प्रस्ताव किया है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो मद चार विलोपित किया गया है उसमें यही है कि "वे होम्योपैथी जो बोर्ड में होंगे पर्याप्त योग्यता प्राप्त हों तथा अपने व्यवसाय में दक्षता के लिए सुविख्यात हों" इसको विलोपित करने के लिए यह संशोधन पेश किया गया है, यह अध्यादेश लाया गया। अब इसको विलोपित करने का अर्थ यह होगा कि इसको आप पूर्ववत रखना चाहते हैं। यह इतना वेग टर्म है और जिस बात के लिए माननीय सदस्य चिंतित हैं कि क्वालिफाइड लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और व्यवस्थित ढंग से पद्धति चलानी चाहिए तो उसमें सुविख्यात, अच्छे माहिर लोग जिनका क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, जिनके पास सर्टीफिकेट नहीं है लेकिन उनको सिर्फ यह घोषित कर दें कि बड़े सुयोग्य हैं, प्रशिक्षित हैं उससे मैं समझती हूं कि और भी गल्तियां होने की आशंका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्रीजी ने जो यहां पर सुविख्यात के आधार पर जो बात कही है, मेरा निवेदन यह था कि वह होम्योपैथ शिक्षण संस्था से पढ़ा हुआ हो, शायद मेरी भावना को गलत समझ रही हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि यहां पर ऐसे लोगों के सर्टीफिकेट के आधार पर धारा 30 (2) के अन्तर्गत एम.एल.ए.,एम.पी.के सर्टीफिकेट के आधार पर·······

श्री सभापति : यह बात आप पहले कह चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि शिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपकी भावना की पूर्ति इससे हो जाती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : धन्यवाद है आपको मेरी भावना के लिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन धारा (10) में प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (10) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

खण्ड 11

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें यह लिखा हुआ है :

"ऐसा निरसन होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी"।

"मेरा संशोधन है कि उप खण्ड(2) को विलोपित किया जाय।"इसमें यदि यह उप खण्ड (2) विलोपित कर दिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सभापतिजी, यह बिलकुल फार्मल प्रावधान है जिसमें कि अध्यादेश के तहत, आर्डीनेन्स के तहत जो कार्यवाही अब तक की गई होगी उसको रेगुलराइज करने के लिए इस बिल के अन्दर प्रावधान किया गया है जो अपने आप में जरूरी है, उचित है। इसके निरस्त करने से विपरीत परिणाम हो सकते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (11) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम के साथ नाम आदि स्वीकार किए जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियम के साथ नाम आदि स्वीकार किए गए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्तावित करती हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा इस सम्बन्ध में तृतीय वाचन पर निवेदन करना यह है कि बिल तो पास हो रहा है। मेरा निवेदन है कि मैंने जो कुछ भी सदन में इस होमियोपैथी बिल के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, बोर्ड के गठन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटर की मियाद बढाने के बारे में, जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन माननीय मंत्रीजी ने सारे के सारे सुझावों को अस्वीकार करके मामूली संशोधन इस विधेयक के नाते लाये हैं तो मेरा एक निश्चित रूप से विश्वास है, पक्की शंका है कि इससे कोई होमियोपैथिक चिकित्सा में राजस्थान में कोई बड़ा बल नहीं मिलेगा। निवेदन है कि आप भी इस प्रकार बोर्ड के गठन में अनियमिततायें हुई हैं। अब भी उसमें ऐसे लोगों को जो क्वालिफाइड नहीं होंगे उन लोगों को बहुसंख्यक होने के कारण 11 में से चार रखे गये हैं और जिस प्रकार से सदन के अन्दर बिल पास कराने जा रहे हैं उससे मेरी इस प्रकार की मान्यता है कि जो आर्डीनेंस लाया गया है, जो बिल लाया गया है उससे होम्योपैथी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास होगा नहीं, किसी प्रकार का सुधार होगा नहीं। मेरी मान्यता है कि आगामी छः महीने बाद जब सदन वापस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिलेगा। तब तक माननीय मंत्रीजी के सामने ये सारे परिणाम आने वाले हैं और उनके आधार पर आगामी सत्र में ही माननीय मंत्रीजी को एक बार फिर संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए यह बिल मेरी दृष्टि में बिल्कुल अपर्याप्त है, अपूर्ण है। इस बिल से होम्योपैथी क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्थान, इसकी मान्यता में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि यह होगा कि नोन-क्वालिफाइड लोग मृत्यु सर्टिफिकेट, कोर्ट में प्रोड्यूज करने के लिए सर्टिफिकेट देने लग जायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इस प्रकार का बिल ला करके जो जनता के साथ भलाई करना चाहिये था, भलाई का काम नहीं किया बल्कि जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम, गलत सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे है। इस प्रकार यह सरकार इस बिल को पेश करके कोई भला काम नहीं कर रही है और मुझे भय है कि अगले सत्र में यह सरकार फिर इसमें अमेन्डमेंट लाएगी। इन्हीं आधारों पर सरकार को अमेन्डमेंट लाना होगा। यह बिल जनघातक सिद्ध होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भ में जो सुझाव दिये गये थे उनके बारे में यहां उत्तर नहीं दिया गया कि राजस्थान में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने के लिये सेन्टर या अस्पताल स्थान स्थान पर राज्य सरकार प्रस्तावित करने का विचार कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो उसमें क्या बाधा है और क्यों नहीं कर रही है? इस बिल के अन्दर इस बात का कोई प्रोविजन नहीं है कि राजस्थान में होम्योपैथी का काम आगे बढ़े, उसकी प्रगति हो और जनजीवन को चिकित्सा की सुविधा दी जाए इसके बारे में इस बिल में कुछ भी नहीं कहा गया है....

(4.52 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष पीठासीन)

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, ये तीन प्रकार के चिकित्सा के तरीके हैं और उसमें होम्योपैथी का भी एक स्थान है। भारत में ही नहीं विश्व के अन्दर भी आज होम्योपैथी का स्थान है। साइन्टिफिक तरीके से इलाज हो और इस कारण से राजस्थान सरकार केवल बोर्ड का गठन करके रह जाए, रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रावधान कर दें तो यह इस चिकित्सा पद्धति के साथ अन्याय है। किसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और किसका नहीं करेंगे, बोर्ड का गठन किस प्रकार का होगा, अध्यक्ष को क्या क्या सुविधायें होंगी, इन सब प्रावधानों से साधारण तबके को चिकित्सा के अन्दर किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है। होम्योपैथी के विकास के लिये एक ऐसे एक्सपर्ट का कमीशन बनाया जाये जो यह रिपोर्ट दे कि राजस्थान के अन्दर इसका किस प्रकार विकास किया जाए, राज्य सरकार के स्तर पर कैसे इसको प्रोत्साहन मिल सकता है और वर्तमान में जो चिकित्सालय है उनके अन्दर एक अपार्टमेंट इसके लिए स्थापित हो। इस बारे में निश्चित रूप से, क्रियात्मक रूप से, आगे प्रगति के लिये प्रावधान रखा जाए तो उपयोगी होगा वरना आपसी संघर्ष बोर्ड के अध्यक्ष और मेम्बर में होगा और पद, प्रतिष्ठा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के लिये संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा जैसा कि अब तक अनुभव किया गया है और आम जनता को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मन्त्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने शाब्दिक संशोधन रखे थे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण उनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहती हूं कि उनकी जो भावना है, होम्योपैथी पद्धति को ज्यादा से ज्यादा मान्यता प्रदान करने की, उसको व्यापक बनाने की, उसको सुव्यवस्थित करने की, योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्थान देने की होम्योपैथी के विकास के लिये निश्चितरूप से आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास करे, इसके लिये सरकार पूर्ण रूप से विचार करेगी और प्रयत्नशील रहेगी। आज कुछ सरकारी होम्योपैथी के औषधालय हमारे प्रदेश में चल रहे हैं लेकिन जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था हमारे यहां होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति शैशव अवस्था में होने के कारण, धनाभाव के कारण, कुछ पद्धति व्यवस्थित न होने के कारण, इनकी संख्या बहुत कम है। आने वाले समय में यह बोर्ड अच्छी तरह से काम करेगा और योग्य व्यक्तियों को स्थान देगा और इस पद्धति के अन्दर कार्य कुशलता लाकर अपनी सेवायें दे सकेगा। इसकी प्रगति आगे से आगे हो सकेगी और राज्य सरकार चेष्टा करेगी कि बोर्ड, उसके सदस्य और सरकार सब मिल कर इस ओर प्रयत्न करेगी और होम्योपैथी पद्धति जो कि सस्ती है, सरल है और इफेक्टिव है और अच्छी है उसको व्यापक बनाया जाएगा। वर्तमान में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका भी यही उद्देश्य है कि इस पद्धति को सुव्यवस्थित कर इफेक्टिव बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 परिनियत संकल्प

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974.

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश 1974, (अध्यादेश संख्या 14 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बतलाया गया है कि माननीय मंत्री जी यह अध्यादेश इसलिए लाए हैं कि शहरों में जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं और कीमतें इसलिये बढ़ गई हैं, इसमें राज्य सरकार का भी नियोजन हुआ है और जो जमीनें बोर्ड या नगरपालिकाओं से ली गई हैं उनके इफर्ट्स का ही नतीजा नहीं है बल्कि इसमें राज्य सरकार का भी नियोजन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जमीनों की कीमतें कोई एक दो दिन में

(श्री रामकिशन)

नहीं बढ़ी है। शहरों में जमीनों की कीमत, सारे हिन्दुस्तान में शहरों की जमीन की कीमत, बढ़ रही है। इसका कारण यह है बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण की प्रवृत्ति। इस कारण यह कीमत निरन्तर बढ़ रही है। शहरों में रहने के मकान का किराया और संस्थानों के लिये दुकानों का किराया उसकी कीमत भी बढ़ गई है। अगर अध्यादेश लाना था तो पहले क्यों नहीं लाये। उस समय भी विधान सभा का सत्र चल रहा था। कानून में संशोधन पेश किया जा सकता था। अध्यादेश लाने का कारण बतावें तो मन्त्री महोदय विस्तार से इस पर प्रकाश डालें। सरकार क्यों सोती रही, यह समझ में नहीं आता है। राज्य सरकार को आमदनी हो सकती थी उससे वंचित क्यों इतने समय तक रखा गया? यह कनवरजन का मामला पहले ही लिया जा सकता था। अध्यादेश सरकार लाती है। चूंकि अध्यादेशों पर निरन्तर चर्चा हो रही है इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे कोई नये तर्क नहीं देने हैं। परन्तु इस संबंध में जिस प्रकार अध्यादेश लाया गया है, मैं उसकी भावना का स्वागत करता हूं। केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करता हूं लेकिन साथ ही सरकार से यह कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में सरकार ने पहले कार्यवाही क्यों नहीं की, ताकि प्रगति हो सकती।

श्री गौरीशंकर मुनीम : उपाध्यक्ष महोदय, पांच बज रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का बिजनेस समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज का जो बिजनेस बचा है, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 और राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 के पारित होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगर सुधार न्यास की जब स्थापना हुई थी हमारे दिमाग में राजस्थान के निर्माण की कल्पना थी और हम यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान में जो शहर है उनकी व्यवस्था ठीक से हो, और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए जमीन नहीं मिल पारही है उनके लिए यह नगर सुधार न्यास कुछ सक्रिय कदम उठाकर इस समस्या का समाधान कर पायेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमको दिखाई पड़ रहा है कि आज शहरों की समस्या हमारे राजस्थान में बहुत घनी आबादी नहीं होते हुए भी गहन और बहुत ही व्यापक है। आबादी बहुत कम है अन्य राज्यों के मुकाबले में तो भी शहरों में रहने के मकानों के लिए या किसी संस्था के लिए कोई भूखण्ड प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी नगर सुधार न्यास हैं वह एक प्रकार से जागीरी दफ्तर है। इनमें काम का बहुत जल्दी डिसपोजल होना चाहिए था नहीं हो पाता है। एक तरफ तो आबादी इतनी बढ़ रही है और रहने के मकानों का किराया इतना बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ न्यास है उसका जो काम करने का तरीका है

(श्री रामकिशन)

वह इस प्रकार का है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और यह समस्या उलझती ही चली जा रही है। नगरपालिकाओं का और नगर न्यासों का करीब करीब काम मिला हुआ है तो फिर समझ में नहीं आता है कि इन दोनों संस्थाओं को अलग अलग करने का औचित्य क्या है। नगरपालिकाओं से अधिकार लिये विकास करने के लेकिन विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। फिर शहरों में हाउसिंग बोर्ड ने काम शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से तीन एक जसी, एक प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही हैं इनमें को-आर्डिनेशन करना चाहिए और कोआर्डिनेट करके शहरों के विकास के लिए, कल्याण के लिए इस प्रकार की योजना बनाना चाहिए जिससे गरीब लोगों को जिन लोगों का शहरों में रहना मुश्किल हो रहा है उनको छोटे छो भूखण्ड मिले।

हम जयपुर नगर सुधार न्यास को ही ले लें जहां पर जमानों को एक्वायर करने के काफी केसेज पड़े हुए हैं। कुछ मामले तो नगर सुधार न्यास में इस प्रकार के हैं कि जिनको नोटिस दिये हुए 10, 10, 12-12 साल हो गये, जमीनें एक्वायर हो गई, प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई, लेकिन अभी तक एवार्ड नहीं दिया गया है। इसकी वजह से जो तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम जगह जगह देखते हैं। एक रामनारायण महन्त नाम के आदमी को नोटिस सन् 1960 में दे दिया साढ़े चार सो बीघा जमीन का कि तुम्हारी जमीन एक्वायर की जायगी। सन् 60 से आज 74 हो गया 14 साल पूरे हो गये और जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही जो पूरी होना चाहिए थी वह पूरी हो गई, लेकिन एवार्ड आज तक नहीं हुआ है। इससे समस्याएं बढ़ रही हैं। मकान बना लिये हैं लोगों ने उनको तोड़ना पड़ता है। वे सरकार के सामने आते हैं और बोर्ड के सामने आते है। रामनरायण महन्त की दूसरी कोई जमीन थी उसका फैसला नहीं हो पा रहा है और उसका मुआवजा वगैरह आज तक तय नहीं हो पा रहा है। लोगों ने मकान बना लिये हैं। इस प्रकार और आमेर रोड़ पर इस तरह की जमीनें उलझी पड़ी हुई हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि अधिकार तो जो चाहिए लें सदन देने को तैयार हैं। जिस तरह अधिकार आप लेना चाहते हैं वह अधिकार राज्य के हित में हैं इसलिए सदन को कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अधिकार लेने के बाद में अधिकारों का उपयोग नहीं हो पाता है और उनका दुरुपयोग होता है तो मैं समझता हूं कि खासतौर से मंत्रीजी को तवज्जह देना चाहिए और केवल अधिकारियों के हाथों में ही इसको छोड़कर केवल अपनी इतनी सी जिम्मेदारी न समझें कि संशोधन को पारित करा दिया और उसके बाद अपने कर्तव्य की इतिश्री समझें। मैं चाहूंगा कि नगर सुधार न्यास में जिस प्रकार के घोटाले हैं, गड़बड़ियां हैं उनकी जांच खुद करें दो तीन केसेज की तो उनको मालूम पड़ जायगा कि क्या गड़बड़ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन और करना है। वह यह है कि जयपुर की तरह आज भरतपुर नगर में नगर सुधार न्यास की जो प्रवृत्तियां हैं, जो कार्य-कलाप हैं, मुझे मालूम है कि मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे और न मैं जवाब के लिए कह रहा

(श्री रामकिशन)

हूं कि आसपास की खेती की जमीन नगर सुधार न्यास एक्वायर करता जा रहा है तो खेती की जमीन तो ले ली और औद्योगीकरण कर नहीं पा रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत मुआवजा देते है तो उससे व्यापार नहीं चल सकता है तो एक नई समस्या पैदा कर रहे हैं। तो आप जब जमीन एक्वायर करें तो, खासतौर से मैं बड़े नगरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भरतपुर और अलवर क्षेत्रों की बातें कर रहा हूं तो वहां पर खेती के अलावा आसपास की जो जमीनें है उन पर तवज्जह देना चाहिए। अभी भरतपुर नगर सुधार न्यास की तरफ से अवाप्ति का नोटिस जो 7-3-74 को काश्तकारों को दिया गया है वह मालियों की जमीनें होती हैं और वह दो दो, तीन तीन बीघा होती हैं और वह सब्जी करते हैं और उनको जो मुआवजा दिया गया है तो आगे के लिए समस्या पैदा होगी। वह जमीन किस प्रकार की है वह आपने देखी है कि वह भरतपुर में कहां पर है। रामनारायणजी ने तो वहां पर डेरा डाला था, वह जमीन ऐसी है कि जहां पर बाढ़ का पानी आ जाता है। नगर सुधार न्यास उसको एक्वायार करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर कोई मकान बनाने को तैयार नहीं होगा और नगर बनाना भी चाहेंगे तो खर्चा ज्यादा आयेगा और गरीब और छोटे आदमी मकान नहीं बना सकेंगे। ऐसी योजनाओं को मंत्रीजी को खुद को देखना चाहिए और देखकर इन मामलों में ज्यादा तवज्जह देना चाहिए क्योंकि इसका संकल्प बहुत अच्छा है। जिस उद्देश्य से यह अधिकार ले रहे हैं उसमें आपत्ति नहीं है। यह बहुत सही कदम है। केवल नाराजगी की बात यह है कि जो कदम पहले उठाना चाहिए था वह क्यों नहीं उठाया गया ?

इसके अलावा इसमें यह बात साफ नहीं की गई है कि यह जो कन्वर्जन का पैसा जो आपको मिलेगा वह राज्य सरकार अपने हाथ में रखेगी या किसी बोर्ड को देगी। इसमें लिखा है कि जब नगर के विकास के लिए योजना बना रहे हैं तो इसको अगर बोर्ड के पास रखें तो इसकी उपयोगिता है। निश्चित तौर से यह पैसा नगर सुधार न्यास को देना चाहिए और राज्य सरकार को नहीं लेना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी को बाहर की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है और न्यास के पास पैसा नहीं है। इसमें यह लिखा गया है कि राज्य सरकार भी ले सकती है और न्यास भी ले सकता है तो आपका उद्देश्य क्या है यह स्पष्ट कहना चाहिए कि इस प्रकार से जो फीस मिलेगी, इस प्रकार से जो कन्वर्सन से पैसा मिलेगा उसे राज्य सरकार न्यास को ही देगी। यह साफ कर देना चाहिए।

दूसरी ओर एक बात मुझे निवेदन करना है कि कन्वर्ट करने का अधिकार पता नहीं राज्य सरकार किस को देगी। यह साफ नहीं किया गया है। वह राज्य सरकार लेगी या जिलाधीशों को देगी, या कोई अलग आथोरिटी रखेगी, इस सम्बन्ध मे कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि यह कमी है, यह खामी है। मेरा यह सुझाव है कि यह अधिकार जिलाधीश को देना चाहिए। राज्य सरकार तक आने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिलाधीश के नीचे किसी आथोरिटी को देते हैं तो करप्शन की ज्यादा सम्भावना है, मैं यह

(श्री रामकिशन)

नहीं कहता कि जिलाधीशों में करप्शन होता ही नहीं है, लेकिन नये जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें काफी लोग अच्छे ढंग के होते हैं, उनको अधिकार देना चाहिए ताकि लोग आसानी से कन्वर्ट करा सकें। यह दोनों चीजें कानून में साफ करना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार रूल्स बनायेगी उसमें हो जायगा, लेकिन यह मामला यहीं पर साफ हो जाना चाहिए। दूसरे कामों के अधिकार लेना चाहिए, प्रक्रिया सम्बन्धी अधिकार, दरख्वास्त देने का अधिकार लें। लेकिन यह दोनों बातें यह सदन में ही साफ हो जानी चाहिए।

तो इन्हीं कारणों से माननीय मंत्रीजी ने जो अध्यादेश को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखा है उसको अस्वीकार करने का मैंने प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि सदन इसको इसलिए अस्वीकार करे कि राज्य सरकार ने इसको देर से किया है। जो काम पहले हो जाना चाहिए उसमें बहुत डिले की गई है। इतनी बात मुझे कहना था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया है। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि अध्यादेश के जारी करने के बाद कितने लोगों से उन्होंने यह रकम वसूल की और कितने केसेज उनके सामने आये। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी का उत्तर होगा कि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम। किसी आदमी की रकम आई नहीं, कई केसेज इस प्रकार के आये नहीं। तो इस सारे आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यादेश लाने की इस सदन में कोई आवश्यकता नहीं थी, और फिर सीधे-सादे बिल पर यदि यह चर्चा यहां पर रखी जाती और अध्यादेश नहीं लाकर माननीय मंत्रीजी सदन में बिल लाते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होता।

अब यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उदाहरण के लिए कि जयपुर सचिवालय के पास जयपुर उद्योग है···वहां पर जे के सिन्थानिया·······

एक माननीय सदस्य : सिन्थेटिक!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जे. के. सिन्थेटिक की जमीन है, वहां पर बिड़ला हाउस है। अब जयपुर उद्योग प्लाट काट काट कर दे रहा है, रकम एडवान्स में लोगों की जमा हो गई। माननीय मंत्री जी, जयपुर उद्योग ने जो प्लाट काटे हैं, उसकी रकम जमा हो गई-इस सम्बन्ध में आपने जांच की है? क्या जे. के. सिन्थेटिक की जमीन है, वहां पर उसका दफ्तर है? इसी प्रकार बिड़ला हाउस है, वह भी एन. डी. सी. हाउस के रूप में परिवर्तित हो गया है? यह कहना पड़ेगा कि जयपुर स्टेट में इन सब लोगों को जमीन किस काम के लिए दी गई थी और किस नाते दी थी? आखिरकार उस सारी बात पर विचार करना पड़ेगा। अब कहा गया है, जमीन दे दी गई, दो दिन के बाद कोई आदमी, जिस नाते जमीन ली, उस पर्पज से हट कर उसे दूसरे काम में ले, राज्य सरकार उस पर किसी प्रकार की कीमत

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर दे, वह कीमत आये, वह यू. आइ. टी. को दे दी जाय। जयपुर उद्योग वाली जमीन रहने के लिए दी गई, दफ्तर के लिए नहीं दी गई। रहने वाली जमीन को जयपुर उद्योग ने दफ्तर में कन्वर्ट कर लिया तो इसका अर्थ हो गया कि कन्वर्शन हो गया। जमीन रहने के लिए दी लेकिन चल रहा है दफ्तर। बिल्डिंग किस काम में आ रही है, किस काम के लिए भवन दिया गया, किस काम में भवन काम में आ रहा था। जिस मूल उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए दी गई थी जमीन और किसी दूसरे काम में जमीन आ रही है तो इस सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा। अगर सरकार यह मान ले कि जिस नाते जमीन जयपुर स्टेट ने दी थी, आज जमीन उस काम में नहीं आ रही है, जैसे सेक्रेटेरियेट के पास में भी अच्छी भूमि को लोग दबाये हुए बैठे हैं, यदि आर्डिनेन्स के द्वारा माननीय मंत्री जी रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देकर पिछली तारीख से पैसा वसूल करते हैं तब तो मैं समझता हूं कि यह अध्यादेश जन भावनाओं के आधार पर है और इस अध्यादेश का मैं स्वागत करता हूं। आज बड़े बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, बड़े बड़े सम्पन्न, भू-पति जमीन को बेच रहे हैं। आप सांगानेरी रोड पर चले जाइये, बड़े बड़े अधिकारी, मैं समझता हूं, जमीन को बेच रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के मकान बन रहे हैं। मैं समझता हूं, किसी प्रकार से उनको रोकने वाले हैं नहीं, न कोई जांच कराने वाले हैं, न कोई अधिकार है, मैं समझता हूं, फिर भी दूसरे रूप में जमीन को बदल दिया है-उससे आप पैसा वसूल करने वाले नहीं हैं। केवल मात्र आफिस बनाने या जिस पर्पज के लिए जमीन ली उस पर्पज में नहीं लेता है वह पैसा जमा करा दे, तो कोई पैसा जमा कराने वाला नहीं है। इसको स्पेशल पर्पज के रूप में उपयोग करना चाहिए था, लेकिन मन्त्री महोदय ने उपयोग किया नहीं। केवल आर्डिनेन्स निकाल दिया, उसके बाद समय व्यतीत हो गया और बड़े उद्योगों की, दिया तले अन्धेरा, सेक्रेटेरियेट के पास जमीन है, उन पर आपने कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर नगर विकास न्यास में जिन जमीनों का आवंटन किया गया है, वह गलत रूप से बेनामी आवंटन किया गया है। कई जगह पार्क की जमीन है, जो यू. आइ. टी. ने पार्क के लिए रिजर्व की थी, उसमें लोगों को भूमि एलाट की गई है। वह साधारण, गरीब आदमियों को नहीं दी गई है, बड़े बड़े लोगों, बड़े मिनिस्टरों, बड़े प्रभावशाली लोगों और भूतपूर्व यू. आइ. टी. के चेयरमैन को की गई है। नियम यह है, जिसका कहीं पर घर का मकान नहीं है वह एप्लाई कर सकता है। हाउसिंग बोर्ड में भी जिस आदमी ने मकान लिया है वह एप्लाइ नहीं कर सकता। आज आप जयपुर शहर का इतिहास उठा कर देखें, बड़े बड़े सम्पन्न लोग, जो यू. आइ. टी. के चेयरमैन रहे हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने एक एक नहीं दस दस स्थान पर जमीन का कब्जा कर रखा है, मकान बना रखे हैं और किराये पर उठा रखे हैं। इस प्रकार के मकानों को मैं समझूं, मेरे पास रसीद मौजूद है। सौभाग्य से, आपके पास रसीद नहीं होगी, मेरे पास मौजूद है। इस प्रकार पार्क में मकान बना लिया है और जगह मकान बनाया है। उदयपुर में भी यही हालत है, जोधपुर में भी यही हालत है, अजमेर में भी यही हालत है। जयपुर का उदाहरण मैं देना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहूंगा, जनता कालोनी में से भट्टे वालों को हटाया। नाथ की तलैया में भट्टे वालों को जमीन दी गई। लेकिन उन भट्टे वालों में जो प्रभावशाली थे, उनको रेजिडेंसियल जमीन 500 वर्ग गज फीट जनता कालोनी में दी गई। किस रूप में दी गई, जबकि भट्टे उठाने के नाते नाथ की तलैया में जमीन दे दी गई। इन भट्टे वालों को 500 वर्ग गज का प्लान देना क्या वर्ग-भेद नहीं है, आखिरकार है क्या? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के नगर विकास न्यास में इस भांति गड़बड़ी हुई हैं, लोगों को गलत जमीन दे दी गई हैं, पार्क में जमीन दे दी गई हैं, बड़े बड़े लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है इन सबकी आडिट रिपोर्ट यू. आइ. टी. की कई वर्ष की मौजूद है। मैं एक एक का खुले रूप में विवेचन करूंगा तो 11 बजे तक का समय तो मेरे लिए निर्धारित कर दें। मैं एक एक के बारे में पोल खोल कर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े लोगों का विवेचन यहां पर कर सकता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप एक सदस्यीय आयोग जयपुर नगर विकास न्यास में जितनी अनियमिततायें हुई हैं, उसकी जांच के लिए बैठायें, उससे कई लोगों का पर्दाफाश हो जायगा, कई लोगों ने बेईमानी की है, बहुत बेईमान जनता के सामने आ सकते हैं। बस्सी सीताराम के लिए निवेदन करना चाहता हूं, बस्सी सीताराम के नाम से जो बस्ती बनी, उसके बाद जो सारी बातें इसमें हुईं, वह सारी बातें याचिका समिति में आयीं। भाई सतीशचन्द्र अग्रवाल उसके चेयरमैन थे, उनकी रिपोर्ट का क्या हुआ। आज लोगों को मकान मिले नहीं और दूसरी ओर इस प्रकार कब्जा कर रहे हैं मेरा निवेदन है कि यहां पर आर्डिनेन्स लाया गया है, इसके तहत आज बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह आर्डिनेन्स लाया गया है। गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए यह आर्डिनेन्स नहीं लाया गया है। गरीबों के लिए यू. आई. टी. एक्ट है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट है हाईकोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यह सब गरीबों को दिखाने के लिए हैं, गरीबों के लिए नियम हैं। लेकिन जो प्रभावशाली और धनी लोग हैं, जो जमीन पर आधिपत्य करना चाहते हैं, उनके लिए नियमों का किसी प्रकार का बन्धन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय से, आखिरकार कब तक बड़े बड़े लोग इस प्रकार जमीन पर कब्जा करते चले जायेंगे? बड़े बड़े लोगों को भूमि अवाप्ति का नोटिस दिया गया, लेकिन अवाप्ति नोटिस के बाद अवाप्ति वाली भूमि पर बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर रहे हैं। आप मौन बैठे हैं क्योंकि वह आपके चहेते हैं। आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। जो भूमि एक्वायर की है, खेती की है, जो कृषक की है, कृषक ने सारे प्रभावशाली लोगों को बेच दी, छोटे छोटे पीस में। छोटे छोटे पीस में, टुकड़े में ऐसी जमीन न बेचने का अधिकार है और न लेने का अधिकार है। लेकिन कृषक ने बड़े बड़े लोगों को दे दी। बड़े बड़े लोगों को दे दी, उनको अवाप्ति के नोटिस दिये हैं लेकिन उन्होंने अवाप्ति के नोटिस दी हुई जमीन पर भवन बना लिये हैं, उसके बाद भी सरकार उस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है, न सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है। यह सरकार, कांग्रेस की सरकार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जखीरेबाजों, चन्दा देने वालों, अपने चमचों को पालने वाली सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी। यह कार्यवाही उनके खिलाफ करेगी, जो गरीब हैं। मैं लालकोठी का उदाहरण देना चाहता हू, यहां गरीब किसान, गरीब कृषक की भूमि एक्वायर की है। उसकी भूमि एक्वायर करने का नियम है जो कानून का उल्लंघन करे, यू. आइ. टी. एक्ट है, उसका उल्लंघन करे। आखिरकार यू. आइ. टी. एक्ट के अन्तर्गत नियम है, किस आधार पर कृषक की भूमि लेंगे। सेक्शन 32 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें लिखा है, प्रीविअस नोटिफिकेशन आफ एरिया फार विच स्कीम वाज फ्रेम्ड। विदिन ड्यूरेशन एण्ड अफेक्ट आफ नोटिफिकेशन किसी कृषक की भूमि कब्जे में लेना चाहते हैं तो सरकार को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। उस एरिया की स्कीम बन गई है, उसका करना पड़ेगा नोटिफिकेशन। जब सेक्शन 32 के नाते हो जायगा, इसके बाद गजट नोटिफिकेशन के बाद अगर कोई आदमी, कोई कृषक जमीन बेचता है और उस पर मकान बनाता है तो वह अवैध है। पहले का मकान बना हुआ है, सेक्शन 32 के अन्तर्गत स्कीम बाद में जारी हो रही है, तो मैं समझता हूं कि सेक्शन 32 के पहले के जो मकान बने हुए हैं, उनको भी वहां एडजस्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 32 में लिखा हुआ है :

"....Whenever the Trust decides to frame a scheme for any urban area, the State Government may, at the request of the Trust, issue a notification specifying such area and declaring that the Trust has decided to frame a scheme for such area.

(2) A notification under sub-section (1) shall remain in force for six months from the publication thereof. यह स्कीम, जिसका नोटिफिकेशन होगा, यह छः महीने तक प्रभावशाली होगा, यदि राज्य सरकार चाहे।

"Provided that the State Government may, for sufficient reasons, extend the said period by a further period not exceeding six months."

इसका मतलब है, राज्य सरकार दो वर्ष तक का और समय बढ़ा सकती है। सेक्शन 32 के नाते स्कीम को प्रकाशन करना बहुत जरूरी है। स्कीम यू. आइ. टी. बना कर भेज देगी, गजट में नोटिफिकेशन हो जायगा तो राज्य सरकार सेक्शन 38 के अन्दर में कार्यवाही करेगी....

सेक्शन 38 के तहत राज्य सरकार स्वीकृति दे देगी। उसके बाद में उसका नोटिफिकेशन होना जरूरी है।

"Notification of sanction of scheme (1) Whenever the State Government sanctions a scheme it shall announce the fact by notification and the Trust shall forthwith proceed to execute the same".

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसका मतलब राज्य सरकार उसको सेंक्शन करेगी और उसकी जानकारी गजट नोटिफिकेशन में देगी। पहले एक्वायर करेगी, फिर सेंक्शन करेगी 38 में। जब उस जमीन को लेना चाहेगी तो सेक्शन 51 के अन्तर्गत उस पार्टी को बुलाएगी।

" Power to purchase or lease by agreemeent. The Trust may enter into an agreement with any person for the purchase, leasing or exchange by the Trust from such person of any land which the Trust is authorised to acquire or any interest in such land.

इसके बाद कम्पलसरी एक्वीजीशन होगा। इसका मतलब एग्रीमेंट के आधार पर उस आदमी से आप कहते हैं कि तुम्हारे जितने मकान बने हुए हैं उनको भी एडजेस्ट करते हैं, जिन जिन लोगों को तुमने जमीन बेची हैं उसको एडजेस्ट करते हैं, उस एग्रीमेंट के बाद जमीन लेने वाली बात करेंगे। लाल कोठी स्कीम कब बनी? ये सारे मकान सारी स्कीम्स बनने से पहले कृषकों के मकान थे। इसमें एक नियम और है सेक्शन 60 में। सरकार क्या काम करेगी, यह है सब-क्लाज (2) :

"The power of the Trust with respect to the disposal of land under sub-section (1) shall be so exercised as to secure so far as practicable that persons who are living or carrying on business or other activities on the land shall, if they desire to obtain accommodation on land belonging to the Trust as to its improvement and use have an opportunity to obtain thereon accommodation suitable to their reasonable requirements on terms settled with due regard to the price at which any such land has been acquired from them.

याने जिस कीमत पर यू. आइ. टी. ने जमीन एक्वायर कर ली है उसी रेट पर यदि कुछ लोग ले रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उस पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी जमीन देने में। पर यहां तो न तो धारा 32 का पालन हुआ, न 38 का पालन हुआ, न 51 का पालन हुआ, न 60 का पालन हुआ।

इसमें लिखा है :

"Provided that where the Trust proposes to dispose of by sale any land without any improvement having been undertaken or carried out thereon, it shall offer the land in the first instance to the persons from whom it was acquired, if they desire to purchase it, subject to such requirements as to its improvement and use as the Trust may think fit to impose."

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन लोगों से भूमि एक्वायर कर रहे हैं, पहले उनको मौका दिया जाएगा इफ ए डिजायर टु पर्चेज कि हम जमीन बेच रहे हैं, आप लेना चाहते या नहीं Subject to such requirements as to its improvement and use as the Trust may think fit to impose.

उसी कीमत पर उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन लाल कोठी स्कीम योजना बनाई गई 7 जनवरी, 1971 को। इसमें पहले वाले मकानों को एडजेस्ट नहीं किया था जो 1970 में बन चुके थे, उनको भी हाईकोर्ट में गलत बयानी देकर नगर विकास न्यास ने वहां पर बुलडोजर्स का ऐसा डरावना दृश्य प्रस्तुत किया जैसे हिन्दुस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना पर आक्रमण कर रही है, बड़े बड़े टैंक्स, सारे पुलिस के लोग, कलक्टर, एस. पी. मातायें व बहनों की इज्जत लूट कर, उनको मारकर सारे मकानों को गिराया गया। मैंने ये तर्क इसलिए दिये हैं कि राज्य सरकार बड़े बड़े लोग जिनमें बिड़ला का नाम हैं, सिंहानिया का नाम है, जिस काम के लिए उनको जमीन दी गई उसमें वे नहीं ले रहे हैं, बड़े बड़े दफ्तर कायम कर दिये, प्लाट्स काटने जा रहे हैं। यह सरकार बड़े बड़े लोगों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती यह गरीबों पर कार्यवाही करती है। तो यह अध्यादेश जो पीसमील में लाया गया है जिसमें केवल बड़े बड़े लोगों को लाभ देने का प्रावधान रख रहे हैं, इस अध्यादेश को अस्वीकृत किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस अध्यादेश को लाने के लिए हमारे सामने कारण बताए गए हैं उनमें मुख्य कारण यह है कि म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स काम कर रहे हैं, उनकी हद के अंदर जो जमीन आ गई उनका नेचर बदलने से जितनी जमीन की कीमत में बढ़ोतरी होती है उस पर कन्वर्जन फीस लागू की है, उसमें राज्य सरकार का हिस्सा होना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण यह रहा है कि राज्य सरकार ने शहरों के विकास के लिए कभी भी इन्टीग्रेटेड स्कीम नहीं बनाई। तीन तीन आथोरिटीज एजन्सीज कायम कर दीं और तीनों में आपस में फर्क है उनके आपरेशन्स में। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप म्यूनिसिपल बोर्ड्स या काउंसिलज को पूरे पावर्स दें फाइनेन्शियल व एडमिनिस्ट्रेटिव। फाइनेंस कमीशन के पैटर्न पर स्टेट में एक कमीशन नियुक्त हो, राज्य सरकार ने इस पर कभी नहीं सोचा। शहर के आसपास 10 मील के घेरे में कोई आदमी देखें तो एक छोटा काश्तकार जो सब्जी बेचकर अपना गुजर करता था वह एलिमिनेट हो गया। या तो बड़े फार्म्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, बड़ी कोठियां कारखाने। इसका फायदा किसको मिल रहा है? कौन कन्वर्ट करवा रहा है? जिस बड़े आदमी ने छोटे काश्तकार से कम कीमत पर जमीन ले ली हाउसिंग सोसाइटी के मारफत चाहे वह लैंडलार्ड है या पोलिटिकल लीडर है, उद्योगपति है, उसने बड़ी कोठी बना ली, आज वह कन्वर्ट करता है, उसकी फीस, जितनी प्रापर्टी की वेल्यू में बढ़ोतरी आती है, वह चार्ज नहीं कर रहे हैं, मामूली फीस चार्ज कर रहे हैं। उसने मास्टर प्लान को विशिएट किया, अब उसको

(श्री केदारनाथ)

रेग्यूलराइज कर रहे हैं, मामूली हिस्सा उसमें से आप लेना चाहते हैं। आपका एक्वायर करने का तरीका लम्बा है और एक्वायर किसकी जमीन आपने की ? वही इन्फ्लूएन्शन आदमियों की नहीं की। एक्वायर की स्माल होल्डर्स की।

मैं गंगानगर की मिसाल देता हूं। तीन साल से वहां झगड़ा चल रहा है, तीन बार एक्वीजीशन का नोटिस निकाला गया और बड़े आदमी जो शहरों के आसपास थे, उसकी जमीन को आप एक्वायर नहीं कर पाए सारे के सारे नोटिसेज वापस ले लिए। अब जो जमीन एक्वायर की है वह छोटे काश्तकारों की। 10-12 उद्योगपति हैं उन्होंने बिना आपकी इजाजत से रेजीडेन्शल प्लाट्स जहां काटे जा रहे हैं वहां इंडस्ट्रीज कायम की। औद्योगिक एरिया कौनसा हो, रेजीडेन्शल प्लाट्स कहां काटें, खुला मैदान कहां हो, स्कूल कहां हो, यह टाउन प्लानिंग का काम है। उन 10-12 परिवारों ने सारा विकास अपने हाथ में लेकर अपनी मर्जी से काम किया, उसको आप रेग्यूलराइज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वर्कशाप बनाली राज्य सरकार ने औरों को डिस्मेंटल कर दिया लेकिन इन 11 उद्योगपतियों की वर्कशाप को डिस्मेंटल नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार को शहर के विकास के लिए, झुग्गी-झोंपड़ी वालों को बसाने के लिए एक इन्टीग्रेटेड स्कीम बनानी चाहिए, गाइडलाइन्स दें तब जाकर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स इफेक्टिव हो सकते हैं।

आपने कमेटी बनाई कलक्टर उसके चेयरमैन हैं। कलक्टर के पास समय नहीं है। वह भी पैटर्न बदले कैसे वे ज्यादा इफेक्टिव हों। एक स्कीम बना दी जाए चाहें आफीशल्स हों चाहे नॉन आफीशल्स करें मगर उनके हाथ में पावर दें, वे होल् टाइमर्स हों ताकि वे शहरों का इम्प्रूवमेंट कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामकिशन, श्री गिरधारीलाल भार्गव, और प्रोफेसर केदार ने इस सदन में जो जो परिनियत संकल्प की यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1974 को प्रस्थापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 14, सन् 1974) को अस्वीकार करता है, रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेन्स जो राज्यपाल महोदय द्वारा निकाला गया था उसका एक बहुत ही सीमित उद्देश्य था। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में व्यक्त किये वह कुछ इस प्रकार थे कि माननीय सदस्य उस आर्डिनेन्स के स्कोप के बाहर चले गये हों। उपाध्यक्ष महोदय, इसका स्कोप तो सिर्फ इतना ही था कि शहरों के अन्दर और खासतौर से मैं जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर में लोगों ने रेजीडेन्शियल परपजेज के लिये जो लेण्ड खरीदी थी चाहे वह पहले खरीदी या बाद में खरीदी उसको वह लोग रेजीडेन्शियल परपजेज के अलावा दूसरे परपजेज के लिये काम में लेना चाहते थे। पर चूंकि उनके कन्वर्जन के लिये कोई पावर्स न तो यू. आइ. टी. को थी

(श्री रामनारायण चौधरी)

और न ही कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था थी कि इन रेजीडेन्शियल लैन्ड को अगर दूसरे परपज के लिये चाहे वह कोमर्शियल परपज के लिये हो या और कोई में लेना चाहें उसके लिये कितने पैसे राज्य सरकार वसूल करे। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में खासतौर से मैं आपसे निवेदन करदूं कि लोगों ने रेजीडेन्शियल प्लोट्स को सिनेमा बनाने के लिये आवेदन दिये। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में दो सिनेमाघरों के बारे में जिसमें एक तो अम्बर सिनेमा और दूसरा शालीमार सिनेमा के बारे में था। उपाध्यक्ष महोदय, चूं कि यू० आइ०टी०को कोई पावर ऐसी नहीं थी कि वह उसको कन्वर्ट करने की इजाजत दे दे। अब सवाल यह रहा कि उन जमीनों के मालिकों को सिनेमा निर्माण करने की इजाजत दी जाये तो उसके लिये उन्होंने जो उस जमीन के मालिक थे यह एग्रीमेन्ट किया कि भविष्य में जो राज्य सरकार कन्वर्जन चार्जेज मांगेगी वह दे दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब एक सिनेमाघर और बन रहा है मयंक और मुझे एक जानकारी यह भी मिली है कि बिसाऊ हाउस में भी एक सिनेमाघर और बनने वाला है। इस प्रश्न पर न केवल राज्य के हित के लिये अपितु यू० आइ० टी० के हित के लिये और जन हित के लिये यह दृष्टिकोण अपना कर यह आर्डिनेन्स निकाला कि इन जमीनों का कन्वर्जन राज्य सरकार कर सकती है। इसका स्कोप बहुत सी सीमित था उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्यों ने इसका स्कोप बहुत आगे ले जाकर एग्रीकल्चर लैण्ड के बारे में और दूसरे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये।

वैसे माननीय सदस्य अपने विचार किसी भी बारे में व्यक्त करें उसकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अभी उसका जवाब देने में असमर्थ हूं। जब मौका आयेगा तब उसका जवाब दूंगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन माननीय सदस्यों ने एक मुद्दा कॉमन उठाया वह यह कि आज जो यू आइ. टी. की एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्ज हैं, वह बहुत ही टीडियस हैं, और बहुत ही लम्बी है। किसी हद तक माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि इसका प्रोसीजर लम्बा है वह ठीक है लेकिन इसके लिए प्रभावित लोगों को कम से कम कार्यवाही का समय तो मिलना चाहिये। इसमें समय तो लगता ही है। नियमों में जो कार्यवाही होनी चाहिये वह तो होनी ही चाहिये। आज जो जयपुर की हालत आवासीय मामलों में और दूसरी वजह से किस प्रकार से हालत बिगड़ी है यह आपके सामने है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यू० आइ० टी० इस लैण्ड को एक्वायर करने के लिये फिट नहीं होगी। इसके लिये मेरा निवेदन है कि सरकार का विचार इस बारे में कार्यवाही करने का है। सरकार महसूस कर रही है कि एग्रीकल्चर लैण्ड को कन्वर्जन करने की जहां तक बात है, इस आर्डिनेन्स से कोई ताल्लुक नहीं है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है वह खासतौर से हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में कहा है कि इन सोसाइटीज ने एग्रीकल्चर लेण्ड को लेकर कन्वर्ट करने के बारे में कहा है। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि जिन हाउसिंग सोसाइटीज ने एग्रीकल्चर लैण्ड पर कब्जा किया है उस पर राज्य सरकार क्या निर्णय ले यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। उस पर शीघ्र ही निर्णय राज्य सरकार लेने वाली

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेन्स का मकसद तो बिल्कुल ही सीमित है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सदन को यह निवेदन है कि इस परिनियत संकल्प को रद्द किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि जो परिनियत संकल्प रखा है श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 14 सन् 1974) को अस्वीकार किया जाय।

: (अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया

माननीय मन्त्री जी।

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल! जो बात आपने कह दी वह नहीं कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): वह बात नहीं दोहराऊंगा। अलग से बात कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर शहर में लोग जमीन को दूसरे परपज के लिए कनवर्ट करा रहे हैं। वह चाहे उपाध्यक्ष महोदय, सिनेमा के परपज के लिये हो, चाहें कोमर्शियल परपज के लिये हो, चाहे और कोई परपज के लिये हो। उसके लिये मेरा आप से यह प्रश्न है कि आप कैसे बदल देंगे। आपको बदलने का हक नहीं है। क्योंकि इसके लिये नियम ही नहीं बने हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शहरों के लिये योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाय उसके लिए मास्टर प्लान बने हुए हैं और जब तक मास्टर प्लान फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक आप किसी भी लैण्ड को किसी भी परपज के लिये नहीं बदल सकते। आप चाहें जयपुर का सौभाग्य कहें, चाहे जयपुर का दुर्भाग्य कहें लेकिन जयपुर का मास्टर प्लान 20-12-72 को प्रकाशित हो गया था और उस मास्टर प्लान के लिये सुझाव भी आमन्त्रित किये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज एक महीना नहीं. बीस महीने हो गए हैं लेकिन आज तक जयपुर का मास्टर प्लान तय नहीं हो सका है। उसका फाइनल नहीं हुआ है। अब जब मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ तब आप कृषि भूमि को किस प्रकार नोटिस दे सकते हैं। मास्टर प्लान फाइनल हुए बिना आपकी यू. आइ. टी. ने एक्वीजीशन के नोटिसेज कैसे दे दिये। आज जयपुर शहर के चारों तरफ 80 प्रतिशत जमीन है, ले लें, चाहे आप हरमोड़ा की तरफ ले लें, आगरा रोड़ की तरफ की जमीन हो, सांगानेर की तरफ की जमीन हो, चाहे अजमेर रोड़ की जमीन हो आपने जो नोटिस दिये हैं, वह आप नहीं कर सकते हैं और आप कर नहीं सकते। आपकी मर्जी उसमें नहीं चलेगी क्योंकि मास्टर प्लान की स्कीम बिना स्वीकार हुए आप बदल नहीं सकते हैं। गाजियाबाद का एक केस है यह भारत सरकार के वर्सेज है। इसमें 20 हजार बीघा जमीन ली गयी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह यह है: Land specified therein

Page No 118

118

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

including the land of the petitioners was likely to be needed for the planned development of Jaipur City, was illegal inasmuch as on the date of the issue of the said Notification there was no plan in existence for the development of Jaipur specially in respect of the land covered by the said notification.

इसमें जयपुर के केस का हवाला दिया है।

and in veiw of the principles laid down by this hon'ble court in Munshi Singh and others V/s Union of India which was decided on 23-8-1972, the proceedings for acquisition of land of the petitioners initiated on the basis of the said notification are illegal & void."

यह फैसला माननीय मंत्रीजी, मैंने निवेदन किया। जब तक मास्टर प्लान की स्कीम फाइनल न हो जाय तब तक आप उस जमीन को बदल नहीं सकते और एक्वायर भी नहीं कर सकते।

बार बार सदन में प्रश्न यह आता है कि जमीन एक्वायर करेंगे। सदन में आश्वासन नहीं दिया, झूठा प्रोपेगेन्डा किया जाता है। भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री मोहनलालजी सुखाड़िया का यह पत्र मेरे पास है। उनके दस्तखत हैं जो कि उन्होंने भैरोंसिंहजी को लिखा था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या ताली बजायें।

श्री दीपंकर : दस्तखत.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 22 सितम्बर, 1964 को यह पत्र लिखा है कि "हमने यह निर्णय लिया है कि जब तक जयपुर मास्टर प्लान के बारे में अन्तिम निर्णय न कर लें, भूमि अवाप्ति की कार्यवाही बन्द रखी जावेगी।" इस प्रकार का पत्र लिखा।

श्री उपाध्यक्ष। इससे सम्बन्धित है क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मूल एक्ट है। हाइकोर्ट में गये तो सरकार इनकार हो गयी। यह मुख्य मंत्रीजी का फैसला है। मकानों को तोड़ दिया। सरकार ने क्या काम किया, जो लाल कोठी में मकान बने हुये थे उस पर बुलडोजर फिरवा दिया। मास्टर प्लान फाइनल नहीं हो जाता, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उनको आपको स्कीम में एडजेस्ट करना चाहिये था। 136 गृह निर्माण समितियां हैं उन पर अन्याय किया है। सरकार ने घोषणा निकाली थी व 31-8-71 को लाल कोठी की रेट्स निकाल दी थीं फिर भी लोगों के मकानों को तोड़ दिया। 9 अक्टोबर 71 को फोर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भी मकान तोड़ दिये, बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं। उस जमीन को देना चाहते थे उन बड़े बड़े लोगों को इसलिये गरीबों के मकानों को तोड़ दिया। 100 आदमियों को कागज पर ही बिक्री हो गई। रजिस्ट्रेशन फीस की भी हानि हो गई। उन लोगों को अलाटमेंट किस आधार पर किया गया, किस कानून के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अनुसार किया गया। गरीबों के मकानों को कैसे हटा दिया गया। सरकार को इन्क्वायरी बिठानी चाहिये थी कि किस प्रकार से लालकोठी की जमीनों के बारे में अन्याय किया है।

खसरा नं. 10 भौंरीलाल पिता वृद्धिचन्द्र। डी. आइ. जी. दौलतमल जी कोठारी इन लोगों ने इस जमीन को ले लिया। बड़े बड़े लोग हैं भौंरीलाल से जमीन ले ली। भूमि अवाप्ति अफसर ने कार्यवाही की नहीं। और अवार्ड में बहुत बड़ी जमीन उन लोगों को दे दी। 8 रुपया गज के हिसाब से 71 में यह जमीन दे दी। राज्य सरकार के जो नियम हैं वे अलग हैं। उस जमीन के डेवलपमेंट का कार्य भी सरकार ने अपने आप कर दिया। सड़क भी, बिजली भी और यहां तक की नल का कनेक्शन भी लगाया। मुख्य मंत्रीजी के पत्र की मैंने आपको बात कही।

अब आपका यू. आई. टी. दो कानूनों के आधार पर लोगों की जमीन को अवाप्त करने जा रहा है। राजस्थान भूमि अवाप्ति नियम, 1963। एक्ट नं. 24। नगर विकास न्यास 59 एक्ट नं. 35। राजस्थान भूमि अवाप्ति 4 परसेंट ब्याज, नगर अवाप्ति में 6 परसेंट ब्याज। दो धाराओं पर एक साथ अवाप्ति की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। चाहे अस्पताल के लिये जमीन चाहिये या किसी काम के लिये। नागपुर हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है।

मेरा निवेदन करना यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी अवाप्ति की कार्यवाही ही मास्टर प्लान फाइनल हुए बिना नहीं कर सकते हैं। क्या आवश्यकता है ? यदि रेजिडेन्शियल परपज के लिये और मास्टर प्लान में कमर्शियल के लिये है तो नहीं कर सकते हैं। जो भूमि मास्टर प्लान में बतायी गयी उसके लिये नोटिस दे दिया।

एक अधिसूचना भी मेरे पास मौजूद है। गजट में नोटिफिकेशन कब हुआ ? 30 दिसम्बर, 1973 को। 14 नवम्बर की तारीख नहीं मानी जा सकती। जब छः महीने दिये जावेंगे तो जून, 1974 में जाकर 6 महीने होंगे। नक्शे पास कराने का वक्त नहीं दिया। भूमि अवाप्ति के नोटिस दे रखे थे उनसे भी ले लिये। आज आप अजमेर रोड पर चले जाइये। किस रेट से हुए इसकी कोई घोषणा नहीं। लोगों से नक्शे मंगा लिये रेट ही कायम नहीं हुई तो नक्शे वहां से देंगे। रेगुलराइज करने वाले अफसर ने एक भी नक्शा नहीं लिया। नियमन कहां से होगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

समाप्त कर रहा हूं। जिन लोगों ने मकान बना लिये उनको पानी का कनेक्शन भी नहीं दिया। को-ओपरेटिव सोसाइटीज ने मकान बना लिये उनको भी पानी का कनेक्शन नहीं मिला। मंत्रीजी ने यह रखा है। जयपुर में इम्प्रूवमेन्ट करना चाहते हैं तो कृपया मास्टर प्लान को जल्दी फाइनल करें।

जिन क्षेत्रों के लिये न्यूनतम दरें घोषित नहीं की हैं वह आप करें और जिनकी दुरुस्त की भी हैं तो वे पक्षपातपूर्ण हैं। जैसे मैं बताऊं हवामहल में 30 की दर है और दूसरे क्षेत्र की 10 के हिसाब से है, जबकि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दोनों के बीच में केवल एक सड़क का फासला है। केवल एक सड़क के बीच में होने के कारण इतना बड़ा फर्क ? यह अन्याय है। इस पर आप पुर्नविचार करें।

(5.51 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचित करता हूं कि आज लगभग दिन के 3.50 बजे जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, विशिष्ट दर्शक-दीर्घा से श्री गोपालकान्त, पुत्र श्री नरसिंह लाल उम्र 35 वर्ष ने इन्कलाब जिन्दाबाद जयप्रकाश जिन्दाबाद के नारे लगाये और सदन में पर्चे फैंके।

श्री गोपालकान्त को तुरन्त ही प्रहरियों द्वारा अपनी सुरक्षा में ले लिया गया। मैंने अपने कक्ष में उनसे पूछताछ की और उनका बयान अभिलेखित किया। उनके कथन के अनुसार उन्होंने यह कार्यवाही जान बूझकर की और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी कार्यवाही से सदन के कार्य में बाधा पहुँची तथा उसका अपमान हुआ। वे अपने इस कार्य पर न तो कोई खेद प्रकट करते हैं और न ही क्षमा याचना करना चाहते हैं।

मैं चाहता हूं कि सदन इस विषय पर उचित निर्णय ले।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, इससे गम्भीर कोई घटना हो नहीं सकती। इन्होंने सदन की मानहानि की और फिर इतना करने के बावजूद भी माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। पोलिटिकली मोटीवेटेड एजीटेशन के वे हामी लगते हैं और वे चाहते हैं कि सदन की गरिमा को ठेस पहुँचे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा और एक संकल्प प्रस्तुत करूंगा जिसे आप पारित करने की कृपा करें।

जो व्यक्ति अपने आपको गोपालकान्त पुत्र श्री नरसिंह लाल उम्र 35 वर्ष कहता है जिन्होंने आज दिन के 3/50 बजे विशिष्ट दर्शक-दीर्घा से नारे लगाये और परचे फैंके जिसको वाच एण्ड वार्ड्स वालों ने तत्काल अपनी हिरासत में ले लिया। उन्होंने अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं। यह सदन आगे संकल्प करता है कि श्री गोपालकान्त पुत्र श्री नरसिंहलाल उम्र 35 वर्ष को सात दिन अर्थात् 25 अगस्त, 1974 तक साधारण सजा दी जावे और जेल भेज दिया जावे।

श्री मु० गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि अभी यह जो घटना घटी इससे सदन का अपमान हुआ। पर यह घटना इतनी आकस्मिक थी कि बहुतों की इस पर नजर ही नहीं पड़ी। इसलिये इससे कोई अधिक गड़बड़ी हुई हो और सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी हो यह कम से कम नहीं माना जा सकता। बहुतों को तो पता ही नहीं लगा। बाधा तो ज्यादा नहीं क्या बिलकुल ही नहीं पड़ी ऐसा भी कह सकते हैं। अपमान तो थोड़ा बहुत माना जा सकता है। उन्होंने यह गलत कदम उठाया। पर मेरी मान्यता है कि आज जो हालात हैं उससे कुछ लोगों के दिमाग में फितूर पैदा होता है। मैं फितूर इसलिये मानता हूं कि जो

(श्री मु. गफ्फारअली)

स्टेण्ड आज लिया जा रहा है जो नारे लगाये जाते हैं उनमें जयप्रकाश का नाम फालतू में ही जोड़ लिया गया है। उनका नाम जोड़ा जाना उचित नहीं था क्योंकि उनका मूवमेंट राजस्थान में तो नहीं चल रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। हालांकि मैं इस मूवमेंट को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। नुकसानदेह भी मानता हूं। पर इसके बावजूद आज जो स्थिति देश में है और जिस गम्भीर खतरनाक दौर में से हम आज गुजर रहे हैं वह ऐसा है कि जिसमें आज एक दो नहीं अनेकों नौजवानों के दिमाग में फितूर पैदा हो गया है। इसका परिणाम यहां परचे फेंकने के रूप में हमने भी देखा। वरना न तो इससे समस्या का कोई हल निकलता है ऐसा मान सकते हैं न उनके मूवमेंट को बल मिल सकता है। न तहरीक में इजाफा होता है। कहने का मतलब यह है कि इससे कोई मतलब हल नहीं होता। यह सिम्बोलिक प्रोटेस्ट जरूर माना जा सकता है। और अगर यह सिम्बोलिक है तो इसकी जो सजा आपने प्रोपोज की है वह मैं समझता हूं कि कतई उचित नहीं है।

मुझे वह भी दिन याद है जब ड्यूक आफ विंडसर, जो बादमें जार्ज 8 के नाम से गद्दी पर बैठे उन पर किसी ने रिवाल्वर चलाया पर गोली उसके नहीं लगी। पर चलाने वाले ने कहा कि यह तो उसने केवल प्रोटेस्ट के तौर पर किया है, मारने की उनकी कतई मंशा नहीं थी उनको। इस पर कोर्ट ने लीनियेन्ट व्यू लिया।

इसी तरह से इस वाकये के लिये भी मेरी मान्यता यही है कि चूंकि इसे केवल प्रोटेस्ट के तौर पर ही समझा जाना चाहिये इसमें हमें भी लीनियेन्ट व्यू लेना चाहिये। फिर नारे लगाने के अलावा परचे जो फेंके गये उसका क्या मजमून है इसका तो हमें पता ही नहीं है। फिर इससे उनकी तहरीक को कोई लाभ इससे मिलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता, फिर वे चाहे कुछ भी मानते हैं, त्याग मानें, बलिदान मानें। यह उनका काम है।

इन सब बातों को देखते हुए मेरा सुझाव है कि आज सदन की कार्यवाही चले उस समय तक की सजा देना ही काफी होगा। इससे ज्यादा इस नादानी की सजा नहीं देनी चाहिये।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा हो। अध्यक्ष महोदय, बात ऐसी है....

श्री रामकिशन : जरूर जरूर। बहुत ही प्रामाणिक होगी आपकी राय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जैसे मानो सदन के नेता ये ही हैं।

श्री दीपंकर : कि इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

जैसा श्री गफ्फारअली ने फरमाया कि कार्यवाही में बाधा नहीं पहुंची कोई गड़बड़ी भी हुई, हो सकता है बहुत कम लोगों के ध्यान में वे आये हों, पर यह निश्चितरूप से मानकर चलना चाहिये कि इसके पीछे राजनैतिक कारण हैं और हमारे उधर बैठने वाले बहुत से विरोधी पक्ष के सदस्य कई विषयों में कह चुके हैं कि राजस्थान को भी बिहार बनावेंगे इसलिये लोग ऐसे नौजवानों को बरगलाते हैं। उनका दिमाग खराब कर रहे हैं। यह पहला उदाहरण है कि जयप्रकाश जिन्दाबाद का नारा यहां लगाया

(श्री दीपंकर)

गया है। परचे भी फेंके हैं। इसी तरह आगे और भी अधिक फितूर ये करवा सकते हैं। इसलिये यह क्षमा करने योग्य बात नहीं है। राजस्थान की जनता अमन-पसन्द है। इसके अमन में ये साम्प्रदायिक दल खलल डालना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। सात दिन की सजा का जो प्रस्ताव रखा गया है, सही है। यह सजा दी जानी चाहिये ताकि आइन्दा इस तरह की हिमाकत कोई और न कर सके।

श्री अध्यक्ष : जनसंघ दल की ओर से कोई बोलना चाहें तो।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उससे इस प्रश्न को जिस भावना से मैं एप्रोच करना चाहता था, अब नहीं कर सकूंगा। उसमें इन्होंने दिक्कत पैदा कर दी और सेकण्ड थोट देने को बाध्य कर दिया। आया ये वरचुअल नेता के रूप में ही बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। हरदेव जोशी है नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में ये लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य सैल्फ इम्पोज्ड नेता का रोल अदा कर रहे हों। ये इस तरह की हरकतें कई दिन से कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : उपनेता ने क्या स्तीफा दे दिया है ?

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, देश में जिस तरह की हवा आज बह रही है उसकी ओर भी लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत किया।

श्री अध्यक्ष : आगे के काम काज को देखते हुए थोड़े में ही कहें तो उत्तम होगा।

श्री रामकिशन : यह समस्या बड़ी है। उत्तर भी बड़ा होगा।

श्री गुमानमल लोढा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12 तारीख को हम यहां आये। ऐसा लगता है उसी दिन से कम से कम कांग्रेस के विधायकों ने सच्ची बात न कहने की शपथ ले ली है। फिर तीन तीन मजदूरों के खून की होली खेलने के साथ में ये यहां आये। गोली काण्ड के साथ श्रीगणेश किया।

श्री फूलचन्द जैन : इस आज की घटना से क्या रिलेवेन्सी हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : प्रश्न यह है कि आज की गड़बड़ कोई सिरफिरे पागल आदमी ने किया हो, ऐसा तो है नहीं जैसा मुख्य सचेतक महोदय ने कहा है–राजनैतिक कारणों से यह कार्य किया और राजनैतिक कार्यों की मिमांसा करने की आज जनता के सामने समस्या पैदा हुई है। प्रश्न यह पैदा होता है आज ये मेन्टल जनरेशन के हाल बन गये हैं। ये सब असेम्बली के नाम हैं। जहां दो जून रोटी की व्यवस्था करने के लिये जो दिमाग बनाते हैं और यहां आते हैं और राज्य सरकार उनको राहत दे नहीं सकती है तो ये बिल्स, अमेन्डमेन्ट्स और आर्डिनेन्सेज को पास करके जनता को उसी प्रकार से भुखमरी····

श्री अध्यक्ष : यों तो काफी कहा जा सकता है। घटना से सम्बन्धित हो वही कहें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री गुमानमल लोढा : यह घटना शायद ···

एक माननीय सदस्य : आपने सुना नहीं

श्री फूलचन्द जैन : आप तो नेता जनसंघ के पहले से ही हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका लेजिस्लेशन बिजनैस वर्क काफी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं बहुत ही संक्षेप में सोचता हूं तो मैं अपने आपको परसुएड नहीं कर सकता, अपनी औपचारिकता के लिये, सदन की गरिमा को बिलकुल तिलांजलि देकर और जो दीवारों पर लिखी हुई बात है उसको बिलकुल विरक्त बना लूं और जब प्रेक्टिकल रूप से विचार करते हैं तो जय प्रकाश जिन्दाबाद के नारे को यदि माननीय सदस्य अपमान समझते हैं और यह समझते हैं जय प्रकाश जिन्दाबाद के नारे लगाना इसलिये अपराध है तो फिर अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है हम केवल मेजें थपथपा कर क्या बिल्स पास करते रहें, एक्ट पास करते रहें ? मेरा निवेदन है इस संदर्भ में स्पष्टरूप से कि वह चाहे साम्प्रदायिक हो, वामपंथी हो, दक्षिण पंथी हो, उग्रपंथी हो पर अध्यक्ष महोदय, आज सबके सब पेट पंथी हैं जो दो जून रोटी के लिये हिन्दुस्तान में संघर्ष चला रहे हैं और यदि यह जय प्रकाश जी से प्रेरणा मिली और विधान सभा में आकर यह कहा। विधान सभा में बैठकर विधायक लोग, आप और हम किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकते हैं तो त्याग-पत्र दे दो तो अध्यक्ष महोदय, किसी रूप में देश की यह सब टैक्निकल बातें हैं और बिलकुल सही स्थिति है। हमें उस पर विचार तो करना होगा और इसलिये बाध्य किया जाता है, बार बार जो प्रयास करते हैं–धान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में इसमें कहीं न कहीं तथ्य हैं स्ट्रीम लाइन मेजोरिटी के बारे में केवल हाथ उठा कर बन्द कर दिया जाता है तो मेरा निवेदन है इस सन्दर्भ में जो माननीय खेतसिंह जी ने प्रस्ताव किया है····

श्री मोहनराज : आप तो उसकी अपील से कनविन्स हो गये हैं। कौन रोकता है आपको।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप ही रोक रहे हैं।

श्री मोहनराज : कतई नहीं·······

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को सुनिये कृपया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप इसलिये रोक रहे हैं कि आप जानते हैं राजस्थान में गुजरात और बिहार की स्थिति पैदा होने के बाद, गुजरात में आपके लोग नहीं चाहते थे और दूसरी पार्टियों से कहते थे समाजवादी पार्टी स्तीफा दे दें, जनसंघ स्तीफा दे दें और दूसरी अन्य पार्टियां स्तीफा दें लेकिन जनता ने आपको निकाल निकाल कर सड़कों पर घेराव करके कहा त्याग-पत्र दो····

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री हीरालाल देवपुरा : ····(अश्रव्य)···

श्री गुमानमल लोढ़ा : सड़क पर आप लोगों का निकलना बन्द हो गया····

श्री हीरालाल देवपुरा : आप कितना ही कहिये। राजस्थान में यह स्थिति पैदा होने वाली नहीं है।

श्री दीपंकर : आपकी बात नहीं मानते यह पौंगा पंथी····.

श्री अध्यक्ष : बीच बीच में दखलन्दाजी न करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस इश्यू का ताल्लुक इससे नहीं है। इससे कांट्रोवर्सी बढ़ेगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय लोढ़ा साहब सजा के बारे में ही कहें।

श्री गुमान मल लोढ़ा : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा त्याग-पत्र देने से कोई नहीं रोकता। अध्यक्ष महोदय, मैं त्याग-पत्र दे दूं या नहीं दूं यह तो निर्णय हम करेंगे और वह निर्णय भी उचित समय आने पर करेंगे लेकिन जिस भावना से कहा है उसकी धज्जियां गुजरात में उड़ा दी गईं। स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम कभी विधान सभा भंग नहीं करेंगे लेकिन अन्त में मजबूर होकर अपने हाथ से विधान सभा को भंग किया कि गुजरात की विधान सभा भंग की जाती है।

(शोरगुल, व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिहार में भी वही हाल होगा जो गुजरात में हुआ है।

(पुनः व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह विषय कोई गर्मी पैदा करने का नहीं है। शान्ति से कहने का है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ताली दोनों हाथों से बजती हैं।

श्री दीपंकर : सरकार को नुकसान पहुँचाने वाली बातें....

(अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नुकसान पहुंचाना......(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, बात तो नुकसान पहुंचाने की है। नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा फायदा पहुंच रहा है। एक तरफ तो यह कहा जय प्रकाश जैसे नेता को जिसने देश में क्रान्ति दी है... (शोरगुल).. व्यवधान) उसके खिलाफ आप चाहते हैं। देश के अन्दर उसका कीर्तिमान स्तम्भ बना हुआ है उस पर कालिख पोतना चाहते हैं। उसके त्याग को, उसके बलिदान को और यहां आकर कहना चाहते हैं जनता को हर प्रकार के अभाव से राहत देना चाहते हैं। मेरा स्पष्ट निवेदन है अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है अमावस्या में जैसे सूझता किसी वस्तु को टटोलता है वैसी आज मेरी स्थिति है। यह संवैधानिक विधान सभा का सारा का सारा तरीका और जनता का अभाव अभियोग उससे अन्धेरापन लगता है जिसमें रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता है और अन्ततोगत्वा हमें गम्भीर होकर विचार करना होगा और यदि ऐसी परिस्थिति में एक युवक ने आकर यहां कहा जनता के अभाव अभियोग को मिटाने में असफल रहे हों, धान देने में असफल रहे हों, रोजगार देने में असफल रहे हों, बेरोजगारी मिटाने में असफल रहे हों तो अध्यक्ष महोदय, बात तो वही है जो आपके और मेरे मन से रात दिन निकलती है। हो सकता है हम यहां कह नहीं सकते हों, लेकिन एक युवक ने हिम्मत करके, बुलन्द होकर यहां आकर वही बात कह दी तो कौन सा जघन्य अपराध हो गया, कौनसा बलात्कार हो गया कौन सा डाका डल गया, जिसके लिये उसको 7 दिन की सजा का प्रस्ताव रख दिया गया। मैं इसके बिलकुल

(श्री गुमानमल लोढा)

विरोध में हूं। मैं आसन की गरिमा को किसी प्रकार भी कम नहीं करना चाहता हूं क्षण भर के लिये भी यह ख्याल मेरे दिमाग में नहीं है कि विधान सभा की इस गरिमा को कम किया जाय लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न कभी यह आजायेगा कि एक तरफ विधान सभा की गरिमा है, एक तरफ विधान सभा का कान्स्टीट्यूशनल तरीका है उसके अन्दर अपनी प्रतिष्ठा है और दूसरी करोड़ों व्यक्तियों की भूख की आह है तो निर्णय करना पड़ेगा। तो निर्णय करते समय ज्यादातर मस्तिष्क और हृदय के अन्दर संघर्ष होगा उस संघर्ष में से निश्चितरूप से यह गरिमा और जितना आज के युग में समझते हैं आसन के लिए और सदन के लिए इसमें आसन का तो प्रश्न नहीं है प्रश्न सदन का है—मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होगा कि माननीय प्रस्तावक, महोदय स्वयं इस बात की गहराई में जायें और असन्तोष और आक्रोश और अभाव अभियोगों को, सुप्त, उत्पीड़ित और दलित व्यक्ति ने जो आवाज उठाई है उसकी आवाज को पहचाने...

श्री अध्यक्ष : मैं सोचता तो यह हूं कि इनका लिखवाकर रख दूं ताकि सामने आये तो आपका ध्यान आ जाये।

श्री गुमानमल लोढा :...मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं समाप्त करने से पहले कांग्रेसी भाइयों के लिए कहना चाहता हूं। इसी देश के अन्दर वह समय था जब कि क्रान्तिकारी बम्ब के सेल लेकर अंग्रेजों पर हमला करते थे और महात्मा जी कहते थे कि अहिंसा के संग्राम में, असहयोग आन्दोलन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य क्रान्तिकारियों का पवित्र था। इसमें दो राय नहीं थी लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए भी हिंसात्मक तरीकों को अपनाना इसके बारे में दो विचार ही सकते हैं, लेकिन क्या इसके कारण से महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले भगतसिंह, बिस्मिल या वीर सावरकर, मदनलाल धींगड़ा जैसे व्यक्तियों के लिए कहते थे- इन्होंने जो कार्य किया वह देश के हित में नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में हमें विचार करना होगा. We have to think in the context of changed circumstances of the country. We have to assume new dimensions of thinking rather than old technical dimensions.

तो मैं इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रस्तावक महोदय इस पर पुनर्विचार करें केवल इस ख्याल से कि बहुमत के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करवा लेंगे, केवल इस ख्याल से इसको पारित करवाने का प्रयास नहीं करें क्योंकि अध्यक्ष महोदय, इसके इफेक्ट्स और राजस्थान भर की जनता के अन्दर चौराहों पर खड़े हुए लोग, झोंपड़ों के अन्दर बैठकर चर्चा करने वाले किसान और मजदूर सब सोचेंगे कि उस व्यक्ति ने क्या किया था? क्या मांगा था? कोटा, परमिट, लाइसेन्स, सीमेंट या मारुती की कार बनाना चाहता था? वह जयपुर उद्योग की सीमेंट नहीं बनाना चाहता था। जनता के अभाव अभियोग को लेकर वह यहां आया और उसने आवाज उठाई जो कि हमारी और आपकी सब की आवाज है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हम समय के अन्दर दीवारों पर लिखे हुए आज के युग की बात को समझें। आज यह नारा जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद 55 करोड़ जनता के दिलो-दिमाग में बसा हुआ है। उस नारे को बन्द करने का प्रयास अपनी सारी शक्ति से मार्शल के बेसिस पर और बहुमत के बेसिस पर नहीं करें-मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में, सारगर्भित।

श्री मूलचन्द सामरिया : .... कि लक्ष्मी वाहन को जिस तरह से सूर्य की रोशनी में नहीं दीखता है उसी तरह से मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारी सरकार में बैठे हुए लोगों को, सत्ता पर बैठे हुए लोगों को भी नजर नहीं आता है। एक तरफ कोई व्यक्ति और जनता की आवाज भुखमरी, बेरोजगारी और परेशानियों से दुःखी होकर अभाव और भ्रष्टाचार आदि की तरफ से दुःखी होकर अगर एक संकेतमात्र और वह भी इतना क्षणिक कि जिसके बारे में मुझसे पूर्ववक्ता मोहम्मद गफ्फारअली जी ने कहा कि किसी को पता भी नहीं चला--इतना संकेत देने मात्र से अगर 7 दिन के कारावास की सजा दी जाये तो असलियत से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति के इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा या जनतंत्र जिन्दाबाद का नारा अथवा जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद का नारा बोलने पर आप सदन के अन्दर बहुमत के आधार पर सजा दे सकते हैं लेकिन आप वास्तविकता को देखें कि भूखे लोगों को आप सजा देकर कितने दिन उनका पालन कर सकेंगे। गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को क्या सजा देने पर आप रोजगार दे सकेंगे और अगर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर यह सोच सकते हैं टटोल कर देख लें कि इस तरह के एक्शन से इस तरह की समस्या का समाधान हो सकेगा? इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सन्दर्भ में सजा देने के बजाय अगर आप सोचें कि किस कारण से प्रेरित होकर उसने यहां पर सदन में पर्चे फेंके या नारा लगाया और उन समस्याओं का निराकरण करने की आप कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि स्थाई-तौर पर नारेबाजी और परचेबाजी को बन्द कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार में ऐसे मंत्री जो भ्रष्ट हों और जिनके ऊपर पुलिस के 420 के केसेज बन रहे हों और ऐसों के सरकार में बैठने के बाद यदि कोई जनता का प्रतिनिधि या नागरिक अगर यहां आकर नारे लगा देता है तो क्या अपराध करता है। क्या मुख्य सचेतक महोदय ने ऐसे सरकार में बैठे भ्रष्ट व्यक्ति को कहा कि तुम अलग हो जाओ? लेकिन ऐसे लोगों को एक तरफ प्रश्रय दिया जाता है, सदन में बड़े से बड़ा स्थान मिलता है, भ्रष्ट लोगों को ऊंचे से ऊंचा पद मिलता है और दूसरी तरफ ऐसी आवाज उठाने वालों को 7 दिन की नहीं एक साल की भी सजा देंगे तो मुख्य सचेतक महोदय आप जनता की आवाज को बन्द नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मुख्य सचेतक महोदय को अपने गिरेबान को देखना चाहिए और अपने पास पड़ौस में देखना चाहिए, अपनी खराबियों को दूर करना चाहिए और जिन दुखों की वजह से ऐसा हुआ है उन

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कारणों को दूर करना चाहिए। नहीं तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनायें आये दिन होंगी, बड़े रूप में होंगी और गुजरात का रूप और बिहार का रूप यहां आयेगा और उसके लिए उत्तरदायी कांग्रेस की सरकार होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह के भ्रष्टाचार को यह लोग पनपाते हैं, भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देते हैं आज लोकतंत्र में उसके लिए कतई गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सब कल के लिए रखा है। आप दिल खोलकर कहें।

श्री मूलचन्द सामरिया :....उसी वजह से लोग भूखों मरते हैं, नारे लगाते हैं तो आप उनको जेल भेज देते हैं। क्या आपके जेल भेजने से भूखों को रोटी मिल जायेगी? इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सेठों से चन्दा लेना बन्द कीजिए, कुछ कन्ट्रोल कीजिए भावों पर और अपने पास में बैठे भ्रष्ट लोगों को दूर कीजिए—यदि यह करते हैं तो यह नारे अपने आप बन्द हो जायेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि इस व्यक्ति को माफ कर दिया जाये और आइन्दा के लिए उसे वार्निंग दे दी जाये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यही निवेदन है कि विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने जो असली मुद्दा था उससे ध्यान हटा दिया और यह कहने लगे कि महंगाई के खिलाफ वह बोला, इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा, जयप्रकाश नारायण जिन्दाबाद का नारा बोला इसलिए 7 दिन की सजा हो गयी। मान लें कि वह व्यक्ति इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद, जोशीजी जिन्दाबाद या खेतसिंह जी जिन्दाबाद या मेरा नाम बोलता जिन्दाबाद का नारा बोलता तो क्या होता? तो भी यही की यही उसको सजा होती। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उससे आप फायदा उठाना चाहते हैं यह अच्छी बात नहीं है। मेरा यही कहना है कि यह तो यह नारा है और यदि कोई दूसरा नारा बोलता तो भी यही सजा तजवीज होती क्योंकि बारबार ऐसी घटनायें सदन में हो रही हैं।....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस उत्तेजित स्थिति में और जिस उत्तेजित नवजवान ने जयप्रकाश जिन्दाबाद का नारा लगाया और पर्चे फेंके उस स्थिति का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन आज हम लोग देश में जो स्थिति बनाते जा रहे हैं और यह सदन....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भड़का रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सुनिए कृपा करके।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह सुनें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनराज : वे जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकिशन : जवाब देना है तो खड़े होकर दें। अभी परम्पराओं की बात कर रहे थे और अभी ही यह हाल है.....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : सुनिए ही नहीं, ध्यानपूर्वक सुनिए।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज इस देश में ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं और जिन सदन की मर्यादाओं की बात हम करते हैं और हमको बड़ी भारी चिन्ता है और खासतौर पर जो सदस्य साम्यवादी दल के जो जयप्रकाश के विचारों से इत्तफाक नहीं करते, मैं भी उनकी बहुत सी बातों से इत्तफाक नहीं करता हूं लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यू. एन. ओ. में ख्रुश्चेव ने जूता निकाल लिया था उस समय हमारी मर्यादा कहां गई। ख्रुश्चेव का जूता निकालना अनुचित नहीं था तो फिर आज आपको यह कैसे अनुचित लग रहा है। उसका कारण यह था कि आज की विश्व राजनीति में, आज देश की जो हालत चल रही है उसमें विरोध प्रदर्शन का यही तरीका है कि या तो माननीय सदस्यों द्वारा जो भाव प्रकट किए जावें, सरकार उनको स्वीकार करे अन्यथा जन आन्दोलन की इस प्रकार की मर्यादाओं को रोक नहीं सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप तो काफी प्रवीण हैं, ब्रिटिश संसद में अण्डा फेंक दिया जाय, टमाटर फेंक दिए जायं और कोई भी आकर कर जायं, हम इस काम का समर्थन नहीं करते लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन जरूर करेंगे कि इन सारे मामलात में आप इतने संवेदनशील नहीं बनें और यह सोचें कि इसका कारण क्या है? यह बिहार में या गुजरात में जो कुछ हो रहा है आखिर इसका कारण क्या है। मैं यह मानता हूं कि बिहार की विधान सभा भंग कर देने से या गुजरात की विधान सभा भंग हो गई तो महंगाई मिट गई और भ्रष्टाचार घट गया, यह हम नहीं मानते। इस मामले में हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है। लेकिन एक बात यह भी साफ है कि आज जो हमारे देश की हालत है उसमें भ्रष्टाचार है, हमारे देश की हालत खराब है, बेरोजगारी है, हमारे देश की हालत पर अंग्रेजी के प्रचलन से विदेशी सभ्यता का असर बढ़ रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र का असर समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, मैं इसका स्वागत नहीं करता हूं, लेकिन व्यक्ति का आचरण कभी किसी आन्दोलन के पीछे रहता है तो उसको आप रोक नहीं सकेंगे। भूख हड़ताल से कितने ही अलग रखें तब भी हमारे ऊपर सदन की भावना का प्रभाव पड़ेगा ही। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बड़ी भारी चिंता हो रही है कि हमारी परम्परायें टूट रही हैं। आप 25 साल का इस सदन का इतिहास उठा कर देख लीजिए क्या कभी विरोधी पक्ष ने इनका समर्थन किया है। जब कभी ऐसे मौके आए हैं विरोधी पक्ष ने आपका समर्थन किया है, उसमें थोड़ी बहुत रियायत देने की बात हो सकती है। मैं यह मानता हूं कि जो भी जनतंत्र में विश्वास रखते हैं वे निश्चय ही इसका समर्थन करेंगे और हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं ही, तभी तो विरोधी पक्ष में हैं, नहीं तो हम भी आज गद्दी-नसीन होते, कांग्रेस से समझौता करके उसके साथ रहते लेकिन कांग्रेस से अलग ही इसलिए हुए हैं कि हमें लोकतंत्र को जीवित रखना है और लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। अब यह चर्चा आती है कि जयप्रकाशजी की जय बोल दी उसकी जगह इन्दिराजी की जय बोल दें और जैसा पूनमचन्दजी कह रहे

(श्री रामकिशन)

थे कि मेरी जय बोल दें तो क्या होगा। मैं यह मानता हूं कि कभी आप भी इतनी ऊंचाई पर चले जायं तो आपकी जय भी बोल सकते हैं.......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गांव का आदमी श्रद्धा से बोल दे तो बात दूसरी है वैसे तो कोई बोले नहीं।

श्री रामकिशन : जो व्यक्ति इरादा पूर्वक कार्य कर रहे हैं और इसे इरादे से कर रहे हैं कि उन मूलभूत समस्याओं की ओर आपका ध्यान चला जाय और हम इन सारी स्थितियों को सोचें। अध्यक्ष महोदय, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है कि सात दिन की सजा होती है या 17 दिन की होती है या छः महीने की होती है। रिवोल्यूशन करने वालों ने इससे भी संगीन सजायें भोगी हैं, फांसी की सजा भी खाई है और काले पानी की सजा भी आजादी की लड़ाई में और लोकतंत्र और समाजवाद की लड़ाई में खाई है। जो संघर्ष करने वाले हैं उनके लिए सात दिन की सजा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। सात दिन की सजा का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्यों की दयनीय दशा पर विचार आता है जिनको मालूम नहीं कि लोकतंत्र का खात्मा किस तरह से होता है। हमारे पड़ौसी देश इण्डोनेशिया में लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया, बर्मा में लोकतंत्र कैसे खत्म हुआ, घाना में लोकतंत्र क्यों गया। आखिर लोकतंत्र के जाने का कारण क्या है। कारण यह है कि लोकतंत्र का शरीर तो पकड़े रहते हैं लेकिन उसकी आत्मा को समाप्त कर देते हैं इन देशों में भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, विदेशी पूंजी की पकड़ बढ़ रही थी और ऐशो-आराम में लिप्त रहे और जिससे इन देशों में लोकतंत्र खत्म हो गया। पहले जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया वे ही तानाशाह बन गए और उन सब का भी पता नहीं रहा। सुकर्णो का क्या हुआ, एन्क्रूमा का क्या हुआ यह आप सबको पता है। हम आपके विरोध में हैं और वह इसलिए हैं कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखना चाहते हैं। जन भावनाओं में आज विधान सभायें और लोक सभा बिल्कुल अनुपयुक्त सिद्ध हो गई हैं और इसलिए जनजागृति लाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ व्हिप महोदय ने जो सजा का प्रस्ताव रखा है मैं उसका न विरोध करता हूं, न समर्थन करता हूं। विरोध इसलिए नहीं करता कि सात दिन की सजा कोई बड़ी बात नहीं है। जो आन्दोलन करना चाहते हैं वे सात दिन की सजा भी भुगत सकते हैं। बड़े प्रेम से भुगत सकते हैं। लेकिन मैं इस भावना का विरोध कर रहा हूं जिस भावना से इस सारे मामले को रखा गया है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है उन्होंने बड़े बड़े दमन सहे हैं और उनका यही विचार रहा है कि ज्यों 2 दमन बढ़ेगा वैसे 2 जनता की आवाज तेज होगी और यह आग भड़केगी। उनका आचरण जनता को प्रभावित करता है और चुनावों में जो कुछ होता है यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर आपको लोकतन्त्र की रक्षा करनी है तो अपने शब्दों को आचरण से बांधना होगा। लोकतन्त्र क्या है और जहां लोकतन्त्र था

(श्री रामकिसन)

उसका ज्ञान मुझे है। आज जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि चुनाव का कानून भ्रष्ट है और भ्रष्ट कानून को समाप्त करने के लिए विधान सभा भंग करके दुबारा चुनाव कराये जायें। जयप्रकाशजी की विचारधारा हम से मिली ही नहीं जब से वे अलग हुए सन् 48 से, तब से हम उनसे सहमत नहीं हैं। लेकिन उनकी एक बात से सहमति प्रकट करनी पड़ेगी कि आज जो यहां सदन में बैठे हुए हैं और जो चुनाव कानून में पैसा खर्च करने का प्रावधान है उसके मुकाबले कितना पैसा खर्च करके अथवा कराकर यहां आकर बैठे हैं यह आपकी आत्मा भी जानती है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतन्त्र की आत्मा को हमने छोड़ दिया है और शरीर को पकड़ कर बैठे हुए हैं और इसीलिए लोकतन्त्र की आत्मा को पकड़ने के लिए यह आवाज है कि आज की स्थिति में विधान सभाएं भंग की जायं और इस प्रकार देश में जन-चेतना जागृत की जाय और ऐसे लोग चुन कर आयें जो देश के प्रति आस्थावान हों। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय कांग्रेस दल के चीफ व्हिप महोदय ने जो प्रस्ताव किया है उसका विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि अपने दिल में, वे इस पर पुनर्विचार करेंगे, चिन्तन करेंगे जिससे देश में लोकतन्त्र जीवित रह सके, बस यही बात मुझे कहनी है।

श्री अध्यक्ष : इधर से और कोई चाहते हैं ?

श्री मोहरसिंह (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा तो नहीं थी बोलने की लेकिन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपनी दयनीय स्थिति विरोधी दल की प्रकट की है, जो विरोधी दल के लोगों में इतना अविश्वास हो गया कि विरोधी दल के लोग कभी भी अपनी आवाज विधान सभा में बुलन्द नहीं कर सके नवयुवकों को आज स्वयं आकर के यहां पर अपनी आवाज बुलन्द करनी पड़ती है और विरोधी दल के लोग उनका समर्थन करते हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र का उपहास और क्या हो सकता है, कहा नहीं जा सकता ? उन्होंने कहा कि मैं न तो समर्थन करता हूं और न विरोध करता हूं और अन्त में कह दिया कि मैं विरोध करता हूं। तो यह स्वयं अपने आप में विरोधाभास की बात कही है इसके सिवाय उनके पास कहने को कुछ नहीं है और वोट लेने को गुजरात और बिहार है। जो स्वयं अपनी स्थिति को नहीं देख करके केवल दूसरों पर पत्थर मारना चाहते हैं। इसलिए इस स्थिति में हमको बहुत ही स्पष्ट और हमारा जो निर्णय है वह साफ साफ बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के लोग, शासक दल के लोग, आपकी दया पर नहीं आए, जनता ने उनको चुनकर भेजा है और आप इस बात का समर्थन करते हैं कि चुने हुए लोगों को जब भी लोग चाहें वापस बुला लें और हम लोगों को सुनने का मौका दें, यह तो ठीक है। इसलिए मैं, जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री: यह तो एक बड़ी आपत्तिजनक बात है कि जनता चुनकर भेजती है और आप चुने हुए लोगों को जनता वापस नहीं बुला सकती....

श्री अध्यक्ष : आपके दल का तो हो चुका है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गलत बात कही गई है उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री दीपंकर : इसका यहां क्या सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : सब बातें कही जा चुकी हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो शासक दल में हैं, वे यह नहीं समझें कि पांच साल की उनकी बपौती हो गई है। जनता कभी भी रास्ते पर लाकर खड़ा कर सकती है।...

(श्री दीपंकर एवं श्री भानुकुमार शास्त्री के साथ साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

एक निराशावाद न फैले, वह यह नहीं समझें कि जनता में, जो निराशा की भावना पैदा हो गई, हमने एक बार चुन लिया पांच साल के लिए....

(निरन्तर शोरगुल : अश्रव्य)

मैं समझता था यह लाखों रुपये खर्च करके आते हैं उनके पीछे भ्रष्ट शक्तियां लगी रहती हैं वह उसको लगाता है। आप यह सोचते हैं कि भ्रष्ट तरीके से किसी प्रकार आप चुन लिए जाते हैं। लाख रुपया खर्च करने के बजाय करोड़ों रुपया कमाएंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अन्दर जो निराशा का वातावरण पैदा हो गया है उसको समाप्त किया जाए। आज समाज के अन्दर निराशा की भावना घर कर गयी है। लाखों रुपया खर्च करके आप यहां आकर बैठ गये और आप यह सोचते हैं कि निर्वाचक आपको वापस नहीं बुला सकते, यह गलत है। यह आपकी भूल है। जनता आपको यहां से हटा सकती है। नाजायज-तौर पर पैसा खर्च करके आप चुनाव जीत गये हैं परन्तु दूसरी ओर जनता में घोर निराशा व्याप्त हो गयी है। इसको रोकने के लिये आन्दोलन होंगे। यदि इस निराशा को नहीं रोका गया तो यह जनतन्त्र की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देगी। हमारी संसदीय प्रणाली की रक्षा के लिये हमको इस पर विचार करना होगा। इन घोर निराशा की परिस्थितियों को देखते हुए इस युवक ने अपनी भावना को यहां पर प्रकट किया है, और इन भावनाओं को देखकर सचेतक महोदय को गम्भीरता से विचार करना चाहिए जो सजा का प्रावधान है उसको कम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संकल्प माननीय सदस्य श्री खेतसिंह ने प्रस्तुत किया है।

श्री मोहम्मद गफ़्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि इन स्पीचेज की भावनाओं को न देख कर मुख्य सचेतक महोदय इस मामले को खतम करने की कोशिश करें। हम लोग अपनी तकरीर से सजा को और बढ़वाना चाहते हैं। आप को ग्रेसफुली इसको रफा-दफा करना चाहिये।

श्री केदारनाथ : अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, अपोजीशन अपना रॉल अदा नहीं कर पाया है इसलिए यह मसले उत्पन्न कर रहा है। यह सही बात है कि अपोजीशन अपना रॉल भली प्रकार अदा नहीं कर पाया है।

श्री अध्यक्ष : आफ दी पाइन्ट गये हैं।

श्री केदारनाथ : परन्तु, अध्यक्ष महोदय, 23 साल तक शासन की बागडोर संभालने

(श्री केदारनाथ)

के बाद भी आप क्या इफेक्टिव रॉल अदा कर पाए हैं इस पर भी आप विचार करें। मैन इन दी स्ट्रीट आज क्या सोचता है, इस पर विचार करें। अपोजीशन अपना रॉल अदा नहीं कर पाया यह ठीक है। परन्तु सरकार आपके पास में हैं, नीतियों का निर्धारण आप कर रहे हैं, समानता का राज्य कायम करने की बात आप कह रहे हैं। इस दिशा में आप क्या कुछ कर पाए हैं, यह आप ही बताइये ? अगर आपने ही इफेक्टिव रॉल अदा कर दिया होता तो शायद आज यह परिस्थितियां पैदा नहीं होतीं। अध्यक्ष महोदय, जो सात दिन की सजा का प्रस्ताव रखा हैं ग्रेविटी को देख कर इसको कम किया जाये। मूवमेन्ट तो हमें करना है। मूवमेन्ट से लड़े हैं और फिर मूवमेन्ट पैदा करेंगे। आज छात्र केवल इन्डिविज्युअल एक्ट कर रहा है। स्पेसिफिक प्राब्लम के लिए छात्र मूवमेन्ट पैदा करें। यह गलत तरीका हैं। मूवमेन्ट तभी जोर पकड़ेगा जब मासेज में जाकर अपने आपको झोंक देंगे किसी आइडियोलॉजी को लेकर वे कुर्बानी दे देंगे। 200/400 विद्यार्थी यूनिवर्सिटी को छोड़ कर अपने आपको मासेज में झोंक दे तो मूवमेन्ट पैदा हो जायेगा। इन्डिविज्युअल एक्शन को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह जो सात दिन की जेल का प्रस्ताव रखा है मेहरबानी करके इसका पनिशमेन्ट जब तक यह हाउस स्थगित हो, तब तक के लिये कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(हु हु की आवाजें)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। हु हु करके किसी की वाणी को न रोका जाए। यह हु हु का नारा लगा रहे हैं। यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : I disapprove of it.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अच्छा ढंग निकाला है। जयप्रकाश बाबू का आन्दोलन आपको भी ले डूबेगा।

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सचेतक महोदय को अपनी राय प्रकट करने दें। सारे सदन के सदस्यों ने, सदन के दोनों तरफ के सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। खेतसिंहजी उस पर क्या कहना चाहते हैं। उनको मौका दें। उन्होंने इस पर दुबारा चिन्तन किया होगा। वे क्या कहना चाहते हैं मालूम तो पड़े।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनकी तरफ देखा है। वे खड़े नहीं हुए हैं तो मैं क्या करूं। प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय सदस्य श्री खेतसिंह ने प्रस्तुत किया है कि श्री गोपालकान्त को 7 दिन की सजा, साधारण कैद की सजा दी जावे, यह जो प्रस्ताव दिया है उसको स्वीकार किया जाये !

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह अन्याय किया गया है इसके विरोधस्वरूप हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री रामकिशन : इस छोटे से मसले के विरोधस्वरूप मैं और मेरे दल के सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं ताकि राजस्थान की जनता समझ ले कि राज्य करने वाले क्या कर रहे हैं।

(संसोपा एवं स्वतन्त्र दल के सदस्यों ने सदन से वहिर्गमन किया)

(6.38 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पहले मुझे मौका दे दें। मैं 5 मिनिट में निवेदन कर दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय""मैं समाप्त ही कर रहा था""

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप तो वाक आउट कर गये थे फिर वापिस कैसे आ गये ? मैं व्यवस्था चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य वाक आउट कर गये थे फिर आपने दूसरे माननीय सदस्य का नाम ले लिया है। अतः ये नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वाक आउट करने के बाद सदन में न आने के लिये नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने दूसरा नाम ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : It is at the discretion of the Chair.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करने जा रहा था, संक्षेप में ही कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि जयपुर नगर का मास्टर प्लान शीघ्र ही फाइनल किया जाये। यह बार बार बदलने वाली पद्धति नहीं होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों की नियमन की दरें घोषित हो गयी हैं, वहां नियमन की कार्यवाही शीघ्र की जाए और जहां की घोषित नहीं की गयी है वहां की घोषित की जाए। एक तरफ आपने दस रुपया और दूसरी तरफ 30 रुपया आपने यह रेट रखी है। इस पर दुबारा विचार करें और नियमन की दरें उचित तय करें। जो जमीन मास्टर प्लान में है और एक्वीजीशन का नोटिस दे रखा है वे नोटिस आप वापिस लें और रेगुलराइज करें। माननीय मन्त्री महोदय जो बिल ला रहे हैं यह तभी प्रभावशील होगा जबकि आप यह संशोधन करेंगे। आप अवाप्ति के नोटिस वापिस लें। गृह निर्माण सहकारी समितियों के पास पानी के कनेक्शन नहीं है। वहां पानी पहुंचावे। आपने यह कहा है जिसकी मासिक आय 200 रुपयों से कम है उसको आप कनेक्शन देंगे। चतुर्थ श्रेणी के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको भी दो सौ से ज्यादा मिलता है। फिर किसको यह सुविधा देंगे ? यह तो एक तरह से ना कहना है। अनुसूचित

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जाति और जनजाति के व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी गयी हैं वे प्रदान की जायं। जो किश्तें आपने रखी हैं, वे भी ज्यादा हैं। शेष किश्तों पर आपने सवा छः प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लेने का जो प्रावधान रखा है मैं समझता हूं कि यह अन्याय है। इसलिए मैं आपसे अन्त में यह कह कर जा रहा हूं कि यह बात जो मैं कहना चाहता हूं यह बात उससे पहले वाली बात नहीं है। इनके नोटिसेज को वापिस लेना चाहिये। आश्वासन भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने दिया था, राजस्व मंत्रीजी ने दिया था, राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों ने दिया, वहां 68 में इसी सदन में मथुरादासजी माथुर ने खुद ने 8-3-70 को राजस्थान विधान सभा में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का आश्वासन दिया था। मथुरादास जी माथुर ने रेट रख दी 6 व 12 रुपये गज। माननीय उपाध्यक्षजी यही नहीं उन्होंने बजट में एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करने से जो 50 लाख की आय होने वाली थी वह भी दिखाई थी। इतने आश्वासन दे देने के बाद—माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया, 50 लाख रुपये बजट में रख दिये रेट 12 रुपये गज की घोषित करने के बाद भी उनके चूंकि नियम नहीं बनाये इसलिए मामला ज्यों का त्यों पड़ा रहा और गरीब लोग जो हैं उनके पास नोटिस चले गये और वे कन्वर्ट नहीं करा सके। यहां पर घोषणा हो उसके बावजूद भी इस प्रकार का अन्याय हो। गत सत्र में राज्य सरकार ने एक हाइ पावर कमेटी गठित की और 23-4-74 को उसने अपने सुझाव दिये और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जमीन एक्वायर तो करे यू.आइ.टी., लेकिन उन लोगों को च्वाइस देना पड़ेगा जिन लोगों ने मकान बना लिये हैं या जिनको सोसाइटीज ने मकान बनाने की परमिशन दे दी। अफसोस है कि उस कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार ने स्वीकार करली और उसको स्वीकार कर लेने के बाद भी धारा 9 में लोगों को एक्वीजिशन के नोटिस दे दिये। पड़ौस में महाराष्ट्र में, गुजरात में कोआपरेटिव सोसायटीज को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास सहकारी विभाग होते हुए भी राजस्थान में उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। एल.आइ.सी. उनको लोन देना चाहती है, एपेक्स बैंक लोन देना चाहता है। अगर लोन मिल गया होता या एक्वीजिशन के नोटिसेज नहीं दिये जाते तो राजस्थान में 40-50 लाख मध्यम वर्ग के लोग अपने मकान बनाने पर खर्च कर देते। वे मध्यम वर्ग के लोग और हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज आज मकान बनाने से वंचित रह गये।

राजस्थान में 10-15 साल हो गये और लिटिगेशन के आधार पर यू. आइ. टी. के पास केसेज पड़े हुए हैं। जयपुर को ही ले लीजिये जहां पर अजमेर रोड वाले, लाल कोठी वाले कोर्ट में चले गये। यहां पर बार बार आश्वासन दिया गया। राज्य सरकार ने 31-8-71 को कृषि भूमि में परिवर्तित करने की घोषणा की थी कि इस तारीख तक जिन लोगों के मकान बन गये उनको नहीं तोड़ेंगे उसके बाद भी मकानों को तोड़ा गया है। मैंने लालकोठी का उदाहरण दिया है आपने कहा था कि जयपुर शहर में इस प्रकार की कोआपरेटिव सोसायटी जो कच्ची बस्तियों की हैं उनको रेगुलेराइज किया जायगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि राज्य सरकार ने स्वर्गीय बरकतुल्ला

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

खां साहब की घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए आज तक नियम नहीं बनाये। यू. आइ. टी. वगैरह को आवेदन-पत्र देते हैं तो वे कहते हैं कि इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार के कोई आदेश नहीं 31-8-71 के। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिये हैं और लोगों के नाम लिख कर भेजे हैं। इस प्रकार से रूल्स नहीं बनाये। स्वर्गीय मुख्य मन्त्री ने 31-8-71 को विकास करने का आश्वासन दिया था लेकिन मैं समझता हूं कि स्वर्गीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन को ध्यान में रख कर रूल्स नहीं बनाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने खाली जमीन पर प्लिंथ बना दिये उनको लें। लेकिन 70 पर्सेंट लोगों के मकान भी बन गये। उन लोगों का उस भूमि पर व्यय हो गया तो उन जमीनों पर से अवाप्ति का नोटिस वापिस लेकर उन को रेग्युलेराइज करना चाहिए। नगर विकास न्यास ने बड़े बड़े लोगों को रियायती दरों पर जमीनें दी हैं, बापू नगर में, सचिवालय के पास, यू. आइ. टी. के पास और गरीब लोगों को रियायती दरों पर नहीं दी। वे रियायतें भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उन का काफी पैसा खर्च हो गया और अवाप्ति के नोटिस को वापिस नहीं लेंगे तो वे मर जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी ओर जयपुर शहर में मकानों का किराया बढ़ रहा है। आज आप अवाप्ति के नोटिस वापिस ले लें और जो मकान बन गये हैं उनको रेगुलेराइज कर दें। अवाप्त अगर किसी जमीन को करते हैं तो उसका फैसला एक वर्ष में होजाना चाहिए वर्ना लोग जमीनों का विकास नहीं करेंगे। जब तक मास्टर प्लान तैयार नहीं हो तब तक अवाप्ति की कार्यवाही को वापिस ले लेना चाहिए। जो बस्तियां आबादी में हैं उनको रेग्युलेराइज करने की व्यवस्था आप करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो माननीय मंत्री जी इस सदन में पास कराने जा रहे हैं वह तभी कार्यान्वित हो सकेगा जब कि मास्टर प्लान को जल्दी फाइनल करा कर अवाप्ति के नोटिस वापिस लेंगे अन्यथा इस बिल को पास करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कृपा करके इस बिल को आप जनमत जानने के लिए प्रसारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : दीपंकर साहब, मैं माफी चाहता हूं। मुझे जाना है इसलिए मैं पहले बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नटशैल में थोड़े से सुझाव रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जब पहले नगर विकास न्यास का जो एमेंडमेंट आया था उस समय यह तय हुआ था कि चेयरमैन जो हो वह होलटाइमर होना चाहिए। यानी बात यह है कि आज कल चेयरमैन कलेक्टर साहब हैं जिनको कमोबेशी 30-32 कमेटियों की सदारत करनी पड़ती हैं उसका नतीजा यह होता है कि इतना बड़ा खर्चा जो यू. आइ. टी. पर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हो रहा है उसके मुकाबले में काम कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि चेयरमैन साहब को और कामों से फुरसत नहीं मिलती है। उनको तमाम कमेटियों को देखना पड़ता है। रेवेन्यू के काम को भी देखना पड़ता है। इस संबंध में जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाय। उस वक्त यह फैसला लिया गया था और हमने एमेंडमेंट कराया था कि जनता के बीच में से कोई आदमी लिया जाय। उसकी वजह यह है कि जो लोग आइ. ए. एस. आफिसर हैं वे जनता के बीच में नसरा-ए-हरकत करते नहीं हैं। उनको मालूम नहीं हैं कि लोगों की क्या दिक्कतें हैं। यह जरूर है कि वह सिर्फ यह देखते हैं कि कानूनी तौर से यह सही है या गलत है। जिन महकमों का ताल्लुक जनता से है उसको खाली कानून से ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आदमी को लिबरल होना चाहिए। तो चाहूंगा कि यह अलग से आदमी आना चाहिए और जनता में से चेयरमैन चुना जाय। अगर वह सम्भव नहीं है तो जो जनता के तौर तरीकों से नजरिया रखने वाला हो वह आना चाहिए। मैं मानता हूं कि डंडियाल साहब जो इनके प्रेडिसेसर थे वह सही आदमी थे और जनता की फीलिंग को समझते थे। ऐसे बहुत कम आइ. ए. एस. आफिसर होंगे। उसका सिलेक्शन आप पर डिपेन्ड करता है।

दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता था कि यह चीज आज आप ला रहे हैं, आपकी कठिनाई जरूर थी कि पहले आप कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, जैसा कि आप अपना जवाब देंगे तो इसको मैं मानता हूं, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो इसकी क्या गारन्टी है। मेरी जानकारी में ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो इजारे के तौर पर इन्स्टीट्यूशन्स के नाम पर, एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स के नाम पर रोक रखी हैं, और जिनकी कीमत लाखों रुपये हैं। एक कोने के अन्दर छोटा सा स्कूल बना दिया और पूरी जमीन उनके कब्जे में हैं, तो आप उस जमीन को उनको बेच देंगे या क्या करेंगे? तो मेरा सुझाव यह था कि इसमें कुछ न कुछ पाबन्दी होना चाहिए। ऐसी जमीनें जिनको जिस परपज के लिए लिया गया था अगर वह इस्तेमाल नहीं हो रही है तो वापिस लिया जाय। आप इस तरह की जमीनों को इजाजत देते हैं कि उनको कन्वर्ट कर सकते हैं तो यह हो सकता है कि इजारे के लिए हॉस्पिटल के नाम पर, चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन्स के नाम पर जमीनें लेकर उनका दुरुपयोग करेंगे और उनको अच्छी कीमतों पर उनको दे देंगे। इस सवाल पर अच्छी तरह से गौर फरमावें। जो एमेंडमेंट ला रहे हैं इस मकसद के लिए वह मकसद आपको पावर देता है यह तो जरूर है, लेकिन पावर का दुरुपयोग होगा। टैगोर स्कूल है बनी पार्क में उसमें स्कूल पूरी जमीन पर नहीं बनता है तो उसको वापिस ले लिया जाय। हास्पिटल के लिए जमीन ली है वह बनता नहीं है, लोग एन्क्रोचमेंट करते हैं। मेरी गुजारिश यह है कि जो जमीन ली जाय और जिस परपज के लिए वह इस्तेमाल होना चाहिये अगर वह नहीं होती है उसको रिज्यूम करने की पावर गवर्नमेंट को रहना चाहिए। वह रिज्यूम की जाय और कन्वर्ट नहीं की जाय तब तो आपका जो मकसद है वह पूरा होगा।

तीसरी चीज मुझे गुजारिश करनी थी वह यह थी कि असल में कई इसमें इन्तजाम

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

चलते हैं तो उसमें बड़ा घोटाला होता है। कुछ जमीनें म्युनिसिपैलिटी में वैस्ट होती हैं। कुछ लैण्ड एक्वीजिशन डिपार्टमेंट में वैस्ट होती हैं। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं, जिसमें हमारा पी. डब्लू. डी. दखल रखता है। तो तीन-तीन जो संस्थाएं हैं, लेकिन जब उनसे वास्ता पड़ता है तो सब सुबुकदोष हो जाते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आमेर रोड़ में एक स्ट्रिप है जहां पर छोटी बगीची बन सकती है उसमें एक म्युनिसिपल कौन्सिलर साहब ने मकान खड़ा कर लिया। नगर विकास न्यास से कहें तो वह कहता है कि यह हमारे ज्युरिस्डिक्शन में नहीं है। यह नेशनल हाइवे है इसका ज्युरिस्डिक्शन पी. डब्लू. डी. का है। उनके पास जाते हैं तो वह कहते हैं हमारा ज्युरिस्डिक्शन नहीं है। म्युनिसिपैल्टी वाले कहते हैं कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो हो यह जाता है कि मैं सजेस्ट कर रहा था कि क्या गवर्नमेंट नहीं सोचती कि तीनों विभागों को मिलाकर कारपोरेशन बना दें और जितनी पावर्स हैं उनमें वेस्ट करें? आपने दो तीन चार चीजें कायम कर रखी हैं उससे बड़ी तकलीफ होती है। महकमा इतना लंबा चौड़ा चल रहा है, उसका उद्देश्य था कि शहर का विकास हो और आज तक इतने साल हो गए, नगर विकास न्यास ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर कहा जा सके कि यह काम अच्छा किया गया या यह विकास हुआ। बहुत सी कच्ची बस्तियां पड़ी हैं उस समस्या का हल नहीं किया गया और दिखाने के लिए थोड़े से पट्टे इधर उधर दिए जाते हैं। तो जल्दी काम करके टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर काम किया जाए। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय के दिल में लगन है कि वह नगर का विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कच्ची बस्तियों का सुधार हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो महकमा रन कर रहा है उसमें हालत यह है कि कोई काम हो नहीं पाता इसलिए होल टाइमर रखें, कोई एक्सपर्ट सेक्रेटरी रखें। यदि कोई इन्जीयर सेक्रेटरी हो तो ज्यादा अच्छे फैसले ले सकता है।

आज जो सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है वह यह है कि नगर विकास न्यास का एरिया में बहुत सी काश्त जमीनों पर शोषण नाजायज तरीके से किया जा रहा है। पहले आपने कन्वर्शन का कानून बनाया और कन्वर्शन किया। वह कानून खतम हो गया अब उसी कानून का सहारा लेकर अब छोटे-मोटे काश्तकार, क्योंकि शहर के नजदीक जमीनें झोटवाड़ा रोड और सांगानेर रोड पर हैं वे हरकत कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लाट्स काट कर 8–10 रुपए प्रति गज बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं इस खयाल से कि सरकार फिर कन्वर्ट करने की इजाजत देगी तो यह चीज हमको प्राप्त होगी। तो इस तरह के लोग कदम उठाते हैं तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि उस जमीन को एक्वायर करें, जो लोग काश्त नहीं करते हैं उनका शोषण करना चाहते हैं, अब उनको मुआवजा दें इसलिए कि पहले तो 8) रु. प्रति गज वह जमीन खरीदी उनका शोषण होगा और आपने कन्वर्शन कानून बनाया और 12 रु. या 20 रु. आप लेंगे वह जमीन उसको 28) प्रति गज में पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्राइवेट लैंड को उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिसके लिए थी, उसको राज्य सरकार तुरंत एक्वायर करे और जो आबाद हैं,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उनको बेचें। कन्वर्शन का कानून खतम हो चुका, 18 मई को उसकी मियाद खतम हो चुकी तो अपना माइंड एप्लाइ करके जो प्राइवेट लैंड है चाहे मुखर्जी की हो चाहे चटर्जी की हो, आप डेवलपमेंट चार्जेज लेकर गरीबों को आबाद करें, उनकी कठिनाइयों को दूर करें। बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हुई हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, न कोई बिल्डिंग्स बन रही है इसलिए आप कमेटी का निर्माण करें और वह ऐसी जमीनों का पता लगाकर उचित कार्यवाही करके उसका हिसाब बिठाकर एक्वायर करें, उचित दामों में लोगों को दें। आपने जो कानून बनाया है, ठीक है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन्स होनी चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग न हो।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है, इसके पीछे एक ही भावना है····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कोरम समाप्त हो गया, विराजिए।

(गणपूरक-सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मै यहां पर निवेदन कर रहा था कि जो यह विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए प्रस्ताव रखा है उसके पीछे राज्य सरकार और जनता के बीच में एक संबंध कायम हो सके ताकि सरकार की जो मन्शा है वह तो स्पष्ट है ही और इस उद्देश्य के लिए एमेंडमेंट लाया गया है। दरअसल में यह उचित है और आना चाहिए था कभी का परन्तु जो असुविधायें जनता के सामने उपस्थित हैं, इन भूखण्डों को लेकर, उनके संबंध में सरकार ध्यान दे, और जनता के सामने यह साफ आ जाए कि किस तरह से भूखंडों का आवंटन होता है और नगर विकास न्यास और बाद में इन भू-खण्डों की क्या स्थिति हुई है, जो व्यक्तिगत तौर पर काश्त कराने वाले कैसे ही आबाद लोग थे उनसे जो भूमि ली गई है उनका क्या हो। जहां तक नगर विकास न्यास का सवाल है, उसके पीछे सरकार की अच्छी भावना रही है और जन प्रतिनिधियों को उसके काम काज देखने के लिए मौका भी दिया गया और बहुत कुछ बाजारों का निर्माण हुआ और लोगों को रहने के लिए भूखंड भी दिए गए और कन्वर्शन चार्जेज भी शायद काफी अच्छी रकम के रूप में इकट्ठी हुई परन्तु एक तरफ जब आज, हम देखते हैं कि बहुत से भूखंड जो आबादी के लिये दिए गए उन पर भी लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं, कोई मार्केट बनाना चाहता है तो उससे सरकार को लाभ तो मिला, परन्तु उसके साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए था कि ये भू-खण्ड तो आवंटित किए गए किन्तु उसका कन्वर्शन पहले दूसरे रूप में किया गया और क्यों आज इस रूप में करना जरूरी है। केवल लोग अपना फायदा करने की दृष्टि से ऐसा कर बैठें तो वह नहीं होने देना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में नगर विकास न्यास की तरफ से कई बस्तियों का निर्माण कार्य भी हुआ है, परन्तु जन प्रतिनिधि बदनाम भी खूब हुए तो आज इस तरह से जन प्रतिनिधि दुबारा ऐसे कामों की देखभाल के लिए आमादा होते हैं तो

(श्री दीपंकर)

जांच होनी चाहिए । बड़े-बड़े भू-खण्ड जिन प्रतिनिधियों ने इन न्यासों के बड़े बड़े पदों पर रहकर अपने कब्जे में किए और महल बनाये ऐसे लोगों के भविष्य के लिए इन लोगों को कैसे दूर कर सकें ?

जो कुछ भी लाया गया है अध्यादेश, इसके पीछे जयपुर शहर की समस्या है । जयपुर शहर के मेडिकल कालेज के पास भू-खण्ड था । उसे भी इसलिए लिया जा रहा था, नोटिस इसलिए दिया गया कि मेडिकल कालेज के लिए आवश्यकता थी, परन्तु उसमें से एक जमीन, जो ढड्ढों का बाग कहलाता है, जो नन्दकिशोर होते थे, उनके कब्जे की जो भूमि थी, वह जरूर मेडिकल कालेज के नाम पर खाली पड़ी है । बाकी जितने लोगों को नोटिस दिये गये, सारी की सारी भूमि मेडिकल कालेज के नाम से अवाप्त करने के लिए जो भी नोटिस दिये, उन पर बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बड़े-बड़े अधिकारियों ने बना ली हैं । तो इस तरह जन-उपयोग के नाम पर इस जमीन को लेने के सहारे को पकड़ कर जो समाज में नये तरह के लोग हैं, बुद्धिवादी हैं, अधिकारी हैं या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, वह इस तरह दुरुपयोग कर जायें और सरकार के ध्यान में न आवे अथवा सरकार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करे तो यह उचित नहीं है । उनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिये । आज तक जो भी इस तरह के भू-खण्ड बन चुके हैं, उन भू-खण्डों के बारे में बहुतों की जांच करने से यह पता लगेगा कि जो नोटिस दिये गये थे, उस एग्रीकल्चर लैंड के, अमुक काम के लिए उसको आबादी में परिवर्तित कर दिया जाय, जिसका मुआवजा दिया जायगा, यह कह कर, सौदा करके बनवा लिये हैं । इसकी जांच की जाय, तो खेती की जमीन थी उस पर बड़े बड़े मकान बने हुए हैं । यह जरूरी है कि ऐसे जिन लोगों ने भूमि उनसे ले ली है उनसे मुआवजा लिया जाय । और जो भी आपके यहां पर एक काम करता है हाउसिंग बोर्ड, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि वह साधारण लोगों को बसाने के लिये काम कर रहा है कि कई तरह के मकानात बना कर दे दें, उसके पास पैसा है, वह राज्य सरकार को उधार देवे, औरों को देवे, फिर भी भू-खण्ड न होने की वजह से जयपुर शहर में, और शहरों में, जहां नगर न्यास बने हुए हैं, वहां समस्या सामने हैं कि जो भूमिहीन हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं उनके लिए मकान नहीं बना सकते, उनको भू-खण्ड बताया नहीं जा सकता, जो भू-खण्ड की समस्या है, उसको हल करने के लिए । जो नगर न्यास अधिकारियों के हाथ में हैं वह ज्यादा गतिशील होने चाहिए, और गतिशील बनाने के लिए चुनिन्दा व्यक्ति के हाथ में दिये जायं, जो भूमि उसके तहत है उसको आबादी में परिवर्तित करने के बाद, आबादी भूमि को किसी व्यापार विशेष के लिए परिवर्तित करने के लिए कोई कार्यवाही होगी तो सरकार को भी अच्छा लाभ रहेगा और जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग जरूरतमन्द हैं, उनकी जरूरत इसमें पूरी हो सकेगी । इसलिए यह जरूरी है कि इस ओर तेजी से ध्यान दिया जाय । जयपुर में ही नहीं, दूसरी जगहों में भी देखा जाय, जयपुर में आगे फेशन थी कि इतने बीघा में बंगला बनाया जायगा तो ऊंचा बंगला कहा जायगा, इतने में बनाया जाय तो इतना छोटा कहा जायगा । इस आधार पर बड़े बड़े बंगले बड़ी बड़ी ज़मीनों में बने हुए हैं ।

(श्री दीपंकर)

जब से सुना है बीच में कि जमीन पर टैक्स लगाने की, बिल्डिग पर टैक्स लगाने की आवाज उठी तो उस जमीन के टुकड़े हो गये हैं, बिल्डिंग के टुकड़े हो गये हैं और टुकड़े ऐसे पड़े हैं कि उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि आप उद्योग स्थापित करना चाहें, रहने के लिए किसी को देना चाहें तो सरकार उनसे भूमि ले ले और लेने के बाद में दूसरों को दे दे, तो अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है। यह मेरा सरकार से निवेदन है।

जहां तक रेट्स का सवाल है, रेट्स कई तरह की हैं। इसमें सामानता होनी चाहिए। जहां तक एक सड़क के ऊपर इधर 12 रुपये हैं और उधर 24 रुपये या पन्द्रह रुपये हैं, इस तरह की रेट हैं यह मैं समझता हूं यह किसी न किसी आधार पर कहा सुनी के आधार पर की गई है। एक गली है, एक मोहल्ला है, एक जगह है और दो तरह की रेट हैं तो लोगों में वहम पैदा होती है। यह कहा सुनी करके कम कराई गई है। इससे सरकार को नुकसान है और लोगों में भ्रम फैलता है। इससे अधिक मुझे कहना नहीं है। यह सरकार जो अध्यादेश लायी है, इससे सरकार का फायदा है लेकिन जितने भू-खण्ड हैं चाहें इन्डस्ट्रियल एरिया के हों, चाहे आबादी के—इन्डस्ट्री कहीं कहीं थोड़ी जगह में लगी हुई है बाकी आबाद हो गई हैं, खेल के मैदान, बगीचे बना रखे हैं। इस तरह के सारे भू-खण्डों का उपयोग सरकार करेगी तो लोगों को उद्योग लगाने का मौका मिलेगा और रहने वालों को रहने का मौका मिलेगा। यह मुझे निवेदन करना है।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारीलाल भार्गव, माननीय दीपंकर, माननीय मोहम्मद गफ्फार अली ने राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए प्रस्ताव किया है। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं हैं कि जिसके लिए यह आवश्यकता हो कि जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। वैसे, मान्यवर, तीन व्यक्तियों में से माननीय दीपंकर और गफ्फार अली साहब ने इस बिल का स्वागत किया है और यह कहा है कि यह पहले ही आ जाना चाहिए था। और इस बिल का मकसद है, उसका उन्होंने हार्दिक स्वागत किया है। एक माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले माननीय गिरधारीलाल भार्गव ने इस बिल का कहीं विरोध नहीं किया, बल्कि इस बिल के सहारे अवसर प्राप्त करके अपनी दूसरी बातें जो जयपुर यू. आइ. टी. से लगा कर जयपुर के डेवलपमेंट से सम्बन्धित हैं, उन बातों की अधिकांश विस्तार से चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल की इससे पूर्व ही आवश्यकता थी, अब इसको जनमत के लिए परिचालित करके समय लगाने की आवश्यकता नहीं है अत: मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाय।

इस बिल में, मान्यवर, दो मुख्य बातें हैं; वह यह हैं :

"........the State Government or any authority authorised by the State Government may, in the public interest, allow any

(श्री दीपंकर)

person to use the land for purposes other than for which it was originally allotted or sold to him by any local authority or State Government or for purposes restricted in a scheme framed under section 22, on payment of such conversion charges as may be prescribed :

Provided that the rates of conversion charges may be different for different areas".

यह एक है, जो अब तक आबादी की जमीन या तो यू. आइ. टी. के द्वारा बेची गई या सरकार द्वारा बेची गई या किसी प्राइवेट पार्टी से किसी व्यक्ति ने खरीदी, उस जमीन का कन्वर्शन, यदि वह कामर्शियल पर्पज के लिए चाहता था तो कन्वर्शन करने की व्यवस्था नहीं थी और कन्वर्शन चार्जेज लेने की व्यवस्था एक्ट में नहीं थी, इसलिए यह संशोधन लाया गया। मुख्य बात है, वह यह है कि इसमें संस्था, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्टेट दोनों का इसमें रखा है।

इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिनसे जनमत जानने की आवश्यकता पड़े और माननीय सदस्य का इतना कहना अवश्य था। वैसे बिल के बारे में न कह कर दूसरी बातों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। माननीय सदस्यों का एक्वायरिंग के बारे में कहना था जिसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य भार्गव साहब और गफ्फार अली साहब से निवेदन करूंगा जो जयपुर में एक्वीजेशन के बारे में प्रोसीडिंग्स चल रही है। आपने कहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद भी जमीन का कन्वर्शन होगा। पास हो जाने के बाद अगर किसी के पास जमीन है, तो म्यूनिसिपैलिटी और यू. आइ. टी. को ऐतराज नहीं होगा और पार्टी चाहेगी तो इस बिल का कोई दखल नहीं होगा। पब्लिक न्यूसेंस नहीं होगी तो सरकार कन्वर्शन कर दे, यह उसका मतलब है। दूसरा एक-

"Prescribing the rates for conversion charges."

उसकी अगर जमीन है, कन्वर्शन चार्जेज तय कर दे, तो या तो यू. आइ. टी. के पास जायेगा या सरकार के पास रहेंगे। इन दोनों में किसके पास रहेगा, यह अभी फैसला नहीं हुआ है। यह रूल्स में सरकार व्यवस्था करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जनमत जानने का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाये और इसको विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव रखा है। उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

जनमत जानने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार एवं पारण

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री फूलचन्द जैन : कुछ हमारा भी ख्याल रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बात यह है कि हम असेम्बली में बैठे हैं। वैसे आप पास करना चाहे तो कर लें। आपकी मर्जी है।

श्री फूलचन्द जैन : बोलिए, बोलिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर कई जगह हैं। यह मालूम नहीं पड़ता है कि किसका राज है। मैं यू. आइ. टी. के सम्बन्ध में निवेदन करने जा रहा हूं। इस शहर में नगर परिषद् भी है और न्यास भी है। इस प्रकार से तीन एजेन्सियां काम करती हैं। नगर परिषद्, नगर न्यास और हाउसिंग बोर्ड। ये तीन संस्थाएं हैं। हाउसिंग बोर्ड मकान बनाकर देता है। सड़कों का यह पता ही नहीं चलता है कि यह किसकी है। सारी सड़कें खराब हैं। ईदा की मोरी में आप चले जायें तो आपको पता चल जायेगा। आदर्श नगर में चले जायें तो सारी सड़कें खराब हैं। कोई कहता है, परिषद् की है। कोई कहता है कि नगर न्यास की है। आखिर कहां पर जायें। यहां पर नगर विकास न्यास का जिक्र हुआ है। नगर विकास न्यास शुरू हुये काफी समय हो गया है। मेरा निवेदन है कि इसमें कलेक्टर का शासन कब तक चलेगा। इसमें जन प्रतिनिधियों को जाना चाहिए। अनेकों पुराने कारनामें हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया जाना चाहिए। यू. आइ. टी. की आय है। मैं समझता हूं कि म्युनिसिपलिटी सफाई और पानी की व्यवस्था करती है। जो आप विधेयक में ला रहे हैं। जो आदमी जमीन को दूसरे उपयोग में लेगा तो कन्वर्शन चार्जेज सरकार में आयेंगे। मेरा निवेदन है कि नगर परिषद की सफाई और पानी की जिम्मेदारी रहती है। मान लीजिये कि किसी ने कारखाना लगा लिया तो कूड़ा-कचरा और गन्दगी जो होगी उसकी सफाई की जिम्मेदारी तो नगर परिषद की है। वह सारे के सारे चार्जेज यू. आइ. टी को देना चाहते हैं। यह सब परिषद की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये होना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर कहा गया है। यू. आइ. टी. नयी बस्तियां बनाकर नये तरीके से म्युनिसिपलिटी को सौंपेगी। यह लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जयपुर में सिविल लाइन है। सी स्कीम है। कई बस्तियां हैं। किसी बस्ती को म्युनिसिपलिटी को सुपुर्द नहीं किया है। यहां पर न्यास और परिषद में कोई तालमेल नहीं है। भारत सरकार कच्ची बस्तियों का विकास कर रही है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया है। राज्य सरकार यू. आइ. टी. को एलॉट कर देती है। कच्ची बस्तियों का प्लान चीफ टाउन प्लानर के यहां से होगा। वहां से अप्रूव होकर आयेगा। आखिर कच्ची बस्तियों का निर्माण हो सके इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चुने हुये नुमाइन्दों को इसके अन्दर बैठायें। अन्यथा यह दोहरी व्यवस्था है। मैं समझता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हूं कि आप असेम्बली समाप्त करके जायें तो सिरेह ड्योढ़ी बाजार का मुलाहिज़ा करते हुए जायें। सारी बिजलियां बन्द हैं। अगर मोटर की बत्तियां जलाकर नहीं जायें तो रास्ता दिखाई नहीं देगा। यहां कल ही रामप्रकाश सिनेमा के सामने एक आदमी टकराकर मर गया है। यह आप विकास कर पाये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि चुने हुए नुमाइन्दे लें। जहां 5 लाख से अधिक की आबादी है, वहां पर निगम बनता है। आप नगर निगम बनाने की घोषणा करें तो अच्छा होगा। राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है, जहां 8 लाख की आबादी होने पर भी निगम नहीं बनेगा। अगर अभी नहीं बनेगा तो कब बनेगा। इस प्रकार से चौमूं और जयपुर में क्या अन्तर है? आमेर और जयपुर में क्या अन्तर है? नगर पालिका वहां पर, नगर परिषद यहां पर।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इस प्रकार से भेदभाव समाप्त करने के लिए यहां पर नगर निगम बनाया जाये। नगर निगम की स्थापना की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 परिनियत संकल्प जनमत जानने हेतु परिचालित करने एवं प्रवर समिति के सुपुर्द करने का परिनियत संकल्प।

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री रामकिशन (अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह आर्डिनेन्स का अन्तिम बिल है। 18 आर्डिनेन्स का यह अठारहवां बिल है। आज का विषय नीरस रहा है। यह जो अमेंडमेंट बिल है। अध्यादेश पहले लाये हैं। इसके पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सी खामियां हैं। यह आर्डिनेन्स लाने को मेन उद्देश्य यही था कि जो खामियां है उन्हें पूरी की जायं। उपाध्यक्ष महोदय, एक केस श्री किशोरीलाल वर्सेज स्टेट में फैसला हुआ था उसमें यह था कि यह सैक्शन 22 के खिलाफ है। यह कान्स्टीट्यूशन के विपरीत है। इसलिए इन खामियों को दूर किया जाये। यह मैटर ला डिपार्टमेंट को रेफर किया गया ताकि यह खामियां दूर हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए यह आर्डिनेन्स लाया गया था। इसके अन्दर उपाध्यक्ष महोदय यह नहीं दिया गया कि कमाण्ड एरिया में जो एलोटमेंट होगा चाहे वह एरिया चम्बल का हो, राजस्थान केनाल का हो वहां जो लोगों को पैसे कर्ज दिये जायेंगे उनकी वसूली कैसे होगी। वह कितने समय के लिए होगा। यह नहीं है। इसके अलावा यह भी इसमें नहीं है कि किन किन को यह कर्ज दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल केनाल और राजस्थान केनाल के लिये अभी वर्ल्ड बैंक से करीब 6 साल के लिए सौ करोड़ रुपया उधार दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ रुपया राजस्थान केनाल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के लिए है। अब इसके लिए सरकार को जो स्थान केनाल के विकास के लिए ड्रेनेज और बाउण्डरी वगैरह बनाने के बारे में और किस किस प्रकार की सुविधा दी जायेगी यह इसमें नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें और बहुत सी खामियां हैं। आप जल्दी जल्दी इस बिल को ले आये हैं। अध्यादेश के रूप में पहले लाये। आखिर आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप आर्डिनेन्स के जरिये कानून बनाते हैं। जबकि आपको बार बार पीस मील में संशोधन लाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आखिर आपको इतना विकास का काम करना है आप इसके लिये एक कोम्प्रीहेन्सिव बिल ही क्यों नहीं ले आते ताकि आप पूरी तरह से जनता को फायदा पहुंचा सकें। वैसे मन्त्रीजी, मैं समझता हूं कि जो मैंने मुद्दे उठाये हैं उसके लिए प्रकाश डालेंगे। वैसे समय काफी हो रहा है मैं ज्यादा न कह कर, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 मई, 1974 को प्रस्यापित राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 8 सन 1974) को अस्वीकार करता है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं ज्यादा न कह कर

(7.23 सायं)

श्री फूलचन्द जैन (सभापति, पीठासीन)

इतना ही कहूंगा कि अभी तक वर्ल्ड बैंक से पैसा आया नहीं है और एग्रीमेंट शुरू हो गया है। अभी तक यह पता नहीं चलता मान्यवर कि वर्ल्ड बैंक से कैसे पैसा मिलेगा? कैसे वहां पर लोगों को खातेदारी राइट दिये जायेंगे। इसके अलावा तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, वह यह है कि आपने राजस्थान केनाल के अन्दर लोगों को जो अलोटमेंट किया है वह सभी हाई-कोर्ट ने खत्म कर दिये हैं। आप अपने तरीके से लोगों को अलोटमेंट करते हों, फिर बाद में आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं। आखिर जब आप किसी को लैण्ड अलोट करते हैं तो आपको कोई रूल्स के तहत लोगों को इजेक्ट करना चाहिये। मान्यवर, राजस्थान केनाल का फर्स्ट फेज समाप्त होने को जा रहा है आपने काफी लोगों को लैण्ड दी है लेकिन इसमें खामियां काफी हैं। एक तो जो आपका स्टाफ है वहां पर, उनका एटीट्यूड एक दम गलत है। एप्रोच ही उनकी गलत है। अभी का एक मैं वाकिया बताता हूं। मैं थोड़े समय पहले बीकानेर गया। वहां पर कुछ एल. डी. सी. व यू. डी. सी. कोलोनाइजेशन के दफ्तर में बैठे थे एक व्यक्ति वहीं पर जमीन के लिए दरख्वास्त देने के लिए गया उसको जो क्वेरीज की गई हैं वह यह थीं-आप कहां के हैं? आपके उत्तर में कौन रहता है? आपके पूर्व के अन्दर कौन है? अब कब से काश्त कर रहे हैं? सभापति महोदय, ऐसी ही की ऐसी क्वेरीज एक हरिजन से की गई थी। मैं वहीं था। मैं यह मानता हूं कि आप ईमानदारी से यह जानने के लिए क्या यह काश्तकार है सवाल कर रहे हैं? लेकिन मान्यवर, ज्यादातर लोग शिड्यूल्ड कास्ट के हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं इल्लीट्रेट हैं उन्हें आप इस प्रकार के क्वेश्चन करके परेशान कर देते हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा जब मोहनलालजी सुखाड़िया राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे, जब यहां एजीटेशन हुआ था और

(श्री केदारनाथ)

उस एजीटेशन के समाप्ति के बाद उन्होंने यह घोषणा की थी कि जिन व्यक्तियों के पास 15 बीघा जमीन है उन्हें राज्य सरकार दस बीघा जमीन और दे देगी। इसकी कमी पूर्ति गवर्नमेंट करेगी। सभापति महोदय, लोगों को इस घोषणा के तहत जमीन अलोट की भी गई लेकिन अब उन्हीं लोगों से जमीनें केन्सिल कर रहे हैं। अब कानून है कि राजस्थान केनाल के एरिया में 15 बीघा से ज्यादा जमीन अलोट नहीं की जायेगी। सभापति महोदय, जिनको अलोट हो गई थी, उस एजीटेशन के तहत उन्हें कैन्सिल कर दी गई। यह क्या बात हुई? पहले आप जमीन का अलोटमेंट करते हैं और बाद में आप कैन्सिल कर देते हैं। इसके अलावा मान्यवर, जो लोग सन् 55 से उस जमीन पर काश्त कर रहे हैं, उन काश्तकारों के लिये यह प्रोवीजन किया गया था कि अगर उन लोगों के बीच में दो साल का ब्रेक आ गया हो, तो उसको कन्डोन कर दिया जायेगा। मान्यवर, यह घोषणा इसी सदन में हुई थी। इसके लिए मैं राजस्व मन्त्री जी से मिला था 5-6 माह पहले उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स भी निकाले थे लेकिन पता नहीं वह आज तक क्यों नहीं निकले। मैंने बीच में बात की तो यह कहा गया कि यह कार्यवाही अब राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेवेन्यू बोर्ड करेगा। इसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड के यहां होगी। सभापति महोदय, एक तरफ आप लैण्ड का अलोटमेंट कर देते हैं दूसरी तरफ आप नोन ज्युडिशियल मैटर्स में टेक्नीकल ग्राउण्ड पर उसको कैन्सिल कर रहे हैं, यह तो आपकी इनजस्टिस है। इसके अलावा मान्यवर, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में, मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वहां की हालत बहुत खराब है। इसलिये मैं तीन चार खामियां हैं अलोटमेंट के बारे में उन्हीं को कहूंगा। इसके लिये मैंने राजस्व मन्त्री जी को लैटर लिखा था उसमें मैंने लिखा कि राजस्थान कैनाल का फर्स्ट फेज समाप्त हो गया है। आपने जैसा कि यहां पर तय हुआ था कि जिन लोगों को 25-4-72 से पहले जमीन का अलोटमेंट हो गया है उनको पक्का पट्टा दे दिया जाय। इसके अलावा आपने किसी कारणवश लोगों की जमीन रिजर्व कर ली थी और उनको जमीन आज तक नहीं दी उन्हें सैकन्ड फेज में जमीन का अलोटमेंट किया जाना चाहिये। वह सैकन्ड फेज में जमीन में हकदार हैं। तीसरी बात जो मैंने कही वह यह है—

"T. C. Holders who could not apply for renewal because lands allotted to them were barren or full of huges and dunes."

जिन लोगों ने टीलों वगैरह पर काश्त की उन्हें वह जमीन अलोट कर दी जाय। इसके बाद में मैंने लिखा है कि—

"The Colonisation Department do not renew their pattas because the lands allotted do not fall within the irrigation schemes or were reserved for other purposes. No alternative land was allotted to them."

जिन लोगों की जमीन सिंचाई स्कीम में, नहीं आती है, उन्हें पट्टे नहीं दिये जायं। इसके बाद में, मैंने लिखा कि डिपार्टमेंट जो हार्ड एटीट्यूड लेता है वह बात ठीक नहीं है। इसके लिए लिखा है।

Page No 146

145

(श्री केदारनाथ)

"There are cases, numbering 500 or so, who were declared eligible after scrutiny, but no allotment was made till 1973 for want of land."

लोगों से आपने दरख्वास्तें मांगी। लोगों ने एप्लीकेशन्स सबमिट कीं। इसके अलावा इन लोगों को मान्यवर 500 से लेकर एक हजार रुपया तक इसमें फोरमैलिटीज में खर्च हो गया और बाद में आपने उन्हें कह दिया कि हम आपके सैकन्ड फेज आफ दी राजस्थान कैनाल में जमीन नहीं देंगे। उसके लिये लिखा है कि

"Still there are cases who were allotted land on the eve of Indo-Pak aggression. The possession of land was not given to them and it was indefinitely deferred."

क्या हुआ कि जमीन आपने अलाट कर दी, पट्टे आपने उनको दे दिये। कब्जा इसलिये नहीं दे पाये कि क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हो गयी। कौन जाय वहां पर? आज उनके जमीन पाने का वक्त आया है।

ऐसे केसेज श्रीमन् आपके सामने प्रस्तुत किये हैं

"Small and petty cultivators holding land below 28 bighas of land were allotted land in the name of deficiency on T. C. The same is being cancelled in the process of permanent allotment. Orders are to be issued to comply with the said rules."

उदाहरण दिये हैं श्रीमान्। आप उनकी दरख्वास्त ले लीजिये ताकि वे जमीन प्राप्त कर सकें।

मैं नहीं कहता कि आप सारी बातों का जवाब देंगे ही। पक्की अलाटमेन्ट के पहले के उनके केसेज को मान कर चलेंगे तो मैं समझूंगा। मासेज का आदमी होने के नाते मैं निवेदन करूंगा। रेवेन्यू बोर्ड की एप्रोच में और उसकी एप्रोच में बहुत फर्क है। नोन ज्युडिशियल पावर हमने आपको दी है। रामचन्द्रजी सारी की सारी पावर्स उनको दे गये। आप उसको वापिस ले लीजिये। आपका एप्रोच ठीक है। आपके पास पावर्स होती, तो निगरानी हो जाती। ये तीन चार बातें हैं जो मैंने आपको अर्ज कीं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, मुझे इस पर कहना है।

श्री सभापति : आपने संकल्प नहीं दिया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : संकल्प तो नहीं दिया लेकिन अब तो यह सदन की सम्पत्ति हो गयी।

श्री सभापति : प्रवर समिति पर बोल लीजिये। इस पर तो संकल्प दिया नहीं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : संकल्प दिया नहीं फिर भी सम्पत्ति तो जब सदन की हो गई तो हमें अधिकार है। मैं महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : हमारा प्रस्ताव नामन्जूर करने का है उस पर बोल सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन तो नहीं करता हूं। अध्यादेश जो बार बार निकाले जाते हैं, बड़ी सख्या में निकाले जाते हैं, कइयों में कई बार कारण भी नहीं होते हैं उनको निकालने के लिये, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

तीन चार महीने में बहुत से ऐसे अध्यादेश सामने आये हैं और सदन की आमतौर पर राय यह थी कि अध्यादेश का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये। केवल कानून बनाने के लिये उपयोग करना, चाहे विशेष परिस्थिति हो या न हो या आपात्कालीन स्थिति हो या न हो यह परम्परा अच्छी नहीं है।

आप यह जानते हैं कि आज एक सुगठित दल का केन्द्र में और हमारे राज्यों में शासन है। ऐसी स्थिति भी कभी बन सकती है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्य हों और टिकाऊ शासन न हो, किसी का दो महीने और किसी का तीन महीने, उस हालत में एक पार्टी अध्यादेश निकाले और दूसरी पार्टी उसका समर्थन न करे। अध्यादेश निकालते हैं तो उसका जन जीवन पर असर पड़ता है लोगों की स्वतन्त्रता और उनके माल मिल्कियत पर भी पड़ता है।

असल में कानून बनाने का अधिकार तो विधान सभा को ही होता है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही राज्यपाल महोदय के लिए अधिकार है कि वे कानून बनायें और उसको सदन से एप्रूव करवायें। इस प्रवृत्ति को ज्यादा बढ़ावा दिया तो आगे चल कर ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ अवांछनीय लोगों के हाथ में शासन सत्ता आ जाय तो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जनता के सामने खड़ी हो जावेगी।

आप जानते हैं कि इंग्लैंड का विधान लिखा हुआ नहीं है। केवल वहां के लोगों की परम्परायें हैं और वहां का संविधान उन परम्पराओं पर ही आधारित है क्योंकि वे जनता के जीवन में घर कर गई हैं। आज तीन सौ वर्ष पूर्व भी यदि कोई मान्यता थी तो उसके अनुसार आज भी चलने की कोशिश की जाती है। तो उस देश में शनैः शनैः जनतन्त्रवाद का विकास हुआ। आज एक कानून और कल दूसरा कानून, परसों कोई तीसरी पार्टी आयी तो तीसरा कानून निकाले ? यदि कोई कानून जनजीवन से दूर हो, जनता की चेष्टा, उसकी मनोवृत्ति, उसकी भावना उनसे दूर हो तो इस तरह का कानून कोई मान्यता नहीं रखता। उससे जनता की तरक्की होने की बजाय, जनता पीछे ही सरकती है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिये। इसको बढावा दिया तो कार्यपालिका विधान सभा पर छा जावेगी और इससे हमारे देश में लोकतन्त्र कमजोर होगा।

आमतौर पर इस प्रकार जो कानून लाये जाते हैं वे गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छे कानून नहीं होते। बार बार उन कानूनों को संशोधित आपको करना पड़ता है। उनमें मुकदमें बाजी होती है। जल्दीबाजी में जब अध्यादेश निकालते हैं और विधान सभा के माननीय सदस्यों की राय जाने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बिना जो अध्यादेश और कानून बनाते हैं तो खामियां तो उनमें रहना स्वाभाविक है, उस समय तो बना देते हैं लेकिन जब विधान सभा के माध्यम से इस कानून को पारित करते हैं तो उसमें लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है। जनमत जानने के लिए भेजा जा सकता है, प्रवर समिति के सामने जा सकता है। प्रशासनिक विभाग ने गलती की है तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। प्रशासनिक मन्त्री, विधि विभाग, मैंने देखा है, कानून बनाते हैं उसमें कई तरह की डिफेक्ट्स होती है। इसीलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार जो अध्यादेश निकालने की प्रवृत्ति है उसको कम बढावा दिया जाना चाहिये।

इस अध्यादेश और इसके द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसकी गहराई में तो मैं नहीं जाना चाहता परन्तु मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन तीन महीने पहले यह अध्यादेश निकाला गया इसके कारण जनता के अधिकार और सम्पत्ति पर कुछ असर पड़ा या बन्दिश लगी ? जिस सब टिनेन्सी कानून के अनुसार केनाल एरिया में अपनी जमीन सबलेट कर सकता था अब इसके अनुसार नहीं कर सकता। गंग केनाल में ट्रान्सफर्स बे रोक टोक हो सकते हैं, इसका असर यह हो सकता है कि वहां पर भी अचल सम्पत्ति, खेती की जमीन को हस्तान्तरित करने में पाबन्दी डाली है। 3 महीने में कौनसी इसमें प्रगति की ?

तीन चार मुद्दे हैं मुख्यरूप से उनका उत्तर मुझे मिल जाय तो मैं समझूंगा कि अध्यादेश की आवश्यकता थी। एक तो मुख्य बात यह थी कि परियोजना अधिकारी की नियुक्ति होगी। वह नियुक्ति होती है तो सारा काम शुरू होता है। परियोजना अधिकारी की कब नियुक्ति की गई ? नहीं की, तो इस अध्यादेश की इतनी जल्दी क्या थी ?

उसके बाद में परियोजना अधिकारी के बारे में नियम बनाने चाहियें, नियम बन गये या नहीं ? नहीं बनाये तो क्यों नहीं ? बनाये तो कब बनाये ?

तीसरा यह है कि खण्ड 3 जो दफा 9 की जगह है उसके नीचे कुछ नियम बनाने थे वे बनाये या नहीं ?

इस तरह से इस कानून की मन्शा यह थी कि कुछ परियोजना अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी भी नियुक्त किये जावेंगे तो वे नियुक्त किये गये या नहीं। फिर राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाओं के अलावा लोन उसी संस्था से लिया जा सकता है जो कि ओफीशियल गजट में नोटिफाई होता है। जमीन रहन कर किसी प्रकार का लोन नहीं लिया जा सकता। उस संस्था को नोटिफाई करना था वह कर दिया।

उसी तरह से क्लाज 6 दफा 22 (3) में जो नियम बनाने थे इस कानून के अन्तर्गत क्या वे नियम बना दिये ?

सब मुद्दे की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक से लोन मिल नहीं सकता था जब तक टाइटल में कमी है। लैंड डवलपमेंट कार्पोरेशन बने या नहीं बने ? बन गये तो कब ?

एक माननीय सदस्य : बन रहे हैं।

श्री केदारनाथ : आगे बनाने को हो तो अभी ही हम इस कानून को बना देते। अध्यादेश की क्या जरूरत थी ?

यह मेरी कुछ क्वेरीज हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। आप बतायेंगे, नहीं बताते हैं और कुछ नहीं हुआ है तो हम यह समझेंगे कि इस अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी और हमें अपने अधिकारों से वंचित करने की आवश्यकता नहीं थी। हम सोच कर अच्छा कानून लाते।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, हवा महल से आने वाले तथा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो संकल्प इस विषय में प्रस्तुत किया है उसके पीछे एक भूमिका है कि क्यों हमें यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा।

वर्ल्ड बैंक का एक कमीशन यहां आया और उससे फाइनल नेगोशियेशन करने के लिये भारत और राजस्थान सरकार के अधिकारी मई के दूसरे सप्ताह में वाशिंगटन जाने वाले थे।

एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक के जब राजस्थान में आये थे तो यहां के डवलपमेंट के कामों को सुचारुरूप से चलाने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि इस संबंधी वर्तमान कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किये जावें। एग्रीकल्चर क्रेडिट की डिफिकल्टी महसूस की गई। लैंड रिक्वीजीशन में भी कठिनाई महसूस हुई। इसके संबंध में तो सदन में परसों बहस भी हुई थी। एक्सपर्ट इन समस्याओं से सम्बन्धित कानूनों में भी चाहते थे कि आवश्यक परिवर्तन किये जावें ताकि लोन एग्रीमेंट का रास्ता साफ हो सके। भाखरा और चम्बल के कमाण्ड एरिया में लैंड लेवलिंग और वाटर सोर्सेज के कन्स्ट्रक्शन्स में रेकरिंग का काम हाथ में जब लिया जावेगा तो इस काम में उस एरिया के कल्टीवेटर कहीं सहयोग करने से इन्कार न कर दें अथवा फील्ड के इम्प्रूवमेन्ट में रोड़े न अटकाने शुरू करें इसके लिये कुछ डाइरेक्शन्स कलेक्टर दे सके यह करने के लिये हमें कानून में परिवर्तन करना पड़ा ताकि जब प्लान बन जावे और स्पेसिफिकेशन्स भी बन जावें तब फिर उन प्लान्स और स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार कार्य बिना किसी बाधा के हो सके।

वर्ल्ड बैंक की टीम इस बारे में ज्यादा चिन्तित थी और जाने से पहले वह आश्वस्त होना चाहती थी इन परिवर्तनों के बारे में इसलिये मन्त्रिमण्डल में यह निर्णय लिया गया कि इसमें अमेण्डमेंट किया जाय और आर्डिनेन्स के जरिये किया जाय।

ऐसी स्थिति में यह कहना कि इस प्रकार की कोई आवश्यक परिस्थिति या अनिवार्य कारण नहीं थे आर्डिनेन्स लाने के सही नहीं है।

मैं यह मानता हूं सभापति महोदय कि 12 तारीख को जब मैं इस आर्डिनेन्स को सदन की मेज पर रखने जा रहा था तो माननीय सदस्यों ने भी कहा था और आसन की तरफ से भी एक रूलिंग दी गई थी। उस वक्त भी निवेदन किया गया था कि गवर्नर को जो 213 के अन्तर्गत पावर्स हैं उनका उपयोग स्पेयरिंगली किया जाना चाहिये, हमेशा नहीं। सरकार विधान सभा को कभी बाइ-पास करना नहीं चाहती।

(श्री परसराम मदेरणा)

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने इंगलैंड की परम्पराओं का उल्लेख किया। मैं स्वयं मानता हूं कि कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को है इसलिये इन्टर सेशन पीरियड में अनिवार्य सरकम्सटेंसेज में ही इमर्जेन्सी को मीट आउट करने के लिये ही राज्यपाल द्वारा अपने पावर्स का प्रयोग किया जाना चाहिये। इसी तरह से सदन जब प्रारम्भ होता है तो सबसे पहले सदन की मेज पर आर्डिनेन्स रखे जाते हैं, उनके कारण रखे जाते हैं। इसी प्रकार उनको अस्वीकार करने के संकल्प भी मूव किये जाते हैं, वे भी माननीय सदस्यों के अधिकार में हैं। इस सदन के मीट करने के 42 दिनों के भीतर आर्डिनेन्स को सब्स्टीट्यूट करते हुए कानून अगर नहीं बनता है तो आर्डिनेन्स लेप्स हो जाते हैं। आर्डिनेन्स का स्थान लेने वाले कानून को पास करने का अधिकार भी विधान सभा को है।

मैं आपको ध्यान दिलाऊं बैंकों को नेशनेलाइज करने का कानून संसद के मीट करने के तीन दिन पहले निकाला गया। इसी प्रकार टोल टैक्स के सम्बन्ध में भी प्रश्न आया। संसद् के एडजोर्न होने के दूसरे दिन डॉ० काटजू स्टेट मिनिस्टर थे इमर्जेन्सी मीट करने के लिये आर्डिनेन्स निकालना पड़ा।

तो मैं इस चीज को तो डिफेण्ड नहीं कर रहा हूं कि आर्डिनेन्स हर समय निकाला जावे या कार्यपालिका छा जावेगी विधान सभा पर। कार्यपालिका एन्सरेबल है विधान सभा के प्रति और चूंकि एन्सरेबल है इसलिये इसके लिये माकूल कारण दिये हैं। इसलिये जो यह कोलोनाइजेशन के सेक्शन 9, 13 व 17 में जो अमेण्डमेन्ट्स किये गये हैं वे उचित हैं।

चम्बल और राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में वाटर लागिंग की बहुत बड़ी प्राब्लम है इसलिये वहां मैक्जिमम युटिलाइजेशन आफ वाटर नहीं हो रहा है। ड्रेनेज बनाई जानी चाहिये और उनको वाटर कोर्सेज से जोड़ा जाना चाहिये ताकि एक्सेस वाटर निकल जावे और एक जगह इकट्ठा होकर भूमि को खराब न करे। यह वाटर लागिंग काश्तकार के खेतों का ही नुकसान नहीं करता, बल्कि आस-पास में भी खराबा पैदा करता है।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में लैंड वाटर कोर्सेज पक्के बनाने की बहुत बड़ी समस्या है। सदन जानता है कि राजस्थान कैनाल जिस एरिया में से होकर निकल रही है वह रेगिस्तानी इलाका है। वहां पानी सोखे नहीं इसलिये यह सोचा गया कि वाटर कोर्सेज की लाइनिंग की जाए और इसके साथ साथ खेतों की शेप भी ऐसी की जानी चाहिये कि वे रेक्टेन्गूलर हों ताकि उनमें आसानी से पानी दिया जा सके। दूर जिनके आउटलैटस हैं उन खेत वालों को भी पानी मिल सके।

यह कहा गया कि नियम बनाये गये या नहीं और नियमन अधिकारी का अपोइन्टमेन्ट हो गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कब हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो एग्रीकल्चर विभाग वाले जानें। लैंड कमिश्नर के अपोइन्टमेंट के साथ ही हो गया। एरिया डवलपमेंट आफिसर ये अब कहलाते हैं।

अब रूल्स इसलिये नहीं प्रेस्क्राइब किये जा सके हैं कि लैंड बैंक से जो फाइनल

(श्री परसराम मदेरणा)

एग्रीमेंट हुआ है उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। अब वह प्राप्त हो गई है। पांच सात रोज पहले ही वह आई है जो हाउस की मेज पर भी रख दी गई है। तो अब नियम बना दिये जावेंगे। मई में चूंकि वर्ल्ड बैंक वालों को अहसास कराना था इसलिये यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनको बताना था क्योंकि यह क्षमता भी आपकी है। आप बाद में भी एग्रीमेंट के अनुसार ये सब परिवर्तन कर सकते थे।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने भी और हमने भी अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता समझी थी।

राज्य सरकार सोविरन होते हुये और लेजिसलेचर सोविरन होते हुये भी वे सेटिसफाइड थे कि कानून में अमेन्डमेंट किया जाना चाहिये क्योंकि कानून में अमेन्डमेंट नहीं करते हैं तो जिस प्रोजेक्ट को हाथ में लेना चाहते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को उसमें कठिनाई और बाधा खड़ी हो सकती है। वे बाधायें खड़ी न हो, इसलिये उचित समझा गया कि इमरजेन्सी है और उस एमेरजेन्सी को मीट करने के लिये आर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जाना चाहिये। इस प्रकार की सलाह राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय को दी और राज्यपाल महोदय सैटिसफाइ होने के बाद पुरःस्थापित किया गया इसलिये जो परिनियत संकल्प जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है इसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं और मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकृत किया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट के पहले आपने प्री-कन्डीशन मान ली यह उस कन्डीशन के खिलाफ है। माननीय मंत्री जी कोई भी प्री-कन्डीशन वर्ल्ड बैंक की नहीं मानी, यह आपस में कन्ट्राडिक्शन है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रि-कन्डीशन की बात नहीं कह रहा हूं, राज्य सरकार सेटिसफाइ थी कि लैन्ड डेवलपमैंट प्रोग्राम को संशोधन करना आवश्यक था।

श्री सभापति : (माननीय केदारनाथ जी से) आप वापस लेते हैं।

श्री केदारनाथ : हमारी बात नहीं मानते हैं तो वापस ले ली।

श्री सभापति : (माननीय रामकिशन जी से) आप ?

श्री रामकिशन : मैं भी मदेरणा जी को देखते हुये वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्यों ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ : मैं भी संकल्प वापिस लेता हूं।

विधेयक पर विचार एवं पारण

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनिट बोल लूं, अगर आप आज्ञा दे दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यहां पर करना यह है कि धारा 9, 13 और 17 में संशोधन किया गया है। अब यहां पर केवल प्रश्न यह है कि आर्डिनेन्स को जल्दी में लाया गया। बिल भी आज सदन के सामने आ गया और इसमें जैसा कि यह मालूम है पैसा अभी आया नहीं है, जमीन लोगों को देने के लिये हमारे पास है नहीं। लोग आते हैं अपने प्रार्थना-पत्र दे देते हैं। विभिन्न प्रकार से उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी पैसा खर्च हो जाने के बाद जमीन न मिलकर केवल निराशा लेकर लौटते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं लैण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन पता नहीं बनाया या नहीं बनाया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो अभी माननीय मंत्रीजी ने कही वह भी 4-5 दिन पहले आई है। माननीय सभापति महोदय, पता नहीं सदस्यों में वितरित कर दी गई या नहीं। मेरा मतलब पैसा है नहीं, जमीन है नहीं, बैंक का पता नहीं और उसमें भी अनिश्चितता, परिनियत अधिकारी मुकर्रर होगा, कलेक्टर्स को पावर्स दे दी कि इसमें डवलपमेंट करें और शर्त पूरी नहीं करेंगे तो जमीन वापिस ले ली जायेगी। इन सारी बातों के लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा अभी पैसा आने दीजिये, बैंक की स्थापना होने दीजिये, नियमों का अध्ययन करने दीजिये, सदन अभी दो दिन और चलने वाला है, सदन में दो दिन बाकी है। जिनको जमीन लेनी है, पैसा लेना है उनमें कुछ प्रतिलिपियां बनाकर प्रसारित की जाय और क्या क्या कठिनाई होगी लोन लेने में, क्या रेट आफ इन्टरेस्ट होगी, कैसे लेंगे-कैसे देंगे इसलिये जनमत जानने हेतु प्रसारित करें और फिर मैं समझता हूं 6 महीने बाद जो सत्र आयेगा तो यही तर्क देते हुये निवेदन करूंगा जनमत जानने हेतु प्रसारित करेंगे। मैं चाहता हूं आज तो माननीय मंत्रीजी मेरी बात को अवश्य मानेंगे।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा।

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन : योगेन्द्रनाथ हाण्डाजी का इसमें ऐतराज कर लिया जाये कि इसमें अमेरिका का शेयर है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभापति जी, माननीय मन्त्रीजी ने वर्ल्ड बैंक, से 120 करोड़ रुपया चम्बल प्रोजेक्ट के लिये एक्जीक्यूट करना था इसलिये इन कम्पेसिंग

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रीजन्स की वजह से आर्डिनेन्स लाना पड़ा सभापतिजी, यहां पर सदन में विचार व्यक्त किया गया जो आर्डिनेन्स के जरिये राज्य सरकार को क्योंकि वर्ल्ड बैंक को कनविन्स करना है ताकि वर्किंग में डिफिकल्टी न हो और जो कन्डीशन रखी हैं उनको फुलफिल करने के लिये यह जरूरी था। माननीय सभापति महोदय, जो एग्रीकल्चर प्लान प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा एरिया जैसा राजस्थान केनाल के बनाया जा रहा है वहां पर लैंड रेवेन्यू के प्रोग्राम्स जो राजस्थान केनाल और गंग केनाल के लिये माननीय सदस्यों ने बार बार कहा कि ड्रेनेज बने, लैन्ड रेवेन्यू का है, जो कल्टीवेटर जितने पानी का युटिलाइजेशन करे, समय पर हो जाना चाहिये वह नहीं हो रहा है। बहुत से नये एरिया में राजस्थान केनाल जाने से कल्टीवेटर कोपरेट नहीं करें तो जो पैसा राज्य सरकार खर्च करने जा रही है और जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, उसका ज्यादा से ज्यादा युटिलाइजेशन हो और ज्यादा से ज्यादा जमीन मिले। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुये यह अमेन्डमेंट रखा है। हालांकि बहुत अच्छा कानून है और रखा जाना चाहिये, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से करोड़ों रुपयों का ऋण लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में विकट समस्या है और उनका हल करने के लिये डेजर्ट एरिया में पानी आये और राज्य सरकार की योजना कार्यान्वित हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कानून बनाना आवश्यक था। इसमें प्रोग्राम्स और प्लान्स के अनुसार कल्टीवेटर के ऊपर जो बिन्दिंग नहीं हैं उनको कम्पेल किया जाय और उनके जो प्लान्स हैं वहां पर कलेक्टर को आथोरिटि होगी और कानूनी अधिकार दिये जा रहे हैं कि अगर ऐसा कल्टीवेटर जो प्रोग्राम प्लान्ड बताया उसमें कोपरेट नहीं करें तो राज्य सरकार कलेक्टर को एम्पावर्स कर रही है कि उसकी जमीन को लेकर अपने कब्जे में कर ले या सख्ती से एक्जीक्यूशन कर सकता है। तीन महीने में नहीं करा सकता है तो एक महीने की और मियाद बढ़ा सकता है। माननीय सभापति जी, कलेक्टर किस तरह से प्रोग्राम बना करके काश्तकारों की सहमति लिए बिना इम्प्लीमेंट करेगा ? यह ऐसी बात है कि जिसके लिए डाउट्स हैं। जो बड़े 2 प्राजेक्ट्स हैं उनको तो कार्यरूप में परिणत किया जाना आवश्यक है और कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिये जैसे अलाटमेंट की हुई जमीन है उसके बारे में राज्य सरकार को अधिकार है ही। गैरखातेदारी लैण्ड्स हैं उसमें उन काश्तकारों को समझाकर कार्य कराये जाने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम नहीं हो कि वहां के काश्तकारों का कोई नुकसान हो और खर्चा ज्यादा लगा कर फिर उनसे वसूल किया जाये। तो इसमें काश्तकारों के कन्सल्टेशन से यह प्राजेक्ट बनाने चाहिए। यह मेरा उसमें आग्रह है।

तो यह जो कानून आर्डीनेन्स के जरिये पहले प्रामलगेट करने के लिए रीजन्स बताये कि जरूरी था तो शीघ्रता से कार्यरूप में परिणत करना जरूरी था इसलिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। परन्तु इसमें जैसे रूल्स का बनाना है और जिस अरजेन्सी से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ा उसी तरह से कार्यरूप में परिणत भी अरजेन्सी से करने की आवश्यकता है। तो इस रूप में कल्टीवेटर्स ऐसा नहीं सोंचे कि हमारे ऊपर प्रोग्राम थोपा जा रहा है। अननेसेसरी उन के ऊपर बरडन ज्यादा खर्चा करके नहीं डालना चाहिए। कलेक्टर खुद के खर्चे से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

फेवर एम्पलाय करके उसको एग्जीक्यूट करायेगा और खर्चा उसके ऊपर डालेगा तो ज्यादा खर्चा आयेगा। तो इन कन्सल्टेशन विथ फार्मर्स हो – यहीं प्रोग्राम बनाया जाये और वह अनविलिंग हो तो एग्जीक्यूट भी किया जाये लेकिन उनका कन्सल्टेशन जरूरी है क्योंकि कल्टीवेशन का धन्धा ऐसा है कि पहले भी लेण्ड रिफार्म्स कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे प्रोग्राम के जरिये ऐसी बात आई थी लेकिन ऐसा देखा गया है, यह धन्धा ऐसा है कि सरकारी मशीनरी के जरिये प्रोग्राम एग्जीक्यूटव किया जाये तो उसका खर्चा ज्यादा पड़ेगा बजाय इसके कि कल्टीवेटर्स खुद करें। इसलिए कुछ शंकायें इसमें हैं और ऐसी बात नहीं है कि शीघ्रता से जो रुपया हमको मिलेगा उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और वह भी काश्तकारों के इन्टरेस्ट में और स्टेट के इन्टरेस्ट में और जो प्रोजेक्ट्स हैं चम्बल और राजस्थान केनाल के कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसके ऊपर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। यह बातें सोचने के लिए और डाउट्स जिसमें न हों और बाद में अमेन्डमेंट्स करने की आवश्यकता शीघ्र प्रतीत नहीं हो इसको मद्देनजर रखते हुए चाहें शार्ट पीरियड के लिए ही क्यों न हो अगर सलेक्ट कमेटी के सामने रखकर और सारे मुद्दों को देखा जाकर इस पर विचार किया जायेगा तो अच्छा होगा। रूल्स भी सामने पुट अप किये जा सकते हैं और विचार कर रखा जाये तो मेरे ख्याल से अनुचित नही होगा। तो इसी बारे में जो मेरी शंकायें है और एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स हैं इनकी पूर्ति में कोई डिफिकल्टी नहीं आये, ज्यादा खर्चा नहीं हो और जो प्लान है वह बिलकुल ही समय पर एग्जीक्यूट हो जाये, आगे डिफिकल्टी नहीं आये और बार बार संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं हो इस बारे में या तो मन्त्री महोदय उत्तर में स्पष्ट कर दें तो भी मैं इस बारे में सोच सकता हूं परन्तु इसके बारे में आवश्यक हो तो सलेक्ट कमेटी के अंदर विचार कर लिया जाये तो अनुचित नहीं होगा।

इन्हीं बातों के साथ में मेरा संशोधन प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द विश्नोई.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। काफी समय हो चुका है और यदि मुझे मेरे संशोधन में या प्रस्ताव में आस्था नहीं होती तो मैं इतनी रात गये तकलीफ नहीं देता लेकिन इसको यदि आप गहराई से पढ़ें और जिन लोगों ने काश्तकारों के रहन सहन का, उसके जीवन का, उसके काम करने के तरीकों का, उसकी आदतों का और जिनको अपने प्रशासन की अच्छाइयों और बुराइयों सब का ज्ञान है तो कभी इस रूप में इस विधेयक को हम पारित नहीं कर सकते। इसके अगर एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स को पढ़ें, रीजन्स को पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगता है। इसमें कहा है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र को और चम्बल क्षेत्र को हम विकसित करना चाहते हैं। अच्छी नालियां बनाना चाहते हैं, पानी के आउटलेट के प्रतिशत को हम बढ़ाना चाहते हैं, जमीन को लेवल करना चाहते हैं, सब खेतों

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

को ऐसा सुन्दर बनाना चाहते हैं कि सब रेक्टेंगुलर शेप में हों और उसमें 80 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक देगा और यह आशा की गयी है कि 70 प्रतिशत काश्तकार इस कार्यक्रम में स्वेच्छा से सम्मिलित हो जायेंगे और बचे हुए 30 प्रतिशत काश्तकार जो बैंकों से या दूसरी इकाइयों से लोन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास डिफेक्टिव टाइटल है या किसी को हस्तान्तरित की जा चुकी है जमीन तो उनके लिए प्रबंध किया है कि राजस्थान लैण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन बनेगा । यह वह कारपोरेशन है जो उन लोगों को कलेक्टर के माध्यम से लोन देगा और 5 प्रतिशत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अनविलिंग हों या इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हों—उनके लिए यह कानून बनाया गया है । जबरन उनको नोटिस देंगे और नोटिस की अवधि में वह उस काम को नहीं करवाते हैं तो बाद में कलेक्टर उन के खर्चे पर उन कार्यों को सम्पन्न करा देगा और 10 किश्तों में वसूल करेगा एरियर्स आफ लेण्ड रेवेन्यू के तौर पर । काश्तकार इसमें सहयोग करे इसलिए केवल इस कानून का ही सहारा नहीं लिया गया बल्कि एक्सटेन्शन सर्विस जैसे ग्राम-सेवक हैं और भेड़ वाले हैं इस तरह के अधिकारी मुकर्रर किये जायेंगे जो कि सब को जाकर गांव 2 में समझायेंगे और इस तरह का काम हाथ में लिया जायेगा । इस तरह से काम को करवाया जायेगा ।

इसमें जो खर्चा बताया गया वह पर स्क्वायर 10 हजार बताया गया है जो कि बढ़ती हुई कीमतों में 15 हजार रुपया भी हो सकता है और 20 हजार रुपया भी हो सकता है । इस हिसाब से 2500 रुपया कोटा क्षेत्र में पड़ा । तो यह सब इच्छायें व्यक्त की हैं । मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं इसमें एक बात और है कि यदि कोई काश्तकार सहयोग नहीं करेगा तो कलेक्टर पी. डब्लू. डी. की मार्फत जितना भी लेवलिंग का काम है वह करा देगा और फिर लेण्ड रेवेन्यू के तौर पर वसूल करेगा ।

मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूं और वह यह है कि पहली बात तो आपने यह कह दिया कि वर्ल्ड बैंक से जो रुपया आ रहा है वह राजस्थान केनाल और चम्बल प्रोजेक्ट के लिए है और 6 साल में वह रुपया मिलेगा । आपके कानून के अंदर आपने न तो इसको सीमित रखा है राजस्थान केनाल तक और न इसको सीमित रखा है चम्बल प्रोजेक्ट तक, छः साल तक जब तक कि आपको पैसा मिलेगा । यह आपने हमेशा के लिए ऐसा अधिकार दे दिया है अधिकारियों को कि वह चाहे जब ये लोग आर्डर कर सकते हैं ।

अब जो प्रावधान है, प्रोविजन्स है जो इसमें आते हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिएगा । इसमें पहला काम यह है कि एक अधिकारी नियुक्त होगा, परियोजना अधिकारी होगा जो पूरे उस क्षेत्र के लिये जिसका नोटिफिकेशन द्वारा कालोनी मान कर यह योजना लागू की जाय, उसके लिए परियोजना अधिकारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा इर्रीगेशन का । इनके तौर तरीकों से, कार्यकलाप से आप अच्छी तरह परिचित हैं । सुबह ही आया था कि यह हो गया, वह हो गया, पांच करोड का चम्बल का पुल गिर गया । बांसवाड़ा का पुल गिर गया । कैसे उनके कार्य हैं और कितना उनमें

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

गाढ़ा है यह आप सभी जानते हैं। यही परियोजना अधिकारी होंगे जो कहेंगे कि इस तरह की नालियां हों, इस तरह से लेवलिंग किया जाय। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बोरोड टेक्नोलोजी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते चलते हैं। इसका परिणाम है कि जितना लाभ योजनाओं से मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर भेड़ पालन की योजनाएं, पशुपालन की योजनाएं या अपने पेयजल की योजनाओं को ले लें। पेयजल को राजस्थान के लिए क्या स्थिति है? यह किसी से छिपी हुई नहीं है। मरुस्थल के अन्दर मनुष्यों के पीने के लिए अलग ढोर और पशुओं के पानी पीने के लिए अलग ठिकाना, यह क्या योजना है। जहां मनुष्य पानी पीवें वहां पर जानवरों के लिए पानी नहीं ले सकते यह अव्यवहारिक योजना है। आपको यह मालूम है कि कितनी योजनाएं बड़े–2 शहरों के लिए बनीं जिन्होंने सिंचाई के स्रोतों को उजाड़ दिया और क्योंकि ट्यूब वैल लगे तो ट्यूब वैल ने पानी सुखा दिया आसपास का। एक बच्चा पेशाब करने जावे तो चार गैलन पानी खर्च होगा और खेती के लिए पानी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बोरोड टेक्नोलोजी के आधार पर तरक्की नहीं कर सकते। हम इसलिए भेड़-पालन में, पशु पालन में तरक्की नहीं कर सके। यह एक्सटेंशन की याजना, अमेरिका की बोरोड योजना थी एक्सटेंशन आफिसर और ग्राम-सेवकों की क्या हालत है यह आज आपके और हमारे सामने है। तो मेरा कहना यह है कि परियोजना अधिकारी इर्रीगेशन विभाग का इस तरह की योजना बनायेगा जो बहुत ज्यादा खर्चीली होगी, कीमती होगी। और जनता की आर्थिक स्थिति क्या है, खेतों की स्थिति क्या है, लोगों की विचारधारा क्या है ये सब चीजें कितनी ध्यान में रखी गई हैं और फिर शहरों से आधुनिक से आधुनिक नक्शे सामने आयेंगे वहां पर। वहां गरीब जनता होगी जो खेती का काम कभी का कभी कर लिया जैसे सुविधा हुई उसके अनुसार कर लिया। सरकारी भाग का काम जरूर लेट आउट के अनुसार हो सकता है लेट आउट का काम? मेरे कहने का मतलब यही है कि एक तरफ परियोजना अधिकारी और उसके साथ बड़े बड़े अधिकारी और परियोजना अधिकारी होंगे और उनके क्या अधिकार होंगे, उसका कार्य-क्षेत्र क्या है और उसका जो कर्त्तव्य है उसके बारे में कहीं यहां जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ यह कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी आपने कोई भी कानून देखा है जिसमें यह कह दिया हो कि एक मजिस्ट्रेट बना दिया हो और किस कानून के अन्तर्गत वह मजिस्ट्रेट काम करेगा वह लेजिस्लेशन में तय नहीं किया गया हो। इसका मतलब यह हो गया कि मजिस्ट्रेट किसी को भी जो भी रास्ते में मिल जाय उसको जो राज्य सरकार कहे उसको सजा दे दो। कभी नहीं होता ऐसा। जब अभी आप आथोरिटि क्रियेट करते हैं तो लेजिस्लेशन और ला मेकिंग का सिद्धांत है कि वह किस विधि से कार्य करेगा यह बराबर बताया जाता है। इसके परिणाम जो होंगे वह अभी भाई रघुनाथजी ने बताया था कि वे लोगों को सुनेंगे नहीं और अपनी मर्जी से योजना बना लेंगे और लोगों को कहेंगे कि इसके अनुसार काम करो तो साहब यह ज्यादा खर्चीला काम होजाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया है और इसके साथ कोई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। जिन लोगों को वह स्वीकार नहीं हो तो वह अपनी बात कह सकें इसका कोई ध्यान इसमें नहीं है। जो काश्तकार रिलेक्टेड हों करने के लिए उनके लिए यह किया गया है लेकिन अगर आप यह कह देते कि प्रधानतः नब्बे प्रतिशत या पचानवें प्रतिशत काश्तकार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सहमत होंगे उनके यहां हम लागू करेंगे यह आपने कहा नहीं। योजना बनाने के लिए लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों की राय मांगने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, उसके लिए कह दिया कि कलेक्टर कह देगा। कलेक्टर चाहे जिसका तीन, चार ग्रामों में से किसी एक ग्राम को कह दे। इससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी, जनता की तकलीफें बढ़ेंगी और आपस में मुकदमेबाजी होगी। कई तरह से किसानों का शोषण होगा, यहां की जनता का शोषण होगा। आज किस तरह की लूट होती है यह आप और हम सभी जानते हैं।

दूसरा इसमें एक अधिकार और कलेक्टर को आता है। यह आपकी दफा 9 में क्लाज इसका है (3) उसमें कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह रेक्टेंगुलेराइजेशन कराएगा। मंत्री महोदय, आप भी जोधपुर से पधारते हैं, आपको मालूम है कि जोधपुर शहर में सोजतीगेट से घण्टा घर तक रेक्टेंगुलेराइजेशन कराने की योजना थी और उसके बीच में तीन तीन मुख्य मंत्री बदल गए, इस योजना के अधीन आधे मकान तोड़ दिए और आधे यों ही खड़े हैं और योजना ठप्प पड़ी है। कैसे आप रेक्टेंगुलेराइजेशन करा पायेंगे यह कभी आपने सोचा है। किसी का खेत है, किसी को क्या ऐतराज होगा तो किसी को क्या ऐतराज होगा। किसी की जमीन कम है, किसी की ज्यादा है। यदि रेक्टेंगुलेराइजेशन कराना ही था, आपका फैसला था कि रेक्टेंगुलेराइजेशन कराया ही जाये तो यह आपको जमीन अलाट करने से पहले करना चाहिए था। किसान को जमीन देने से पहले आपको यह करना चाहिए था। आपको मालूम है जब आप स्वयं पढ़ते थे तब भी कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग पर बहुत जोर दिया जाता था। क्या हुआ इसका? वह योजना भी असफल रही। कहीं पर किसी की जमीन ज्यादा गई किसी की कम गई तो किसान आपस में लड़ने लग गए, मारने पीटने लग गए और झगड़े इतने बढ़ गए कि उस योजना को छोड़ना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप रेक्टेंगुलेराइजेशन कैसे कर देंगे। जिस ओर से आप जायेंगे उसमें किसी का खेत टेढ़ा है, किसी का सीधा है, किसी की ज्यादा जमीन निकलती है तो वहां किसी का कुआ है, किसी का बाग बगीचा आया होगा। पचासों तरह की बातें होंगी। इसीलिए रेक्टेंगुलेराजेशन मैं समझता हूं कि यह जनता के दुख का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी और इससे भ्रष्टाचार बढेगा, आपस में मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

इसके बाद में अगला एक प्रावधान रखा है कि टिनेन्ट को यह कहा जा सकता है कि आप हैं जो फलां काम इस मियाद में, इस अवधि में कराओ। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब हर एक क्षेत्र के अन्दर फसलें खड़ी होती हैं। फसल के मौसम में काम नहीं हो सकता। कई जगह दो फसलें होती है, गर्मियों में खाली रहते हैं तो कहीं पर गर्मियों में एक फसल होती है। एक फसल

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

को लेने के बाद में वह कुछ कर सकता है। तो इसमें न तो टाइम रखा है और न कोई मियाद रखी है और न ऐतराज का प्रावधान रखा है और अपनी कन्सेन्ट के आधार पर जो प्लान प्रोजेक्ट आफिसर कह देगा उसके अनुसार लेवलिंग कराना पड़ेगा काश्तकार को। लेवलिंग के अन्दर एक तो बहुत मामूली लेवलिंग हो सकता है। मामूली लेवलिंग पानी से, हल से कराया जाता है, काम करते 2 शनैः शनैः अपने आप हो जाता है लेकिन इस बिल के अनुसार जो शहरी किस्म के आदमी जायेंगे, खेतीबाड़ी को जरा भी ऊंचा नीचा देखेंगे और झट किसान को हुकुम दे देंगे कि हम लेवलिंग करायेंगे। तो इस तरह के हजारों टंटे इसमें आयेंगे जिनको किस तरह से आप मिटायेंगे उसका भी कोई सुझाव इसमें नहीं दिया गया है। अच्छा फिर क्या है कि हो सकता है कि कोई योजना बहुत खर्चीली, दस हजार, पन्द्रह हजार के बीच में तो आप मानते हैं कि वह बनेगी, उसके लिए काश्तकार के लिए मनी सरप्लस करना कठिन होगा। पन्द्रह हजार रुपया किसी एक किसान के लिए खर्च कर सकना कठिन होगा। इसके बजाय उपयुक्त बात तो यह होती कि जो कामन चेनल्स हैं जिसमें दस आदमियों के खेत आते हैं उन पर तो यह भार डाला जा सकता है। उसके लिए तो सरल रीति से योजना बना कर कह सकते हैं और वे सब मिलकर तो कर सकते हैं लेकिन एक किसान पर इतना भार डाल देना और उस हालत में जबकि आज किसानों का जो हालत है, उस हालत में उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। फिर इसमें पीनल प्रोविजन रखा गया है, ब्रीच आफ कण्डीशन माना जाएगा और उसके बहुत जमीन जब्त भी हो सकती है। उस गरीब की जमीन जब्त हो सकती है। ऐसी हालत में इस कानून को किस तरह से इण्टरप्रिट करेंगे और क्या करेंगे यह सब सोचने की बात है।

फिर वह काम भी कर दे लेकिन उतना अच्छा नहीं हो। आपको मालूम है कि सरपंच को एक सर्टीफिकेट लेना पड़ता है जब वह कोई स्कूल की बिल्डिंग बनाये या और कोई सार्वजनिक कार्य कराये और उसको कितनी मुश्किल से सर्टीफिकेट मिलता है यह सभी जानते हैं। तो जो अधिकारी मुकर्रर होंगे, इसने लेट आउट के अनुसार उस कार्य विधि से कर दिया है मैं समझता हूं कि इस बिल से काश्तकारों की लूट होगी। तुमने लेविल ठीक नहीं किया है। यह बराबर नहीं है। वह ठीक नहीं है। कई इधर-उधर है। यह बराबर नहीं है। इसी तरह से आगे यदि हम चलें तो फिर यह कहा गया है कि अगर वह अपनी तरफ से नहीं करवाए तो, तो इस मियाद के अन्दर मियाद कितनी दी है, एक महीने की मियाद दी है। एक महीने के अन्दर काम करवाना है। कभी सीमेंट नहीं मिलेगी, कभी मजदूर नहीं मिलेगा। लेन्ड लेवलिंग नहीं होगा और लेन्ड डवलपमेंट का काम क्या एक महीने के अन्दर कोई काश्तकार कर सकता है। बीस, तीस लाख का आसामी न हो तब तक नहीं कर सकता है। कर्जा नहीं मिलेगा। इस मियाद में मिलता भी है तो एक महीने कि मियाद में वह किश्तें नहीं दे पाएगा। यह नामुमकिन है। इससे किसान दिक्कत में पड़ेगा।

इसके बाद में, फिर यह कहा गया है, यह नहीं होगा तो सरकार अपनी कीमत के

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ऊपर करा देगी परन्तु इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि सरकार अपनी कीमत क्या रखेगी। इसको करने के बाद, बहुत से मामले ऐसे हैं, लेवलिंग हो गया परन्तु पानी नहीं चढ़ा। उसके खेत में आम के पेड़ हो सकते हैं, ऐसी चीज खड़ी है जिसको कि वह उठा नहीं सकता। आपने लेविल किया और पानी नहीं चढ़ा। गाडिया लुहारों के मकान बनाये और गिर पड़े। कच्ची नालियां बनीं और टूट गयीं। और यदि जमीन को छोल दिया गया तो किसान तीन साल तक उस पर फसल नहीं कर पाएगा। एक फसल तो वैसे ही चली गई। किसी ने खाद डाल दिया है परन्तु आप तो छोल कर रख देंगे नयी मिट्टी निकल आएगी। एक तो कर्जा हो गया। किसी के खेत में मिंगड़ी का खाद भी पड़ा होगा। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही अव्यवहारिक बातें इस बिल में हैं। इसके बाद में जो नोटिस है। इसमें नोटिस बनाने वाले ने नोटिस का क्या मतलब लिया है यह मैं नहीं समझ पाया हूं। सब-क्लाज एक के क्लाज 3 के अन्दर नोटिस दिया है। इस नोटिस में यह कहा है:

"(a) does not hand over possession nor make appearance in response to the notice issued as above, or"

शब्द 'एण्ड' काम में लाते तो काम चल जाता परन्तु शब्द काम में लिया है 'or'

"(b) does not show any cause; or

(c) make any representation which is rejected after it has been considered and a personal hearing given to him if this had been desired."

इसका मतलब यह हुआ, जरा ध्यान से पढ़िये, नम्बर एक में, यदि वह व्यक्ति वहां आकर खड़ा हो जाए या खड़ा रह जाए, बोले नहीं और आकर खड़ा हो जायेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िये। कुल मिलाकर मतलब यह निकलता है कोई आदमी आकर खड़ा हो जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते।

इसके बाद में एक और बात है। फिर यह जो जमीन ली जाएगी तीन महीने में काम करेंगे। फसल के मौसम का जिक्र नहीं किया गया है। तीन महीने में पूरा नहीं करेंगे तो एक महीने की और कलक्टर मियाद बढ़ा सकता है। यदि मान लें फिर भी पूरा नहीं होता है तो क्या करेंगे? आम-तौर पर काम पूरा नहीं होता है। कभी सिमेंट नहीं मिलेगी; कभी मजदूर नहीं मिलेगा और कभी मशीनरी नहीं मिलेगी। इसका मुआवजा क्या प्रेस्क्राइब किया है। एक हैक्टर पर 150 रुपया। यह मुआवजा एक साल का। अगर जमीन छिल गई तो तीन साल वह पैदा नहीं कर पाएगा। एक प्राविजन और लगाया है। इसका इन्टेंशन मुझे मालूम नहीं हो सका। एक एलाटीज को यह कह सकते हैं कि तुम यहां से उठ कर चले जाओ और उसके इक्वल दूसरी जमीन एक्स्चेन्ज कर लो। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। यह भी नहीं किया गया है यह जनहित में किया जाएगा। यह कह दिया है वह छोड़ कर चला जाए और इक्वल लैंड ले लें। इसका आप गहराई से अध्ययन करें। लैंड की डेफिनेशन में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मकान भी शामिल है । लाख की बिल्डिंग हैं, तो जमीन और बिल्डिंग की एवज में पौने दो लाख की जमीन एक्सचेन्ज कर सकता है । इसमें भी कोई सुनवाई नहीं है । किस इरादे से यह रखा है । मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की है । आबादी या स्कूल के लिए हो तो अलग से प्रावधान होना चाहिये । यदि इसका पालन नहीं करेगा तो कलक्टर छीन कर दूसरे को दे देगा । इस तरह से एक प्राविजन और आया है । आगे चलकर बड़ा अच्छा है । सेक्शन 13 का क्लाज 4 अमेंड किया है । इसमें कहा है, इसके द्वारा जिन लोगों को लोन नहीं मिल सकता था गैरखातेदार को, उनको भी लोन देने के लिए अधिकार दे दिया है । एक इम्पॉरटेन्ट बात यह रह गई है, गैरखातेदार चाहे विधवा हो, चाहे लंगड़ा हो गया हो, चाहे अन्धा है, चाहे टी. बी. का मरीज हो, एक्सीडेन्ट हो जाए एक साल के लिए, तो हमेशा के लिए प्रावधान है कि वह सबलेट कर सकता है, परन्तु गैरखातेदार एक साल के लिए भी नहीं कर सकता है । इस अमेंड-मेंट से एक साल के लिए भी अधिकार उड़ा दिया गया है । इसके पीछे क्या रीजन है ? बहुत सी परिस्थितियां हैं । टी. बी. की बीमारी हो जाए । इसी तरह से सेक्शन 17 अमेंड किया है क्लाज 5 से । गंग कैनाल में उसमें बेचने का, ट्रांसफर का इस सब में कोलोनाइजेशन एक्ट लागू नहीं होता है । इसका प्रोटेक्शन था । सेक्शन 17 से 13, 14, 15, 16, लागू नहीं होगा । इस को अमेंड करके, गंग कैनाल को ठीक है फायदा कितना होगा, राजस्थान कैनाल और चम्बल कैनाल के लिए तो व्यवस्था लोन की है । इसके अन्दर कोई वेचान नहीं कर सकता है मोर्टगेज नहीं कर सकता है । कुछ काम नहीं कर सकता है । जो पहले नहीं था वह अब और जोड़ दिया है । मेरे कहने का मतलब है इस कानून में बहुत बड़ी-भारी गलतियां हैं । काश्तकार वर्ग के साथ अन्याय होगा । मंत्री महोदय स्वयं काश्तकार हैं । उन्होंने इन कठिनाइयों को देखा है । प्रशासनिक विभाग या विधि विभाग जिसका कि जनता से निकट सम्पर्क नहीं है, वे इस प्रकार का विचार कर सकते हैं, इस प्रकार का कानून बना सकते हैं । परन्तु मंत्री महोदय ने यह कानून कैसे पेश कर दिया, यह समझ में नहीं आता है । इससे जनता लुटेगी और जनता के साथ अन्याय होगा, यह मैं बताना चाहता हूं । मेरी राय में इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये ।'

श्री सभापति : श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने के लिए और प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में विचार किया जा रहा है । इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं । पर साथ ही साथ इसमें जो कमियां नजर आई हैं उनके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक की धारा 9 के संशोधन के अन्दर जो व्यवस्था रखी गई है उसमें एक बात यह है कि जब वे नालियां बनायेंगे जिनको हम मोगा कहते हैं तो वे नालियां पुख्ता बनेंगी, पक्की बनेंगी; हमेशा के लिए बनेंगी तो उन नालियों के नीचे कम से कम एक मुरब्बा जो कि 25 बीघे का होता है उनमें आधा बीघा भूमि जरूर आयेगी और वह हमेशा के लिए

(श्री लूणाराम):

किसान से खत्म हो जायेगी। उस भूमि के खत्म होने के ऊपर मुग्रावजा देने का प्राव-धान इन नियमों में नहीं रखा है जबकि यह ग्रावश्यक बात है। ग्राज भी भाखरा व गंग केनाल में पानी दिया जाता है एक मुरब्बे में तो वह 24।। बीघे का ही कहलाता है तो फिर हमेशा के लिए जो जमीन चली जा रही है उसके लिए मुग्रावजे का प्रावधान नहीं हो यह उचित नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में विचार करें। ग्राज वहां पर एक मुरब्बे की कीमत एक लाख है तो ग्राधा बीघे का 2,3, हजार रुपया मुग्रावजे का बनता है वह किसान को नहीं देना उसके साथ कुठाराघात है। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

इस प्रकार धारा 13 के ग्रन्दर किसान को जो खातेदारी भूमि दी गई है या दी जायेगी उसको बेचने के ग्रधिकार से किसान को वंचित रखा है। यह राजस्थान केनाल ग्रौर चम्बल में ऐसा किया गया है ग्रौर बाकी कहीं नहीं है। सभापति महोदय, ग्राज तक किसानों को इन नियमों में या जो कुछ योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं उन्होंने सहयोग दिया है। उसके बावजूद ग्राज किसानों की ऐसी स्थिति है कि जहां भी वे भूमि सुधार करना चाहेंगे ग्रौर सुधार करने के लिए उनके पास में धन नहीं होगा तो ग्रावश्यकता पड़ने पर उनको ग्रपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ता है ग्रौर गिरवी रखने का प्रावधान वह सिवाय सरकार ने बैंकों के ग्रलावा किसी को नहीं रखा है। बैंक समय पर लोन नहीं देगा। किसान को ग्राज ग्रावश्यकता है ग्रौर बैंकों में उसके कागजों पर एक साल तक विचार नहीं होगा। किसान चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मुझे लोन मिले ग्रौर मैं सुधार करूं, लेकिन उसके लिए पाबन्दी ग्रा गई कि वह न बंटवारा कर सकता है, न बेच सकता है ग्रौर न किसी दूसरे के पास गिरवी रख सकता है। बेचने पर पाबन्दी लगा दी ग्रौर गिरवी रखने का प्रावधान नहीं होने के कारण बड़ा ग्रन्याय हो रहा है। जो बोहरा लोग होते हैं वह जमीन की ग्रपने नाम बिक्री करवाते हैं ग्रौर जब ऋण वापिस कर देते हैं तो फिर वापिस जमीन की बिक्री करवानी पड़ती है। गिरवी का प्रावधान नहीं होने से उसमें यदि बोहरा बेईमानी कर जाय तो किसान हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जायेगा। इसमें जो बैंकों को गिरवी रखने का प्रावधान है उसके साथ साथ बोहरे के यहां गिरवी रखने का प्रावधान होना चाहिए। ग्रौर बिक्री से किसान को वंचित रखा गया है वह एक तरह से उसके साथ कुठाराघात है ग्रौर किसान के साथ ग्रन्याय हुग्रा है वह ठीक होना चाहिए।

इसी प्रकार से धारा 22 के ग्रन्दर, माननीय सभापति महोदय, जो बेदखल करने का प्रावधान रखा गया है तो बेदखल करने के ग्रन्दर कई जगह ऐसी बातें है। ग्राबादी का जहां तक सवाल है ग्राज, राजस्थान केनाल के ग्रन्दर जो पहले गांव थे, नहर ग्राने के पूर्व जो गांव थे वह गांव वहां से समाप्त हो गये ग्रौर वह जमीन ग्राबादी के ग्रंदर पड़ी हुई है, ग्रौर पानी ग्राने के पश्चात् इन वर्षों के ग्रन्दर लोग दूसरी जगहों पर ग्राबाद हो गये। इसमें ग्राबादी के लिए जमीन कई प्रकार की है। कहीं ऐसी ही जमीनें हैं तो ग्राबादी की कहीं पर 10 बीघा ग्रौर कहीं 50 बीघा है। कहीं पर जमीन नहीं है तो भी मजदूर लोग बसते हैं ग्रपनी सुविधा देख कर। ऐसे लोगों को इन नियमों के ग्रन्दर

(श्री लूणाराम)

वंचित किया जा सकता है तो ऐसे लोगों की जो आबादियां बस गई हैं उनको रेगुलेराइज करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वह इसमें नहीं है। इस प्रकार से नोटिस के पहुँचने पर लोगों को परेशानी होगी। इस संबंध में इतना ही निवेदन है। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय सभापतिजी, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य नेजो यह कहा कि जो कम्पलसरी कलेक्टर डाइरेक्शन देगा और किसान की कन्सेंट लेगा तो यह उचित प्रतीत नहीं होता है। जैसाकि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि जो किसान अनिच्छुक हैं, जो इच्छुक हैं वह तो जो डाइरेक्शन मिलेगा उसको मान लेगा, लेकिन जो किसान अनिच्छुक हैं वह पूरे के पूरे उस कैचमेंट एरिया के लोगों का हित, उनके इम्प्रूवमेंट को, या उसके लैण्ड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, इसलिए कम्पलसरी डाइरेक्शन का प्रावधान रखा गया है और कम्पलसरी डाइरेक्शन का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि इस कम्पलशन के पीछे जस्टीफिकेशन है। ऐसा बड़ा प्रोग्राम जब हाथ में लिया जायगा तो इसमें इन्केचमेट एरिया के और चकों के लोगों का कामन इन्ट्रेस्ट इन्वाल्ब्ड है और कामन इन्ट्रेस्ट इन्वाल्व्ड वहां पर है, चाहे सोइल कन्जर्वेशन हो चाहे दूसरी 'स्टेट्स के कालोनाइजेशन के एक्ट बने हुए हैं उनमें भी इस प्रकार का प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान के अन्दर प्रोसीजर इतना लम्बा है कि उसको लेण्ड डेवलपमेंट के प्रोग्राम की जो इमरजेन्सी एराइज होगी, क्योंकि यह पूरे का पूरा प्रोजेक्ट 6 साल का है और 6 साल के पीरियड में जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है उस ह्यूज इन्वेस्टमेंट का उपयोग होकर किसानों को फायदा मिल सके इसलिए उसमें यह कम्पलशन रखा गया है। वह भी उसको नोटिस दिया जायेगा और नोटिस देने के बाद कलेक्टर के डाइरेक्शन को वह नहीं मानता है तो उसके बाद मे जमीन को पजेशन में लेकर वह काम करेगा। एम्स और आब्जेक्ट्स में इस बात का उल्लेख है कि एक्स्टेन्शन आर्गेनाइजेशन साथ ही साथ किया जा रहा है और यह एक्स्टेन्शन सर्विस किसानों को योजना के बारे में पूरी जानकारी देगा और योजना की जानकारी देने के बाद में भी मानकर चलता है कि निश्चिततौर से अधिकतर किसान उस योजना को अपना लेंगे क्योंकि उनके खुद के इन्ट्रेस्ट उसमें निहित हैं, लेकिन पूरे के पूरे चक के लोगों में से एक व्यक्ति अगर अनविलिंग है तो लेण्ड डवलपमेंट के प्रोग्राम को हाथ में नहीं लिया जा सकता। इसलिए यह कम्पलशन का प्रावधान रखा गया है। वाटर लागिंग से नुकशान हो रहा है, नुकशान पूरे के पूरे कैचमेंट एरिया को हो रहा है। वह खुद का नुकशान काश्तकार कर रहा है और अपने पड़ोसी का भी कर रहा है। पड़ोसी रजामन्द हो जाता है लेकिन वह रजामन्द नहीं होता है। इसलिए यह रखा गया है। पानी का आप्टिमम युटिलाइजेशन हो सके और वह लोन के लिए एप्लाइ कर सकता है। अगर लोन देने में कठिनाई हो और उसमें कोई एनकम्बर्शन हो तो लैण्ड कॉर्पोरेशन उसकी मदद में आ सकता है, लेकिन डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का उसमें उल्लेख किया गया है उसका गठन किया जाना है। ऐसे एरिया के लिए डवलपमेंट आथोरिटी एक बहुत ही सीनियर अधिकारी को इस काम के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिए लगायेंगे जिसके फन्क्शन्स और ड्यूटीज प्रेस्क्राइब की गई हैं। वह कोई किसानों के साथ में इस तरह का कोई अन्याय हो उस बात को वह खुद देखेंगे, लेकिन अगर अन-विलिंग आदमी है तो निश्चिततौर से उसको डाइरेक्शन्स दिये जा सकते हैं।

यहां पर भीनमाल से आने वाले मान-नीय सदस्य ने यह बात कही कि यह जो प्रोजेक्ट है इसमें 70 पर्सेन्ट काश्तकार सह-योग देंगे। 1125,000 एकड़ भूमि इस प्रोजेक्ट में ली जा रही है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने यह नहीं कहा है। जिस काम को आप हाथ में लेंगे तो आपके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स के अन्दर आपने खुद ने लिखा है कि 70 पर-सेंट मानकर चला जाय कि वह सहयोग देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मेजर जो है वह राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एरिया में है, और राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एरिया में आर्डिनरिली जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं....वहां पर रेक्टेंगुलाइजेशन है। अगर ज्यादा डिफीकल्टी आयेगी तो चम्बल एरिया में आयेगी। टेढ़े-मेढे खेत हैं। कहीं आधा इधर आ गया है तो आधा उधर निकल गया। यह रेक्टेंगल में निकाला जायेगा। जहां तक राजस्थान केनाल का प्रश्न है, वहां पर यह डिफीकल्टी आनेवाली नहीं है। एक्सचेंज आफ लैण्ड की आसानी है। बहुत बड़ी तादाद में होने वाला है। टुकड़ों में होने वाला है। यह कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग आने वाले वाटर कोर्स को बेस बनाने के लिए री चेकिंग.......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस परपज के लिए नहीं है। आप ध्यान से पढ़ लीजिये। यह शब्द ही नहीं लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे बोलने दीजिये पहिले।—यहां पर यह भी बात कही गई है कि इसमें हमेशा के लिए कानून का प्रावधान रखा जायेगा। इसके अन्दर कानून का प्रावधान इसीलिए रखा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट ही नहीं है। दो प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। दूसरे हैं, माही, गंग केनाल और भाखरा, और दूसरे प्रोजे-क्ट भी कवर करेंगे। इस प्रकार के प्रोग्राम में इस प्रकार का प्रावधान रखा जाना आव-श्यक है। प्रोजेक्ट अधिकारी इस प्रकार से काम करेंगे। यहां यह भी कहा गया है कि किसानों पर बहुत बड़ी बन्दिश लगाई गई है। उनको बेचने पर पाबन्दी पहले भी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गंग केनाल में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इस एक्ट के मातहत जो हैं, उन पर बन्दिश है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने या तो मेरी बात को सुनी नहीं है। मैंने यह कहा है, गंग केनाल में जहां बन्दिश नहीं थी, वहां नये सिरे से लगाई गई है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपको सुना है। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप तो उस वक्त मेरी तरफ देख रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पीछे नहीं देख सकता। मैंने यह सुना है। बेचने पर

(श्री परसराम मदेरणा)

बन्दिश है। आज भी मोर्टगेज पर भी बंदिश है। पहले जो थी, उसी प्रकार की है। गंग केनाल की आप जो बात कह रहे थे, वह मैं निवेदन कर चुका हूं। मैं गंग केनाल का प्रोजेक्ट बनाने का काम हाथ में ले रहे हैं। जो एरिया आये हैं, वह एक सेक्शन श्रोमिट की जा रही है। यहां खातेदारी की बात कही गई है। एक साल के लिए सब्लेट करने का अधिकार था। वह सब्लेटिंग का जो अधिकार था, उसको हटाया जा रहा है। यह बात सही है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य सब्लेटिंग के बारे में हमेशा यह सवाल उठाते रहे हैं कि यह लूटि-ज्म पनप रहा है। मगर खातेदारी भी कर रहे हैं। उसी पीरियड के अन्दर 7 साल का थोड़ा पीरियड है। उस पीरियड में राजस्थान केनाल में जमीन सैण्ड ड्यून्स हैं। वह ठीक नहीं बनेगी। उसके अन्दर 7 साल जमकर बैठने की आवश्यकता है। उसको बटाई पर देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें लेवलिंग का काम होगा। लेवलिंग डालना होगा। इस एरिया में काफी समय लगेगा। अभी बहुत सैण्ड ड्यून्स हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें चम्बल भी शामिल है ?

श्री परसराम मदेरणा : बीच में सैण्ड-ड्यून्स हैं। जैसे कि माननीय सदस्य ने 57-58 में भाखरा केनाल का क्षेत्र देखा होगा। वर्षों के बाद में धीरे धीरे काम किया गया है। यहां पर टोटल मिलाकर 12-15 हजार एकड़ में आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है। आज से 3 साल पहले जिनको एलाट किये गये हैं इसके लिए मशीनें भी मंगाई जा रही हैं। लेवलिंग के लिए। जहां चम्बल एरिया के लिए कह रहे हैं। चम्बल की वाटर लोगिंग की बहुत बड़ी समस्या है। जिसे स्पेसिफिकेशन ढंग से डेवलप करने के लिए वाटर लोगिंग की प्राब्लम इतनी हो गई है कि जगह जगह पानी भरा पड़ा रहता है। इससे खेतों में क्राप रोटेशन का कोटा में सुधार किया गया। उस वक्त काश्तकारों ने ऐतराज किया। फिर धीरे धीरे काश्तकार काम में लाये। लेकिन कानून के आधार पर पाबन्दी लगाई गई तो उन्होंने रंजिश किया। इसलिए छोटे छोटे चेनल्स हैं। उनको लाइनिंग करने को चम्बल एरिया में लगाया गया है। यह लेण्ड को डेमेज न करे पानी। और इसका मेग्जिमम यूटिलाइजेशन लिया जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सैण्ड ड्यून्स का खर्चा काश्तकारों पर तो नहीं पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें इस बात का प्रोग्राम है। रीशिड्यूलिंग किया जा रहा है। उसमें उस प्रकार का इतना भार नहीं रखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक 30 साल के लिए कर्जा दे रही है।

एक माननीय सदस्य : साफ्ट लोन है।

श्री परसराम मदेरणा : साफ्ट लोन है। 10 साल की कालावधि रखी है। जो एडीशनल इनकम होगी उसमें 50% री-पे की करनी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि काश्तकारों को रीपेमेन्ट करने में कोई डिफीकल्टी नहीं आयेगी।

श्री भगराज चौधरी : What is the criteria for assessing additional income ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें इरिगेटेड एरिया के अन्दर, जो चम्बल और राजस्थान कैनाल प्राजेक्ट का है, उसके अन्दर लैण्ड डवलपमेंट की प्राब्लम है, उसके अन्दर पक्के नाले बनाने की प्राब्लम है, उसके अन्दर लैंड लेवलिंग की प्राब्लम है, उसके अन्दर वाटर लोगिंग की प्राब्लम है और वाटर लोगिंग की वजह से वाटर कोर्सेज बनाने की है, इन प्रोग्राम को हाथ में लिये बगैर इरिगेशन में, वाटर इन्टेन्सिटी इन्क्रीज नहीं हो सकती, इससे काश्तकारों की आमदनी नहीं बढ़ सकती और राष्ट्रीय उत्पादन भी नहीं बढ़ सकता इन बातों को ध्यान में रख कर बिल में प्रावधान रखे गये हैं, मैं समझता हूं वह अपने आपमें स्पष्ट है और इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय या सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है....

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैंने मूव किया इसलिए मैं वाइन्ड अप करूं ।

श्री सभापति : वाइन्ड अप करने की जरूरत नहीं है, स्पष्टीकरण और चाहिए तो कर दें ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कैसे नहीं है, I have got a right to say something in reply.

श्री सभापति : माननीय सदस्य । इस विषय पर हाउस में बहस नहीं हो सकती । आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो संक्षेप में पूछ लें ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्पष्टीकरण मान लें । मंत्री महोदय ने कहा, एक दो रिलक्टेन्ट हों तो उनको फोर्स किया जा सकता है । मैं एग्री करता हूं लेकिन इस बिल में इसका प्रावधान नहीं है, यह नहीं कहा है । ला में फिफ्टी पर्सेन्ट एग्री नहीं हो सकते तो आप फोर्स कर सकते हैं या ला सकता है ?

दूसरा एक्सचेंज का रखा है कि रेक्टेंगुलेराइजेशन के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं । मैं एग्री करता हूं । लेकिन आपने ला में नहीं लिखा है इसमें कही है कि डाइरेक्ट कर सकते हैं कि नजदीक की जमीन उस वेल्यू की हो तो वह ले लें । आपकी इन्टेन्शन है लेकिन What the Legislature says and what it means, या तो एक्जेक्ट होकर कहना चाहिए, एक्सचेंज की बात, कहीं रेक्टेंगुलेराइजेशन का प्रश्न खड़ा हो तो उस पर्पज के लिए कर सकते हैं । कोई चाहता है, यह मैं दिमाग में ले लूं, तो आप मिनिस्टर हैं, हम सब एम.एल.ए. हैं लेकिन और लोग हैं उनके लिए कहा है कि जमीन इस तरह ले ली जाय । यह लेकुना है । ठीक है, इन्टेन्शन है; लेकिन यह लिखा नहीं है ।

तीसरे, रेट इन्क्रीज का रखा है । गरीब आदमी लेवलिंग अपने बलबूते पर करायेगा । जो मामूली आदमी हैं उनकी छाती पर लैंड लेवलिंग का खर्च आ जायेगा आपकी ढाणी के पास धोरा है, वैसा धोरा आ जाय तो लेवलिंग 10 लाख बगैर नहीं हो सकता । तो रेंट इन्क्रीज के पीछे क्या बात है ? सरकार क्या कर रही है ? रेट इन्क्रीज के बारे में मेरा ख्याल है, जस्टिफिकेशन नहीं है ।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेन्ट्री है....

श्री सभापति : कोई सप्लीमेन्ट्री इस मौके पर नहीं हो सकती।

श्री लूणाराम : प्रश्न यह है, जमीन खार के अन्दर आयेगी उसके बारे में किसान को मुआवजा देने के लिए निवेदन किया था, उसके बारे में मंत्री को क्या कहना है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुआवजे का...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुआवजा बहुत लो है, यह भी कहा था।

श्री परसराम मदेरणा मुआवजे का आलरेडी प्राविजन रख दिया गया है। रेट इन्क्रीज प्राडक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। आज लैंड से प्राडक्शन हो रहा है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, वन सिक्स्थ आफ दी ग्रास प्रोड्यूस के आसपास रेंट होना चाहिए। आपका प्रावधान लैंड रेवेन्यू एक्ट में है, उसमें यह कहा है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : खराब से खराब राजा नवाब थे, उनके समय में जो उसमें डवलपमेंट करता था, कुए खुदवाता था, तो जमीन का रेंट 20 साल का माफ करते थे।

श्री परसराम मदेरणा : राजा नवाब जिस समय माफ कर रहे थे, काश्तकार नहीं थे, खाली जमीन थी। आज जमीन पर पापूलेशन ज्यादा है और इतनी एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर जमीन की वेल्यू एप्रीसियेट हो गई है, इसको देखते हुए रेट इन्क्रीज की बात सभी राज्यों में की जा रही है। हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी रेट इन्क्रीज न की जाय और लैंड का पूरा फायदा लोगों को न मिले, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि रेट इन्क्रीज वाली बात मुनासिब है।

फिफ्टी परसेंट वाली बात कही ? मैंने नहीं कहा कि स्पेशल एक्सटेन्शन आर्गेनाइजेशन का काम वाइडली हो रहा है। वैसे हर किसान अपना हित अहित समझता है। हित समझते हुए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नान-कापरेट करें। किस प्रकार ग्राम दान के आब्जेक्ट और उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन वहां भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो दूसरी राय रखते हों। इसलिए अच्छे काम को लेने में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो धीरे धीरे एरिया के डेमेज होने से बचाने में असहयोग करते हैं। इसलिए उसके साथ कम्पलशन हो, यह जस्टिफाइड है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जनमत जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अरे साहब, विथड्रा कर रहे हैं।

श्री सभापति : जनमत जानने के लिए श्री गिरधारीलाल भार्गव ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रश्न यह है कि जनमत जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सलेक्ट कमेटी वाले को हम विथड्रा करते हैं।

श्री सभापति (श्री पूनमचन्द विश्नोई से) : क्या आप सिलेक्ट कमेटी वाला वापिस ले रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वापिस लेते हैं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्यों को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम विथड्रा करते हैं।

श्री भगराज चौधरी : Yes we also withdraw.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विथड्रा करते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री केदारनाथ : ट्रान्सफर आफ राइट्स का है, इसमें आपने रीजनेबल टाइम नहीं रखा है। ट्रान्सफर आफ राइट्स में कितना टाइम दिया जायेगा।

श्री शिवचरण माथुर : कौनसा क्लाज ?

श्री केदार नाथ : क्लाज 4 है : "No tenant shall transfer or charge his right or interest vested in him by or under this Act without consent in writing of the Collector by way of sale, exchange, gift, will ."

श्री शिवचरण माथुर : सेक्शनवाइज ले लीजिये।

श्री सभापति : कोई संशोधन नहीं है। पारण का प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है।

श्री केदारनाथ : इसमें है एक्सचेंज, गिफ्ट, विल। इसमें डेथ के पहले की विल का रखा है तो कोई कहीं से विल लिखवा लायेगा। तो विल की जरूरत क्या है, इस वर्ड विल को डिलीट कर दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मंत्री महोदय ने ढंग से पारित करने का प्रस्ताव नहीं रखा है। मैंने इसमें संशोधन प्रस्ताव दिये थे, लेकिन वह नेगेटिव वोट होने को थे इसलिए उन्हें मूव नहीं करना था। इस सम्बन्ध में आसन को कह दिया था और मंत्री महोदय को भी कह दिया गया था।

श्री सभापति : आप उसके ऊपर बाद में प्रकाश डाल सकते हैं, जिस पर मंत्री महोदय विचार रख देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप खण्डशः ले लीजिये, मैं कह लूं और मंत्री महोदय उत्तर दे दें।

श्री सभापति : तृतीय वाचन पर एक साथ कह लीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तृतीय वाचन पर क्यों। आप खण्डशः विचार करा लें। इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया है, मंत्री महोदय को सूचित किया है, क्योंकि नेगेटिव वोट के नेचर के मेरे संशोधन प्रस्ताव थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उस पाइन्ट पर हमेशा अपोज कर सकते हैं। मैंने सूचना दे दी थी परसों।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे सूचना नहीं मिली है असेम्बली सेक्रेटेरियेट से।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका मतलब है, सूचना मुझे दफ्तर ने गलत दी है। क्यों साहब ? सभापति महोदय, आप जानकारी कीजिये, जिन आफिसर ने मुझे सूचित किया है और मंत्री जी को जानकारी दी है।

श्री सभापति : जो स्थिति होगी उसकी आप जानकारी कर लीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे जानकारी है, मैंने जानकारी कर ली है, रूबरू आकर इत्तला दी है और सूचना दे दी है।

श्री सभापति : आसन के पास जो कुछ भी संशोधन खण्ड पर आने चाहिए थे उस तरह की स्थिति नहीं है।

जो यह प्रस्ताव पारित····

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप दफ्तर से पूछ लीजिये।

श्री सभापति : विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए आप जो खण्डशः विचार करना चाहते हैं वह तृतीय वाचन के वक्त पर कह दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा निवेदन है, मुझे यह दफ्तर ने सूचित कर दिया है कि उसने इत्तिला दे दी है, चेअरमैन महोदय को दे दी है, मंत्री महोदय को दे दी है। खण्डशः विचार होगा, तो मेरे संशोधन नेगेटिव वोट के होंगे, इसलिए वह मूव होते नहीं है, क्योंकि यस नो कराना पड़ेगा। दफ्तर से वस्तुस्थिति आप मालूम कर लीजिये।

श्री सभापति : इस बारे में प्रस्ताव विधेयक को पारित करने के लिए आ चुका है। आप तृतीय वाचन पर बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रेक्टिकली गलत आ गया है। उससे क्या हुआ। जब संशोधन प्रस्ताव हैं तो खण्डशः आपको लेना पड़ेगा। आप यों कैसे पास करेंगे। आप पूछ लीजिये, इत्तिला हो गई है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नेगेटिव नेचर के हैं। तीन दिन पूर्व दिए हुए हैं।

श्री सभापति : मैं विधेयक को खंडशः ले रहा हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 को स्वीकार किया जाए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : आपने 3 और 4 के लिए कहा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो पर मुझे ऐतराज है। जब खंडशः विचार है तो मैं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

खंड दो पर कहना चाहता हूं। इसमें प्रावधान है कि प्रोजेक्ट आफीसर होगा और उसकी ड्यूटीज और उसके फंक्शन्स हैं वह राज्य सरकार प्रेस्क्राइब करेगी। इसमें मेरा नम्र निवेदन है कि जो लेजिस्लेशन के बुनियादी सिद्धांत हैं उनके प्रतिकूल है, किसी भी अधिकारी को अधिकार देकर नियुक्त किया जाए तो केवल राज्य सरकार पर उनके अधिकारों को छोड़ देना, यह अन्याय है और ऐसी हाईकोर्ट की रूलिंग्स हैं। ये अधिकारी जो नियुक्त किए जा रहे हैं, लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण करेंगे इसलिए प्रोवीजन यहां होना चाहिए। वह नोटिस नहीं देंगे, अपने आप योजना तैयार कर लेते हैं, 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत लोग साथ में हैं, मंत्री महोदय कह रहे थे कि एक दो होगा, तो कम्पेलिंग प्रोवीजन्स में आपने कहीं नहीं लिखा कि 95 प्रतिशत लोग अगर साथ में हैं और 5 प्रतिशत ऐतराज करते हैं तो कम्पेलिंग प्रोवीजन्स काम में आयेंगे इसलिए कि लोगों के साथ अन्याय न हो। इसलिए इन अधिकारियों को गाइडलाइन्स देने चाहिए थे उसके बाद में रूल मेकिंग पावर राज्य सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। नहीं तो, अन्याय होने का बड़ा भारी खतरा रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन में जितने भी, सैकड़ों कानून, बनाए हैं रूल मेकिंग पावर सरकार के पास रहती है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गाईडिंग प्रिन्सिपल हमेशा देना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब जो स्पेसीफिकेशन का प्लान तैयार करेगा, किस प्रकार वह प्लान तैयार करेगा, इस संबंध में रूल मेकिंग पावर बना दी, प्रोवीजन रख देंगे, तो लेजिसलेचर को बाइपास करके कोई बड़े अख्त्यारात नहीं दे रहे है। डाइरेक्शन्स की बात कलक्टर के पास रखी है। बाकी टेक्नीकल आदमी के पास है कि कैचमेंट एरिया या एरिया का किस तरह से प्लान बनाया जाएगा, क्या ड्यूटीज रहेगी उनको किस तरह से स्टाफ मदद करेगा और प्लान बनाने के बाद में वह किस तरह से एक्जीक्यूट किया जाएगा, इस संबंध में डिटेल्स में रूल्स बनाने की बात है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकृत किया गया।

खंड 3

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें मेरा संशोधन था कि इस खंड को विलोपित किया जाए।

(9.05 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्योंकि कलक्टर को अधिकार दिया है कि प्रोजेक्ट आफिसर की रिपोर्ट आने के बाद वह रेक्टेंगूलेराइज करवा सकेगा और संभव भी नहीं होगा कि वह रेक्टेंगूलेराइज कर सके। जो अपना कन्सोलीडेशन का पिछला अनुभव है दोनों का, उसको कानून बनाने वालों ने ध्यान में नहीं रखा है, इससे गरीब जनता, अधिकारियों द्वारा रिश्वत की शिकार होगी।

दूसरी जो आपत्तिजनक बात है कि प्रोजेक्ट आफीसर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कलक्टर टेनेन्ट्स को डाइरेक्ट कर सकता है कि वह यह कार्य करे। इसमें इस कानून के अनुसार यदि 10 प्रतिशत व्यक्ति उस काम को करने को तैयार हों और 90 प्रतिशत खिलाफ हों तो वे फोर्स किए जा सकते हैं लेकिन इसके अनुसार कलक्टर डाइरेक्ट कर सकता है तो ये बहुत स्वीपिंग पावर्स हैं, न समय निर्धारित किया है। इसमें अवधि दी है डेवलपमेंट कार्य करना एक महीने के अंदर यह सब डेवलपमेंट कार्य नहीं हो सकता। इससे आगे चलकर टेम्परेरी पजेशन का दिया है। पजेशन लेकर तीन महीने में कार्य पूरा नहीं होगा। मैं जानता हूं पी० डब्ल्यू. डी. या इर्रीगेशन करवायेंगे तो पूरा नहीं होगा। ज्यादा रखें तो 150) रु० के हैक्टर के हिसाब से मुआवजा देकर रखा जा सकता है और मियाद नहीं रखी है, किस मौसम में रखा जाएगा, दूसरी फसल तक दिया जाएगा, इसकी गारंटी नहीं दी गई है जमीन किस हालत में हो। 10 हजार रुपए की खाद डाली है तो ये पेनल प्रोवीजिन्स काश्तकार के लिए भारी पड़ेंगे। मेरी यह मन्शा नहीं है कि यह कार्य न हो लेकिन यह कार्य स्वेच्छा से होना चाहिए था लेकिन विभाग ने जिनको मेरे खयाल से लोगों के साथ रहने और बैठने का अनुभव नहीं है जैसे उनको जंचा उन्होंने कानून बना दिया और यह जनता पर भारी पड़ेगा।

इसमें आगे जाकर सब-सेक्शन 3 का 'ए' है जिसमें मैंने डिफेक्ट बताया कि कोई व्यक्ति जाकर पजेशन हैंड ओवर नहीं करे, जवाब भी नहीं दे और लिखित में उत्तर नहीं दे और केवल हाजिर हो जाए तो वह इसमें बच सकता है। इसी तरह से मंत्री महोदय ने कहा सब-सेक्शन 2 के 4 के बारे में। उन्होंने कहा एलाटीज को एक्सचेन्ज करने का किया है। यह रेक्टेंगुलेराइजेशन के लेकिन रेक्टेंगुलेराइजेशन शब्द कहीं नहीं है। इसमें लिखा है "एज नीयर एज मे बी पासीबुल" इसका मतलब एक मील दे दिया, आधा मील दे दिया, न रेक्टेंगुलेराइजेशन शब्द काम में लिया। मंत्री महोदय को जैसे जंच गया उन्होंने कह दिया। जो डिबेट हुई है उसको ध्यान में नहीं रखा और खाली सेक्शन पढ़ें तो इसमें कलक्टर को अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी लैंड एक्सचेन्ज करने के लिए फोर्स करने का अधिकार है जो, मैं समझता हूं उचित नहीं है और इसमें गरीब जनता पिसेगी और उनके साथ अन्याय होगा।

उसके बाद मंत्री महोदय, हायर रेट की बात कह रहे थे लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट हो गया इसलिए हायर रेंट लगायेंगे। आप मानते हैं कि एक मुरब्बे पर कम से कम 15 हजार रुपए खर्च होगा लैंड डेवलपमेंट का उसके बाद में उसको बढ़ी हुई रेवेन्यू देनी पड़ेगी, मैं समझता हूं, यह भारी पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 4 है उसके अंदर कलक्टर को अधिकार दिलाया है कि वह खुद सरकार की एजेंसी या दूसरी एजेन्सी से उस लैंड को डवलप करवा सकेगा। सरकारी एजेंसीज कैसी हैं और कैसे डेवलपमेंट करेगी, योजनाओं के अंदर मकान बनाए गए हैं, उनको कैसे डवलप करेंगे, इसमें काफी अन्याय होगा। लोग बीच में पैसा खायेंगे। जितना डवलपमेंट करना है वह नहीं होगा। वे रोते फिरेंगे, नालियां टूट जायंगी इसमें एक बात और है।

श्री उपाध्यक्ष : वह आप थर्ड रीडिंग के वक्त कह देना।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस तरह जो आपने डवलेपमेन्ट के नाम पर कार्य रखे हैं वह हो नहीं सकेंगे। इसमें यह भी है कि अगर काश्तकार उनके कहे अनुसार कार्यवाही नहीं करेगा तो कलेक्टर उस जमीन पर कब्जा कर सकता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेक्टेंगूलेराइजेशन का जो काम है वह काफी दिक्कत वाला है। यह कोई, जितना मन्त्रीजी आसान समझते हैं उतना, आसान है नहीं और इससे गरीब काश्तकारों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको नहीं रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, रेक्टेंगूलेराइजेशन आफ लेण्ड करने के मामले में राज्य सरकार की मन्शा यह कतई नहीं है कि वहां के काश्तकारों को परेशान किया जाय। यह तो वहां के विकास के लिये हैं और उन्हीं लोगों के फायदे के लिये है। यह सिर्फ राजस्थान केनाल एरिया के लिये ही नहीं वरना इसमें कोटा का, चम्बल का एरिया भी शामिल है। एक लेण्ड डेवलेपमेन्ट आथोरिटी बनायी गयी है। एक उच्च अधिकारी इसके लिये रखा गया है। इसके अलावा पजेशन का जो कार्य किसी लेण्ड के रेक्टेंगूलेराइजेशन का जहां तक सवाल है वह उस वक्त उस लेण्ड का पजेशन नहीं लेगा जब कि फसल खड़ी है। मैं आश्वासन सदन के माननीय सदस्यों को दे देना चाहता हूं ताकि काश्तकार को किसी भी प्रकार का नुक्सान नहीं हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें सेक्शन चार में ट्रान्सफर आफ राइट पर जो बेन लगाया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफर आफ राइट का जहां तक सवाल है उसके बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रांसफर्स कोई होलसेल में तो होंगी नहीं। कोई एक दो मामलों में होंगे। इसके लिये भी कलेक्टर वेल्यू डिटरमिन करेगा। इसके अलावा कलेक्टर की कन्सेन्ट बगैर नहीं कर सकेगा। इससे काश्तकारों को लाभ होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अगर कोई एक्सचेन्ज भी नहीं कर सकता। सेल भी नहीं कर सकता किसी प्रकार की ट्रान्सफर नहीं कर सकता और जैसा की मन्त्री जी कहते हैं कि काश्तकारों को लाभ होगा वह गलत है। हमें तो दुखता है इसलिये कहते हैं। इससे काश्तकारों को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला है अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थितिवश कर देता है तो।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई पेनल प्रोविजन तो रखा है नहीं। सिर्फ सिविल लॉ रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बड़ा प्रोग्राम काश्तकारों को लाभ हो इसके लिये बनाया गया है। मैं समझता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं कि लोगों को तकलीफ होगी, तो मैं समझता हूं कि मोर देन फिफ्टी परसेन्ट लोग तो इससे कठिनाई में आयेंगे नहीं सिर्फ एक दो परसेन्ट आजायें तो बात दूसरी है। ऐसे तो एक दो परसेन्ट होंगे। यह तो एन्टीसिपेट्री ही सोच रहे हैं कि ऐसा हो जायेगा। इसमें तो लेण्ड लेवलिंग और वाटर लोगिंग वगैरह का काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो काश्तकारों के भले के लिये ही प्रोग्राम बनाया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रोविजन रखा

(श्री परसराम मदेरणा)

गया है। काश्तकार के हित में रखा गया है और मैं समझता हूं कि ठीक है इसे विलोपित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस खण्ड को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की राय है कि खण्ड तीन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड चार (श्री पूनमचन्द विश्नोई की ओर देख कर) इसमें तो आपको कुछ नहीं कहना है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कहना है। इसमें भी कहना है। इसमें आपने यह रखा है कि काश्तकार अपने खातेदार राइट को ट्रान्सफर सेल, एक्सचेन्ज, गिफ्ट या मॉरगेज नहीं कर सकता। वह सबलेट नहीं कर सकता। यह तो बिलकुल ही गलत कर दिया। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि मन्त्रीजी इस को जल्दी में बिल को ले आये हैं और इन्हें जल्दी ही संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि, मानलो, एक आदमी मर जाता है और उसकी विधवा औरत जैसे 6 माह तक बाहर नहीं निकल सकती तो क्या ऐसे वक्त तो सबलेट नहीं कर सकती तो खायेगी क्या ? इसके अलावा, अगर एक व्यक्ति बीमार हो गया, आपने तो यह कह दिया कि वह सेल नहीं कर सकता? मोरगेज नहीं कर सकता, सबलेट नहीं कर सकता, तो क्या उसे दिक्कत नहीं होगी ? आखिर आपको कुछ सोचना चाहिये। एक आदमी मानलो टी. बी. का मरीज हो गया। वह तो काश्त कर नहीं सकता, वह मानलो अपने लाभ के लिए सबलेट कर देता है तो और अगर नहीं कर सकता है तो फिर काश्तकार को लाभ का कानून यह किस प्रकार से हुआ ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सही कह रहा हूं कि यह गलत है और आपको जल्दी ही इस बिल में संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिये मैं यह कहता हूं कि इसको विलोपित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह सबलेट की बात कही उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि हर व्यक्ति तो सबलेट करने की सोचेगा नहीं। वैसे खातेदार कितने दिन तक गैरखातेदार को सबलेट करता रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इससे जो बेनामी ट्रान्जेक्शन्स हैं वह समाप्त होंगे। इससे काश्तकारों को लाभ होगा। इसके अलावा जो यह कहा गया है कि कोई विधवा होगयी है और वह 6 माह तक बाहर नहीं निकल सकेगी या कोई बीमार होगया टी. बी. होगयी तो ऐसे मामलों तो एक दो केसेज में हो सकते हैं। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान कैनाल की स्थिति है वह अलग स्थिति है। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे काश्तकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की राय है कि खण्ड चार को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकृत किया गया एवं विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खंड पांच। (श्री पूनमचंद जी की ओर देखते हुए) इसमें भी आपको कुछ कहना है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें भी मुझे कुछ कहना है। इसमें मेरा यह निवेदन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है कि पहले गंगकेनाल के एरिया में किसी प्रकार का अलोटमेंट कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत नहीं होता था उसे अलग रखा गया था। लेकिन इसमें आपने ऐसा रखा है कि इसमें आपने उसको ओमिट कर दिया है। इसमें काश्तकार अपने राईट्स एण्ड लाईबीलिटीज को ट्रान्सफर कर सकता है। इससे काफी दिक्कत पड़ जायेगी। अगर किसी पर कर्जा होगा, लैण्ड पर लिया हुआ होगा, तो वह उस पर ट्रान्सफर हो जायगा। गंगकेनाल के एरिया में ऐसी दिक्कत नहीं थी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले कोलोनाइजेशन एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं था लेकिन अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं और काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हो रही है। तो फिर इनको भी क्यों वंचित रखा जाय? अब यह एक्ट गंगकेनाल, राजस्थान केनाल और चम्बल एरिया सभी को यह एक्ट कवर करेगा। अब वहां काश्तकार चाहे तो ट्रान्सफर कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस खण्ड को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की राय है कि खण्ड पांच स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड पांच स्वीकार किया गया।

खण्ड पांच विधेयक का अंग स्वीकार किया गया। खण्ड 6

क्या सदन की राय है कि खण्ड 6 को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया। खण्ड 7

क्या सदन की राय है कि खण्ड सात स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड एक नाम, प्रस्तावना इत्यादि विधेयक के अंग स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

नाम प्रस्तावना, इत्यादि विधेयक के अंग स्वीकार किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। विधेयक के पारित होने के लिए प्रस्ताव कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव तो पहले ही कर चुका हूं लेकिन आप कहते हैं तो दूसरी बार और प्रस्ताव कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्थान कोलोनाईजेशन (एमेन्डमेन्ट), बिल 1974 को पारित किया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसकी भावना तो अच्छी है लेकिन यह कानून पोचा बनाया गया है। इसके अन्दर इतनी खामियां रखदी हैं कि जिस कार्यक्रम को राज्य सरकार करना चाहती है वह कार्यक्रम इस कानून से पूरा नहीं होगा। आप उसी कार्यक्रम को इससे ज्यादा तरीके से पूरा कर सकते थे अगर आप उन खामियों को दूर करते तो। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जिस मशीनरी के थ्रू इस कार्य को कराने की सोची है उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जनता की कठिनाईयों का बिलकुल अनुभव नहीं है। उनका गरीबों से कभी भी सम्पर्क नहीं रहा है। मन्त्री महोदय ने तो जैसा कि ओर्डिनेन्स लाया गया था उसी से चिपके हुए चल रहे हैं। जैसा लॉ डिपार्टमेंट ने डाइरेक्शन दिया उसी पर मन्त्री महोदय

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का हर वक्तव्य है और यही कारण है कि इस प्रकार के कानूनों को कई जगह पर स्ट्राइक डाउन किया गया हैं। इसलिये मेरा ऐसा निवेदन है कि जो कानूनी कार्यवाही जायज हो और ज्यादा- से ज्यादा जनता के हित में हो वही की जानी चाहिये। यह जो आपने रेक्टेंगुलराइजेशन के कार्यक्रम की बात की है वह कार्यक्रम दरअसल में बहुत ही मुश्किल है। आज परिस्थितियों में यह कतई नहीं चलने वाली बात है। मैंने जो मन्त्री महोदय को इसके लिये जो सुझाव दिये हैं उन्होंने उसे नहीं माना है।

इसी तरह से कलेक्टर को अधिकार दे दिये आपने। उनके पास स्वीपिंग पावर्स रखे हैं। ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में यह बात कही है कि इक्का दुक्का काश्तकार कार्यक्रम को सेबोटेज नहीं कर दे इसलिये कानून बना रहे हैं। इस कानून में इक्का-दुक्का काश्तकार नहीं कर दे यह जिक्र नहीं है। कलेक्टर जनहित में सोचने वाला होगा। कानून अन्याय से बचाने के लिये होते हैं। कोई कलेक्टर 90 परसेन्ट काश्तकार खिलाफ होते हुए भी इस कार्यक्रम को लागू कर दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। न तो अदालत में जा सकता है और न ही रिलीफ मिल सकता है। आपने कहा कि फसल खड़ी है तो कलेक्टर थोड़े ही करेगा। कोई अधिकारी वाजिब होगा। कानून तोड़कर भी अधिकार दिलायेगा। सब अधिकारी एकसा नहीं हो सकते हैं। बुरे अधिकारी भी हैं और अच्छे अधिकारी हैं और उससे लेजिस्लेशन को बचाना चाहिये। फसल खड़ी होगा और कारण इन्युमरेट करना चाहिये था, परमानेंट फसल न हो, खाली बीज डाला हो, वह उगा न हो, गौशाला या और कोई न हो, इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही कलेक्टर को अधिकार देने चाहिये। मुआवजे के प्रश्न को तो टच ही नहीं किया। 15-20 हजार रुपया मुरब्बा का खर्चा आ जावेगा। साल भर काम नहीं होता है एक मुरब्बा का 600 माहवार रुपया देकर इसको रोका जा सकता है।

लोगों से अदलाबदली के लिये फोर्स किया जा सकेगा। मंत्री महोदय का सही इरादा रहा हो। लेकिन आपके इरादे या गुडविल होने से काम नहीं चलता। कानून में अधिकार दिया है उसमें स्पष्ट है कि कलेक्टर पीसमील एक्स्चेन्ज किन्हीं व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को कर सकता है और कार्यवाही समय पर न करे तो लैंड का पजेशन ले सकता है। यह अधिकार दिये हैं। अच्छा कानून यह होता है रेक्टेन्गुलेराइजेशन के परपज के लिये एक्स्चेन्ज आर्डर कलेक्टर कर सकता है। आपने तो एक बल्क अधिकार दे दिया। वन स्ट्राक आफ पेन, अधिकार दे दिया। कोई भी बुद्धिमान आदमी इसको पढ़ेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इसमें बलात् एक्स्चेन्ज का अधिकार है।

मैं समझता हूं कि कानून के पीछे भावना अच्छी है। डवलपमेन्ट होना चाहिये और उसके लिये सही तरीका अपनाना चाहिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो आपकी इच्छा है, मंशा है, वो कानून के द्वारा वह व्यक्त नहीं हुई है। मैंने चन्द सुझाव दिये हैं। मैं समझता हूं ये बातें कानून में होती तो क्या ऐतराज की बात थी। मैंने कमियां बतायीं जब इसका इम्प्लीमेन्टेशन होगा तो जनता इसको भुगतेगी। राजस्थान केनाल में एक भी टीबा आ गया तो 20 हजार रुपये खर्च करने पर भी लेवल तक नहीं होने वाला है, पानी वहां पर नहीं चढ़ने वाला है। आप

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

यह खर्चा भी उन लोगों पर डाल देंगे जब कि उनका खर्चा नहीं होता। एक गरीब आदमी है, उसको टाइम नहीं है, एक विधवा है, अथवा एक अंधा आदमी है, उसको टाइम नहीं है तो उससे छीन कर दिया जावेगा।

सद्भावना होते हुए भी यह कानून बनाया जो व्यवहारिक नहीं है। इससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इससे असंतोष बढेगा लोगों में। आपस में लड़ाई झगड़े बढेंगे, अच्छे विकास के नाम पर काम के बजाय किसान के प्रति फर्जी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा: मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। भीनमाल से आये माननीय सदस्य ने वे ही मुद्दे उठाये हैं जो कि उन्होंने फर्स्ट रीडिंग पर उठाये थे और बाद में बाईक्लाज पर डिस्कशन के समय उठाये थे। व्यक्ति की सम्पत्ति पर असर पड़ेगा, इसकी चर्चा हो चुकी है। संविधान में भी उन लोगों की सम्पत्ति लेने के लिये कम्पन्सेशन की जगह मुआवजा शब्द की जगह दूसरा वर्ड सबस्टीट्यूट करके संशोधन इस लिये किया कि समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, कोई काम करना पड़े तो सम्पत्ति जा सकती है और सम्पत्ति जाय तो किसी को अफसोस नहीं होना चाहिये।

यह बात जरूर है कि इस पूरे को एक्जीक्यूट करते समय में, मैं यह पसन्द करूंगा कि मेरे मित्र कृषि मंत्रीजी एक्जीक्यूट करते समय डिफिकल्टी आये, हरासमेन्ट काश्तकारों का कम हो और संशोधन की आवश्यकता पड़े तो संशोधन करने में हिचकिचायेंगे नहीं। सरकार नहीं हिचकिचायेगी लेकिन पहले ही प्रिज्यूम कर लेना, जिस प्रकार की एफिशियेन्ट मशीनरी लगायी गयी है, वह सब के सब जनता के शोषण में लग जावेंगे और इसका उद्देश्य अनड्यू हो जावेगा इस प्रकार की शंकायें निराधार हैं।

एक्सचेन्ज के बारे में एक बात कही कुछ स्ट्रिप के बारे में यह आ सकता है। पूरे मुरब्बा को सिंचित करने की आवश्यकता नहीं है। आलरेडी रेक्टेंगुलर बना हुआ है उसको ब्रेक देने की आवश्यकता नहीं है। वेल्युएशन का डिटरमिनेशन कलेक्टर के पास रखा गया है। मैं समझता हूं कि सम्पत्ति के मूल्यांकन में यह रखा गैर मुनासिब नहीं होगा। किसी लैंड प्रोग्राम के अन्दर एक मुरब्बा की 15 हजार से अधिक कीमत आती है तो पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी ऐसा प्रावधान है। अतः मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही दिनांक 20 अगस्त, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 9.30 बजे मंगलवार दिनांक 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

राज्य में बेरोजगारों की संख्या

98. श्री रामकिशन (भरतपुर)

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या कितनी है तथा इनमें पढ़े लिखें बेरोजगार कितने हैं ? तथा बिना पढे लिखे बेरोजगार कितने हैं ?

(2) उक्त सभी बेरोजगारों को रोजगार, देने की राज्य सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार इनको बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? जिनके पास आमदनी का कोई स्थाई जरिया नहीं हैं ? यदि हां, तो बेरोजगारी का भत्ता कब से आरम्भ किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या के विश्वसनीय आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं परन्तु नियोजन कार्यालयों में रोजगार पाने हेतु जो व्यक्ति अपना नाम पंजीकृत कराते हैं, उनके संकलित आंकड़े बेरोजगारी के बारे में कुछ दिशा इंगित करते हैं। विभिन्न नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका के अनुसार 30 जून, 74 के अन्त में 1, 82, 022 व्यक्ति रोजगार पाने हेतु पंजिकृत थे जिनमें 90,880 व्यक्ति मैट्रिक व उससे अधिक शिक्षा प्राप्त थे व 91,142 मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त एवं अशिक्षित थे ।

(2) सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना किसी भी सरकारी योजना से सम्भव नहीं है । परन्तु सरकार अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के प्रयत्न प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में करती आ रही है । यह अनुमान है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 8.05 लाख व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएं प्रदान की गई थीं। राज्य सरकार का बेरोजगारी भत्ता देने का कोई विचार नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम रटलाई के सरपंच द्वारा अवैध तरीके से प्लाट्स का बेचान

99. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रटलाई पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ के सरपंच ने अवैध तरीकों से लगभग 40 प्लाट अपने मिलने वाले रिश्तेदारों को बहुत ही कम रेट पर दे दिये ? इसकी शिकायतें सरकार के पास कब आई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन प्लाटों पर बिना नक्शा एप्रूव कराये मनमाने ढंग से 2 साल में मकान बनाये जा रहे हैं एवं उन्हें रोकने के लिए बीसों शिकायतें कलेक्टर, पंचायत मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी को दी गई ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई विस्तृत जानकारी दें ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) ऐसे भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ सख्त कार्यवाही न करने की वजह क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। 40 प्लाट ग्राम पंचायत रटलाई के सरपंच एवं पंचों के रिश्तेदारों व उनके मिलने वालों को दिये गए हैं। शिकायत दि० 23-7-72 को प्राप्त हुई, जो दि० 29-8-72 को जिलाधीश, झालावाड़ को जांच हेतु भेज दी गई। जिलाधीश, झालावाड़ द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 3-10-73 को राज्य सरकार को भेजा गया। दि० 8-10-73 को जिलाधीश, झालावाड़ को यह आदेश दिया गया है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 27-ए के अन्तर्गत इस प्रकार के अवैध बेचान को रद्द करने की कार्यवाही की जावे।

(2) जी हां। इस प्रकार की कुछ शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। दिनांक 26-4-74 को जिलाधीश झालावाड़ को इन शिकायतों की जांच किये जाने का आदेश दिया गया है। जिलाधीश झालावाड़ द्वारा संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(3) राजस्थान पंचायत अधिमिनय, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत दि० 8-4-74 को सरपंच, रटलाई को आरोप पत्र दिया गया। सरपंच से उत्तर प्राप्त हो गया है। सरपंच के विरुद्ध विस्तृत जांच के लिए उपखंड अधिकारी, इकलेरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, गंगापुर के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध की गई शिकायतें

100. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास गंगापुर के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गुलाबचन्द पल्लीवाल के खिलाफ गलत कार्यवाही तथा अवैध तरीके से भूमि देने के बारे में जनता गंगापुर ने जिलाधीश सवाई माधोपुर को कई बार शिकायत की थी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री परसराम मदेरणा गंगापुर गये थे उस समय अवैधानिकता, भ्रष्टाचार अनियमितताएँ कुनबापरस्ती तथा निर्माण कार्यों में काफी घोटालों के बारे में शिकायत की थी ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष की पत्नी श्रीमती शान्ता पल्लीवाल को 7) रुपये वर्ग गज में बगैर नीलाम किये प्लाट दिया था ? क्या यह सही है कि श्रीमती पल्लीवाल अपना प्लाट बराबर बना रही है ?

(4) क्या यह सही है कि श्रीमती पल्लीवाल के प्लाट को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है ?

(5) क्या यह सही है कि उसके खिलाफ जिलाधीश को कई बार शिकायत की है फिर भी जिलाधीश सवाई माधोपुर

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

श्रीमती शान्ता पल्लीवाल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

रासायनिक खाद का वितरण

101. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सच है कि कृषि विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि दिसम्बर, 1973 में रासायनिक खाद का वितरण विकास अधिकारी पंचायत समिति, पदमपुर द्वारा किया जायेगा और प्रति खाता एक बोरी यूरिया खाद या दो बोरी किसान खाद दी जावेगी ?

(2) क्या यह सच है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति, पदमपुर ने खाद का गलत वितरण दिखाकर रसायनिक खाद काले बाजार में एक सौ रुपये प्रति थैले तक बेची ?

(3) क्या यह सच है कि खाद का वितरण एक थैला यूरिया या दो थैले किसान-खाद से अधिक वितरण दिखाई गई जब कि काश्तकारों को इतनी खाद नहीं दी गई ?

(4) क्या यह सच है कि ऐसे नामों पर खाद दी गई जिन नामों के व्यक्ति नहीं हैं या जो पंचायत समिति, पदमपुर के क्षेत्र के व्यक्ति नहीं है जैसे सज्जनसिंह गजनसिंह, नामक कोई व्यक्ति 8 एन. एन. ए. में नहीं है। गुरदयालसिंह पुत्र कर्मसिंह की भूमि में पिछले कई वर्षों से कोई काश्त नहीं है, चक 26 एम. एल., 5 जे. जे.; 30 बी. बी. ए. नाम के कोई गांव पंचायत समिति, पदमपुर में नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवाएगी और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कृषि उत्पादन समिति की बैठक में दिनांक 2-11-73 को यह निर्णय लिया गया था कि विकास अधिकारी, पदमपुर एवं कृषि सहायक (पं० सं०) पदमपुर क्रमश: पदमपुर एवं गजसिंहपुर के लिए खाद के परमिट जारी करेंगे। खाद देने का प्रावधान 1 रु. से 50) रु. तक 72-73 आबयाना रसीद पर 2 थैले यूरिया अथवा 2 थैले डीएपी अथवा 3 थैले किसान खाद प्रति माह तथा 50) से ऊपर 72-73 को आबयाना रसीद पर 5 थैले यूरिया अथवा 5 थैले डीएपी अथवा 7 थैले किसान खाद प्रतिमाह देने का प्रावधान था।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) ऐसी कोई जानकारी विभाग को नहीं है।

(4) खाद उन्हीं व्यक्तियों को दी गई जो पंचायत समिति पदमपुर, के क्षेत्र में है। श्री सज्जनसिंह व श्री भजनसिंह 8 एन. ए. के हैं न कि 8 एन. एन. ए. के। श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री कर्मसिंह ने पर्ची क्रमांक 1338 दिनांक 16-1-73 125/- की प्रस्तुत की तथा उसी के अनुसार खाद दिया गया।

(कृषि मन्त्री)

चक 26 एम. एल. 5 डी डी. और 30 पी. वी. पंचायत समिति, पदमपुर में है। 5 जे. जे. तथा 30 बी. के. ए. पंचायत समिति पदमपुर में नहीं है।

सपोटरा रेन्ज में बाघरियों द्वारा वन पशुओं व पक्षियों का संहार

102. श्री ब्रजेन्द्रपालसिंह (करोली) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है सपोटरा रेन्ज के निम्न गांवों में बाघरियों के डेरे लगे हुए हैं-गांव लोहूरा में 3 डेरे, गांव नौनिया की गुआरी में 1 डेरा, गांव कल्यानपुरा में 2 डेरे, भैंरुपुरा में 2 डेरे तथा कसेड़े में 2 डेरे ?

(2) यदि हां तो वह कितने समय से इन गांवों में रह रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन चार महीनों में इन बाघरियों ने सैकड़ों वन पशु एवं पक्षियों का संहार किया है जिनमें मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है सूअर, साम्भर, चीतल, हिरन तथा गोह की संख्या विशेष है ?

(4) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री के एक सरक्यूलर के आधार पर भूतपूर्व वन-संरक्षक श्री के. बी. मोहनलाल ने वन पशुओं की रक्षार्थ एक नोट प्रस्तुत किया था जिससे इन बाघरियों की बन्दूकें नालों को 18 इन्च करने का सुझाव था ?

(5) क्या सरकार इस नोट के आधार पर वन-पशुओं की रक्षार्थ युद्धस्तर पर कार्यवाही तथा इस उप-जिले से इन बाघरियों को तुरन्त हटाने पर तुरन्त ध्यान देगी क्योंकि इस वर्षा काल के तीन महीनों में ही वनजीवों को नष्ट करने का ही उपयुक्त समय है और यदि सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की तो वन-पशुओं की भारी क्षति होगी ?

(स्थगित किया गया)

अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा तहसील देवली के गांवों में ट्यूब वैल्स का निर्माण

103. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967-68 में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने तहसील देवली जिला टौंक के ग्राम नागडिया देवखडा आदि गांवों में अजमेर को पानी देने के लिए ट्यूब वैल्स का निर्माण किया था उससे इन गांवों के कुंओं का पानी सूख गया है।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त स्थिति का अवलोकन किया है ? क्या राज्य सरकार उस क्षेत्र की जनता को राहत देने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सन् 62-64 में जन स्वास्थ्य अभि० विभाग द्वारा नेगड़िया आदि ग्रामों में अजमेर को जल देने के लिये 40 नल कूपों का निर्माण किया गया इन नल कूपों के निर्माण से सामान्यत: जल स्तर नीचे गया है।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, जल की उपयुक्त व्यवस्था बनाये रखने के लिये बनास नदी पर राजमहल के निकट एक पिकअप बीयर बनाने का विभाग के विचाराधीन है। धन की उपलब्धि के अनुसार योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

राज्य के कृषि फार्म एवं उनकी भूमि

104. श्री चेतराम (टोडाभीम)

श्री रामगोपाल (किशनगन्ज) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने कृषि फार्म हैं तथा कहां कहां पर हैं? प्रत्येक फार्म पर कितनी कितनी भूमि है? कृषि के उपकरणों की कीमत क्या है तथा उन पर होने वाला लागत खर्च (Maintenance charges) क्या हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक फार्म पर वार्षिक खर्च तनख्वाह, भत्ता, लागत, खर्च आदि का प्रत्येक फार्म का कितना कितना खर्च है तथा कितनी कितनी आमदनी है? 5 साल के पृथक-पृथक आंकड़े, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इन फार्म्स (Agriculture Farms) पर होने वाला खर्च इनसे होने वाली आमदनी से कहीं अधिक है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

(4) क्या यह सही है कि इन फार्मों की आमदनी इन पर लगी भूमि के लगान के बराबर भी नहीं है तथा उनकी कीमत के ब्याज के बराबरी में नगण्य है? क्या सरकार ऐसे कार्यों को लाभदायक बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (तालिका 'क') लागत खर्च (तालिका 'ख') के खर्चे में सम्मलित हैं।

(2) प्रत्येक फार्म की वार्षिक खर्च व आमदनी की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी (तालिका 'ख')

(3) सभी फार्मों के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं है प्रारम्भिक विकास खर्च तथा कभी वर्षा का अभाव तथा कभी अतिवृष्टि आदि कारणों से कई फार्मों पर हानि हुई है।

(4) अविकसित फार्मों पर आमदनी खर्च से कम है। ऐसे फार्मों को लाभदायक बनाने के लिये सिंचाई भूमि विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। तकनीकी कार्यक्रम में फेरबदल करके खर्च कम करना विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी ऋणदात्री समितियों से ऋण की वसूली

105. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सहकारी ऋणदात्री समितियों से 31 जून, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष तक कितनी वसूली हो गई? कृपया आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(2) उक्त वसूली में 3 साल से अधिक अवधि पर ऋण कितना वसूल हुआ ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) अपेक्स बैंक की जिलेवार डिमाण्ड में से सर्वाधिक वसूली किस बैंक द्वारा कराई गई जिसका क्या प्रतिशत रहा है ?

(4) इस रकम में से बैंकों को ब्याज की राशि कितनी प्राप्त हुई है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम बनवाड़ा, तहसील टोंक में हरिजन सोसायटी को भूमि का आवंटन

106. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में तहसील टोंक के ग्राम बनवाड़ा में एक हरिजन सोसायटी को दिनांक 8 जून, 1960 को भूमि का आवण्टन राज्य सरकार द्वारा किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि को कस्टोडियन की जमीन बताया गया था और जाली पट्टे बनाकर इस पर कब्जा कर लिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस घोटाले की जांच के लिए श्री भण्डारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? जिन्होंने जांच कर रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है ! और क्या यह घोटाला लाखों रुपयों का था ?

(4) क्या यह सही है कि सरकारी जमीन पर नाजायज तरीके से लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस भूमि को सरकार सोसायटी को देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई आवंटन होना नहीं पाया जाता।

(2) मैनेजिंग आफिसर कम असिस्टेन्ट कस्टोडियन की आज्ञा दिनांक 20-5-1960 के तहत कस्टोडियन भूमि दर्ज की गई थी।

फर्जी पट्टा बनाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(3) जानकारी के अनुसार कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ।

(4) राजस्व रेकार्ड के अनुसार अतिक्रमण होना नहीं पाया जाता। सोसायटी को भूमि दिये जाने का कोई मामला राज्य के विचाराधीन नहीं है।

पलसाना (सीकर) में कृषि फार्म की स्थापना

107. श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग राजस्थान द्वारा पलाना (सीकर) में कृषि फार्म की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो यह फार्म कब से शुरू किया गया तथा इस फार्म में राज्य सरकार का सारा कितना व्यय वहां के किस किस कार्य में हुआ, विगतवार बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस फार्म से सरकार को वापिस कोई आमदनी नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि हुई तो

(श्री घासीराम मोर)

किस किस वर्ष में कितनी आमदनी हुई ? बताने का कष्ट करें।

(3) इस समय राज्य सरकार के कितने व्यक्ति वहां कार्य करते है और उन पर सालाना क्या खर्च होता है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने काफी बड़ी रकम इसमें खर्च की, फिर भी यह फार्म बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है तथा जिस किसी की यह जिम्मेदारी है उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा ? भविष्य में सरकार इस की क्या व्यवस्था करेगी, तथा इस विकट आर्थिक परिस्थिति में ऐसे अनुपयोगी कार्यों की रोक थाम में क्या नीति होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी स्थापना बीज गुणन योजना के अन्तर्गत जून, 1964 में की गई थी। इस फार्म पर 1964-65 से 1970-71 तक हुए विगतवार व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह फार्म सन् 1971-72 में बंद कर दिया गया है। अतः इस समय वहां पर कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है।

(4) इस फार्म पर भूमि के समतल कराने व पानी की व्यवस्था के लिये बोरिंग के असफल प्रयत्नों से खर्च के मुकाबले में आमदनी बहुत ही कम रही अतः इसे 1971-72 में बंद कर दिया गया। फार्म पर नुकसान होने की जांच के संबंध में आदेश दिये गये हैं। भविष्य में इस फार्म को ग्रास फार्म में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Statement showing the year-wise expenditure on salaries etc. construction of works and recurring charges as also the income of Palsana Farm, (Sikar District) from 1964-65 to 1970-71

Year	Salary, D.A. T.A. & Other charges.	Construction of works.	Recurring charges	Total expenditure (Col. 2 & 4)	Income
1964-65	4284.15	39097.00	6966.39	11250.54	543.12
1965-66	10020.61	22051.00	17199.70	27220 31	5875.79
1966 67	12689.39	31349.00	5544.85	18234.24	4955.98
1967-68	10261.44	18875.00	14706 56	24968.00	6752.30
1968-69	13398.16	7643.00	18701.65	32099.11	17287.12
1969-70	11522.46	911 00	2.56.83	31092.29	8152 08
1970-71	--	--	7691.63	7691.63	3643.33

जयपुर नगर की गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति

108 श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. अमीर रोड, जयपुर का पंजीयन किस तिथि को हुआ है ?

(2) क्या पंजीयन के बाद इस समिति का वार्षिक आडिट विभाग द्वारा किया जाता रहा है ? यदि हां, तो समिति पंजीयन से अब तक कितने आडिट विभाग द्वारा किये गये हैं, उनकी हर वर्ष की आडिट रिपोर्टों की नकल सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर का पंजीयन दिनांक 11-11-68 को हुआ।

(2) जी हां। समिति का आडिट वर्ष 70-71 तक किया जा चुका है। प्रत्येक आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर शहर में रेगरों की कोठी में शराब का ठेका

109. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में रेगरों की कोठी शराब का ठेका कितने में नीलाम हुआ ?

(2) अब तक इस ठेके से कितने की शराब ठेकेदार उठा चुका है और ठेकेदार में कितनी राशि बकाया है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिला आबकारी अधिकारी ने यह बकाया राशि माफ करने की सिफारिश की है ?

उत्तर

(1) 950000 रु० में।

(2) अब तक इस दुकान पर 41,83740 रु० की शराब उठी है। ठेकेदार में अब तक 2,82,866 रु० की राशि बकाया है।

(3) जी नहीं।

जिला शिक्षा समिति झुंझुनू द्वारा प्राथमिक स्कूल खोले जाने की सिफारिश

110. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1973-74 में प्राथमिक शालायें खोलने व प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किये जाने हेतु निमित जिला शिक्षा समिति झुंझुनू ने चिड़ावा पंचायत समिति में ब्राह्मणों की ढाणी तन मह्न्दाकला में प्राथमिक स्कूल खोले जाने की सिफारिश की थी एवं उस सिफारिश के अनुसार विद्यालय शिक्षा निरीक्षक झुंझुनू ने संबंधित आदेश प्रसारित किये थे ?

(2) क्या उस आदेश के मुताबिक वहां प्राथमिक स्कूल चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्रीमती सुमित्रा)

(3) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में गांव वालों ने इस संबंध में कई बार शिकायत की थी कि चिड़ावा पंचायत समिति इस स्कूल का खोलने संबंधी सरकारी आदेश की अवहेलना कर रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश झुंझुनूं ने दो बार इस संबंध में चिड़ावा पंचायत समिति को लिखित निर्देश दिये कि उक्त स्थान पर स्कूल प्रारम्भ कर दिया जावे ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का पालन हो गया है ?

(5) क्या राज्य सरकार प्रधान के खिलाफ सरकारी आदेशों को पालना की अवहेलना करने पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने में कानूनन अक्षम है ? यदि हां, तो फिर इस संबंध में पंचायत समिति चिड़ावा के प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

(स्थगित किया गया)

जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण

111. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार ने जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के समुचित वितरण हेतु किसी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अथवा प्रणाली लागू करने पर विचार किया है, यदि हां, तो कृपया इस प्रणाली की रूप रेखा दर्शाते हुए आवश्यक जानकारी देने की कृपा करें ?

(2) खाद्यान्न खरीद संग्रह एवं वितरण की मौजूदा दोषपूर्ण अव्यवहारिक अधिक खर्चीली कष्टदायक एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण प्रणाली के स्थान पर क्या राज्य सरकार यह सारा कार्य पंचायत समितियों, अथवा जहां सम्भव हो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कराना अधिक उत्तम एवं सन्तोषदायक नहीं मानती है ? क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी ? यदि आवश्यक समझा जावे तो क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों अथवा सहकारी संस्थाओं को इस कार्य हेतु भारतीय खाद्य निगम का एजेंट अथवा सब एजेन्ट बनाने हेतु सुझाव देगी।

(3) क्या राज्य सरकार इस सारे मामले यानि लेवी वसूली के कार्य से लेकर आवश्यक वस्तु के वितरण का कार्य करने हेतु समुचित व कम खर्चीली प्रणाली evolve करने के लिए व्यवहारिक सुझाव देने हेतु कोई कमेटी ही बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध वस्तुओं को राशन कार्ड्स पर निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण कराया जाता है।

(2) वितरण हेतु सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता पहले से ही दिये जाने के निर्देश हैं। चीनी का समस्त कार्य राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ को दिया हुआ है। जहां जहां सम्भव हो यह विचार किया जायगा। भारतीय खाद्य निगम के एजेन्ट नियुक्त करने की व्यवस्था उनकी अपनी है, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

(3) राज्य स्तर पर पहले ही कमेटी बनी हुई है और उसकी बैठक तारीख 29-7-74 को हो चुकी है।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त कृषि भूमि

112. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अब तक कौन कौन से जिलों से कितनी कितनी कृषि भूमि प्राप्त हुई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त कानून के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कुल कितनी कृषि भूमि प्राप्त हो सकेगी ?

(3) उक्त कानून के अन्तर्गत कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) उक्त कानून के अन्तर्गत कृषि भूमि प्राप्त करने के कार्य में क्या राजस्व विभाग अपनी गति तेज करेगा ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य सम्पन्न हो जायेगा ?

(5) क्या उक्त कानून के अन्तर्गत प्राप्त की गई भूमि अनुसूचित जाति, जन जाति एवं भूमिहीनों को वितरित की गई ? यदि हां, तो कौन कौन से जिलों में कितनी भूमि वितरित की जा चुकी है ? जिलेवार विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) ब्यौरा संलग्न सूची के परिशिष्ट 'क' में अंकित है ।

(2) सुनिश्चित रूप से अदालतों के निर्णय के उपरान्त ही इसका पता चल सकेगा ।

(3) ब्यौरा संलग्न सूची के परिशिष्ट 'ख' में अंकित है ।

(4) विभाग ने 31-5-75 तक कार्य सम्पन्न करने की योजना बनाई है ।

(5) जी हां, ब्यौरा संलग्न सूची के परिशिष्ट 'क' में अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा बनाई गई योजनाएं

113. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टाउन प्लानिंग विभाग पर उसकी स्थापना से आज तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

(2) इस विभाग की स्थापना से आज तक इस विभाग ने कुल कितनी योजनायें बनाई हैं और इन योजनाओं में से कितनी योजनायें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं और कितनी योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया ?

उत्तर

(1) नगर आयोजना विभाग की स्थापना से आज तक कुल व्यय 1,17,67,841 रुपये हुआ है ।

(नगर आयोजना मंत्री)

(2) इस संबंध में नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् वरिष्ठ एवं उप नगर नियोजकों से सूचना संकलित की जा रही है।

रासायनिक खाद बेचने में अपनाई गई नीति

114. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य में विभिन्न रसायनिक खाद विक्रेताओं के पास रखे हुये विभिन्न प्रकार के पुराने खाद को बेचने के संबंध में रेट संबंधी राज्य सरकार ने कोई निश्चित नीति अभी तक नहीं अपनाई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सत्य है कि विभिन्न जिलों में इस संबंध में जिलाधीशों द्वारा अलग अलग नीतियां अपनाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। एक निश्चित नीति अपनाई गई है।

(2) जी नहीं।

श्री एकलिंगजी का मन्दिर

115. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ संविधान के परिशिष्ट '1' में श्री एकलिंगजी के मंदिर का उल्लेख क्रम संख्या-1 पर तथा श्री ऋषभदेवजी के मन्दिर का क्रम संख्या 32 पर है?

(2) क्या यह सत्य है कि श्री ऋषभदेवजी के मन्दिर के संबंध में राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत की थी? यदि हां, तो क्या उसका निर्णय हो चुका है? उक्त निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मेवाड़ राज्य के संविधान को मान्यता देकर ऋषभदेवजी के मन्दिर को सार्वजनिक मन्दिर घोषित कर दिया है और जैन धर्मावलम्बियों को एक कमेटी निर्माण कर मन्दिर राज्य सरकार को सौंप दिये जाने का आदेश दिया है?

(4) क्या यह सत्य है कि समान स्थिति होते हुए भी अभी तक श्री एकलिंग जी के सार्वजनिक मन्दिर को सरकार ने अपने अधिकार में नहीं लिया और न इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही ही की गई है?

(5) क्या यह भी सत्य है कि देवस्थान विभाग की लापरवाही और मिलीभगत से निवर्तमान महाराणा ने राज्य सरकार से परामर्श किये बिना ही मन चाहे व्यक्तियों का निजी ट्रस्ट बना लिया और देवस्थान विभाग ने उसको मान्यता दे दी है, जिसकी कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं है?

(6) क्या अब भी राज्य सरकार एकलिंग जी के मन्दिर के लिए राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(देव स्थान मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) सर्वोच्च न्यायालय में श्री ऋषभदेव मन्दिर को जैन मन्दिर घोषित किया है। जैन धर्मावलम्बियों की कोई कमेटी बनाकर मन्दिर राज्य सरकार को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है।

(4) श्री ऋषभदेव जी व श्री एकलिंग जी के मन्दिरों की समान स्थिति नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत एकलिंग जी के मन्दिर के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही चल रही है।

(5) जी नहीं। देवस्थान विभाग ने महाराणा के बनाये हुए किसी ट्रस्ट को मान्यता नहीं दी है।

(6) जी हां। कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गेहूँ की खरीद, फरोख्त व लेवी वसूली के सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्र एवं आदेश

116. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष गेहूं की खरीद फरोख्त व लेवी वसूली के सिलसिले में कौन कौन से कानून नियम व सरकारी परिपत्र एवं आदेश समय समय पर जारी किये गये? प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन कानून नियमों एवं परिपत्रों व आदेशों में असंगति होने की शिकायतें भी राज्य सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि इन कानून, नियमों एवं परिपत्रों व आदेशों की पालना न होने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जारी किये गए आदेशों - अधिसूचनाओं की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राजस्थान गेहूं वसूली (व्यापारियों पर लेवी) आदेश 1974 के अन्तर्गत गेहूं की परिभाषा एवं शिड्यूल के नीचे अंकित नोट के संबंध में असंगतियां प्राप्त हुई थीं। इन्हें अधिसूचना दिनांक 13-5-74 एवं 25-5-74 द्वारा दूर कर दिया गया।

(3) राजस्थान गेहूं वसूली (उत्पादकों पर लेवी) आदेश के अन्तर्गत एक शिकायत यह प्राप्त हुई कि बड़े किसानों द्वारा लेवी जमा नहीं करवाई गई है। इस हेतु दिनांक 29-7-74 को सभी जिलाधीशों को बेतार संदेश भेजकर लिखा गया है कि बड़े किसानों से जिन्होंने देय लेवी अभी तक जमा नहीं कराई है लेवी वसूली चालू रखी जावे। अत: उनसे लेवी वसूली का कार्य चालू है।

(अधिसूचनाओं की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांव चावण्ड की नल योजना

117. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में गांव चावण्ड नल योजना की सर्वे कब कराई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि नल योजना का तखमीना तैयार किया जाकर राज्य सरकार के पास आ चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि चावण्ड गांव की जनता ने जन सहयोग की रकम जमा कर दी है ? यदि हां, तो कितनी धन राशि जमा हो चुकी है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना राज्य सरकार से स्वीकृत होकर चालू कराने के आदेश हो चुके हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम चावण्ड की जल प्रदाय योजना का प्रथम सर्वे 1968 में किया गया था।

(2) उक्त योजना का तकमीना मुख्य अभियन्ता कार्यालय में विचाराधीन है।

(3) जी हां जन सहयोग की राशि 3800 रु. जमा कराई जा चुकी है।

(4) जी नहीं।

पंचायत समिति बगरू के सरपंच द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गए निःशुल्क पट्टे

118. श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेरे प्रश्न संख्या 41 (481) । सह मं. दिनांक 5 मार्च 1974 के आधार पर ग्राम पंचायत बगरू पंचायत समिति सांगानेर के सरपंच द्वारा पंचायत एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4 (एल. जे.) 12170–12203 दिनांक 9-8-70 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को अब तक कितने कितने निःशुल्क पट्टे दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत बगरू में उपरोक्त आदेश के बाद कितनी मिसलें पेंडिंग में हैं और उन पर निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ? क्या ग्राम पंचायत ने उक्त आदेश की अवहेलना करके पट्टे के पेटे जमा राशि ली है।

(3) सरकार द्वारा पट्टे के पेटे जमा की गई राशि को वापिस लौटाने के आदेश हो जाने के बाद भी ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अनुसूचित जाति वालों से कितनी कितनी राशि जमा की तथा वापस लेने के सम्बन्ध में किसने शिकायत की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बगरू के सरपंच पर उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार ग्राम पंचायत बगरू के

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

सरपंच का उपरोक्त जाति वालों से भविष्य में पट्टे के पेटे राशि न लेने के स्टैंडिंग आदेश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बगरू द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 16 व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे दिये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। एक पट्टा श्री धन्नालाल पुत्र श्री गोविन्दराम बलाई को भी पंचायत द्वारा मंजूर किया गया है, परन्तु पंचायत समिति की स्वीकृति के अभाव में पट्टा जारी नहीं किया जा सका है।

(2) ग्राम पंचायत बगरू के पास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अब कुल 108 मामले विचाराधीन हैं। इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए पंचायत एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांगानेर को आदेश जारी किये गये हैं। राज्य सरकार के आदेशों दि० 19-8-70 के बाद 23 व्यक्तियों से पट्टे के पेटे राशि ली गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा एक व्यक्ति श्री रामधन पुत्र श्री रामलाल रैगर को पट्टे के पेटे जमा की गई राशि को वापिस लौटाने के आदेश दि० 28-2-74 को दिये गये थे। उस आदेश दिनांक 28-2-74 के बाद में किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति से पट्टे की रकम जमा नहीं करवाई है। जिन 23 व्यक्तियों से पट्टे की राशि वसूल की गई है वह इस आदेश दिनांक 28-2-74 से पूर्व की है। उसके संबंध में सरपंच से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और उत्तर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। केवल एक व्यक्ति श्री धन्नालाल बलाई ने अपनी जमा की गई राशि वापिस लौटाने के लिए शिकायत विकास अधिकारी सांगानेर को प्रस्तुत की है, जिसकी उनके द्वारा जांच की जा रही है।

(4) बगरू के सरपंच को दिनांक 3-10-73 से निलम्बित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध नियमानुसार जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी। राज्यादेश दिनांक 19-8-70 स्पष्ट है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वालों को निःशुल्क भूमि दी जावेगी। इसलिए इसके पेटे राशि लेने या और किसी आदेश जारी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

189

परिशिष्ट ब

ग्राम पंचायत बगरू द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को दी गई निःशुल्क भूमि का विवरण

क.सं.	नाम व्यक्ति जिनको दी गई	निःशुल्क भूमि	भूमि का क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती डाली पुत्री बीज्या रैगर		57 7/9	वर्गगज
2	श्री मेवा पुत्र पन्ना खटीक		46 4/9	,,
3	,, पेमाराम पुत्र गणेश रैगर		121 1/3	,,
4	,, चुन्नीलाल पुत्र गोविन्दराम रैगर		22 11/18	,,
5	,, रामधन पुत्र श्री रामलाल		110 7/12	,,
6	,, गंगाराम पुत्र बालू खटीक		141 5/16	,,
7	,, रामलाल पुत्र मोहरू खटीक		73 1/2	,,
8	,, नाथू पुत्र महादेव रैगर		51 1/12	,,
9	,, भैरू पुत्र छोटू खटीक		32 1/9	,,

1	2	3	4	5
10–श्री हनुमान पुत्र छोटू खटीक			$40\frac{2}{3}$	बर्गगज
11–श्री नाथू पुत्र चतरा खटीक			$76\frac{1}{9}$	,,
12–श्रीमती शान्ती देवी पुत्री लादू हरिजन			49	,,
13–श्री घनश्याम पुत्र मांगीलाल रेगर			$31\frac{31}{36}$	,,
14–श्री मोती पुत्र मांगू रेगर			$26\frac{35}{36}$	,,
15–श्री [illegible]रू पुत्र काना खटीक			$32\frac{8}{9}$	,,
16–श्री गोपीराम पुत्र भागीरथ बलाई			$149\frac{2}{3}$	,,

लेवी की वसूली

119. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चालू वर्ष में किस किस जिले में कितना कितना गेहूं उत्पन्न हुआ और कितनी कितनी लेवी वसूल हुई जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह सत्य है कि लेवी वसूली में बड़े काश्तकारों के साथ नरमी बरती गई जब कि छोटे काश्तकारों के साथ सख्ती ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं,तो निर्धारित-लक्ष्य की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि आदिवासी क्षेत्र जहां से गेहूं लेवी की वसूली हुई वहां सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर नियमित रूप से माइलो भी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो विगत आठ महीनों में बांसवाड़ा जिले में किस 2 तहसील को कितने 2 खाद्यान्न की राशन व्यवस्था के अनुसार आवश्यकता थी और उनको कब 2 खाद्यान्न दिया गया। सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। छोटे एवं बड़े सभी काश्तकारों से लेवी नियमानुसार वसूल की गई है। काश्तकारों से लेवी का निर्णय काफी देर से लिया जा सका। अतएव वसूली का कोई ठोस लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। करीब एक डेढ मास ही लेवी वसूली के लिये समय था जिसमें करीब एक लाख टन लेवी वसूली हुई जो बहुत ही सन्तोषजनक रही। अब 31 जुलाई के बाद केवल उन बड़े काश्तकारों से लेवी वसूल की जा रही है जिन्होंने अभी तक देय लेवी जमा नहीं कराई है।

(3) यह सत्य नहीं है। बांसवाड़ा जिले की तहसील की आवश्यकता एवं विगत आठ माह में जितना खाद्यान्न दिया गया उस की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

(मात्रा टनों में)

क्र. सं.	नाम जिला	गेहूं का उत्पादन	प्राप्त लेवी की मात्रा
1.	अजमेर	49843	2686-3
2.	अलवर	70347	8421-9
3.	बाड़मेर	27738	94-1
4.	बूंदी	104054	5122-5
5.	बांसवाड़ा	36106	509-7
6.	भरतपुर	101125	9007-7
7.	भीलवाड़ा	84766	8948-3
8.	बीकानेर	1792	—
9.	चूरू	1019	—
10.	चित्तौड़गढ़	142649	5380-1
11.	डूंगरपुर	29749	700·0
12.	गंगानगर	247957	31460-0
13.	जयपुर	86221	823-1
14.	जोधपुर	16927	22-0
15.	जैसलमेर	5221	—
16.	जालोर	64718	7344-8
17.	झुन्झुनूं	9090	326-7
18.	झालावाड़	66486	1300-0
19.	कोटा	169719	12523-5
20.	नागौर	15178	470-00
21.	पाली	99770	7394-8
22.	सीकर	13284	—
23.	सिरोही	57499	1027-5
24.	सवाई माधोपुर	63320	7715-0
25.	टोंक	79252	5655-0
26.	उदयपुर	145415	1938-3

विधान सभा प्रश्न संख्या 70/क्र० सं०/द्वारा श्री नाथूराम बागीडोरा सदस्य

विधान सभा के भाग 3 की सूची

बांसवाड़ा तहसील

क्र० सं०	नाम माह	आवश्यकता	वितरण	
1	2	3	4	5
1.	दिसम्बर 73	6600 क्वि.	3175 क्वि०	
2.	जनवरी 74	"	7546 "	
3.	फरवरी 74	"	6200 "	
4.	मार्च "	"	5290 "	
5.	अप्रेल "	"	5408 "	
6.	मई "	"	6160 "	
7.	जून "	"	3496 "	
8.	जुलाई "	"	6214 "	

घड़ी तहसील

1.	दिसम्बर 73	7920 क्वि०	540 क्वि०	इस तहसील में
2.	जनवरी 74	"	3210 "	गेहूं की उपज
3.	फरवरी "	"	3175 "	अच्छी होने से
4.	मार्च "	"	1085 "	माइलो डीलर
5.	अप्रेल "	"	200 "	द्वारा कम
6.	मई "	"	1150 "	उठाया गया
7.	जून "	"	1225 "	
8.	जुलाई "	"	3740 "	

घाटोल तहसील

1.	दिसम्बर 73	6900 क्वि०	2515 क्वि०	
2.	जनवरी 74	"	4360 "	
3.	फरवरी "	"	3790 "	
4.	मार्च "	"	1440 "	
5.	अप्रेल "	"	1420 "	
6.	मई "	"	2575 "	
7.	जून "	"	2705 "	
8.	जुलाई "	"	4430 "	

1	2	3	4
		कुशलगढ़ तहसील	
1.	दिसम्बर '73	6960 क्वि.	1880 क्वि.
2.	जनवरी '74	,,	3740 ,,
3.	फरवरी ,,	,,	4112 ,,
4.	मार्च ,,	,,	3165 ,,
5.	अप्रेल ,,	,,	3495 ,,
6.	मई ,,	,,	4919 ,,
7.	जून ,,	,,	4115 ,,
8.	जुलाई ,,	,,	3595 ,,
		बागीदोरा तहसील	
1.	दिसम्बर 73	7740 क्वि.	475 क्वि.
2.	जनवरी 74	,,	3625 ,,
3.	फरवरी ,,	,,	3775 ,,
4.	मार्च ,,	,,	2685 ,,
5.	अप्रेल ,,	,,	1885 ,,
6.	मई ,,	,,	4095 ,,
7.	जून ,,	,,	3690 ,,
8.	जुलाई ,,	,,	4385 ,,

राज्य में आने वाले माल पर सेल्स टैक्स

120. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में आने वाले माल पर फर्स्ट पाइंट राजस्थान सेल्स टैक्स (बिक्री) कर लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों में बिक्री कर अंतिम बिन्दु (उपभोक्ता) पर लगाया जाता है ? अगर हां, तो यह विभेद क्यों है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के अधिकांश व्यापारी दिल्ली से बिना बिल्स का माल लाकर राजस्थान सेल्स टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं जिससे राज्य को करोड़ों रुपयों का प्रतिवर्ष नुकसान होता है और व्यापारियों से विभागीय कर्मचारी मिले हुये हैं ? अगर हां, तो इस अवैध प्रवेश की रोकथाम का क्या उपाय सोचा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि व्यापारी उपभोक्ताओं को वस्तुओं के विक्रय पर कैश-मैमो अथवा क्रेडिट मैमो नहीं देते हैं ? अगर हां, तो क्यों ? विभागीय निरीक्षक दुकानदारों का स्टाक कितने दिनों से चैक करते हैं और अब तक कितने अवैधरूप से सामान रखने वाले, चैकिंग नहीं करवाने वाले दुकानदारों तथा निरीक्षकों के खिलाफ जांच की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अधिकतर वस्तुएं प्रथम बिन्दु पर कर योग्य हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं अन्तिम बिन्दु व बहु बिन्दु पर भी कर योग्य हैं। ऐसा व्यापारियों की सुविधा एवं राज्य की आय की दृष्टि से किया गया है।

प्रथम बिन्दु पर कर सरकार को तुरन्त एक मुश्त में मिल जाता है, जबकि अन्तिम बिन्दु पर कर अन्तिम व्यापारी का बिक्री (Last sale by registered dealer) से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम बिन्दु का कर सरकार को जल्दी मिल जाता है और इसमें कर की चोरी की सम्भावना कम होती है।

यह सही नहीं है कि अन्य राज्यों में सब वस्तुओं पर अन्तिम बिन्दु पर ही कर लगता है।

(2) यह सही नहीं है कि अधिकांश व्यापारी दिल्ली से बिना बिल्स माल लाकर राजस्थान में चोरी से बिक्री करते हैं।

राज्य सरकार ने राजस्थान की सीमा पर चैकपोस्ट कायम कर रखी है, जहां पर मोटरों से माल आता है, उसका चैकिंग होता है और यह देखा जाता है कि माल बिल के अनुसार है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर शास्ति लगाई जाती है।

रेल्वे से जो माल आता है उसका भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार चैकिंग किया जाता है।

इसके अलावा व्यापारियों के व्यवसाय स्थल का समय समय पर सर्वे होता है और शक होने पर स्टाक की जांच की जाती है। जो माल उचन्ती का होता है या नियमानुसार बही खातों में इन्द्राज नहीं होता है उसमें राजस्थान बिक्री कर की धारा 22(6) में शास्ति ली जाती है।

(वित्त मंत्री)

(3) व्यापारी जो सही हिसाब किताब नहीं रखता है और जिसके विरुद्ध करापवचन का शक होता है उसमें बही खाते भी हस्तगत किये जाते हैं और उस पर उचित कर व शास्ति लगाई जाती है।

राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम की धारा 21 बी तथा नियम-44 एवं 44 ए के अन्तर्गत 10/- रुपये से अधिक की बिक्री के बिल जारी करने का प्रावधान है। कर मुक्त बिक्री के बिल काटने का प्रावधान नहीं है। जो व्यापारी इसका उल्लंघन करता है, उसके पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस क्रम में समय-समय पर इस विभाग की ओर से मुख्य समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी कराये गये हैं। दुकानदारों का स्टाक चैक करने की कोई अवधि निश्चित नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण के समय आवश्यकतानुसार शक होने पर स्टाक का चैकिंग किया जाता है।

अवैधरूप से सामान रखने वाले, चैकिंग नहीं करवाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध अभियोग बनाये जाने का साधारणतः प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों को जांच करने व बही खाते हस्तगत करने के अधिकार दिये हुए हैं, लेकिन जो रुकावट करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कानून में प्रावधान है।

खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक

121. श्री रामचरण (अटरू) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग ने प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षकों की सेवायें समाप्त की हैं ? यदि हां, तो किन तारीखों को और कितने व्यक्तियों की ?

(2) उपरोक्त तथ्यों में कितने कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं। कृपया नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के अध्यादेश जारी किये गए हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को 6 माह की सर्विस के बाद सेवाओं से अलग नहीं किया जा सकता है ? अगर हां, तो इन कर्मचारियों को किस कारण सेवाओं से अलग किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, 17 कर्मचारियों की दिनांक 24-7-74 को एवं 1 कर्मचारी की दिनांक 27-7-74 को सेवायें समाप्त करने के आदेश जारी किये थे। परन्तु दिनांक 29-7-74 को वे आदेश स्थगित किये जा चुके हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पदों में कमी होने पर अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को सरप्लस करने के नियम अवश्य हैं परन्तु इन कर्मचारियों को इन्टीग्रेटी सन्देहपूर्ण होने, गंभीर अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया और ऐसे आरोपों पर सेवायें समाप्त न की जा सकें ऐसे कोई नियम प्रभाव में नहीं है। यह कर्मचारी अस्थाई पदों पर अस्थाईरूप से कार्य कर रहे थे।

सूची

बी. 10 एम. एल. ए. क्वार्टर्स, जयपुर।

डी. 1109 आइ. ए. एस. कोचिंग इन्स्टीटयूट, जयपुर।

ग्राम मण्डपुरी कस्बा पोस्ट हरसोली तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।

मार्फत श्री राधाकिशन टेलीफोन आपरेटर सी. टी. एस. नयापुरा, कोटा

मीणों का मोहल्ला पोस्ट चौमू, जिला जयपुर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-8-74)

टोंक जिले में शिक्षा उप कर से प्राप्त राशि

9. श्री चतुर्भुज : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में भिन्न भिन्न पंचायत समितियों में शिक्षा उप कर जनता पर शिक्षा भवन के सुधार एवं विकास हेतु लगाया गया था ? यदि हां, तो सन् 1967 से 1973 तक इन पंचायत समितियों में कितनी कितनी धनराशि उपलब्ध हुई है ?

(2) क्या उक्त धनराशि उस क्षेत्र के शिक्षा भवनों के निर्माण या सुधार पर खर्च कर दी गई है ? अगर नहीं तो क्यों ? तथा कितनी कितनी धनराशि भिन्न भिन्न पंचायत समितियों में बाकी है ? और इसे कब तक शिक्षा भवनों पर खर्च कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

क्रम सं०	पंचायत समिति का नाम	शिक्षा उपकर से वसूल राशि	शिक्षा भवनों के निर्माण या सुधार पर व्यय का विवरण	बकाया धनराशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	टोंक	2,56,480–64	82,268–49	1,64,212–15	बकाया धनराशि चालू वर्ष के अन्त तक या अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की जा सकेगी।
2	देवली	60,833–03	35,725–00	25,108–03	शीघ्र ही व्यय कर दिया जावेगा।
3	निवाई	1,54,575–41	1,71,493–29	—	अधिक किये गये व्यय की पूर्ति चालू वर्ष की आय से की जावेगी।
4	टोडारायसिंह	1,21,196–98	71,536–90	49,660–08	नवीन कार्यों के तखमीने प्राप्त होते ही व्यय कर दिये जावेंगे।
5	उनिवारा	64,195–80	48,269–53	15,926–27	वर्ष 1974–75 में शाला भवनों को पूर्ण करने पर व्यय कर दिये जावेंगे।
6	मालपुरा	—	—	—	पंचायत समिति की बैठक दिनांक 20-5-70 के निर्णयानुसार 2) रु० प्रति परिवार शिक्षा उपकर लगाया गया है। अभी तक शिक्षा उपकर की वसूली न होने से शिक्षा भवनों के निर्माण या सुधार पर राशि व्यय नहीं की जा सकी है। शिक्षा उपकर वसूल होने पर व्यय किया जाना संभव हो सकेगा। इस उपकर से लगभग 25,000) रु० वसूल होने की संभावना है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 12-8-74)

पंचायत समिति खण्डेला की नर्सरी

17. **श्री सांवरमल मोर** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, खण्डेला (सीकर) द्वारा संचालित नर्सरी में काफी घाटा हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कितना घाटा हो चुका है ? पंचायत समिति द्वारा अब तक कितनी राशि इसमें खर्च हो चुकी है तथा यह नर्सरी कब से चालू है ?

(2) क्या यह सही है कि घाटा हर-वर्ष होने के बावजूद भी उसकी रोकथाम नहीं की गई ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसी नर्सरी जिनमें बराबर घाटा लग रहा है, को बन्द करना चाहेगी, या उनमें घाटा नहीं लगे यह व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या तथा किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां। 84, 652) रु० का घाटा हुआ है। नर्सरी पर 1, 33, 508) रुपये व्यय हो चुके हैं। यह नर्सरी अप्रेल, 1962 से चालू है।

(2) वर्ष 1969-70 तक नर्सरी घाटे में रही है परन्तु इसके बाद नर्सरी से लाभ होता रहा है। आरम्भ में नर्सरी चलाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट (जैसे पंपिंग सैट, पाइप, पक्की नालियां आदि) किया गया, जिससे घाटा हुआ। इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता। वर्ष 1970 से 1974 तक कुल लाभ रु. 5, 791-74 का बताया गया है।

(3) जिन नर्सरियों में लगातार हानि हो रही है, राज्य सरकार उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है नर्सरियों के समुचित संचालन के लिये प्रत्येक जिले पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो लीज की शर्तें तय करेगी। यदि नर्सरी लाभ पर नहीं चल सकेगी, तो उसे बन्द कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट 2

(अता. प्र. सं. 34 की सूची)

सूचना वितरण व शेष पास बुकें तहसीलवार जयपुर जिला

क्र. सं.	नाम तहसील	तहसीलों को आवंटित पास बुकों की संख्या	वितरित संख्या	शेष
1.	जयपुर	5195	2603	2592
2.	सांगानेर	7400	6865	535
3.	बस्सी	8566	6685	1881
4.	चाकसू	16819	14221	2598
5.	आमेर	19953	12519	7362
6.	जमुवा रामगढ़	8523	5037	3486
7.	दौसा	12800	12158	642
8.	बसवा	10135	8427	1708
9.	सिकराय	9000	9000	—
10.	लालसोट	8300	8300	—
11.	फुलेरा	14000	10420	3580
12.	दूदू	16164	14555	1609
13.	फागी	17335	13753	3582
14.	कोटपूतली	16720	11842	4878
15.	विराटनगर	20180	18053	2127
16.	अन्य	10	10	—
	योग तहसीलों में	191100	154520	36580
	जिला कार्यालय भंडार में	2700	—	2700
	कुल योग	193800	154520	39280

परिशिष्ट 3

(अता. प्र. सं. 35 की सूची)

राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन राज्य सरकार के विरुद्ध/द्वारा पेश की गई सिविल रिट याचिकायें या डी. बी. स्पेशल अपील्स की सूची

क्र.सं.	याचिका किस्म	संख्या एवं वर्ष	याचिका प्रस्तुत करने वाले का नाम (वादी/प्रतिवादी)	रिट याचिका में क्लेम की गई भूमि का विवरण		
				ग्राम	रकबा बीघा	बिस्वा
1	डी. बी. स्पेशल अपील	285/72	राज्य सरकार बनाम आसाराम एवं अन्य	जीवनदेसर	202	7
2	,,	286/72	राज्य सरकार बनाम रतीराम एवं 3 अन्य	जीवनदेसर	202	10
3	,,	14/73	राज्य सरकार बनाम ईश्वरी प्रसाद	गड़साना	39	6
4	,,	27/73	,, ,, राजाराम एवं तीन अन्य	पनपालिया	201	9
5	,,	153/73	विशनदास बनाम राज्य सरकार	जीवनदेसर	44	10
6	सिविल रिट याचिका	1142/72	रेलाराम बनाम राज्य सरकार	आनन्द का बेरा	75	—
7	,,	1883/72	वचन कौर एवं अन्य बनाम सरकार	जीवनदेसर	35	—
8	,,	1159/73	श्रीमती राज बाई बनाम सरकार	घड़साना	68	16
9	,,	1426/73	दयालसिंह एवं अन्य बनाम सरकार	मोमेवाली	119	11
10	,,	2034/73	विशनदास बनाम सरकार	सतराना	115	9
11	,,	2049/73	दीपाराम एवं 5 अन्य बनाम सरकार	जीवनदेसर	100	—
12	,,	1052/73	सोहनलाल बनाम राज्य सरकार	घड़साना	672	8
13	,,	43/73	किशनचन्द बनाम सरकार	रेड बग्गी) दब जाल)	62	—

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 1974)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
9	ऊपर से 7	की	के
10	अन्तिम से 9	स्ट्रिन्ज	स्ट्रिग्स
16	ऊपर से 7	इससे	इसमें
27	„ 6	बंह	वह
174	„ 1	किया	करना
	„ 10	उन्होंने	उन्हें
	„ 7	सक	सका
	„ 20	छो	छोटे
218	„ 11	कि	–
231	अन्तिम से 5	सी	ही
265	„ 4	अपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
301	ऊपर से 16	सरकर	सरकार
309	अन्तिम से 2 व 3	जा	हजार
324	„ 13	नुकशान	नुकसान
347	„ 4	होगा	होगी
349	„ 14	बाद में बाईक्लाज	बाद में क्लाज बाई क्लाज
350	„ 2	दिनांक 11 बजे	दिनांक 20 अगस्त,1974 के प्रातः 11 बजे
352	„ 12	लभगभ	लगभग
353	„ 7	अधिमिनय	अधिनियम
356	„ 5	भाजन सिह	गजन सिंह
384	„ 18	घड़ी	गढ़ी
390	„ 2	श्री चतुर्भुज	श्री चतुर्भुज (टोडारॉय सिंह)